



॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

मास्टर ऑफ कॉमर्स
M.Com.-302
आयकर
INCOME TAX

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज

© उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय, इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य सामग्री का कोई भी अंश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

प्रकाशन : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, की अनुमति से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित 2024.

मुद्रक : सिग्नेस इन्फार्मेशन सल्यूशन प्रा० लि०, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

इकाई 1 प्रस्तावना तथा मूल अवधारणाएं

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 आयकर के उद्देश्य
- 1.3 आयकर के सिद्धान्त
- 1.4 आयकर की प्रमुख विशेषताएं
- 1.5 भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास
- 1.6 प्रमुख अवधारणाएं— गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष, व्यक्ति, करदाता
- 1.7 आय का वर्गीकरण— सकल कुल आय, कुल आय, कृषि आय, आकस्मिक आय
- 1.8 सारांश
- 1.9 शब्दावली
- 1.10 बोध प्रश्न
- 1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 1.12 स्वपरख प्रश्न
- 1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर का आशय व प्रमुख विशेषताएं बता सकें।
- आयकर के उद्देश्य व सिद्धान्त की व्याख्या कर सकें।
- आयकर की विभिन्न मदों का वर्णन कर सकें।
- भारत में आयकर का इतिहास जान सकें।
- आयकर की गणना के लिए आय का वर्गीकरण कर सकें।
- आयकर निर्धारण की प्रक्रिया जान सकें।

1.1 प्रस्तावना

आयकर के सम्बन्ध में अध्ययन करने से पहले कर के सम्बन्ध में जानना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की गतिविधि, आय अथवा उत्पादन पर सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली राशि को कर कहते हैं। कर सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी सुविधा से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं होता है, यद्यपि इसका प्रयोग जनोपयोगी कार्यों में किया जाता है।

कर दो प्रकार के होते हैं—

1. **प्रत्यक्ष कर**— इन करों को प्रत्यक्ष रूप से किसी आय अथवा सम्पत्ति के आधार पर वसूल किया जाता है। जैसे— आयकर, सम्पत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आदि।
2. **अप्रत्यक्ष कर**— इन करों को वस्तुओं अथवा सेवाओं में मूल्य के आधार पर वसूला जाता है, जैसे— वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क आदि।

प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वही उसका भार भी वहन करता है किन्तु अप्रत्यक्ष कर को जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वह कर का भार अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है। उदाहरण के लिए— वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान किसी बिक्री पर विक्रेता या सेवा प्रदाता के द्वारा सरकार को किया जाता है किन्तु इसकी राशि बिल में जोड़ दी जाती है तथा क्रेता या उपभोक्ता द्वारा इसका वास्तविक भुगतान किया जाता है अर्थात् कर का भार विक्रेता द्वारा क्रेता को अन्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता या क्रेता अप्रत्यक्ष रूप से कर का भुगतान करता है।

1.2 आयकर के उद्देश्य

आयकर लगाये जाने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं—

1. **सरकार की आय का श्रोत**— किसी भी देश में उसके व्ययों की पूर्ति, लोक कल्याण के कार्यों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वृहद मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। कर सरकार की आय का सबसे बड़ा श्रोत होता है। सरकार की करों से आय में आयकर का एक बड़ा भाग होता है।
2. **राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति**— देश की सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए आयकर का सहारा लेती है। यथा— प्रारम्भिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष उपकर लगाया गया है। पूर्व में करगिल युद्ध के समय भी इसी प्रकार धन उपलब्ध कराया गया था।
3. **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना**— सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों को अपनाती है। आयकर की इन उपायों में विशेष भूमिका है। जिस क्षेत्र विशेष को प्रोत्साहित करना होता है, वहाँ कर में रियायतों की घोषणा कर दी जाती है। जैसे— विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र, निर्यात सम्बन्धी उद्योग आदि।
4. **बचत व निवेश को नियन्त्रित करना**— बचत एवं निवेश दो ऐसे यन्त्र हैं जिनके द्वारा देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित किया जा सकता है। सरकार अपनी आयकर नीति के द्वारा इन यन्त्रों को इसप्रकार संचालित करती है कि उसे व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहित करने तथा उसे सुनियोजित स्थान पर निवेशित कराने में सफलता प्राप्त हो जाती है। मुद्रा स्फीति की दशा में बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है जबकि संकुचन की दशा में अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है।
5. **घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन** — सरकार जिन उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है उन पर आयकर के अन्तर्गत विशेष रियायतें उपलब्ध कराती है। कुछ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी आकर्षित करने हेतु आयकर का प्रयोग किया जाता है। ढाँचागत उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने गृह ऋण को सुगम बनाया तथा आयकर के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की अदायगी तथा रकम वापसी के सम्बन्ध में धारा 80 के अन्तर्गत कटौती प्रदान की।

6. **सामाजिक विषमताओं को कम करना**— भारत में आयकर की दर प्रगतिगामी रखी गई है। इस व्यवस्था में धनवानों को अधिक कर चुकाना होता है तथा कम धनवानों को अपेक्षाकृत कम कर। निर्धन वर्ग को आयकर से मुक्त रखा गया है। अर्जित आयकर का प्रयोग निर्धनतम वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। आयकर का क्रम अमीर से गरीब की ओर तथा सुविधाओं का क्रम गरीब से अमीर की ओर रखा जाता है। इससे धनवानों के धन को निर्धन वर्ग से जोड़कर सामाजिक विषमताओं को कम किया जाता है।
7. **पूँजी निर्माण**— आयकर के द्वारा जनता को बचत की अनेक योजनाओं में धन निवेशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बचत की यह सूक्ष्म राशि सामूहिक स्तर पर डाकघर, सरकारी बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य संस्थाओं के पास एकत्रित हो जाता है जो वृहद निवेश हेतु पूँजी निर्माण करती है। संस्थाओं द्वारा इसका प्रयोग औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं को प्रारम्भ करने अथवा उन्हें मजबूत करने के लिए किया जाता है।
8. **मूल्य स्थिरता**— सरकार अर्थव्यवस्था में मूल्यों की स्थिरता लाने के उद्देश्य से भी आयकर को प्रयोग करती है। व्यक्तिगत स्तर पर उपभोग, बचत व निवेश को प्रभावित करने में आयकर की विशिष्ट भूमिका होती है। व्यक्तिगत स्तर का यह प्रभाव वृहद स्तर पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

1.3 आयकर के सिद्धान्त

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के चार सिद्धान्त होते हैं। उक्त सिद्धान्त आयकर पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

1. **समानता का सिद्धान्त**— समानता से आशय कर की समान धनराशि से न होकर समान भार से माना गया है। इसीलिए कर निर्धारण में धनिकों से अधिक तथा कम धनवानों से कम आयकर लिया जाता है। व्यक्तियों की करदान क्षमता के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता है। इसप्रकार समानता का सिद्धान्त कर के माध्यम से समाज में समानता लाने का पक्षधर है।
2. **सुनिश्चितता का सिद्धान्त**— इस सिद्धान्त के अनुसार करदाता को उसकी करदेयता के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी का होना आवश्यक है। कर निर्धारण का तरीका सरल, स्पष्ट तथा सुनिश्चित होना चाहिए। करदाता को वर्ष के प्रारम्भ में ही अपनी आय के आधार पर कर गणना का आधार, दर, भुगतान की तिथि आदि की जानकारी होनी चाहिए।
3. **सुविधा का सिद्धान्त**— सुविधा का सिद्धान्त एक प्रकार से सुनिश्चितता के सिद्धान्त का ही विस्तार है। इसमें यह अपेक्षा की जाती है करदाता को कर का भुगतान करने में जितनी आसानी होगी उतना ही कम कष्ट उसे करभार का होगा। श्रोत पर कर की कटौती इस दृष्टि से कर भुगतान को आसान बनाती है। कर के नकद भुगतान की अपेक्षा वेतन से कटौती करदाता को सुविधाजनक प्रतीत होती है।

4. **मितव्ययिता का सिद्धान्त**—कर के एकत्रीकरण में अनावश्यक धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। एकत्रीकरण में जितनी कम राशि व्यय होगी, वह एक प्रकार से कर की राशि में ही वृद्धि करेगी। दूसरे शब्दों में वसूली का व्यय जितना अधिक होगा कर का शुद्ध एकत्रीकरण उतना ही कम होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में सरलता का सिद्धान्त, उत्पादकता का सिद्धान्त, लोचशीलता का सिद्धान्त, विविधता का सिद्धान्त आदि भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

1.4 आयकर की प्रमुख विशेषताएं

आयकर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

1. **प्रत्यक्ष कर**— आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। यह करदाता की आय पर परिगणित किया जाता है तथा उसी के द्वारा चुकाया जाता है। आयकर के बोझ को करदाता द्वारा किसी अन्य पर नहीं डाला जा सकता है।
2. **केन्द्रीय कर**— करदाता द्वारा आयकर का भुगतान केन्द्र सरकार को करना होता है। इसकी गणना के नियम व परिनियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये जाते हैं तथा केन्द्र सरकार के आयकर विभाग के अधिकारी ही कर निर्धारण व वसूली आदि की कार्यवाही करते हैं।
3. **शुद्ध करयोग्य आय के आधार पर गणना**— आयकर की गणना शुद्ध करयोग्य आय पर की जाती है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आयों की पृथक गणना की जाती है तथा प्रत्येक के लिए निर्धारित नियमों के आधार पर आय ज्ञात कर कुल आय तथा तत्पश्चात् निर्धारित छूट प्रदान करते हुए शुद्ध करयोग्य आय की गणना की जाती है। इसे कुल आय भी कहा जाता है। सकल आय में से धारा 80सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद इसे ज्ञात किया जाता है।
4. **गतवर्ष की आय के आधार पर गणना**— किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना गतवर्ष की आय के आधार पर की जाती है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से होता है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व होती है। यह वो अवधि होती है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया गया होता है। इसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है।
5. **आय के विभिन्न स्रोतों पर कर की गणना**— आयकर की गणना के लिए आय के पाँच स्रोत निर्धारित किये गये हैं। ये हैं—1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यवसाय अथवा पेशे से आय, 4. पूँजी लाभ तथा 5. अन्य स्रोतों से आय। वेतन से आय के अन्तर्गत सभी प्रकार के वेतनभोगियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्ते, अनुलाभ व सुविधाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अवकाश प्राप्ति, मृत्यु, छँटनी आदि अवस्था में पेंशन, अनुग्रह राशि व अन्य भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान के किराये से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है चाहे यह किराया आवासीय भवन से हो अथवा व्यावसायिक भवन से। व्यवसाय व पेशे से आय

की श्रेणी में सभी प्रकार की व्यापारिक व निर्माणी इकाइयों तथा पेशों (अधिवक्ता, सनदी लेखाकार, चिकित्सक आदि) की आय को सम्मिलित किया जाता है। पूँजी आय के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन वृद्धि से होने वाले लाभों को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त चार श्रोतों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद से होने वाली आय को अन्य श्रोतों से आय की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में लाभांश, प्रतिभूतियों व बैंक खातों पर होने वाली ब्याज की आय, सम्पत्तियों को किराये पर देने की आय, उप किराया आय के अतिरिक्त लाटरी आदि से होने वाली आकस्मिक आय आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। सांसदों व विधायकों के वेतन तथा अधोषित आय को भी अन्य श्रोतों की आय माना जाता है।

उपरोक्त समस्त आयों तथा उन पर आयकर की गणना का विस्तृत विवरण आगामी अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।

6. **व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि के लिए आयकर की पृथक गणना**— आयकर की गणना के लिए व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय सत्ता तथा विधि द्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। आयकर की गणना के लिए व्यक्तियों, व्यावसायिक संस्थाओं व पेशेवरों तथा कम्पनी के लिए पृथक प्रावधान किये गये हैं तथा उन्हीं के आधार पर उन्हें कतिपय छूट भी प्रदान की गई हैं। अतः आयकर की गणना उनकी प्रास्थिति के आधार पर ही की जाती है।
7. **कर की दरों में आय, आयु, लिंग के आधार पर भिन्नता**— भारतीय आयकर नियमों में आयकर का निर्धारण करने के लिए भिन्न वर्गों के लिए भिन्न दर निर्धारित की गई हैं। आयकर को इसप्रकार खण्डों में बाँटा गया है कि व्यक्तिगत करदाताओं तथा व्यावसायिक करदाताओं के लिए कर की दरों में भिन्नता रखी गई है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं में अधिक आय वाले निर्धारिती को कर का भार अधिक सहना होता है। इसे प्रगतिशील कर की दर के रूप में जाना जाता है। वयोवृद्ध निर्धारिती के लिए कर की दर में रियायत दी गई है। महिला करदाताओं को भी पूर्व में कर की दरों में कमी की गई थी जो वर्तमान में समाप्त कर दी गई है।

आयकर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कर की दरें निम्नवत हैं—

1. 60 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिला वर्ग के व्यक्तिगत करदाताओं, अविभाजित हिन्दू परिवार, व्यक्तियों के समूह, अनिवासियों तथा न्यायिक कृत्रिम व्यक्तियों के लिए—

करयोग्य आय	कर की दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,000 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,000 से 10,00,000 तक	20 प्रतिशत

10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत
-------------------	------------

2. 60 वर्ष से अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिला करदाताओं के लिए—

करयोग्य आय	कर की दर
3,00,000 तक	शून्य
3,00,000 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,000 से 10,00,000 तक	20 प्रतिशत
10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

3. 80 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष एवं महिला करदाताओं के लिए—

करयोग्य आय	कर की दर
5,00,000 तक	शून्य
5,00,000 से 10,00,000 तक	20 प्रतिशत
10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

संयुक्त हिन्दू परिवार, व्यक्तियों के समूह आदि के लिए कर की दरें सामान्य व्यक्तियों के समान होती हैं चाहें उनके सदस्यों की आयु या लिंग कुछ भी हो। व्यावसायिक फर्मों में भी कर की दरों में भिन्नता है। साझेदारी फर्मों के लिए आयकर की दर 30 प्रतिशत है। भारतीय कम्पनी के लिए भी कर की सामान्य दर 30 प्रतिशत है किन्तु जिन कम्पनियों की वार्षिक बिक्री/सकल प्राप्तियाँ ₹50 करोड़ से अधिक नहीं हैं उनके लिए यह दर 25 प्रतिशत होती है। विदेशी कम्पनियों के लिए आयकर की दर 40 प्रतिशत है।

इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए कर की दर अलग-अलग होती है तथा इसे प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित किया जाता है। इसकी दरों के साथ ही करदाताओं के वर्गीकरण में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।

8. **कर पर अधिभार तथा उपकर का प्रावधान**— सरकार आयकर पर निर्धारित दर के अतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) भी निश्चित कर सकती है। विशिष्ट करदाताओं से अतिरिक्त दरों पर आयकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में ₹50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए 10 प्रतिशत तथा 1 करोड़ से अधिक आय वालों के लिए 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त उपकर (सैस) की व्यवस्था भी निर्धारित है। उपकर कर की राशि पर किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। इन्हें लगाने का उद्देश्य किसी कार्य विशेष के लिए धनराशि एकत्रित करना होता है। वर्तमान में शिक्षा के लिए 2 प्रतिशत तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत उपकर की व्यवस्था लागू है।
9. **आवश्यक छूटों का प्रावधान**— आयकर अधिनियम में कुछ विशिष्ट छूटों का भी प्रावधान किया गया है। धारा 80 की अनेक उपधाराओं में विभिन्न प्रकार की

छूटों का प्रावधान किया गया है जो कि किसी करदाता को राहत प्रदान करती हैं। जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि अंशदान, पारस्परिक निधि में निवेश आदि (80सी), स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (80डी), उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज (80ई), विशिष्ट संस्थाओं को दान (80जी) आदि अनेकों ऐसे कारण हैं जिनके लिए आयकर में छूट प्राप्त होती है। इनका विस्तृत विवरण सम्बन्धित अध्याय में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर में मानक कटौती जैसे प्रावधानों को भी समय-समय पर जोड़ा जाता रहा है।

10. **करमुक्त आयों का प्रावधान**— भारतीय आयकर कानूनों में कुछ आयों को करमुक्त श्रेणी में रखा गया है। कृषि आय (10.1), अविभाजित हिन्दू परिवार से प्राप्त आय (10.2), फर्म की आय में साझेदार का भाग (10.2ए), मुक्त व्यापार क्षेत्र व विशिष्ट व्यापार क्षेत्र में स्थापित उद्यमों की आय (10ए तथा 10एए), विशिष्ट प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज (10.15), घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश (10.34) आदि अनेकों ऐसी आयें हैं जिन्हें करमुक्त आय की श्रेणी में रखा गया है।

1.5 भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास

भारत में कर का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। महाकवि कालीदास ने मेघदूत में राजा दलीप के संदर्भ में लिखा है कि जिस प्रकार से सूर्य जमीन से नमी सोखकर इसे कई हजार गुना करके वापस कर देता है उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा से करों की वसूली करके इसे प्रजा के ही कार्यों में लगा देता है। कौटिल्य के इतिहास में भी सार्वजनिक वित्त तथा कराधान प्रणाली को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। अकबर काल में टोडरमल के राजस्व व भू सुधार सम्बन्धी अभिलेखों में कराधान को स्थान दिया गया है।

वर्तमान आयकर प्रणाली का अध्ययन करने के लिए इसे दो कालखण्डों में बाँटा जा सकता है—

अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व का काल— भारत में प्रथम बार आयकर सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश काल में लगाया गया। इसमें 1863, 1867, 1873 तथा 1880 में विभिन्न संशोधन किये गये। इसके बाद एक नया आयकर अधिनियम 1886 में लाया गया। इस अधिनियम में भी अनेक बाद संशोधन किये जाते रहे। विभिन्न राजनीतिक व वित्तीय संकटों को दृष्टिगत रखते हुए तथा राष्ट्रीय महत्व के अनेक विषयों को समाहित करते हुए सन् 1918 में आयकर अधिनियम 1918 लागू किया गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद चरमराई स्थिति को संभालने के लिए इसमें परिवर्तन अपरिहार्य थे। सन् 1918 के आयकर अधिनियम को भी शीघ्र ही नया स्वरूप देते हुए आयकर अधिनियम 1922 लागू किया गया जो कि कतिपय संशोधनों के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारत में लागू रहा।

ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का काल— 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी समय-समय पर गठित अनेकों समितियों के द्वारा दिये गये सुधारों के आधार पर आयकर सुधारों का सिलसिला जारी रहा। स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार

आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया जोकि 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है।

आयकर अधिनियम 1961 के बाद भी आयकर नियमों, वित्त अधिनियम, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्र सरकार के निर्देशों के माध्यम से समय-समय पर अनेक सुधारों का क्रम जारी रहा। विभिन्न न्यायालयों के फैसलों ने भी इसमें सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1987 में विभिन्न वार्षिक प्रणालियों के स्थान पर एक वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च अपनाये जाने का फैसला लिया गया। सन् 1990 में सिविकम को भी आयकर के दायरे में सम्मिलित कर लिया गया।

1.6 प्रमुख अवधारणाएं –गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष, व्यक्ति, करदाता

आयकर का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है—

1. **कर निर्धारण वर्ष**— आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ तथा 31 मार्च को पूर्ण होने वाली 12 माह की अवधि होती है। आयकर विभाग द्वारा जिस वर्ष में आयकर की गणना की जाती है वह कर निर्धारण वर्ष होता है। किसी कर निर्धारण वर्ष में उससे ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात् गतवर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है।
2. **गतवर्ष**— किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर का निर्धारण गतवर्ष की आय के आधार पर किया जाता है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक को पूर्ण होता है। कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व की 12 माह की अवधि को गतवर्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए गतवर्ष 2017-18 (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) होगा।
3. **व्यक्ति**—आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार व्यक्ति में निम्न को सम्मिलित किया जाता है— व्यक्ति (अभय कुमार, मनस्वी पाठक आदि), हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी (भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित), फर्म (साझेदारी), व्यक्तियों का समूह (सहकारी समूह— नाफेड), स्थानीय निकाय (नगर पंचायत, नगर महापालिका, जिला परिषद, कैण्टोनमेन्ट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट आदि), कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति (विश्वविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि)। इसप्रकार आयकर की दृष्टि में वे सभी जीवित (पुरुष, स्त्री, अवयस्क आदि) व कृत्रिम इकाइयों (फर्म, कम्पनी, सहकारी संस्था आदि) व्यक्ति की श्रेणी में सम्मिलित हैं जो आय अर्जित करते हैं।
4. **कर निर्धारिती**— वह व्यक्ति जिसकी आय पर कर का निर्धारण किया जाता है, कर निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है, आयकर पर ब्याज अथवा दण्ड का निर्धारण किया जाता है, उसे कर निर्धारिती कहते हैं। कर निर्धारण के माने गये अर्थात् डीम्ड निर्धारिती को भी निर्धारिती की श्रेणी में रखा जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से अतिरिक्त लाभ (फ्रिंज बेनिफिट) के निर्धारण से

सम्बन्धित निर्धारिती की भी इस श्रेणी में रखा जाने लगा है। किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी डीमड एसेसी या माने गये कर निर्धारिती कहलाते हैं।

1.7 आय का वर्गीकरण— सकल कुल आय, कुल आय, कृषि आय, आकस्मिक आय

आयकर का केन्द्र बिन्दु आय ही है किन्तु आयकर अधिनियम में इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है तथापि उन मदों का विवरण दिया गया है जिन्हें आय की श्रेणी में रखा जाता है। वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, आयगत तथा पूँजीगत लाभ, फीस, अनुदान, रायल्टी, वसूली आदि अनेकों मदों की आयों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह आय मौद्रिक अथवा अमौद्रिक (अनुलाभ) प्रकृति की हो सकती है। आयकर की दृष्टि से नैतिक व अनैतिक किसी भी प्रकार से अर्जित आय को आयकर निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। आय नियमित हो सकती है अथवा अनियमित भी। आकस्मिक आय व उपहार भी आयकर निर्धारण के लिए आय में सम्मिलित किये जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से आय को पाँच विभिन्न शीर्षकों में बाँटा गया है—

1. **वेतन से आय—** इस मद के अन्तर्गत वेतन से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है। वेतन से आय में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाने वाला कोई भी भुगतान सम्मिलित हो सकता है। इसके अन्तर्गत वेतन या मजदूरी के साथ बोनस, कमीशन, भत्ते, वेतन के स्थान पर लाभ तथा अनुलाभों (मुफ्त मकान, बिजली, नौकर, बच्चों की शिक्षा आदि) के मूल्य को जोड़ा जाता है। कर्मचारी को सेवा निवृत्ति अथवा निष्कासन पर मिलने वाली राशि (अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, पेंशन, एकमुश्त राशि, भविष्य निधि आदि) को भी इसी आय के प्रावधानों में रखा गया है।
2. **मकान सम्पत्ति से आय—** मकान के किराये से प्राप्त होने वाली आय को इस शीर्षक में रखा जाता है। सम्पूर्ण मकान अथवा उसके एक भाग को किराये पर उठाने अथवा उपकिराये पर दिये जाने से होने वाली आय को ज्ञात करने के लिए आयकर अधिनियम में विविध प्रावधान दिये गये हैं किन्तु मकान को पेइंग गेस्ट के रूप में किराये पर देना इस शीर्षक में करयोग्य नहीं है। इसीप्रकार, यदि भवन के साथ मशीन व फर्नीचर आदि भी इस प्रकार दिया जा रहा है जिसे अलग करना संभव नहीं है तो इसे भी मकान सम्पत्ति के आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आयकर अधिनियम में स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में अनेक छूट प्रदान की गई हैं।
3. **व्यापार अथवा पेशे से लाभ व आय—** किसी भी प्रकार की व्यापारिक इकाई को होने वाले लाभों तथा पेशेवर फर्मों की आय को इस शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। व्यापारिक इकाइयों में उत्पादक, व्यापारिक, सेवा प्रदाता अथवा अन्य को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें एकल, साझेदारी, संयुक्त उपक्रम, कम्पनी आदि सम्मिलित हो सकती हैं किन्तु कुछ आयों को इस शीर्षक में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे— मकान को किराये पर देने से आय, अंश अथवा ऋणपत्रों से आय आदि। पेशेवर व्यक्तियों/संस्थाओं की

- आय को भी इसी शीर्षक में रखा गया है, जैसे— सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट), चिकित्सक, अधिवक्ता आदि।
4. **पूँजी लाभ**— पूँजीगत सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर होने वाले लाभ को पूँजी लाभ की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें स्थाई अथवा अस्थायी, भौतिक अथवा अभौतिक, दृष्य अथवा अदृष्य सभी प्रकार की सम्पत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, आभूषण, अंश, ऋणपत्र, व्यापारिक ख्याति, पट्टे, लाइसेन्स आदि के हस्तांतरण से होने वाली आय को पूँजी लाभ में सम्मिलित किया जाता है किन्तु व्यापारिक स्टॉक के अन्तरण से आय इसमें सम्मिलित नहीं होती है।
 5. **अन्य श्रोतों से आय**—उपरोक्त चार शीर्षकों के अन्तर्गत सम्मिलित न होने वाली समस्त आय मदों को इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः लाभांश, ब्याज, मानदेय, रायल्टी, जुए या सट्टे का आय, सांसदों व विधायकों का वेतन, उपहार, घुड़दौड़, उपकिराया आदि से प्राप्त आय सम्मिलित की जाती है। आकस्मिक आय पर कर निर्धारण भी इसी शीर्षक के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। कोई भी अज्ञात श्रोत से आय को भी इस शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा जाता है।

सकल कुल आय—

उपरोक्त वर्णित पॉचों मदों से प्राप्त आय के कुल योग को निर्धारिती की गत वर्ष की सकल कुल आय कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय का आकलन अलग-अलग किया जाता है। प्रत्येक शीर्षक में आय की गणना के लिए नियम निर्धारित हैं जिनके आधार पर किसी विशिष्ट आय को पूर्णतः या अंशत सम्मिलित करने या छूट देने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। कुछ आयों को धारा 10 के अन्तर्गत करों से मुक्त रखा गया है, वे सकल कुल आय की गणना में सम्मिलित नहीं होती हैं।

यदि किसी व्यक्ति की आय केवल एक ही शीर्षक के अन्तर्गत है तो उक्त शीर्षक की आय ही उसकी सकल कुल आय होगी।

शुद्ध करयोग्य आय—

सकल कुल आय ज्ञात करने के बाद उसमें से आयकर अधिनियम की धारा 80सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद आने वाली आय को शुद्ध करयोग्य आय कहा जाता है। इसे कुल आय भी कहते हैं। उपरोक्त कटौतियों को प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को अपने आयकर विवरण में छूट हेतु दावा प्रस्तुत करना होता है तथा आवश्यक साक्ष्य भी देने होते हैं। इन छूटों के अन्तर्गत विशिष्ट प्रतिभूतियों, भविष्य निधि आदि में निवेश पर ब्याज (80सी), चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति (80डी), विशिष्ट संस्थाओं को दिये जाने वाले दान (80जी), उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज (80ई), विज्ञान तथा उद्योगों के शोध व विकास हेतु संस्थानों, होटलों आदि के लाभ (80 आईबी) आदि के सम्बन्ध में छूट के प्रावधान हैं जिन पर आगामी अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया गया है।

सकल कुल आय व शुद्ध करयोग्य आय में अन्तर—

सकल कुल आय तथा शुद्ध करयोग्य आय (कुल आय) में अन्तर को निम्नप्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

क्र०	अन्तर का आधार	सकल कुल आय	शुद्ध करयोग्य आय
1	क्षेत्र	सकल कुल आय ज्ञात करने के लिए आय की पॉचों मदों की करयोग्य आय का योग किया जाता है।	शुद्ध करयोग्य आय ज्ञात करने के लिए सकल कुल आय से छूटों को घटाया जाता है।
2	धारा 80 की छूट	सकल कुल आय में धारा 80 के अन्तर्गत अनुमन्य छूटों को घटाया नहीं जाता है।	शुद्ध करयोग्य आय धारा 80 की छूट प्रदान करने के बाद प्राप्त होती है।
3	आय का पूर्णांकन	सकल कुल आय का पूर्णांकन नहीं किया जाता है।	शुद्ध करयोग्य आय को 10 रूपये में पूर्णांकित किया जाता है।
4	सम्बन्ध	सकल कुल आय शुद्ध करयोग्य आय के बराबर या अधिक होती है किन्तु कम नहीं हो सकती है।	शुद्ध करयोग्य आय कभी भी सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती।
5	कर का निर्धारण	सकल कुल आय पर कर का निर्धारण नहीं किया जाता है।	कर का निर्धारण सदैव शुद्ध करयोग्य आय की राशि पर किया जाता है।

आयकर निर्धारण की प्रक्रिया—

किसी व्यक्ति पर आयकर निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है—

1. सर्वप्रथम, उपरोक्त वर्णित पॉचों शीर्षकों (वेतन से आय, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे से आय, पूँजी लाभ तथा अन्य श्रोतों से आय) की आय को सम्बन्धित शीर्षकों के अन्तर्गत अनुमन्य छूट प्रदान करते हुए अलग-अलग ज्ञात किया जाता है। उपरोक्त विधि से ज्ञात पॉचों शीर्षकों की आय के योग को सकल कुल आय कहा जाता है। (इसमें मानी गई आयों को जोड़ा जाता है किन्तु पूर्णतः करमुक्त आयों को छोड़ दिया जाता है।)
2. सकल कुल आय में से धारा 80सी से 80 यू तक की कटौतियों को घटाकर कुल आय अथवा शुद्ध करयोग्य आय ज्ञात की जाती है। (कर चोरी रोकने के लिए धारा 60 से 65 तथा 68 से 69डी के आयकर के प्रावधानों के अनुरूप अन्य व्यक्तियों की आय को इसमें जोड़ दिया जाता है।)

3. यदि निर्धारित की आय न्यूनतम करयोग्य आय की सीमा से अधिक है तो उस पर निर्धारित दरों के अनुसार आय की विभिन्न सीमाओं के आधार पर अलग-अलग दरों से आयकर ज्ञात किया जाता है। आयकर की राशि की गणना की जाती है। यह सकल आयकर कहलाता है। न्यूनतम आय की सीमा विभिन्न व्यक्तियों यथा- पुरुष, स्त्री, वृद्ध आदि के लिए अलग हो सकती है। व्यापार, पूँजी लाभ आदि के लिए अलग-अलग गणना की जाती है।
4. सकल आयकर में से अग्रिम चुकाये गये कर तथा उद्गम स्थान पर की गई कर की कटौती की राशि को घटा दिया जाता है। इसप्रकार शुद्ध देय आयकर की राशि ज्ञात कर ली जाती है। यदि आयकर दायित्व से अधिक धनराशि कर के रूप में जमा कर दी गई हो तो आधिक्य की राशि आयकर विभाग द्वारा वापस कर दी जाती है।

कृषि आय-

भारत में कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। इसके लिए कृषि आय तथा अकृषि आय से सम्बन्धित मानकों का पूर्ण होना आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में आगामी इकाइयों में चर्चा की गई है।

आयकर अधिनियम 1965 की धारा 2(1ए) के अनुसार कृषि आय से आशय निम्न आय से है-

- (अ) ऐसी भूमि पर प्राप्त किराया अथवा आय जो कि भारत में स्थित हो तथा उस पर कृषि सम्बन्धी गतिविधियाँ संचालित होती हों।
- (ब) कृषि उत्पाद को बाजार में विपणन योग्य बनाने हेतु प्रसंस्करण आदि से आय।
- (स) कृषि भूमि पर स्थित भवन में कृषि उत्पाद के संग्रहण अथवा निवासीय उपयोग से आय।
- (द) पौधशाला में पेड़ पौधे उगाने से आय।
- (ई) कृषि उत्पादों के विपणन से आय।

कृषि आय की विशेषताएं-

कृषि आय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. कृषि आय भूमि से प्राप्त होनी चाहिए।
2. कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए।
3. भूमि कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए।
4. कृषि भूमि पर उसके स्वामी अथवा किरायेदार का हित होना चाहिए।
5. मात्र कृषि कार्यों से सम्बन्धित होना कृषि आय होने का प्रमाण नहीं। पशु पालन व प्रजनन, डेयरी, मुर्गी पालन, चारा उगाना, लाख की खेती, खानों आदि से आय कृषि आय नहीं हैं।
6. पौधशालाओं की आय भी कृषि आय है चाहे उस पर कृषि क्रिया की गई हो अथवा नहीं।

अभ्यास हेतु प्रश्न -

बताइए कि निम्नलिखित आयें कृषि आय हैं अथवा नहीं-

1. कनाडा में स्थित कृषि भूमि से आय।

2. फसल क्षतिग्रस्त होने के कारण बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति।
3. लाख की खेती से आय।
4. कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि के विक्रय से आय।
5. फूलों की नर्सरी से आय।
6. भूमि को किराये पर लेकर कृषि करने से आय।
7. चारा उगाने से आय।

उत्तर—

1. नहीं, 2. हाँ, 3. नहीं, 4. नहीं 5. हाँ, 6. हाँ, 7. नहीं

आकस्मिक आय—

आकस्मिक आय से आशय उस आय से होता है जो कि निर्धारिती को सम्बन्धित गतवर्ष की अवधि में अकस्मात प्राप्त हो गई हो, जिसके प्राप्त होने का कोई पूर्वानुमान नहीं था तथा इसके पुनः प्राप्त होने की भी कोई सुनिश्चितता नहीं है। आकस्मिक आय के अन्तर्गत सामान्यतः निम्नलिखित आयों को सम्मिलित किया जाता है—

1. लॉटरी से आय,
2. घुडदौड़ से आय,
3. वर्ग पहेली से आय,
4. शर्त लगाने से आय,
5. ईनाम आदि से होने वाली आय।

आकस्मिक आय की विशेषताएं—

1. आकस्मिक आय का कोई सुनिश्चित श्रोत नहीं होता है।
2. यह अकस्मात प्राप्त होती है।
3. इसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है।
4. इसके पुनः बार—बार प्राप्त होने की सुनिश्चित संभावना नहीं होती।
5. आकस्मिक आय पर अन्य श्रोतों से आय मद के अन्तर्गत आयकर का निर्धारण किया जाता है।

आयकर की दृष्टि से घुडदौड़ से आय की दशा में रू0 2,500 तथा अन्य दशा में रू0 5,000 तक की आकस्मिक आय कर से मुक्त होती है। शेष राशि को आयकर की गणना के लिए अन्य श्रोतों से आय शीर्षक में रखा जाता है। आकस्मिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाता है। आकस्मिक हानियों को आकस्मिक लाभ से समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। साथ ही यदि आकस्मिक आय को प्राप्त करने में कोई व्यय किया गया है तो उसे भी समायोजित नहीं करना है।

1.8 सारांश

आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। करदाता द्वारा आयकर का भुगतान केन्द्र सरकार को करना होता है। आयकर की गणना शुद्ध करयोग्य आय पर की जाती है। इसके लिए विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली आयों की पृथक गणना की जाती है तथा प्रत्येक के लिए निर्धारित नियमों के आधार पर आय ज्ञात कर कुल आय तथा तत्पश्चात निर्धारित छूट प्रदान करते हुए शुद्ध करयोग्य आय की गणना की जाती है।

इसे कुल आय भी कहा जाता है। सकल आय में से धारा 80सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद इसे ज्ञात किया जाता है। किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना गतवर्ष की आय के आधार पर की जाती है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से होता है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व होती है। यह वो अवधि होती है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया गया होता है। इसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है।

आयकर की गणना के लिए आय के पाँच श्रोत निर्धारित किये गये हैं। ये हैं—1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यवसाय अथवा पेशे से आय, 4. पूँजी लाभ तथा 5. अन्य श्रोतों से आय। वेतन से आय के अन्तर्गत सभी प्रकार के वेतनभोगियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्ते, अनुलाभ व सुविधाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अवकाश प्राप्ति, मृत्यु, छँटनी आदि अवस्था में पेंशन, अनुग्रह राशि व अन्य भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान के किराये से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है चाहे यह किराया आवासीय भवन से हो अथवा व्यावसायिक भवन से। व्यवसाय व पेशे से आय की श्रेणी में सभी प्रकार की व्यापारिक व निर्माणी इकाइयों तथा पेशों (अधिवक्ता, सनदी लेखाकार, चिकित्सक आदि) की आय को सम्मिलित किया जाता है। पूँजी आय के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन वृद्धि से होने वाले लाभों को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त चार श्रोतों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद से होने वाली आय को अन्य श्रोतों से आय की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में लाभांश, प्रतिभूतियों व बैंक खातों पर होने वाली ब्याज की आय, सम्पत्तियों को किराये पर देने की आय, उप किराया आय के अतिरिक्त लाटरी आदि से होने वाली आकस्मिक आय आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। सांसदों व विधायकों के वेतन तथा अधोषित आय को भी अन्य श्रोतों की आय माना जाता है।

भारतीय आयकर नियमों में आयकर का निर्धारण करने के लिए भिन्न वर्गों के लिए भिन्न दर निर्धारित की गई हैं। आयकर को इसप्रकार खण्डों में बाँटा गया है कि व्यक्तिगत करदाताओं तथा व्यावसायिक करदाताओं के लिए कर की दरों में भिन्नता रखी गई है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं में अधिक आय वाले निर्धारिती को कर का भार अधिक सहना होता है। इसे प्रगतिशील कर की दर के रूप में जाना जाता है। वयोवृद्ध निर्धारिती के लिए कर की दर में रियायत दी गई है।

भारत में कर का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। प्राचीन ग्रंथों में भी राजाओं द्वारा आयकर वसूले जाने का उल्लेख मिलता है। भारत में आधुनिक रूप में आयकर प्रथम बार सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश काल में लगाया गया। इस अधिनियम की नियमित समीक्षा की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें आवश्यकतानुसार आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। सन् 1860 के बाद एक नया आयकर अधिनियम 1886 में लाया गया। तत्पश्चात् सन् 1918 में आयकर अधिनियम को नया स्वरूप दिया गया। पुनः सम्यक परिवर्तनों के साथ आयकर अधिनियम 1922 लागू किया गया जो कि कतिपय संशोधनों के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारत में लागू रहा।

स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया जोकि 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है।

1.9 शब्दावली

आयकर	किसी व्यक्ति की गतवर्ष की आय पर सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।
प्रत्यक्ष कर	कर जो करदाता की आय पर परिगणित किया जाता है तथा उसी के द्वारा चुकाया व वहन किया जाता है।
अप्रत्यक्ष कर	कर जो करदाता द्वारा चुकाया जाता है किन्तु जिसका भार किसी अन्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
सकल आय	विभिन्न पौंचों मदों से प्राप्त आयों का योग।
कुल आय	सकल आय में से धारा 80 की अनुमन्य छूट घटाने के बाद शेष राशि।
शुद्ध करयोग्य आय	कुल आय का ही अन्य नाम।
कर निर्धारण वर्ष	वह वर्ष जिसके लिये आयकर का परिकलन किया जाता है।
गत वर्ष	कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व का वर्ष जिसमें अर्जित व प्राप्त आय पर आयकर की गणना की जाती है।
व्यक्ति	आयकर अधिनियम में जिसकी आय पर आयकर की गणना की जाती है। इसमें व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संयुक्त हिन्दू परिवार आदि सम्मिलित हैं।
निर्धारिती	वह व्यक्ति जिसकी आय पर कर का निर्धारण किया जाता है, कर निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है, आयकर पर ब्याज अथवा दण्ड का निर्धारण किया जाता है, उसे कर निर्धारिती कहते हैं।
माना गया निर्धारिती	वह व्यक्ति जिस पर किसी अन्य की आय पर आयकर देने का दायित्व है।
अधिभार	आयकर के ऊपर अतिरिक्त दर से वसूला जाने वाला कर।
उपकर	किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयकर के अतिरिक्त कर।

1.10 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

1. कर जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वही उसका भार भी वहन करता है।
2. कर को जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वह कर का भार अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है।
3. आयकर एक कर है।
4. वस्तु एवं सेवा कर कर का एक उदाहरण है।
5. स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू किया गया।

6. भारत में प्रथम बार आयकर सर जेम्स विल्सन द्वारा सन् में लगाया गया।
7. सकल आय में से धारा की कटौती घटाने बाद प्राप्त राशि को शुद्ध आय कहते हैं।

(ब) सत्य/असत्य

1. वस्तु एवं सेवा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है।
2. शुद्ध करयोग्य आय को ही कुल आय भी कहा जाता है।
3. आयकर सामाजिक विषमताओं को कम करने में सहायक होता है।
4. आयकर के ऊपर अतिरिक्त दर से वसूले जाने वाले कर को उपकर कहते हैं।
5. किसी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि से होने वाले लाभ को पूँजी लाभ कहते हैं।
6. जिस व्यक्ति की आय पर आयकर लगाया जाता है उसे माना गया निर्धारिती कहा जाता है।
7. भारत में आयकर परिगणन की प्रगतिशील दर प्रणाली लागू है।
8. भारत में आयकर परिगणन की समान दर प्रणाली लागू है।
9. आयकर केवल विधिसम्मत आयों पर ही लगाया जाता है।
10. सकल करयोग्य आय तथा कुल आय में कोई अन्तर नहीं होता है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्न में से कौन सा कर एक केन्द्रीय कर है?—

अ. आयकर	ब. वस्तु एवं सेवा कर
स. पालिका कर	द. उपरोक्त सभी
2. भारत में किसके द्वारा आयकर प्रारम्भ किया गया?—

अ. राबर्ट क्लाइव	ब. जेम्स विल्सन
स. विलियम रोज़	द. उपरोक्त में कोई नहीं
3. भारतीय आयकर अधिनियम में आय को कितने शीर्षकों में विभाजित किया गया है?—

अ. तीन	ब. चार
स. पाँच	द. सात
4. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कर निर्धारण वर्ष क्या होगा ?—

अ. 2015–16	ब. 2016–17
स. 2017–18	द. उपरोक्त में कोई नहीं
5. निम्न में से कौन सी आय आकस्मिक आय में सम्मिलित की जाती है?—

अ. लॉटरी से आय	ब. घुड़दौड़ से आय
स. शर्त लगाने से आय	द. उपरोक्त सभी

(द) समूहों का मिलान करो।

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. व्यापार व पेशे से आय | (अ) सांसदों व विधायकों का वेतन |
| 2. पूँजी लाभ | (ब) लॉटरी से आय |
| 3. आकस्मिक आय | (स) ऋणपत्रों के हस्तांतरण से आय |
| 4. अन्य श्रोतों से आय | (द) चिकित्सक को प्राप्त होने वाली फीस |

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

- (अ) 1. प्रत्यक्ष, 2. अप्रत्यक्ष, 3. प्रत्यक्ष, 4. अप्रत्यक्ष, 5. 1962, 6. 1860, 7. 80
- (ब) 1. असत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. सत्य 6. असत्य 7. सत्य,
8. असत्य, 9. असत्य, 10. असत्य
- (स) 1. अ 2. ब 3 स 4. स 5. द
- (द) 1. द 2. स 3. ब 4. अ
-

1.12 स्वपरख प्रश्न

(लघु उत्तरीय)

1. प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर को समझाइए।
2. गतवर्ष तथा कर निर्धारण वर्ष में क्या अन्तर है?
3. आयकर के अन्तर्गत आय को किन शीर्षकों में बाँटा गया है?
4. माना गया निर्धारिती क्या होता है?
5. सकल कुल आय तथा कुल आय को समझाइए।
6. कृषि आय से क्या आशय है? इसमें किस प्रकार की आयों को सम्मिलित किया जाता है?
7. आकस्मिक आय किसे कहते हैं?
8. आयकर अधिनियम की धारा 80 के मुख्य प्रावधानों को बताइए।
9. भारत में आयकर निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
10. भारत में आयकर के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(दीर्घ उत्तरीय)

1. आयकर से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं, सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए?
2. आयकर निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। भारत में विभिन्न वर्गों पर आयकर लगाये जाने के सम्बन्ध में करयोग्य आय, कर की दरों तथा छूटों को समझाइए।
3. आयकर नियमों के अन्तर्गत आय से क्या आशय है? आय के विभिन्न शीर्षकों का वर्णन कीजिए तथा सकल कुल आय तथा शुद्ध करयोग्य आय में अन्तर बताइए।
4. गतवर्ष तथा कर निर्धारण वर्ष के प्रावधानों को समझाइए। क्या किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए एक से अधिक गतवर्ष हो सकते हैं? 15 जनवरी 2017 को प्रारम्भ व्यापार के लिए प्रथम गतवर्ष तथा कर निर्धारण वर्ष क्या होगा?
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
 - अ. माना गया निर्धारिती
 - ब. आकस्मिक आय
 - स. कृषि आय
 - द. कर निर्धारण वर्ष

1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर डॉ० एच०सी०मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ० आर०के०जैन, एस०बी०पी०डी० पब्लिशर्स, आगरा।
3. Income Tax VK Singhania, Taxmann, New Delhi.

इकाई 2 निवास की स्थिति तथा कर भार

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 करदाता की निवासीय स्थिति
- 2.3 व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण
- 2.4 संयुक्त हिन्दू परिवार के निवास स्थान का निर्धारण
- 2.5 फर्म तथा व्यक्तियों के समूह के निवास स्थान का निर्धारण
- 2.6 कम्पनी के निवास स्थान का निर्धारण
- 2.7 निवास के आधार पर कर दायित्व
- 2.8 सारांश
- 2.9 शब्दावली
- 2.10 बोध प्रश्न
- 2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 2.12 स्वपरख प्रश्न
- 2.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर की दृष्टि से निवास स्थान का महत्व निवास स्थान के प्रकार जान सकें।
- व्यक्तियों, संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म, कम्पनी आदि के लिए निवास स्थान के निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान जान सकें।
- निवास स्थान सम्बन्धी शर्तों के अपवाद व निवास स्थान के आधार पर कर निर्धारण के नियम की व्याख्या कर सकें।
- भारत में प्राप्त, उपार्जित आय तथा उदय आय की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- विदेश में प्राप्त, उपार्जित आय तथा उदय आय के सम्बन्ध में निवासी व अनिवासी करदाताओं के लिए प्रावधानों की व्याख्या कर सकें।
- आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में निवास स्थान सम्बन्धी विभिन्न तकनीकी वाक्यांशों की व्याख्या कर सकें।

2.1 प्रस्तावना

आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में करदाता के स्तर तथा निवासीय स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। पिछली इकाई में आप जान चुके हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) के अन्तर्गत व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत विभिन्न वास्तविक तथा कृत्रिम करदाताओं को सम्मिलित किया गया है। इन सभी पर इनकी गतवर्ष की आय के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है। कर निर्धारण की दृष्टि से उपरोक्त व्यक्तियों के निवास की स्थिति को ध्यान में रखा जाना भी आवश्यक है। आयकर अधिनियम में विभिन्न व्यक्तियों के भारत में निवास की कतिपय शर्तें निर्धारित की गई

हैं जिनके आधार पर उनके निवासी अथवा अनिवासी होने की स्थिति ज्ञात की जाती है। इस स्थिति को ज्ञात करने के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि किसी विशेष आय को निर्धारित के लिए कर योग्य माना जाना है अथवा नहीं। किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल भारत में ही आय प्राप्त अथवा अर्जित करे। उसके द्वारा विदेश में भी आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया जा सकता है। निवास की स्थिति के आधार पर ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई विशिष्ट आय निर्धारित के लिए आय में सम्मिलित की जायेगी अथवा नहीं। इस प्रकार, प्रस्तुत इकाई में विभिन्न व्यक्तियों के लिए निवास स्थान के निर्धारण तथा उनके लिए विभिन्न आयों के सम्बन्ध में कर भार के निर्धारण सम्बन्धी प्रावधानों का अध्ययन किया जायेगा।

2.2 करदाता की निवासीय स्थिति

करदाता के निवास स्थान के आधार पर ही उसकी निवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है। कोई निर्धारित गतवर्ष में तथा पूर्व वर्षों में कितने दिन भारत में रहा है, के आधार पर उसके निवास की स्थिति का निर्धारण किया जाता है अर्थात् यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति गतवर्ष भारत में निवासी था अथवा अनिवासी। यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति यदि इस गतवर्ष के लिए निवासी है तो वह अगले गतवर्ष के लिए भी निवासी ही रहेगा। प्रत्येक वर्ष के लिए निवास स्थान की गणना पृथक से की जाती है। इस प्रकार से आयकर हेतु ज्ञात निवासीय स्थिति का उसकी राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

एक व्यक्ति किसी वर्ष विशेष में निवास की केवल एक ही स्थिति में हो सकता है। यदि उसकी विभिन्न श्रोतों से अलग-अलग आय है तो सभी पर कर निर्धारण की स्थिति एक जैसी रहेगी। एक व्यक्ति की एक देश में तो निवास की एक ही स्थिति होगी किन्तु एक ही वर्ष में उसके निवास की स्थिति अलग-अलग देशों में भिन्न हो सकती है। वह दो देशों में निवासी हो सकता है अथवा एक में निवासी व दूसरे में अनिवासी हो सकता है।

समस्त करदाताओं की निवासीय स्थिति को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है—

क्रमांक	निवास का स्तर		निवासी / साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
	करदाता का स्तर				
1	व्यक्ति		निवासी व्यक्ति	असाधारण निवासी व्यक्ति	अनिवासी व्यक्ति
2	हिन्दू परिवार	अविभाजित	निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार	असाधारण निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार	अनिवासी हिन्दू अविभाजित परिवार
3	फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय		निवासी फर्म तथा व्यक्तियों	X	अनिवासी फर्म तथा व्यक्तियों

		के समुदाय		के समुदाय
4	कम्पनी	निवासी कम्पनी		अनिवासी कम्पनी
5	प्रत्येक अन्य व्यक्ति	निवासी प्रत्येक अन्य व्यक्ति		अनिवासी प्रत्येक अन्य व्यक्ति

उपरोक्त के आधार पर समझा जा सकता है कि व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी हो सकते हैं जबकि शेष तीन करदाता-फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय, कम्पनी तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति केवल निवासी तथा अनिवासी हो सकते हैं किन्तु असाधारण निवासी नहीं। वस्तुतः आयकर अधिनियम में साधारण निवासी होने से सम्बन्धित किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। निवासी के लिए निर्धारित शर्तों में से कुछ के पूर्ण न होने की स्थिति में उसे असाधारण निवासी का नाम दिया गया है अतः सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को साधारण निवासी भी कहा जाता है। इसप्रकार सामान्य समझ की दृष्टि से व्यक्ति को साधारण निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

2.3 व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण

एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण करने का दायित्व स्वयं निर्धारिती का होता है। उसे आयकर अधिकारी के समक्ष यह सिद्ध करना होता है कि वह उक्त गतवर्ष के लिए निवासी, असाधारण निवासी अथवा अनिवासी में से किस श्रेणी में है। एक व्यक्ति की श्रेणी में सभी मनुष्य सम्मिलित किये जाते हैं जिनका गतवर्ष में जीवित अस्तित्व होता है चाहे वे देश के किसी भी भाग के रहने वाले हों तथा किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि से सम्बन्ध रखते हों।

एक व्यक्ति के निवास स्थान को निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 6(1) में कुछ शर्तें दी गई हैं जिनके आधार पर निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है। इन शर्तों को दो भागों में रखा गया है जिसमें आधारभूत अथवा अनिवार्य शर्तों को श्रेणी अ में तथा अन्य शर्तों को (असाधारण निवासी होने की) श्रेणी ब में रखा गया है। श्रेणी ब की शर्तों के स्थान पर अतिरिक्त शर्तों अथवा वैकल्पिक शर्तों के आधार पर सीधे साधारण निवासी की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।

आधारभूत शर्तें-

निम्नलिखित दो आधारभूत शर्तों में से किसी एक के पूर्ण होने पर एक व्यक्ति को निवासी की श्रेणी में रखा जाता है-

- (1) वह व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो,
अथवा

- (2) वह व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष में कम से कम 60 दिन (कतिपय अपवादों के अतिरिक्त) तथा गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में अवश्य रहा हो।

अपवाद— निम्न परिस्थितियों में उपरोक्त शर्त—2 लागू नहीं होती तथा निवासी होने के लिए उसे 60 दिन के स्थान पर कम से कम 182 दिन भारत में रहना आवश्यक होता है अर्थात् आधारभूत शर्त (1) ही लागू होगी तथा आधारभूत शर्त (2) का लोप हो जायेगा—

अ. यदि वह व्यक्ति किसी भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में अथवा रोजगार हेतु गतवर्ष में भारत से बाहर जाता है तो उसे कम से कम 182 दिन भारत में रहने पर ही निवासी की श्रेणी में रखा जाता है। आयकर अधिनियम में रोजगार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथापि रोजगार में व्यापार, पेशा अथवा नौकरी को सम्मिलित किया जाता है। इस अपवाद की शर्त उसी दशा में लागू होगी जब करदाता नये रोजगार हेतु विदेश जा रहा है।

ब. यदि करदाता एक भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है एवं विदेश में रह रहा है तथा गतवर्ष में भ्रमण हेतु भारत आता है तो उसे निवासी कहलाने के लिए 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा। यह भ्रमण व्यक्तिगत, व्यापारिक अथवा रोजगार सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए हो सकता है।

उपरोक्त दो में से कोई एक शर्त पूर्ण होने की दशा में एक निर्धारित निवासी की श्रेणी में तो आ जाता है किन्तु वह साधारण निवासी है अथवा असाधारण निवासी, इसका निर्धारण करने के लिए दो अन्य शर्तों का प्रावधान आयकर अधिनियम में किया गया है।

अतिरिक्त शर्तें—

कोई निर्धारित तभी साधारण निवासी माना जाता है जबकि वह उपरोक्त दो आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त को पूर्ण कर देता है किन्तु वह अनिवासी तब कहलाता है जबकि वह श्रेणी ब की निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूर्ण करे—

1. गतवर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा हो।
2. गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो।

जो व्यक्ति उपरोक्त में श्रेणी ब की शर्तों में से एक भी शर्त पूर्ण न करे वह साधारण निवासी माना जाता है।

किसी व्यक्ति को साधारण निवासी सिद्ध करने के लिए उपरोक्त शर्तों की वैकल्पिक शर्तों के आधार पर भी निवास की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इनके अनुसार किसी व्यक्ति को साधारण निवासी तब कहा जाता है जबकि वह आधारभूत शर्तों को पूर्ण करने के साथ ही निम्नलिखित दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूर्ण करता हो—

1. निर्धारिती गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो अर्थात् उसने 10 वर्षों में से 2 वर्षों में आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को पूर्ण किया हो।
2. उसने गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन अथवा अधिक की अवधि भारत में व्यतीत की हो।

यदि कोई निर्धारिती दो आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को पूर्ण करता है तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूर्ण करता है तो वह साधारण निवासी कहलाता है। यदि वह दो आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को पूर्ण करता है किन्तु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो वह असाधारण निवासी कहलाता है। यदि वह व्यक्ति अतिरिक्त शर्तों में से किसी एक को पूर्ण भी कर लेता है तो भी उसे असाधारण निवासी ही माना जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि—

- निवासी का अर्थ है कि निर्धारिती ने सम्बन्धित वर्ष में निवासी होने की आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को अवश्य पूर्ण किया हो।
- निर्धारित के निवासी भी मूलभूत शर्त पूर्ण करने के बाद यह जानना आवश्यक है कि वह साधारण निवासी है अथवा असाधारण निवासी। दोनों के लिए कर भार में पर्याप्त अन्तर होता है।
- निवास के दिनों की गणना करने के लिए भारत के किसी भी भाग में निवास के दिनों को जोड़ा जाता है।
- निवास वर्ष में एक बार या अनेक बार टुकड़ों में हो सकता है। प्रत्येक बार के निवास की अवधि का योग ही अवधि के निर्धारण के लिए उपयोग किया जायेगा। यदि भारत में रहने का समय ज्ञात है तो उसका योग कर घण्टों के आधार पर गणना की जाती है अन्यथा स्थिति में भारत में आने व भारत से जाने वाले दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए दिनों की गणना की जानी चाहिए।
- रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए पर्याप्त छूट की व्यवस्था है। यदि वे 181 दिन भी भारत में रहे हों तो अनिवासी ही माने जाते हैं। (अनिवासी का कर दायित्व निवासी की तुलना में कम होता है।)

किसी व्यक्ति को साधारण निवासी, असाधारण निवासी अथवा अनिवासी माने जाने से सम्बन्धित सामान्य नियमों को हम संक्षेप में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं—

निवासी— जब आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूर्ण करता हो।

साधारण निवासी— जब आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूर्ण करता हो तथा दोनों अतिरिक्त शर्त भी पूर्ण करता हो।

असाधारण निवासी— जब आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूर्ण करता हो किन्तु दोनों अतिरिक्त शर्त भी पूर्ण न करता हो।

अनिवासी— जब आधारभूत शर्तों में से एक भी पूर्ण न करता हो।

अभ्यास हेतु प्रश्न (1)— सुश्री सौम्या का जन्म भारत में हुआ। वह 1 फरवरी 2017 को वित्तीय प्रबन्धन का उच्च अध्ययन करने के लिए अपनी प्रथम विदेश यात्रा पर कनाडा गई तथा वहाँ से 1 अक्टूबर 2017 को वापस आ गई। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए सुश्री सौम्या के निवास की क्या स्थिति होगी?

(उत्तर—सुश्री सौम्या गतवर्ष 2017-18 में 1.10.17 से 31.3.18 तक कुल 182 दिन रहीं हैं तथा निवासी होने की शर्त पूर्ण करती हैं। वे प्रथम बार कनाडा गई हैं इसकी अर्थ हुआ कि वह गतवर्ष से पूर्व के वर्षों में 2 वर्ष की शर्त के विरुद्ध 9 वर्ष तक निवासी रहीं हैं तथा गत वर्ष से पूर्व के सात वर्षों में 730 दिन की शर्त के विरुद्ध काफी अधिक दिन भारत में निवास कर चुकी हैं। इस प्रकार वह साधारण निवासी होने की अतिरिक्त शर्तें भी पूर्ण करती हैं। सुश्री सौम्या कर निर्धारण वर्ष 2018-19 में भारत की साधारण निवासी होंगी।)

2.4 हिन्दू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) में व्यक्ति शब्द में एक हिन्दू अविभाजित परिवार को भी सम्मिलित किया गया है। आयकर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार की परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु हिन्दू विधि में इसकी जो व्याख्या की गई है, वही आयकर की दृष्टि से मान्य होती है। एक हिन्दू अविभाजित परिवार में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज के वंशज हों। इसमें इन व्यक्तियों की पत्नियों एवं अविवाहित पुत्रियों भी सम्मिलित होती हैं। विवाह होने से पूर्व तक वे हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्य रहती हैं। विवाह होने के बाद व पति के परिवार की सदस्य बन जाती हैं।

हिन्दू अविभाजित परिवार को संयुक्त हिन्दू परिवार भी कहा जाता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सम्प्रदाय—

हिन्दू कानून के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार में दो सम्प्रदाय होते हैं—

1. **मिताक्षरा सम्प्रदाय—** यह सम्प्रदाय बंगाल, असम तथा ओडीसा के कुछ भागों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार—
 - (क) परिवार में पुत्र के जन्म लेते ही उसे पूर्वजों की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है।
 - (ख) स्वयं अर्जित सम्पत्ति की आय उसकी स्वयं की होती है। व्यक्ति चाहे तो उसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में मिला सकता है।
 - (ग) इस सम्प्रदाय में सदस्यों की संख्या पुत्र के जन्म के साथ बढ़ती है तथा किसी की मृत्यु के साथ ही घटती है।
 - (घ) यदि परिवार में कोई जीवित वयस्क न हो तो उस स्थिति में स्त्री को भी परिवार का कर्ता माना जा सकता है।
 - (च) स्त्रियों को परिवार में सहभागिता प्रदान नहीं की जाती है उन्हें केवल निर्वाह का अधिकार होता है।
 - (छ) कोई व्यक्ति हिन्दू अविभाजित परिवार की उत्पत्ति उसका पुत्र पैदा होने के बाद कर सकता है।

2. दायभाग सम्प्रदाय—

दायभाग सम्प्रदाय का प्रचलन केवल बंगाल, असम, ओडीसा के कुछ भागों में ही पाया जाता है। इस सम्प्रदाय के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- (अ) पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के विभाजन की माँग पिता के जीवनकाल में नहीं कर सकता है अर्थात् पिता अपने पुत्रों के साथ सहभागी सदस्य नहीं हो सकता है।
- (ब) पुत्रों को अपने पूर्वजों की सम्पत्ति पर अपने पिता की मृत्यु के बाद ही अधिकार प्राप्त होगा।

जैन व सिख परिवारों के सदस्यों को भी सामान्यतः हिन्दू अविभाजित परिवार ही माना जाता है जब तक कि वह अन्यथा सिद्ध न कर दे। उक्त अपवाद स्वरूप परिस्थिति में इन परिवारों को हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं माना जायेगा।

निवास स्थान का निर्धारण—

हिन्दू अविभाजित परिवार भी व्यक्तियों के समान ही साधारण निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी हो सकते हैं। इसके सम्बन्ध में नियम निम्नलिखित हैं—
निवासी परिवार—

एक हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष में निवासी तभी माना जायेगा जबकि गतवर्ष में इसका नियन्त्रण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो।

साधारण निवासी परिवार— जब कोई परिवार निवासी होने की शर्त पूर्ण कर देता है तो यह देखने के लिए कि वह साधारण निवासी है अथवा असाधारण, निम्न अतिरिक्त शर्त को लागू किया जाता है। एक निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में साधारण निवासी तभी माना जायेगा जबकि उस परिवार का कर्ता— (1) भारत में गतवर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्ष निवासी की स्थिति में रहा हो। तथा (2) गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक समय तक भारत में रहा हो।

असाधारण निवासी परिवार— जब कोई परिवार निवासी होने की शर्त पूर्ण कर देता है किन्तु अतिरिक्त दोनों शर्त पूर्ण नहीं करता है तो उसे असाधारण निवासी परिवार माना जाता है।

अनिवासी परिवार— जब कोई हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी होने की शर्त पूर्ण नहीं कर पाता है अर्थात् उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित न हो तो उसे अनिवासी परिवार माना जाता है।

नियन्त्रण एवं प्रबन्ध के स्थान का आशय ऐसे स्थान से है जिस स्थान पर व्यापार को संचालित करने की नीति बनाई जाती है तथा वित्त व अन्य महत्वपूर्ण विषयों के प्रबन्धन आदि की व्यवस्था की जाती है।

अभ्याय हेतु प्रश्न (2)—

अमरजीत सिंह एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता हैं। वह स्थाई रूप से अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपने भाई को परिवार के भारत में स्थित व्यापार के संचालन सौंप रखा है। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार के निवास की स्थिति बताइए।

(उत्तर—प्रश्नगत हिन्दू अविभाजित परिवार का आंशिक नियन्त्रण भारत में है अतः परिवार निवासी होगा। परिवार के कर्ता स्थाई रूप से अमेरिका में रहते हैं। वे साधारण निवासी होने की शर्तें पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अतः परिवार असाधारण निवासी माना जायेगा।)

2.5 फर्म तथा व्यक्तियों के समूह तथा अन्य व्यक्तियों के निवास स्थान का निर्धारण

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6(2) के प्रावधानानुसार किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समूह के निवास स्थान निर्धारित करने के लिए केवल एक ही शर्त है। उक्त शर्त के पूर्ण होने पर फर्म निवासी की स्थिति में आ जाती है। वह शर्त है— एक फर्म अथवा व्यक्तियों का समूह भारत में निवासी होता है यदि इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध (पूर्ण अथवा आंशिक) भारत में स्थित है।

फर्म के निवास स्थान के निर्धारण में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उसके साझेदारों के निवास स्थान की क्या स्थिति है अर्थात् वे भारत में रहते भी हैं अथवा नहीं।

निवास स्थान की शर्त पूर्ण होने पर फर्म निवासी बनती है किन्तु व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह इसमें साधारण एवं असाधारण निवासी जैसी स्थिति नहीं होती। उक्त शर्त पूर्ण होने पर फर्म निवासी होती है तथा शर्त के पूर्ण न होने अनिवासी कहलाती है। अर्थात् यदि किसी फर्म का प्रबन्ध व नियन्त्रण भारत के बाहर है तो वह आयकर की दृष्टि से अनिवासी फर्म होगी। फर्म कभी असाधारण निवासी नहीं होती है।

अभ्यास हेतु प्रश्न (3)— एक साझेदारी फर्म अपना कारोबार हरिद्वार में संचालित करती है। नरेन्द्र जीत सिंह फर्म के एकमात्र सक्रिय साझेदार हैं तथा वह कनाडा में स्थायी रूप से रहते हैं। गतवर्ष 2017-18 में वह 1 मई 2017 को भारत भ्रमण हेतु आये तथा एक माह तक यहाँ रहे। फर्म के निवास की स्थिति बताइए।

(उत्तर—फर्म का सक्रिय साझेदार विदेश में रहता है अतः ये माना जायेगा कि फर्म का प्रबन्ध व नियन्त्रण भारत के बाहर होता है। अतः साझेदारी फर्म का निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अनिवासी होगी।)

फर्म व व्यक्तियों के समूह के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति यथा— स्थानीय सत्ता, कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक निगम आदि भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं। ये निवासी अथवा अनिवासी हो सकते हैं। इनके निवास स्थान के निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 6(4) में नियम निर्धारित है तथा इसमें भी वही शर्तें लागू होती हैं जिनका उल्लेख फर्म के निवास स्थान के निर्धारण में किया जा चुका है अर्थात् इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध (पूर्ण अथवा आंशिक) भारत में स्थित होने पर इन्हें निवासी अन्यथा अनिवासी समझा जाता है।

2.6 कम्पनी के निवास स्थान का निर्धारण

गत वर्ष में कम्पनी के निवास स्थान के निर्धारण में आयकर अधिनियम की धारा 6(3) के आधार पर निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है—

(1) यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा

(2) गत वर्ष में कम्पनी का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से किया गया हो।

उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी को भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निवासी कम्पनी माना जाता है।

यदि कम्पनी भारतीय कम्पनी नहीं है तथा उसका प्रबन्ध व नियन्त्रण भी भारत के बाहर स्थित है तो उसे अनिवासी कम्पनी माना जाता है।

एक कम्पनी गतवर्ष के लिए निवासी अथवा अनिवासी होती है। कोई भी कम्पनी निवास की दृष्टि से असाधारण निवासी नहीं हो सकती है।

भारतीय कम्पनी से आशय एक ऐसी कम्पनी से होता है जिसका समामेलन भारत में हुआ है। निवास स्थान के निर्धारण में इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि कम्पनी अपनी व्यापारिक क्रियाएं (क्रय विक्रय आदि) कहाँ करती है तथा उसके अंशधारकों व निदेशकों के निवास की क्या स्थिति है। कम्पनी का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध वहाँ माना जाता है जहाँ उसके संचालक मण्डल की सभाएं सामान्यतः आयोजित की जाती हैं।

2.7 निवास के आधार पर कर दायित्व

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में किसी निर्धारिती के लिए गत वर्ष के आयकर की गणना करने के लिए उसके निवास की स्थिति का आकलन करना आवश्यक होता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आयकर अधिनियम प्रत्येक निवास प्रास्थिति के लिए भिन्न कर दायित्व का निर्धारण करता है। यहाँ पर कर दायित्व से आशय करदाता के आयकर दायित्व की गणना से नहीं होता है वरन् सकल कुल आय की गणना से है। निर्धारिती विभिन्न श्रोतों से तथा विभिन्न स्थानों से वर्ष भर आय प्राप्त करते हैं। अतः यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि आय को निर्धारिती की आय में सम्मिलित किया जाये और किसको नहीं।

एक निर्धारिती के लिए उसके निवास की स्थिति के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण निम्नप्रकार से किया जाता है—

निवासी अथवा साधारण निवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण—

आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार एक निवासी की विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आयों को उनके उदय, उपार्जित, प्राप्त होने या उदय, उपार्जित, प्राप्त माने जाने के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण निम्नप्रकार से किया जाता है—

1. **भारत में प्राप्त आय—** किसी निवासी के लिए ऐसी कोई भी आय जो प्रथम बार भारत में प्राप्त की जा रही है, कर योग्य होगी चाहे वह भारत में उपार्जित हो या भारत के बाहर। जैसे— भारत में स्थापित किसी व्यापार या सेवा से लाभ अथवा भारत से बाहर किये गये व्यापार या सेवा का भुगतान भारत में प्राप्त होना। यह आय करदाता द्वारा स्वयं प्राप्त की गई हो अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, कर दायित्व समान रहता है।
2. **भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय—** एक निवासी के लिए वे समस्त आयें करयोग्य होंगी जो कि यद्यपि प्राप्त नहीं हुई हैं किन्तु आयकर गणना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ माना लिया गया है।

3. **भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय**— गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित अथवा उदय होने वाली आय को निवासी के लिए करयोग्य होती है। यथा— भारत में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए भुगतान विदेश में प्राप्त होना।
4. **भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी गई आय**— एक निवासी को उस आय पर भी कर देना होता है जो कि भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाती हों। भारत में स्थापित किसी कम्पनी द्वारा लाभांश भारत के बाहर देय होने पर भी इस आय को भारत में उपार्जित माना जायेगा तथा यह निवासी के लिए कर दायित्व उत्पन्न करेगा।
5. **भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई आय**— यदि कोई आय भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो तथा प्राप्त भी बाहर ही हुई हो तो भी उसे एक निवासी की स्थिति में करयोग्य आय माना जाता है। जैसे— विदेश में स्थित किसी मकान अथवा सम्पत्ति के प्राप्त होने वाले किराये की राशि।

अभ्यास हेतु प्रश्न (4)–

श्री सन्तोष टण्डन भारत के निवासी हैं। उन्हें गतवर्ष 2017–18 में निम्नलिखित आय प्राप्त हुई हैं—

1.	भारत में व्यापार से प्राप्त आय	1,00,000
2.	लन्दन में मकान सम्पत्ति से आय वहीं प्राप्त की	20,000
3.	मालदीव में व्यापार से लाभ (भारत से नियन्त्रित है।) (जिसमें से 30,000 भारत में प्राप्त किया गया है।)	50,000
4.	अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय	1,10,000
5.	गतवर्ष से पूर्व की आय जो कि गत वर्ष भारत लाई गई।	50,000
6.	विदेश में चल रहे व्यापार को तकनीकी सेवा देने के बदले प्राप्त रायल्टी	10,000

श्री टण्डन की कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर—

भारत में व्यापार से प्राप्त आय	1,00,000
लन्दन में मकान सम्पत्ति से आय	20,000
मालदीव में व्यापार से लाभ	50,000
अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय	1,10,000
प्राप्त रायल्टी	10,000
कुल आय	2,90,000

असाधारण निवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण—

असाधारण निवासी के लिए कर दायित्व एक निवासी की अपेक्षा कम होते हैं। असाधारण निवासी की स्थिति में निम्नलिखित आयों को कर दायित्व में सम्मिलित किया जाता है—

1. **भारत में प्राप्त आय**— गत वर्ष में एक असाधारण निवासी को भारत में प्राप्त समस्त आयों को करयोग्य माना जाता है। ये आय स्वयं प्राप्त की हों अथवा

किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, कर दायित्व समान ही रहेगा। भारत में प्राप्त आय तब भी कर दायित्व में सम्मिलित की जायेंगी जब वह उपार्जित अथवा उदय भारत के बाहर हुई हों।

2. **भारत में प्राप्त हुई समझी गयी आय**— भारत में प्राप्त मानी जाने वाली गतवर्ष की आय को भी करदाता की कुल आय में आयकर की गणना के लिए सम्मिलित किया जाता है।
3. **भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय**— गतवर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय समस्त आयों को करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है चाहे ये आय भारत में प्राप्त हुई हों अथवा भारत के बाहर।
4. **भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाने वाली आय**— किसी असाधारण निवासी की कुल आय की गणना के लिए उसकी गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी जाने वाली आयों को जोड़ा जाता है।
5. **अन्य आय**— भारत से बाहर उपार्जित अथवा उदय होने वाली ऐसी आय जो किसी ऐसी संस्था से हुई हो जिसका प्रबन्ध व नियन्त्रण भारत में स्थित हो।

अभ्यास हेतु प्रश्न (5)–

उपरोक्त अभ्यास हेतु प्रश्न (4) में यदि श्री सन्तोष टण्डन असाधारण निवासी हों तो कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर–

भारत में व्यापार से प्राप्त आय	1,00,000
मालदीव में व्यापार से लाभ (भारत से नियन्त्रित)	50,000
अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय	1,10,000
कुल आय	2,60,000

अनिवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण–

किसी अनिवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आयों को सम्मिलित किया जाता है–

1. **भारत में प्राप्त आय**— भारत में गतवर्ष में प्राप्त समस्त आयों को अनिवासी अन्य करदाताओं के समान ही भी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।
2. **भारत में प्राप्त मानी गई आय**— गत वर्ष में भारत में प्राप्त मानी गयी आयों को भी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।
3. **भारत में उपार्जित व उदय हुई आय**— गत वर्ष में भारत में उपार्जित हुई आय को आयकर निर्धारण के लिए करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है, भले ही यह आय भारत में प्राप्त हुई हो अथवा भारत के बाहर।
4. **भारत में उपार्जित व उदय मानी गई आय**— इस प्रकार की गत वर्ष की आय को भी कर दायित्व में सम्मिलित किया जाता है।

अभ्यास हेतु प्रश्न (6)–

उपरोक्त अभ्यास हेतु प्रश्न (4) में यदि श्री सन्तोष टण्डन अनिवासी हों तो उनकी कर निर्धारण वर्ष 2018–19 हेतु कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर–	
भारत में व्यापार से प्राप्त आय	1,00,000
मालदीव में व्यापार से लाभ (भारत में प्राप्त)	30,000
अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय	1,10,000
कुल आय	2,40,000

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि–

- भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त मानी गई आय सभी प्रकार के करदाताओं के कर निर्धारण हेतु उनकी कुल आय में जोड़ी जायेगी, चाहे वह उपार्जित व उदय भारत में अथवा बाहर हुई हो। इसी प्रकार भारत में उपार्जित एवं उदय अथवा भारत में उपार्जित एवं उदय मानी गई आयों भी सभी करदाताओं की कुल आय में जोड़ा जाता है, चाहे वह प्राप्त भारत में अथवा बाहर हुई हो। अर्थात् यदि कोई आय गतवर्ष में भारत में प्राप्त या उदय या उपार्जित हो अथवा मान ली जाये तो यह सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करयोग्य हो जाती है। अनिवासी करदाताओं के लिए केवल यही आय कर दायित्वों में सम्मिलित की जायेंगी। निवासी करदाताओं के लिए कुछ अन्य आय भी कुल आय की गणना में जोड़ी जाती हैं।
- भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित व उदय आय जो भारत से नियन्त्रित होता है अथवा भारत में स्थापित पेशे से उपार्जित या उदय हो, को साधारण व असाधारण दोनों निवासियों के लिए कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है किन्तु अनिवासी के लिए नहीं।
- ऐसी आय जो गतवर्ष में भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो तथा भारत के बाहर ही प्राप्त हुई हो, को केवल साधारण निवासी के कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है, असाधारण निवासी तथा अनिवासी के लिए नहीं।
- यदि कोई आय गतवर्ष से पूर्व के वर्ष में प्राप्त हुई है किन्तु उसे गत वर्ष में भारत लाया गया है तो उसे किसी भी करदाता के गतवर्ष कर दायित्व की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता है।

उपरोक्त नियमों को निम्नलिखित चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है–

क्रमांक	आय का विवरण	निवास की स्थिति		
		निवासी / साधारण	असाधारण निवासी	अनिवासी

		निवासी		
1	भारत में प्राप्त आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
2	भारत में प्राप्त मानी गई आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
3	भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
4	भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी गई आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
5	भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित या उदय हुई आय जिसका नियन्त्रण भारत से होता हो अथवा, भारत में स्थापित पेशे से उपार्जित हुई हो।	करयोग्य	करयोग्य	नहीं
6	भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई आय हो तथा भारत के बाहर ही प्राप्त हुई हो।	करयोग्य	नहीं	नहीं
7	गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर उपार्जित, उदय अथवा प्राप्त आय जो कि गतवर्ष में भारत लायी गई हो।	नहीं	नहीं	नहीं

निवासियों की आय को कुल आय में जोड़े जाने के सम्बन्ध में विभिन्न आयों का वर्णन किया गया है जिन्हें विस्तार से समझा जाना आवश्यक है—

1. भारत में प्राप्त आय—

गत वर्ष में करदाता द्वारा प्राप्त की गई समस्त प्रकार की आयों को भारत में प्राप्त आय कहा जाता है। ये आय नकद अथवा वस्तु रूप में हो सकती है। वस्तु रूप

में प्राप्त आय का प्राप्ति तिथि को बाजार मूल्य हीं नकद मूल्य माना जाता है। आय प्रथम बार प्राप्त की गई होनी चाहिए। यदि आय पूर्व में अन्यत्र प्राप्त की जा चुकी है तथा उसे भारत लाया जा रहा है तो यह करदाता की आय में नहीं जोड़ा जा सकता है। यदि किसी आय को करदाता ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया है तो भी वह करदाता की आय मानते हुए गणना की जायेगी।

2. भारत में प्राप्त मानी गई आय—

गत वर्ष में भारत में प्राप्त मानी गई आय से आशय उन आयों से है जिन्हें करदाता ने वास्तव में प्राप्त नहीं किया है किन्तु आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें प्राप्त मान लिया जाता है। जैसे— प्रमाणित भविष्य निधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह मान लिया जाता है कि उन्हें नियोक्ता के हिस्से का अंशदान प्राप्त हो गया है। इसीप्रकार भविष्य निधि पर ब्याज को भी प्राप्त मानते हुए कुल आय में जोड़ा जाता है। (यद्यपि इनके सम्बन्ध में कतिपय छूट भी उपलब्ध हैं जिनका अध्ययन बाद के अध्यायों में किया जायेगा।)

3. भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय—

किसी निर्धारिती को केवल अपनी प्राप्त आय पर ही नहीं वरन उपार्जित अथवा उदय हुई आय पर भी कर देना होता है। उपार्जन से आशय उस स्थिति से हैं जिसमें करदाता आय प्राप्त करने का ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसके अनुसार आय का प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाता है। यदि आय का उपार्जन भारत में हुआ है तो यह सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करयोग्य होगा भले ही आय की प्राप्ति कहीं भी तथा कभी भी हुई हो। आयकर की दृष्टि से आय का उपार्जन तथा उदय एक ही माना जाता है। उपार्जन उस स्थान पर माना जाता है जहाँ आय उत्पन्न होती है। व्यापार के मामले में वस्तु के विक्रय के स्थान को ही आय के उपार्जन या उदय का स्थान माना जाता है।

4. भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी गई आय—

कुछ आय इस प्रकार की भी होती हैं जो कि भारत में उपार्जित या उदय नहीं होने पर भी आयकर के प्रावधानों के अधीन भारत में उपार्जित या उदय मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए—

- भारत में किसी चल या अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण में प्राप्त आय भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी जाती है। कोई अनिवासी यदि इसका भुगतान भारत के बाहर भी प्राप्त करता है तो भी इसे भारत में उपार्जित माना जायेगा।
- इसी प्रकार यदि कोई अनिवासी किसी फिल्म की भारत में शूटिंग करता है और आय प्राप्त करता है अथवा भारत में प्रदत्त अपनी सेवाओं के लिए विदेश में धन प्राप्त करता है तो इस प्रकार की आयों को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकार शुल्क (रायल्टी) की राशि को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा। यदि अधिकार शुल्क का

भुगतान किसी अन्य करदाता के द्वारा देय है तो सम्बन्धित सम्पत्ति भारत में चल रहे व्यापार या पेशे से सम्बन्धित होनी चाहिए।

- किसी व्यापार में कुल कार्य के उस भाग से सम्बन्धित आय जो कि भारत में कार्य के फलस्वरूप होती है, को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा।
- सरकार द्वारा तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल सम्बन्धी फीस के भुगतान की राशि को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा। यदि फीस का भुगतान किसी अन्य करदाता के द्वारा देय है तो सम्बन्धित सेवा का उपयोग भारत में चल रहे व्यापार या पेशे से सम्बन्धित होनी चाहिए अथवा भारत में लाभ कमाने के किसी अन्य श्रोत में हो रहा होना चाहिए।

2.8 सारांश

आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में करदाता के स्तर तथा निवासीय स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। निवास की स्थिति के आधार पर ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी करदाता की किस आय को कुल आय में सम्मिलित किया जाये और किसे नहीं। निवास की स्थिति के आधार पर करदाता को निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी आदि के लिए आयकर अधिनियम 1961 में कुछ शर्तें निर्धारित हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जो व्यक्ति आधारभूत शर्तों को पूर्ण करता है उसे निवासी कहा जाता है। जो आधारभूत के साथ अतिरिक्त शर्तों को भी पूर्ण करता है उसे साधारण निवासी कहते हैं किन्तु जो व्यक्ति आधारभूत शर्तें पूर्ण करता है किन्तु अतिरिक्त शर्तें पूर्ण नहीं करता है उसे असाधारण निवासी कहते हैं। आधारभूत शर्तें पूर्ण न करने वाली व्यक्ति अनिवासी होता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सम्बन्ध में दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं— मिताक्षरा तथा दायभाग। एक हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष में निवासी तभी माना जायेगा जबकि गतवर्ष में इसका नियन्त्रण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। अन्यथा स्थिति में यह अनिवासी होगा। यह साधारण निवासी तब माना जाता है जब इसका कर्ता गतवर्ष में वे अतिरिक्त शर्तें पूर्ण करता हो जो निवासी के लिए निर्धारित हैं। अन्यथा स्थिति में यह असाधारण निवासी माना जाता है।

कम्पनी के निवास स्थान के निर्धारण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है— (1) यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा (2) गत वर्ष में कम्पनी का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से किया गया हो। उपरोक्त शर्त पूर्ण करने वाली कम्पनी निवासी तथा शर्त पूर्ण न करने वाली कम्पनी अनिवासी होती है। कम्पनी असाधारण निवासी नहीं होती। इसी प्रकार फर्म, स्थानीय सत्ता आदि भी केवल निवासी या अनिवासी होते हैं असाधारण निवासी नहीं होते। भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त मानी गई आय सभी प्रकार के करदाताओं के कर निर्धारण हेतु उनकी कुल आय में जोड़ी जायेगी, इसी प्रकार भारत में उपार्जित एवं उदय अथवा भारत में उपार्जित एवं उदय मानी गई आयों भी सभी करदाताओं की कुल आय में जोड़ा जाता है।

भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित व उदय आय जो भारत से नियन्त्रित होता है अथवा भारत में स्थापित पेशे से उपार्जित या उदय हो, को साधारण व असाधारण दोनों निवासियों के लिए कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी आय जो गतवर्ष में भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो तथा भारत के बाहर ही प्राप्त हुई हो, को केवल साधारण निवासी के कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है, असाधारण निवासी तथा अनिवासी के लिए नहीं।

2.9 शब्दावली

गतवर्ष:	वित्तीय वर्ष जिसकी आय के आधार पर कर की गणना की जाती है।
निवासी	वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी-अ) में से कम से कम एक पूर्ण करता हो।
साधारण निवासी:	वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी-अ) तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों (श्रेणी-ब) को पूर्ण करता हो।
असाधारण निवासी:	वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी-अ) को पूर्ण करता हो किन्तु दोनों अतिरिक्त शर्तों (श्रेणी-ब) को पूर्ण न करता हो।
अनिवासी:	वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी-अ) में से एक भी पूर्ण न करता हो।

2.10 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

- जो व्यक्ति निवासी होने की आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं करता है उसे कहते हैं।
-वे व्यक्ति होते हैं जो निवास की आधारभूत शर्त तो पूर्ण करते हैं किन्तु अतिरिक्त शर्त पूर्ण नहीं करते हैं।
- रोजगार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति को भारत में निवासी होने के लिए भारत में.....दिन. रहना आवश्यक है।
- भारत में उपार्जित आय एक अनिवासी के लिए होती है।
- विदेश में संचालित व्यापार से विदेश में ही प्राप्त आय एक निवासी के लिए होगी।

(ब) सत्य/असत्य

- यदि एक व्यक्ति गतवर्ष में 182 दिन का निवास भारत में पूर्ण कर लेता है तो वह अनिवासी नहीं हो सकता।
- यदि कोई व्यक्ति रोजगार तलाशने के उद्देश्य से देश छोड़ता है तो उसे निवासी होने के लिए भारत में गत वर्ष में 182 दिन का निवास आवश्यक है।
- साधारण निवासी घोषित करने के लिए एक व्यक्ति को गतवर्ष में दो अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अतिरिक्त शर्त पूर्ण करना पर्याप्त है।

4. गत वर्ष से पूर्व प्राप्त आय को गत वर्ष में भारत लाने पर यह साधारण निवासी के लिए करयोग्य है।
5. निवास के लिए निर्धारित दिनों को भारत में किसी एक स्थान पर तथा एक साथ निवास करना आवश्यक है।
6. निवासी की अपेक्षा अनिवासी पर कर दायित्व अधिक होता है।
7. अविभाजित भारत में जन्म लेने की दशा में किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जा सकता है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. करदाता के निवास की स्थिति प्रत्येक वर्ष—
 अ. अनिवार्यतः समान रहती है ब. अनिवार्यतः बदलती है
 स. बदल सकती है द. उक्त में कोई नहीं
2. भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय निम्न में से किसके लिए करयोग्य है—
 अ. साधारण निवासी ब. असाधारण निवासी
 स. अनिवासी द. उपरोक्त सभी
3. यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश के लिए भारत छोड़ता है तो उसे निवासी होने के लिए गतवर्ष में कम से कम दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा।
 अ. 60 ब. 182
 स. 272 द. 365
4. यदि एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का है एवं विदेश में रह रहा है तथा वह गत वर्ष में किसी कार्यवश अथवा भ्रमण हेतु भारत आता है तो उसे निवासी होने के लिए गत वर्ष में कम से कमदिन भारत में रहना अनिवार्य होगा।
 अ. 60 ब. 120
 स. 182 द. उपरोक्त में कोई नहीं
5. श्री सन्तोष कुमार भारत से प्रथम बार दिनांक 15 अप्रैल 2017 को अमेरिका गया तथा वह 31 मार्च 2018 तक वापस नहीं लौटा था। आयकर की दृष्टि से कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उसकी निवासीय स्थिति क्या होगी?
 अ. साधारण निवासी ब. असाधारण निवासी
 स. अनिवासी द. भारतीय मूल

(द) समूहों का मिलान करो।

1. निवासी (अ) जो आधारभूत शर्तें पूर्ण नहीं करता है।
2. असाधारण निवासी (ब) जो आधारभूत तथा अतिरिक्त शर्तें पूर्ण करता है।
3. साधारण निवासी (स) जो आधारभूत शर्तें पूर्ण करता है।
4. अनिवासी (द) जो आधारभूत शर्तें पूर्ण करते हैं किन्तु अतिरिक्त शर्तें नहीं।

2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

- (अ) 1. अनिवासी, 2. असाधारण निवासी, 3. 182, 4. करयोग्य, 5. करयोग्य
(ब) 1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. असत्य 5. असत्य 6. असत्य 7. सत्य
(स) 1. स 2. द 3. ब 4. स 5. स
(द) 1. स 2. द 3. ब 4. अ
-

2.12 स्वपरख प्रश्न

(लघु उत्तरीय)

1. निवास की स्थिति के आधार पर व्यक्तियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है?
2. किसी व्यक्ति के निवास की स्थिति के निर्धारण हेतु आधारभूत अथवा अनिवार्य शर्तें क्या हैं?
3. किसी व्यक्ति को असाधारण निवासी कब माना जाता है?
4. किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में अनिवासी माना जाता है?
5. किसी व्यक्ति को साधारण निवासी माने जाने के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं?
6. हिन्दू विधि के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार के प्रचलित सम्प्रदाय कौन से हैं?
7. संयुक्त हिन्दू परिवार के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?
8. कम्पनी की निवासीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए किन शर्तों का पालन किया जाता है?
9. प्राप्त आय तथा प्राप्त हुई मानी जाने वाली आय किसे कहते हैं?
10. उपार्जित या उदय तथा उपार्जित या उदय मानी जाने वाली आय को समझाइए।

(दीर्घ उत्तरीय)

1. किसी व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम 1961 की व्यवस्थाओं को विस्तार से समझाइए।
2. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निवास के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक के कर दायित्वों से सम्बन्धी प्रावधानों को समझाइए।
3. भारत तथा भारत के बाहर प्राप्त, उपार्जित व उदय आयों तथा प्राप्त, उपार्जित व उदय मानी गई आयों के सम्बन्ध में निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी का कर दायित्व समझाइए।
4. "आयकर भार करदाता की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है।" सविस्तार विवेचन कीजिए।
5. आयकर प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
अ) असाधारण निवासी
आ) प्राप्त एवं प्राप्त मानी गई आयें

इ)	उपार्जित व उदय आयें	
ई)	हिन्दू अविभाजित परिवार	
6.	ठाकुर रुद्र प्रताप की गतवर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न स्रोतों से आय निम्नलिखित है-	रु०
1.	भारतीय कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया लाभांश जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया।	70,000
2.	पाकिस्तान में कृषि से आय जिसे पाकिस्तान में प्राप्त करके भारत लाया गया।	82,000
3.	इंग्लैण्ड की सम्पत्ति से आय जिसे विदेश में प्राप्त किया गया।	50,000
4.	गाजियाबाद के व्यापार से लाभ जिसका संचालन इंग्लैण्ड से होता है।	2,00,000
5.	तीन वर्ष पूर्व विदेश में कमाया गया अकरारोपित लाभ जिसे गतवर्ष में भारत लाया गया।	25,000
6.	हल्द्वानी में भवन की बिक्री से लाभ जिसे विदेश में प्राप्त किया गया।	18,000
7.	विदेश से व्यापार से आय जिसमें से रु० 25,000 भारत में प्राप्त किया गया।	45,000
8.	कनाडा विकास पत्र पर ब्याज जिसका आधा भारत में प्राप्त किया गया।	20,000

(उत्तर- साधारण निवासी रु० 4,15,000 असाधारण निवासी रु० 2,73,000 अनिवासी रु० 2,53,000)

7. (क) मो० अल्ताफ अहमद एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। अहमद ने 1 जून 2013 से 10 मई 2017 तक भारत के विश्वविद्यालय में रहकर नियमित शिक्षा प्राप्त की है। वे 11 मई 2017 को पाकिस्तान चले गये थे तथा कुछ समय वहाँ नौकरी करने के बाद 5 दिसम्बर 2017 को भारत वापस आये। वे यहाँ 10 जनवरी 2018 तक रहकर पाकिस्तान वापस चले गये। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अहमद की निवासीय स्थिति बताइए।

(ख) उपरोक्त मो० अल्ताफ अहमद की वित्तीय वर्ष 2017-18 की विविध मदों की आय निम्नवत है-

		रु०
1.	पाकिस्तान में मकान सम्पत्ति से आय	60,000
2.	पाकिस्तान में नौकरी से प्राप्त वेतन	3,50,000
3.	भारत में बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज	6,000
4.	भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश जिसे पाकिस्तान में प्राप्त किया गया।	10,000
5.	दुबई में किये गये विनियोगों से आय	50,000
6.	उनके पुत्र द्वारा सिंगापुर से भारत भेजा गया धन	1,00,000

कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मो० अहमद की कुल आय की गणना कीजिए।

(उत्तर—(क) साधारण निवासी (ख) रू0 4,66,000)

नोट— भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश करमुक्त है। मो0 अल्ताफ के पुत्र द्वारा भेजा गया धन मो0 अल्ताफ की आय नहीं है।

2.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर डॉ0 एच0सी0मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
 2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ0 आर0के0जैन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिशर्स, आगरा।
 3. Income Tax VK Singhanian, Taxmann, New Delhi.
-
-

इकाई 3 कर मुक्त आयें

इकाई की रूपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
 - 3.2 सभी करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयें
 - 3.3 विशिष्ट संस्थाओं तथा कोषों की कर-मुक्त आयें
 - 3.4 गैर नागरिक तथा/अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयें
 - 3.5 प्रमुख कर-मुक्त आयें
 - 3.6 सारांश
 - 3.7 शब्दावली
 - 3.8 बोध प्रश्न
 - 3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
 - 3.10 स्वपरख प्रश्न
 - 3.11 सन्दर्भ पुस्तकें
-

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर से छूट किसे प्रदान की जाती है, किन मदों के लिए प्रदान की जाती है व किस सीमा तक प्रदान की जाती है, की जानकारी प्राप्त कर सकें।
 - कृषि आय से छूट प्राप्त करने के क्या नियम हैं, का वर्णन कर सकें।
 - वेतनभोगी कर्मियों के लिए आय की विभिन्न छूट कौन सी हैं, का वर्णन कर सकें।
 - विशिष्ट विनियोगों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, बोनस, प्रीमियम आदि के सम्बन्ध में कर-मुक्त आय कौन सी हैं, की जानकारी प्राप्त कर सकें।
 - विभिन्न संस्थाओं के लिए आय की किन मदों पर छूट उपलब्ध है व अनिवासी/गैर नागरिक करदाताओं के लिए कौन सी आयें करमुक्त होती हैं, की व्याख्या कर सकें।
-

3.1 प्रस्तावना

किसी गतवर्ष के लिए करयोग्य आय की गणना करने के लिए करदाता की विभिन्न श्रोतों की आय को सम्मिलित किया जाता है किन्तु कुछ विशिष्ट आयें ऐसी होती हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर से मुक्त रखा गया है अर्थात् उन मदों से होने वाली आय को आयकर की गणना की दृष्टि से कुल आय सम्मिलित नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 10 में इस प्रकार की आयों का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ आयें सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त हैं तो कुछ संस्थाओं या कोषों के लिए। गैर नागरिक व अनिवासी करदाताओं के लिए भी कुछ आयें करमुक्त होती हैं। ये करमुक्त पूर्णतः अथवा अंशतः हो सकती है जिसके सम्बन्ध में कतिपय शर्तों को लागू किया गया है।

इसप्रकार कर मुक्त आय का आशय उन आयों से है जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कर मुक्त घोषित किया गया हो। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि—

- ऐसी आयों को कर से छूट भी कहा जाता है।
- इन आयों को करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- आयकर अधिनियम के प्रावधानानुसार ये आयें पूर्णतः अथवा एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त हो सकती हैं।
- कुछ आयें समस्त करदाताओं के लिए करमुक्त घोषित हैं किन्तु कुछ को विशिष्ट संस्थाओं अथवा कोषों के लिए ही कर मुक्त घोषित किया गया है।
- कर मुक्त होने के लिए कतिपय शर्तों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होता है।

3.2 सभी करदाताओं के लिए कर—मुक्त आयें

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित आयें सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करमुक्त श्रेणी में रखी गई हैं—

1. कृषि आय— {धारा 10(1)}

आयकर की दृष्टि से भारत में कृषि आय को पूर्णतः करमुक्त माना गया है। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की कृषि आय के अन्तर्गत किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है।

किसी करदाता की किसी आय को कृषि आय में तभी सम्मिलित किया जाता है जबकि—

- अ. उक्त कृषि आय का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः भूमि से हो,
- ब. कृषि भूमि भारत में स्थित हो तथा
- स. भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु किया गया हो।

उपरोक्त में कृषि कार्य के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है—

- क. भूमि पर कृषि सम्बन्धी क्रियाओं को करने से प्राप्त आय— कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की फसल उगाने के सम्बन्ध में की जानी वाली क्रियाओं यथा— भूमि का समतलीकरण, जुताई, सिंचाई, बुआई, निराई, गुड़ाई, खाद डालना, फसल कटाई आदि से होने वाली आय कृषि आय होती है। खाली जमीन पर स्वतः उग जाने वाले पेड़, झाड़ी, घास आदि को बेचने से होने वाली आय कृषि आय नहीं होती है।
- ख. भूमि को कृषि हेतु किराये से अथवा लगान से आय— भूमि के मालिक के द्वारा कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य हेतु सौंप दी गई हो तो उससे प्राप्त किराया या लगान कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है।
- ग. कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रियाओं से आय— इसके अन्तर्गत भूसा निकालना, अनाज साफ करना, सुखाना, ग्रेडिंग करना आदि क्रियाएं आती हैं।

घ. कृषि उपज के विक्रय से आय,—कृषि कार्य से उत्पन्न फसल को बेचने से प्राप्त राशि कृषि आय होती है किन्तु खड़ी फसल खरीदकर उसकी बिक्री से प्राप्त आय कृषि आय में सम्मिलित नहीं की जाती है।

डः कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले भवन से आय— किसी ऐसे भवन से आय जो करदाता की कृषि भूमि (भारत में स्थित) के निकट है, करदाता के स्वयं के अधिकार में है तथा इसका प्रयोग उसके द्वारा स्वयं के निवास, पशु रखने अथवा फसलो का भण्डार करने के लिए किया जाता है। इस भूमि पर भू राजस्व या स्थानीय कर लगता हो अथवा यह ऐसे गैर शहरी क्षेत्र में स्थित हो जिसकी आबादी 10,000 से कम हो या यह नगर निगम या छावनी बोर्ड की सीमाओं तक अधिसूचित दूरी (8 किमी से अधिक) से बाहर हो।

सामान्यतः कृषि आय में निम्नलिखित मदे सम्मिलित होती हैं— वे सभी गतिविधियाँ जिनमें कृषि क्रियाएँ की गई हों जैसे— फसलों को उगाकर बेचने से आय, फूल—फल—बेल आदि को उगाने से आय, फसल बीमा के दावे से प्राप्त क्षतिपूर्ति आदि।

सामान्यतः कृषि आय में निम्नलिखित मदे सम्मिलित नहीं होती हैं—वे सभी गतिविधियाँ जिनमें भारत में कृषि क्रिया न की गई हो— भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय, पशु पालन, डेयरी, मुर्गीपालन, मछली पालन आदि की आय, पत्थर की खानों व ईंट बनाने हेतु प्रयुक्त भूमि की आय, तालाब में सिंघाड़े आदि के उत्पादन से आय, कृषि भूमि के विक्रय से आय, खड़ी फसल को खरीदने से आय, लाख की खेती से आय आदि।

अंशतः कृषि आय— यदि किसी गतिविधि में इस प्रकार की आय होती है जो कृषि तथा अकृषि मदों का संयुक्त परिणाम है तो उक्त गतिविधि को अंशत कृषि आय कहा जाता है। इस प्रकार की गतिविधि से कृषि आय के अंश की पृथक से गणना की जाती है। कुछ आयों के सम्बन्ध में इसका कृषि भाग आयकर नियमों में प्रावधानित है—

क्रमांक	नियम	मद	कृषि आय	अकृषि आय
1	7 ए	रबर उत्पादन से आय	65 प्रतिशत	35 प्रतिशत
2	7 बी	काँफी उत्पादन व निर्माण से आय (उत्पादन व निर्माण)	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
		काँफी उत्पादन व निर्माण से आय (उत्पादन व निर्माण तथा उसे भूनना, तपाना, पीसना आदि)	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
3	8	चाय के उत्पादन व निर्माण से आय	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
4	7	चाय के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों का प्रयोग करने वाले निर्माताओं की आय	कृषि उपज का बाजार मूल्य —(कृषि सम्बन्धी	कुल विक्रय मूल्य — कृषि उपज का बाजार मूल्य

			व्यय+भूमि का किराया+उचित लाभ का अंश)	
--	--	--	--------------------------------------	--

कृषि आय को गैर-कृषि आय में मिलाना— यदि किसी करदाता की सम्बन्धित गतवर्ष में कृषि आय तथा गैर कृषि आय दोनों हैं तो आयकर की गणना के लिए दोनों को जोड़कर कुल आय ज्ञात की जाती है। कृषि आय तथा गैर कृषि आय को निम्नलिखित स्थिति में जोड़ा जाता है—

1. करदाता की गतवर्ष की शुद्ध करयोग्य आय (कृषि आय के अतिरिक्त) आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित कर मुक्त सीमा से अधिक होनी चाहिए। तथा,

2. करदाता की शुद्ध कृषि आय रू0 5,000 से अधिक होनी चाहिए।

2. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय— [धारा 10(2)]

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त भाग आयकर से मुक्त होता है।

3. साझेदारी फर्म की आय में उसके साझेदार को प्राप्त अंश—[धारा 10(2ए)]

किसी साझेदारी फर्म को अपने व्यापार के लाभों पर आयकर देना होता है। अतः करोपरान्त लाभ का विभाजन जब उसके साझेदारों में किया जाता है तो लाभ का यह भाग करमुक्त होता है किन्तु यदि साझेदार को फर्म से कुछ वेतन, बोनस, ब्याज, कमीशन आदि की प्राप्ति होती है तो यह राशि उसकी व्यक्तिगत आय होगी तथा नियमानुसार करयोग्य होगी।

4. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये उद्योगों के लाभ— [धारा 10(ए)]

वस्तुओं तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाले निर्यातोन्मुखी उद्योगों व उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 1981 के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं—

1. सरकार द्वारा घोषित स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (काण्डला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, उत्तर प्रदेश नोएडा निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र, चेन्नई निर्यात संसाधन क्षेत्र आदि), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि को छूट प्रदान की गई।

2. ऐसे करदाता जो वस्तुओं और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में संलग्न हैं तथा उन्होंने इससे लाभ प्राप्त किया है, को छूट का लाभ प्राप्त होगा।

3. यदि उपक्रम स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र या निर्यातोन्मुखी क्षेत्र में पहले से स्थापित था किन्तु बाद में वह क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है तो भी कतिपय शर्तों के साथ छूट का लाभ इन उपक्रमों को मिलेगा।

4. यदि उपक्रम किसी पुराने व्यापार का विभाजन या पुनर्गठन या पहले से प्रयुक्त मशीनरी के हस्तांतरण से न बनाया गया हो तो भी कतिपय शर्तों के साथ छूट प्राप्त होगी।

धारा 10ए की उपधारा आईए के अनुसार यदि कोई उपक्रम वस्तुओं और सॉफ्टवेयर का उत्पादन 31 मार्च 2002 के बाद किसी वर्ष में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रारम्भ

करता है तो उस उपक्रम की कुल आय की गणना करते समय निम्नलिखित कटौती प्रदान की जायेगी—

अ. वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभों पर उत्पादन प्रारम्भ होने वाले वर्ष से पाँच लगातार वर्षों में लाभों पर 100 प्रतिशत कटौती।

ब. निर्यात से प्राप्त लाभों की 50 प्रतिशत कटौती दो अतिरिक्त वर्षों के लिए कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

कर निर्धारण वर्ष 2004-05 में उपरोक्त धारा में संशोधन करके इसमें व्यापार के एकीकरण सम्बन्धी तथा 2006-07 आय का विवरण जमा न होने पर कटौती का लाभ प्रदान न किये जाने सम्बन्धी प्रावधान जोड़ दिया गया है।

5. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस0ई0जेड0) में स्थापित उद्योगों के लाभ— {धारा 10(एए)}

विशेष आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं व कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में संलग्न व्यक्तियों, फर्मों व कम्पनियों को निर्धारित समयसीमा में निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ करने पर प्राप्त लाभों पर कतिपय शर्तों के अधीन 100 प्रतिशत छूट प्राप्त होती है।

6. कर्मचारियों को प्राप्त कुछ विशिष्ट आय—

कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त कुछ धनराशियों को आयकर से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मुक्त रखा गया है। इसके अन्तर्गत मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण पर प्राप्त ग्रेच्युटी (धारा 10.10), एकमुश्त पेंशन (धारा 10.10.ए), अर्जित अवकाश का नकद भुगतान (धारा 10.10.एए), छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति (धारा 10.10.बी), ऐच्छिक अवकाश पर प्राप्त राशि (धारा 10.10.सी), वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि (धारा 10.11), प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि (धारा 10.12), अनुमोदित सेवा निवृत्ति कोष से प्राप्त राशि (धारा 10.13) को रखा जाता है।

7. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को भुगतान— {धारा 10(10बीबी)}

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का विधियन) अधिनियम 1985 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी योजना में किया गया कोई भी भुगतान कर-मुक्त होगा बशर्ते कि ऐसा व्यय करदाता द्वारा अपनी करयोग्य आय की गणना करते समय कटौती की रूप में घटा न लिया गया हो।

8. जीवन बीमा योजना से प्राप्त रकम {धारा 10(10डी)}

किसी करदाता की जीवन बीमा पॉलिसी से सम्बन्ध में प्राप्त परिपक्वता राशि, बोनस की रकम करमुक्त होती है। इस सम्बन्ध निम्न अपवाद हैं—

अ. कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन 1-10-1996 से करमुक्त नहीं होगा।

ब. धारा 80 डीडी(3) के अन्तर्गत धन करमुक्त नहीं होगा।

स. यदि जीवन बीमा पॉलिसी 31'03'2003 के बाद जारी की गई है तथा उसका वार्षिक बीमा प्रीमियम वास्तविक बीमित रकम के 20 प्रतिशत भाग से अधिक है तो उसकी परिपक्वता राशि कर योग्य होगी।

द. किन्तु, यदि उपरोक्त राशि बीमाधारक की मृत्यु के बाद प्राप्त होती है तो वह करमुक्त होगी।

9. सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त धन {धारा 10(11)}

यह खाता किसी भी वेतनभोगी अथवा गैर वेतनभोगी व्यक्ति के द्वारा अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक, डाकघर आदि की निर्धारित शाखा में 15 वर्ष की अवधि के लिए खोला जाता है जिसमें वह प्रत्येक वर्ष धनराशि निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत जमा करता है। इस खाते के सम्बन्ध में प्राप्त कोई भी राशि करयोग्य नहीं होती है।

10. विशिष्ट विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, बोनस, प्रीमियम की धनराशि [धारा 10(11)]

केन्द्रीय सरकार द्वारा करमुक्ति हेतु अधिसूचित प्रतिभूतियों पर ब्याज, परिपक्वता राशि, प्रीमियम आदि की प्राप्ति प्रत्येक करदाता के लिए धारा 10 (15) के अन्तर्गत करमुक्त होगी—

1. वार्षिक प्रमाण—पत्र
2. राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स
3. विशेष वाहक बॉण्ड्स
4. कोषागार बचत प्रमाण—पत्र
5. डाकघर के नकद प्रमाण—पत्र
6. राष्ट्रीय योजना प्रमाण—पत्र
7. 12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाण—पत्र
8. राष्ट्रीय बचत प्रमाण—पत्र
9. डाकघर बचत खाता
10. डाकघर संचयी सावधि जमा खाता
11. जन साधारण खाते पर ब्याज (डाकघर बचत नियम के अन्तर्गत रू० 5000 तक)
12. विशेष जमा योजना 1981

धारा 10(15)(iib) तथा 10(15)(iie) के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट अधिसूचित प्रतिभूतियों (7 प्रतिशत पूँजी विनियोग जो 1.6.2002 से पूर्व जारी किये गये हों तथा राहत बॉण्ड्स) पर प्राप्त ब्याज को व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए कर मुक्त किया गया है। अनिवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी कुछ अधिसूचित प्रतिभूतियों पर ब्याज कतिपय शर्तों के अधीन धारा 10(15)(iid) के अन्तर्गत करमुक्त होता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के अधिसूचित बॉण्ड्स व ऋणपत्रों पर ब्याज भी करमुक्त किया गया है।

11. मकान किराया भत्ता— [धारा 10(13ए)]

कर्मचारियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त होने वाला मकान किराया भत्ता एक सुनिश्चित सीमा तक कर मुक्त होता है। इसकी गणना के लिए कर्मचारी द्वारा प्राप्त मकान किराये भत्ते की वास्तविक राशि, वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक चुकाया गया मकान किराया तथा वेतन के 50 प्रतिशत (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई) अथवा 40 प्रतिशत (अन्य शहर) में से न्यूनतम राशि करमुक्त होगी तथा शेष करयोग्य होगी।

12. कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति सम्बन्धी भत्ते— [धारा 10(14)(i)]

कर्मचारियों को प्राप्त विभिन्न भत्तों (यथा— यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी या कार भत्ता, सहायक भत्ता, विद्योपार्जन भत्ता, वर्दी भत्ता आदि) की वह राशि जो कि उनके द्वारा वास्तव में व्यय की गई है, करमुक्त होती है किन्तु यदि उक्त भत्ते की राशि का कोई भाग व्यय नहीं किया गया है तो उक्त बचत की राशि करयोग्य होगी।

13. छात्रवृत्तियाँ – {धारा 10(16)}

सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से अध्ययन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति (छात्रवृत्ति) अथवा शिष्यवृत्ति (फैलोशिप) की राशि पूर्णतः करमुक्त होती है।

14. संसद व विधान सभा सदस्यों के भत्ते— {धारा 10(17)}

संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान मण्डलों के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्ते तथा अन्य भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं किन्तु इन्हें प्राप्त होने वाला वेतन अन्य साधनों की आय शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है।

15. पुरस्कार— {धारा 10(17ए)}

साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्यों के सम्मानस्वरूप केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला कोई भी पुरस्कार (नकद अथवा वस्तु रूप में) करमुक्त होता है। इन्हीं कार्यों के लिए यदि कोई अन्य संस्था पुरस्कार देती है तथा इसका अनुमोदन सरकार द्वारा किया जाता है तो वह भी करमुक्त होता है।

16. वीरता चक्र धारकों को पेंशन— {धारा 10(18)}

केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जिसे सरकार द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र अथवा ऐसा कोई अन्य पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसे इस श्रेणी में केन्द्र सरकार ने अपने गजट में अधिसूचित किया हो तो उसे अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को मिलने वाली पेंशन करमुक्त होगी।

17. सशस्त्र सेना के परिवारों को परिवार पेंशन— {धारा 10(19)}

यदि सशस्त्र सेना (पैरा मिलिट्री फोर्स सहित) के किसी कर्मचारी की सरकारी कार्य सम्पादन के समय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो परिवार पेंशन प्राप्त होती है वह कतिपय शर्तों के पूर्ण होने के प्रतिबन्ध के साथ करमुक्त होती है।

18. अनुसूचित जनजातियों की आय—{धारा 10(26)}

संविधान की छठी अनुसूची के परिच्छेद 20 की प्रथम व द्वितीय भाग में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नगालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों में रहने वाले सदस्यों अथवा ऐसे क्षेत्रों में उपार्जित या उदय आय आयकर मुक्त होती हैं।

19. चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान— {धारा 10(30)}

चाय बागान में चाय के पौधे लगाने, पुनरारोपण आदि के सम्बन्ध में चाय बागान से जो भी अनुदान प्राप्त होता है वह पूर्णतः करमुक्त होता है।

20. पौधों को लगाने सम्बन्धी अनुदान— {धारा 10(31)}

उपरोक्त धारा 10(30) के समान ही यदि किसी व्यक्ति को रबर, इलायची, कॉफी अथवा अन्य पौधे जो कि इस हेतु घोषित हों, को लगाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बोर्ड से प्राप्त होने वाले अनुदान को यदि पौधों के पुनरारोपण या नवीनीकरण आदि में लगा दिया जाये तो अनुदान पूर्णतः करमुक्त होते हैं।

21. अवयस्क बच्चे की आय—[धारा 10(32)]

किसी करदाता के सम्बन्ध में उसके अवयस्क बच्चे की आय अधिकतम रू0 1,500 प्रति बच्चा तक करमुक्त होती है।

22. यू0एस0 64 की इकाइयों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ— [धारा 10(33)]

यूनिट योजना 64 की इकाई (यूनिट) की बिक्री से होने वाले लाभ करमुक्त होते हैं बशर्ते कि ये हस्तान्तरण 1 अप्रैल 2002 यो इसके बाद किया गया हो।

23. घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश की आय— [धारा 10(34)]

वित्त अधिनियम 2003 के प्रावधानानुसार घरेलू कम्पनियों से प्राप्त लाभांश, जो कि धारा 115—0 के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, को करदाता की करयोग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा किन्तु धारा 2(22)(ई) के अन्तर्गत घोषित लाभांशों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है।

24. पारस्परिक कोषों की आय— [धारा 10(35)]

कुछ विशिष्ट संस्थानों तथा कम्पनियों द्वारा स्थापित पारस्परिक कोषों की इकाइयों को भी वित्त अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2004—05 से आयकर से मुक्त रखा गया है।

25. कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पर पूँजी लाभ— [धारा 10(37)]

यदि किसी करदाता की शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि का सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है तो इस अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप प्राप्त क्षतिपूर्ति (मुआवजा) की राशि पर उत्पन्न किसी प्रकार का अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभ आयकर की गणना में करयोग्य नहीं माना जाता है।

26. अंश अथवा इकाइयों पर प्राप्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ— [धारा 10(38)]

किसी कम्पनी के समता अंशों अथवा इक्विटी फण्ड की यूनिटों की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर मुक्त होगा यदि— (अ) यह 1—10—2004 अथवा इसके बाद किसी तिथि पर उत्पन्न हो, (ब) यूनिट की बिक्री किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के माध्यम से किया जाय, तथा (स) यह सौदा प्रतिभूति सौदा कर के अन्तर्गत करयोग्य हो।

27. विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी से प्राप्त अनुदान— [धारा 10(40)]

विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में संलग्न किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को कोई अनुदान प्रदान किया जाता है तो यह अनुदान सहायक कम्पनी के लिए करमुक्त होता है। यह प्रावधान कर निर्धारण वर्ष 2006—07 से प्रभावी है।

28. विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में संलग्न कम्पनी को पूँजी लाभ— {धारा 10(41)}

विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में संलग्न किसी उपक्रम को यदि पूँजी सम्पत्तियों के हस्तांतरण में कोई पूँजी लाभ प्राप्त होता है तो यह लाभ उक्त कम्पनी के लिए करमुक्त होता है। यह प्रावधान भी कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से प्रभावी है।

29. निर्धारित निकायों तथा अधिकारियों की विशिष्ट आय— {धारा 10(42)}

ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण केन्द्र सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय सहमति से हुआ हो अथवा ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति इन संस्थाओं में हुई हो, की वे आयें जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, को कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से कर मुक्त घोषित किया गया है। इन संस्थाओं का निर्माण लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होना चाहिए तथा करमुक्ति को गजट द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।

30. प्रतिवर्ती बन्धक योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण की राशि— {धारा 10(43)}

प्रतिवर्ती योजना के अन्तर्गत जो धनराशि व्यक्ति के द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त की जाती है उस राशि अथवा उस पर ब्याज का भुगतान उसे अपने जीवन काल में नहीं करना होता है। इस पर आयकर भी देय नहीं होता है।

31. नई पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि— {धारा 10(44)}

भारतीय प्रन्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत स्थापित नई पेंशन योजना से प्राप्त होने वाली आय को आयकर की धारा 10(44) के अन्तर्गत करमुक्त घोषित किया गया है।

32. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्राप्त किसे जाने वाले भत्ते व अनुलाभ— {धारा 10(45)}

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को प्राप्त होने वाले किराया मुक्त सरकारी आवास, यातायात सुविधा तथा अवकाश यात्रा रियायत का मूल्य आयकर से मुक्त होता है। यदि आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के द्वारा सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया गया है तो उन्हें रू0 14,000 प्रतिमाह तथा सभा सम्बन्धी व्यय तथा आवास पर फोन व रू0 1500 प्रतिमाह फोन कॉल सुविधा आयकर से मुक्त होती है।

33. अधिसूचित निकाय, प्राधिकारी, प्रन्यास अथवा परिषद की विशिष्ट आय— {धारा 10(46)}

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित कोई भी निकाय, प्राधिकारी, प्रन्यास अथवा परिषद जिसको सरकार द्वारा इस हेतु अधिसूचित भी किया गया हो, की आय करमुक्त होती हैं। इन संस्थाओं की स्थापना जनोपयोगी क्रियाओं का नियमन एवं प्रशासन करना होना चाहिए। यह करमुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2012-13 से प्रभावी है।

34. अवसंरचना ऋण कोष की आय— {धारा 10(47)}

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विधिवत गठित अवसंरचना कोष की आय को भी आयकर से मुक्त रखा गया है किन्तु इन्हें धारा 139 के अन्तर्गत आय का विवरण दाखिल करना अनिवार्य होता है।

3.3 विशिष्ट संस्थाओं तथा कोषों की कर-मुक्त आयें

इस श्रेणी में विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं यथा- स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद आदि) , शैक्षणिक संस्थाएं, शोध संस्थान, चिकित्सालय, अन्तर्राष्ट्रीय संघों आदि की आयों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-

1. स्थानीय निकायों की आय- {धारा 10(20)}

स्थानीय निकायों के रूप में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद, छावनी बोर्ड आदि के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इन्हें गृहकर, मकान/दुकान किराया, बिजली-पानी आदि की आपूर्ति से आय, व्यापारिक आय, पूँजी आय आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। आयकर प्रावधानों के अन्तर्गत इन निकायों की आयों को करमुक्त किया गया है।

2. वैज्ञानिक शोध संघों की आय- {धारा 10(21)}

केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे संघों की आय करमुक्त होती है जो वैज्ञानिक अनुसंधानों में संलग्न होते हैं। ऐसे अनुसंधानों की व्यापार व पेशे से आय तभी करमुक्त होगी जबकि ऐसा व्यापार संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हो। ऐसे संघ अपनी व्यापारिक आय की गणना पृथक से करते हैं। केन्द्र सरकार निर्धारित शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनुमोदन वापस ले सकती है। ऐसी स्थिति में संघ की आय करयोग्य होगी।

3. समाचार ऐजेन्सी की आय- {धारा 10(22बी)}

ऐसी समाचार ऐजेन्सी जो कि भारत में स्थापित हों, समाचारों को एकत्रित करने व प्रकाशित, प्रसारित व वितरित करने में संलग्न हो तथा जिसे केन्द्र सरकार के द्वारा इस हेतु अधिसूचित किया गया हो, की आय करमुक्त होती हैं। केन्द्र सरकार को यह भी अधिकार है कि वह निर्धारित शर्तों को पूर्ण न करने की दशा में किसी समाचार ऐजेन्सी को उचित अवसर प्रदान करते हुए गैर अधिसूचित कर दे।

4. विशिष्ट पेशेवर संस्थाओं की आय- {धारा 10(23ए)}

किसी विशिष्ट पेशे को नियमित तथा नियन्त्रित करने वाले विभिन्न संगठनों को भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित होने की दशा में करमुक्त श्रेणी में रखा जाता है। ये संगठन विधि, भेषज, लेखांकन, अभियन्त्रण अथवा शिल्पकला से सम्बन्धित हो सकता है। इस करमुक्ति में मकान सम्पत्ति से आय, कोई विशेष सेवा प्रदान करने, विनियोग पर ब्याज या लाभांश को सम्मिलित नहीं किया गया है।

5. सशस्त्र सेनाओं के रेजीमेन्ट फण्ड की आय- {धारा 10(23एए)}

भारतीय सेना द्वारा स्थापित रेजीमेन्ट फण्ड, जो कि सेना के वर्तमान अथवा भूतपूर्व सदस्यों एवं उनके आश्रितों की सहायता के लिए संचालित किए जाते हैं, की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

6. कर्मचारी कल्याण कोष की आय- {धारा 10(23एएए)}

किसी संगठन में उसके कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य से स्थापित कोष की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

7. जीवन बीमा निगम के फण्ड से आय— {धारा 10(23एएबी)}

जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी किसी पेंशन योजना के लिए स्थापित किसी कोष की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है किन्तु यह करमुक्ति तभी मान्य होगी जबकि ऐसे कोष में पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा भी अंशदान प्रदान किया जाता हो।

8. खादी एवं ग्रामोद्योग संगठन की आय— {धारा 10(23एएबी)}

ये संस्थाएं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित होती हैं तथा खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए स्थापित की जाती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इन संस्थाओं के लाभों को आयकर से मुक्त रखा गया है। धारा 10(23एएबी) के द्वारा राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित ऐसी संस्थाओं को भी करमुक्ति में सम्मिलित कर लिया गया है।

9. सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं की प्रशासक वैधानिक सत्ता की आय— {धारा 10(23बीबीए)}

केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित कोई वैधानिक सत्ता जिसकी स्थापना किसी सामाजिक, धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा कोष के प्रबन्ध व प्रशासन के लिए की गई हो, को आयकर से मुक्त रखा गया है।

10. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आय— {धारा 10(23बीबीबी)}

यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसे रोम समझौते के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो, की सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं में विनियोगों पर ब्याज, लाभांश, पूंजी लाभ आदि की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

11. दक्षेस (सार्क) निधि की आय— {धारा 10(23बीबीसी)}

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन –दक्षेस (साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कोऑपरेशन-सार्क) के सदस्य राष्ट्रों की ऐसी आय जिसका प्रयोग दक्षेस निधि की स्थानीय योजनाओं के लिए होता है, को आयकर अधिनियम में करमुक्त किया गया है।

12. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग तथा प्रसार भारती की आय—

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कतिपय विशिष्ट संगठनों की आय को करमुक्त घोषित किया गया है। ये हैं—बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) – धारा 10(23बीबीई), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग— धारा 10(23बीबीजी) तथा प्रसार भारती – धारा 10(23बीबीएच)।

13. राष्ट्रीय कोषों की आय— {धारा 10(23सी)}

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय कोषों की आय को कतिपय शर्तों के अधीन आयकर से मुक्त रखा गया है, ये हैं—

1. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष,
2. प्रधानमंत्री लोककला प्रोत्साहन कोष,
3. प्रधानमंत्री विद्यार्थी सहायता कोष,
4. राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान,
5. स्वच्छ भारत कोष एवं स्वच्छ गंगा कोष,

6. पुण्यार्थ कार्यों के लिए स्थापित कोष,
7. विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थानों की आय,
8. चिकित्सालय अथवा ऐसी ही अन्य संस्थानों की आय,
9. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक, धार्मिक या पुण्यार्थ कोष अथवा ट्रस्ट,
10. अन्य कोई कोष अथवा प्रन्यास जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस हेतु छूट प्रदान की जाये।

14. पारस्परिक कोषों (म्यूच्युअल फण्ड) की आय— [धारा 10(23डी)]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पारस्परिक कोष आयकर से मुक्त होते हैं।

15. विनियोगकर्ता संरक्षा कोष की आय— [धारा 10(23ईए)]

केन्द्र सरकार के गजट में अधिसूचित स्कन्ध विपणियों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग से बनाये गये विनियोक्ता संरक्षण कोष की आय जोकि मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि अथवा कोष के सदस्यों के चन्दे से प्राप्त हुई हो, को कतिपय शर्तों के साथ पूर्णतः करमुक्त आय की श्रेणी में रखा गया है।

16. वेंचर कैपिटल फण्ड तथा वेंचर कैपिटल कम्पनी की आय— [धारा 10(23एफबी)]

वेंचर कैपिटल उपक्रमों में विनियोग के लिए कोष एकत्रित करने हेतु स्थापित वेंचर कैपिटल कम्पनी अथवा वेंचर कैपिटल कोष की आय कतिपय शर्तों के अधीन करमुक्त होगी। इस प्रकार के उपक्रम का पंजीकरण 21 मई 2012 से पूर्व होना चाहिए तथा इन्हें निर्धारित अधिसूचित कार्यों के लिए स्थापित होना चाहिए। इस उपक्रम द्वारा क्रय किये गए समता अंशों को तीन वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता अन्यथा छूट नहीं मिलेगी।

17. श्रम संघों की आय— [धारा 10(24)]

भारतीय श्रम संध अधिनियम 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघों की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

18. भविष्य निधियों की आय— [धारा 10(25)]

कुछ भविष्य निधियों की विशिष्ट आयों को आयकर से छूट प्राप्त है। ये हैं—

अ. वैधानिक भविष्य निधि के अन्तर्गत खरीदी हुई प्रतिभूतियों पर ब्याज व पूँजी लाभ की राशि,

ब. प्रमाणित भविष्य निधि, अनुमोदित सेवा निवृत्ति कोष एवं अनुमोदित अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी) की कोई आय अथवा इन कोषों के न्यासियों के द्वारा फण्ड के सम्बन्ध में प्राप्त कोई राशि,

स. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जमा श्रंखलित बीमा कोष (डिपोजिट लिंकड इन्स्योरेंस फण्ड) की आय।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा कोष की आय भी धारा 10(25ए) के अन्तर्गत करमुक्त होती है।

19. विशिष्ट समुदायों व संगठनों की आय—

भारतीय संविधान की धारा 366(25) में सम्मिलित अनुसूचित जातियों के कुछ विशिष्ट क्षेत्र के सदस्यों की आय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26) के अन्तर्गत करमुक्त होती है। धारा 10 (26बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों को प्रोत्साहित करने वाली केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित निगम की आय करमुक्त होती है। इसीप्रकार केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अल्पसंख्यक विकास निगमों की आय भी धारा 10 (26बीबी) के अन्तर्गत करमुक्त श्रेणी में रखी गई है।

20. भूतपूर्व सैनिक निगम की आय— {धारा 10(26बीबीबी)}

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा निगम जो कि भारतीय नागरिक पूर्व सैनिकों के कल्याण अथवा उनके आर्थिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए स्थापित किया गया हो, की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

21. सहकारी समितियों की आय— {धारा 10(27)}

वे सहकारी समितियाँ जिनका गठन अनुसूचित जातियों, जनजातियों अथवा दोनों के कल्याण के लिए की गई हो तथा जिनका वित्तीयन सरकार अथवा सरकारी एजेन्सी के द्वारा किया जाता है तो ऐसी सहकारी समितियों की आय को करमुक्त श्रेणी में रखा गया है।

22. परिषदों की आय— {धारा 10(29ए)}

कुछ परिषदों की आय को भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त श्रेणी में रखा गया है। ये हैं—

1. कॉफी अधिनियम 1942 के अन्तर्गत स्थापित कॉफी बोर्ड
2. रबर बोर्ड अधिनियम 1947 के अन्तर्गत स्थापित रबर बोर्ड
3. चाय बोर्ड अधिनियम 1953 के अन्तर्गत स्थापित चाय बोर्ड
4. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के अन्तर्गत स्थापित तम्बाकू बोर्ड
5. मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के अन्तर्गत स्थापित मसाला बोर्ड

23. राजनीतिक पार्टियों की आय— {धारा 13(ए)}

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त दल इस श्रेणी में रखा जाता है। इन राजनीतिक दलों को रू0 20,000 से अधिक की धनराशि के चन्दे का अभिलेख तैयार करना होता है तथा उसे सनदी लेखाकार से अंकेक्षित कराना होता है।

24. चुनाव न्यास को प्राप्त स्वैच्छिक चन्दे की आय— {धारा 13(बी)}

केन्द्र सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाला चुनाव न्यास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए में पंजीकृत होना चाहिए तथा इसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। न्यास को अपनी वर्तमान आय तथा पूर्व वर्ष से आगे लाई गई कुल आयों का 95 प्रतिशत भाग अधिकृत राजनीतिक दलों को वितरित करना होता है। ऐसे न्यास की स्वैच्छिक चन्दे की राशि को आयकर से मुक्ति प्रदान की गई है।

3.4 गैर-नागरिक तथा/अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए कर-मुक्त आय

भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अनिवासी तथा गैर नागरिक करदाताओं के लिए भी कुछ कर मुक्त आयों का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

1. विशिष्ट प्रतिभूतियों या बाण्डों पर प्राप्त ब्याज की आय- {धारा 10(4)}

केन्द्र सरकार द्वारा 1 जून 2002 से पूर्व कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों (जैसे- भारतीय स्टेट बैंक के N.R.I. बाण्डस्, 1988) पर अनिवासियों को प्राप्त होने वाले ब्याज को अपने गजट में करमुक्त हेतु अधिसूचित किया गया है। इन प्रतिभूतियों पर भुगतान के समय यदि कोई अतिरिक्त राशि प्रब्याजि के रूप में प्राप्त होती है तो वो भी करमुक्त होगी किन्तु वित्त अधिनियम 2002 के प्रावधानानुसार भारत सरकार अब 1 जून 2002 को या उसके बाद सरकार ऐसी किसी प्रतिभूति को करमुक्त हेतु अधिसूचित नहीं करेगी। वित्त अधिनियम 2005 के द्वारा भारत के किसी बैंक में अनिवासी खाते में जमा रकम पर ब्याज भी कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से कर मुक्त कर दिया गया है।

2. बचत पत्रों पर ब्याज से आय- {धारा 10(4बी)}

यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है अथवा भारत में अनिवासी है तो उसे केन्द्र सरकार द्वारा 1 जून 2002 से पूर्व निर्गमित राष्ट्रीय बचत वत्र पर प्राप्त होने वाला ब्याज पूर्णतः करमुक्त होगा बशर्ते कि उक्त बचत पत्र विदेशी मुद्रा के माध्यम से क्रय किये गये हों।

3. विदेशी संस्था के कर्मचारियों की आय- {धारा 10(6.M)}

यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी संस्था के लिए कार्य करता है तथा उस संस्था का भारत में कोई व्यापार नहीं है तो उसकी वेतन शीर्षक की आय करमुक्त होगी बशर्ते कि उस व्यक्ति का गतवर्ष में भारत में कुल ठहराव 90 दिन या कम अवधि के लिए ही हो।

4. प्रशिक्षणकाल का पारिश्रमिक- {धारा 10(6.N)}

किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने किसी कर्मचारी को यदि कोई पारिश्रमिक भारत में किसी सरकारी कार्यालय, उपक्रम अथवा संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि में प्रदान किया जाता है तो ऐसा पारिश्रमिक पूर्णतः करमुक्त होगा।

5. विदेशी कम्पनियों को भारत में सुरक्षा उपक्रमों में प्रदत्त तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त आय- {धारा 10(6सी)}

यदि किसी विदेशी कम्पनी को भारत सरकार के साथ किसी समझौते के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी परियोजना पर भारत में अथवा भारत के बाहर उपक्रम के लिए किसी धनराशि का भुगतान किया जाता है तो यह धनराशि आयकर से मुक्त होती है।

6. भारत के बाहर प्रदत्त भत्ते, अनुलाभ आदि- {धारा 10(7)}

भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए यदि कोई भत्ता अथवा अनुलाभ प्रदान किया जाता है तो इसकी राशि आयकर से मुक्त होगी।

7. सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक— [धारा 10(8)]

यदि किसी अनिवासी को सहकारी तकनीकी कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत तथा अन्य किसी देश के मध्य हुए समझौते के फलस्वरूप विदेशी सरकार से कोई आय प्राप्त होती है तो वह करमुक्त होगी। ऐसे व्यक्ति की भारत से बाहर उपार्जित एवं उदय हुई अन्य आयें भी करमुक्त होंगी बशर्ते कि उन्होंने इस आय पर अपने देश की सरकार को नियमानुसार निर्धारित कर का भुगतान कर दिया हो।

8. परामर्श सम्बन्धी आय— [धारा 10(8ए)]

केन्द्र सरकार तथा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के मध्य हुए किसी समझौते के फलस्वरूप हुई किसी परामर्शदाता की नियुक्ति पर आय को करमुक्त रखा गया है, यदि परामर्श शुल्क का भुगतान उक्त संगठन के द्वारा अपनी तकनीकी सहायता अनुदान निधि से किया गया हो।

3.5 प्रमुख कर—मुक्त आयें

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के अन्तर्गत विभिन्न मदों को कर—मुक्त आयों की श्रेणी में रखा गया है। विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत इन्हें व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त घोषित किया गया है जिनका वर्णन इसी अध्याय के पूर्व खण्डों में किया जा चुका है। इनमें से कुछ प्रमुख को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है—

क्र0	अनुच्छेद	कर—मुक्त आय की मद	कर—मुक्ति सीमा
1	10(1)	कृषि आय	पूर्णतः कर—मुक्त
2	10(2)	हिन्दू विभाजित परिवार	पूर्णतः कर—मुक्त
3	10(2A)	साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग	पूर्णतः कर—मुक्त
4	10(AA)	स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये उद्योगों के लाभ	प्रथम 5 वर्ष— लाभों का 100% अगले 5 वर्ष— लाभों का 50 % बाद के 5 वर्ष— लाभों का 50% (शर्तों के अधीन)
5	10 (10)	मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण पर ग्रेच्युटी	सरकारी कर्मचारी—पूर्णतः कर—मुक्त, गैर सरकारी कर्मचारी— प्रावधानानुसार
6	10(10D)	जीवन बीमा से प्राप्त रकम (कीमैन पॉलिसी के अतिरिक्त)	मृत्यु की दशा में पूर्णतः कर—मुक्त, परिपक्वता की दशा में— प्रावधानानुसार
7	10(11)	सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त रकम	पूर्णतः कर—मुक्त
8	10(11A)	सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान	पूर्णतः कर—मुक्त
9	10(13A)	मकान किराया भत्ता	अंशतः कर—मुक्त (प्राप्त भत्ते, प्राप्त वेतन तथा शहर की स्थिति के आधार पर करमुक्त राशि की गणना)

10	10(15)	कुछ विशिष्ट अधिसूचित विनियोगों पर ब्याज, प्रब्याजि अथवा बोनस	पूर्णतः कर-मुक्त
11	10(16)	छात्र वृत्तियाँ	पूर्णतः कर-मुक्त
12	10(17)	सांसदों व विधायकों के भत्ते	पूर्णतः कर-मुक्त
13	10(17A)	पुरस्कार (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अथवा कार्य हेतु अनुमोदित)	पूर्णतः कर-मुक्त
14	10(18)	वीरता चक्र पाने वाले व्यक्ति की पेंशन	पूर्णतः कर-मुक्त
15	10(19)	सशस्त्र सेना के परिवार जनों को परिवार पेंशन (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर-मुक्त
16	10(20)	स्थानीय सत्ता की आय	पूर्णतः कर-मुक्त
17	10(23A)	कुछ विशिष्ट पेशेवर संस्थाओं की आय	पूर्णतः कर-मुक्त
18	10(23C)	कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय कोषों की आय	पूर्णतः कर-मुक्त
19	10(23D)	विशिष्ट पारस्परिक कोषों की आय	पूर्णतः कर-मुक्त
20	10(26)	अनुसूचित जनजातियों की आय (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर-मुक्त
21	10(29A)	सरकार द्वारा अधिसूचित परिषदों की आय	पूर्णतः कर-मुक्त
22	10(30)	चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान (नवीनीकरण में प्रयोग होने पर)	पूर्णतः कर-मुक्त
23	10(32)	नाबालिग बच्चे की आय	रु01500 प्रति बच्चा
24	10(33)	यूनिट योजना 64 के यूनिट हस्तांतरण पर पूँजी लाभ (यदि हस्तांतरण 1-4-2002 के बाद किया गया हो।)	पूर्णतः कर-मुक्त
25	10(34)	घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश	पूर्णतः कर-मुक्त
26	10(35)	पारस्परिक कोष से आय	पूर्णतः कर-मुक्त
27	10(36)	पात्र समता अंशों पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	पूर्णतः कर-मुक्त
28	10(37)	कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पर उत्पन्न पूँजी लाभ (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर-मुक्त
29	10(38)	अंशों व यूनिटों की बिक्री उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर-मुक्त
30	13(A)	राजनीतिक पार्टियों की आय	पूर्णतः कर-मुक्त

3.6 सारांश

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जिन आयों को कर की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है, उन्हें करमुक्त आयें कहते हैं। इन आयों पर कर

नहीं लगता है अतः इन्हें कर से छूट भी कहते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत इन करमुक्त आयों का वर्णन किया गया है। इन करमुक्त आयों में से कुछ आय सभी करदाताओं के लिए करमुक्त होती हैं तो कुछ को विशिष्ट संस्थाओं व कोषों के लिए करमुक्त किया गया है। अनिवासी व गैर नागरिक करदाताओं के लिए भी कुछ आयों को करमुक्त श्रेणी में रखा गया है।

करमुक्त आयों में से कुछ आय पूर्णतः करमुक्त होती हैं तो कुछ आंशिक रूप से करमुक्त। इनकी करमुक्ति के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन भी आवश्यक होता है। भारत में कृषि आय पूर्णतः करमुक्त है किन्तु यदि करदाता की अकृषि आय न्यूनतम करमुक्त सीमा से अधिक है तथा उसकी कृषि आय रू0 5,000 से अधिक है तो कर की गणना में कृषि आय को जोड़ा जाता है तथा उसके बाद छूट दी जाती है। हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग, घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश, विभिन्न राष्ट्रीय कोषों तथा कुछ विशिष्ट संस्थाओं की आय को कर से मुक्त रखा गया है। अवयस्क बच्चे की आय, कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मकान किराया भत्ता, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, विशेष कार्य भत्ता आदि को निर्धारित सीमा तक करमुक्त किया जाता है।

3.7 शब्दावली

कृषि आय: भारत में स्थित भूमि पर कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के द्वारा अर्जित आय कृषि आय होती है।

अंशतः कृषि आय: कृषि तथा अकृषि (प्रसंस्करण, प्रशोधन आदि) आय कार्यों से प्राप्त संयुक्त आय में कृषि आय के भाग को अंशतः कृषि आय कहते हैं।

करमुक्त आय: वे आय जिन्हें आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत करमुक्त रखा गया है, करमुक्त आय कहलाती हैं। इन्हें कर से छूट भी कहते हैं।

पारस्परिक कोष: छोटे निवेशकों को अधिक लाभ तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी अल्प बचतों को नियोजित रूप से निवेशित करने हेतु बनाया गया कोष।

साहसिक पूँजी कम्पनी: नये अथवा अधिक जोखिमपूर्ण व्यवसायों में धन लगाने वाले उद्यम।

भविष्य निधि: भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाये गये कोष जो कर्मचारी के स्वयं अथवा कर्मचारी तथा नियोक्ता के अंशदान से तैयार होता है, जैसे— वैधानिक भविष्य निधि, प्रमाणित भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि को गैर कर्मचारियों द्वारा भी संचालित किया जा सकता है।

3.8 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

1. अवयस्क बच्चों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को अधिकतम रू0 प्रति बच्चा आयकर से मुक्त होता है।
2. भारत में कृषि भूमि से आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा के अन्तर्गत करमुक्त होती है।

3. यूनिट योजना-64 के यूनिटों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ दिनांक
.. को या उसके बाद होने वाले हस्तान्तरण पर मान्य है।
4. शिक्षण संस्थानों की आय जो कि पूर्व में धारा 10(22) के अन्तर्गत करमुक्त थी, को कर निर्धारण वर्ष से समाप्त कर दिया गया है।
5. घरेलू कम्पनियों से प्राप्त लाभांश धारा के अन्तर्गत करमुक्त है।

(ब) सत्य/असत्य

1. किसी कर्मचारी को प्राप्त होने वाला मकान किराया भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है।
2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को किराया मुक्त सरकारी आवास का मूल्य करमुक्त होता है।
3. कृषि आय, चाहे किसी भी देश में हो, भारत में आयकर से मुक्त होती है।
4. चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान तभी करमुक्त होगा जबकि उसका उपयोग चाय के पौधों को पुनः रोपित करने या नवीनीकरण के लिए किया जाये।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होने वाली फेलोशिप पूर्णतः करमुक्त होती है।
6. इण्डियन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन को प्राप्त होने वाली आय करमुक्त होती है।
7. सांसदों व विधायकों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा भत्ते दोनों ही करमुक्त होते हैं।
8. कीमैन बीमा पॉलिसी के अतिरिक्त अन्य बीमा पॉलिसी से प्राप्त परिपक्वता मूल्य व बोनस की राशि करयोग्य होती है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्न कृषि आय करमुक्त होती है—

अ. गेहूं उगाने से आय	ब. फूलों की खेती से आय
स. कृषि भूमि से प्राप्त किराया	द. उपरोक्त सभी
2. चाय उत्पादन व विक्रय की कुल आय की प्रतिशत राशि को कृषि आय माना जाता है।

अ. 10	ब. 40
स. 50	द. 60
3. निम्न पर ब्याज धारा 10(15.i) के अन्तर्गत करमुक्त है—

अ. डाकघर बचत खाता	ब. विशेष जमा योजना 1981
स. उपरोक्त अ व ब दोनों	द. उपरोक्त अ व ब दोनों नहीं
4. निम्न में से कौन सी आय करमुक्त होती है—

अ. कनाडा में कृषि से आय	ब. विधायक का वेतन
स. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को प्राप्त भत्ते	
द. उपरोक्त सभी	
5. एसबीआई म्युच्युअल फण्ड की आय धारा के अन्तर्गत करमुक्त होती है।

12. कारण सहित बताइए कि निम्न में से कौन-कौन सी आय करमुक्त हैं—
1. उत्तराखण्ड में कृषि भूमि से आय।
 2. मुर्गी पालन व्यापार की आय।
 3. चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान।
 4. अवयस्क बच्चे की आय।

(दीर्घ उत्तरीय)

1. करमुक्त आय से क्या आशय है? ऐसी दस आयों का उल्लेख कीजिए जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत करमुक्त किया गया है।
2. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णतः करमुक्त तथा अंशतः करमुक्त आयों को समझाइए। पूर्णतः करमुक्त तथा अंशतः करमुक्त आयों के पाँच-पाँच उदाहरण दीजिए।
3. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट संस्थाओं व कोषों की आयों को करमुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
4. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत गैर-नागरिक तथा/अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए करमुक्त आयों का वर्णन कीजिए।
5. टिप्पणी लिखिए—
 1. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नए उद्योगों की आय को करमुक्त श्रेणी में रखे जाने सम्बन्धी प्रावधान (अनुच्छेद 10एए)
 2. विशिष्ट विनियोगों पर ब्याज से करमुक्त आय (अनुच्छेद 10.15)
 3. कर्मचारियों के लिए करमुक्त आय
 4. राष्ट्रीय कोषों की करमुक्त आय (अनुच्छेद 10.23सी)

3.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर डॉ० एच०सी०मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
 2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ० आर०के०जैन, एस०बी०पी०डी० पब्लिशर्स, आगरा।
 3. Income Tax VK Singhanian, Taxmann, New Delhi.
-
-

इकाई 4 वेतन से आय

इकाई की रूपरेखा

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 वेतन से आशय
- 4.3 वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की गणना
- 4.4 सकल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया
- 4.5 सकल वेतन की कटौतियाँ
- 4.6 करयोग्य वेतन की गणना
- 4.7 सेवा निवृत्ति व निष्कासन के उपरान्त प्राप्तियाँ
- 4.8 सारांश
- 4.9 शब्दावली
- 4.10 बोध प्रश्न
- 4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 4.12 स्वपरख प्रश्न
- 4.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- वेतन से आशय व वेतन में सम्मिलित विभिन्न मदों का वर्गीकरण कर सकें।
- करयोग्य एवं करमुक्त करों से सम्बन्धित नियम की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकें।
- वेतन के स्थान पर लाभों की गणना व वेतन सम्बन्धी अनुमन्य कटौतियाँ जान सकें।
- सेवा निवृत्ति, पदच्युति आदि के उपरान्त आय सम्बन्धी नियम की व्याख्या कर सकें।
- सकल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया व वेतन से करयोग्य आय की गणना की प्रक्रिया जान सकें।

4.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी रूप में प्राप्त आय को कर के दायरे में रखा जाता है। ये आय नैतिक हो अथवा अनैतिक करयोग्य होती है। अमौद्रिक रूप से प्राप्त आय पर भी आयकर की गणना की जाती है। अधिनियम में आय की पाँच मदों की व्याख्या की गई है— 1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यापार अथवा पेशे से आय, 4. पूँजी लाभ तथा 5. अन्य श्रोतों से प्राप्तियाँ।

वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप उसके नियोक्ता से प्राप्त समस्त भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। ये भुगतान दैनिक, पाक्षिक, मासिक अथवा किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। इसमें मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार की प्राप्तियों को सम्मिलित किया

जाता है। सेवा स्थाई हो अथवा अस्थाई, नियमित हो अथवा अनियमित सभी की प्राप्तियों को आयकर की गणना के लिए आय माना जाता है। यहाँ तक कि सेवा निवृत्ति अथवा पदच्युति के बाद प्राप्त होने वाले भुगतानों (यथा— पेंशन, अवकाश नकदीकरण, ग्रेज्युइटी, क्षतिपूर्ति, भविष्यनिधि भुगतान आदि) को भी करगणना में वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। कर के अन्तर्गत मूल वेतन, कमीशन, बोनस, भत्ते, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ आदि को सम्मिलित किया जाता है।

4.2 वेतन से आशय

अर्थशास्त्र में मजदूरी को श्रम का पुरस्कार माना जाता है। आयकर की दृष्टि से किसी भी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके श्रम के पुरस्कार स्वरूप किया गया कोई भी भुगतान वेतन माना जाता है। आयकर अधिनियम में वेतन और मजदूरी में भेद नहीं किया गया है तथा किसी भी स्थाई अथवा अस्थाई सेवा के लिए किये गये किसी भी मौद्रिक अथवा अमौद्रिक भुगतान को वेतन की श्रेणी में करयोग्य माना गया है।

वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर की गणना करने के पूर्व वेतन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनीय हैं—

वेतन के अन्तर्गत नियोक्ता से प्राप्त सभी भुगतान जो कि कार्मिक की सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है, सम्मिलित किया जाता है। आयकर की दृष्टि से इसमें मूल वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते, सुविधाओं के रूप में प्राप्त होने वाले अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ के रूप में किसी भी प्रकार की मौद्रिक या अमौद्रिक प्राप्ति को जोड़ा जाता है। आयकर के अन्तर्गत मजदूरी और वेतन में कोई भेद नहीं किया गया है।

1. वेतन से आय की गणना के लिए नियोक्ता और कर्मचारी का सम्बन्ध होना आवश्यक है। नियोक्ता किसी भी श्रेणी का हो सकता है जैसे— व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि। नियोक्ता देशी अथवा विदेशी हो सकता है। यदि कर्मचारी ने एक कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्य किया है तो सभी नियोक्ताओं से प्राप्त धनराशि का योग वेतन में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार कर्मचारी भी चाहे चौकीदार हो, लिपिक हो अथवा प्रबन्धक हो, आयकर की गणना के लिए वेतन शीर्षक का प्रयोग किया जाता है किन्तु यदि नियोक्ता व नियुक्त का सम्बन्ध नहीं है तो आय को वेतन से आय नहीं माना जायेगा। साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, सांसदों व विधायकों को वेतन, विश्वविद्यालय कार्यो हेतु शिक्षकों को मानदेय, लाभांश आदि को इसी आधार पर वेतन से आय नहीं माना जाता है।
2. वेतन के उपार्जित अथवा प्राप्य होते ही यह आय का भाग बन जाती है तथा इस पर आयकर देय होगा, चाहे इसका भुगतान बाद में प्राप्त हो। जिन संस्थानों में वेतन अगले माह की प्रथम तिथि को देय होता है वहाँ कर निर्धारण वर्ष में फरवरी तक का वेतन ही सम्मिलित किया जाता है। वेतन का बकाया उस वर्ष की आय में जोड़ा जाता है जिसमें यह प्राप्त होता है। यद्यपि

इसको पूर्व वर्षों में फैलाये जाने का प्रावधान भी है। यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वेतन का अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है तो वेतन प्राप्त होने पर ही यह करयोग्य हो जाता है तथा जिस वर्ष यह देय है उसमें इसे आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसप्रकार आयकर की गणना के लिए वेतन प्राप्य अथवा प्राप्त तिथि, जो भी पहले हो, को करयोग्य हो जाता है। यदि कर्मचारी का वेतन न्यायालय द्वारा रोका जाता है तो भी उसे कर निर्धारण वर्ष की आय माना जाता है क्योंकि वेतन देय हो चुका है भले ही वह प्राप्त नहीं हुआ है।

3. वेतन कभी कर मुक्त नहीं होता है। यदि कर मुक्त वेतन प्रदान किया जा रहा है तो इसका आशय यह है कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है। इस स्थिति में प्राप्त शुद्ध वेतन में नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली आयकर की राशि को जोड़कर आने वाली राशि को आय माना जाता है। यदि कर्मचारी वेतन अर्जित होने के बाद वेतन का त्याग कर देता है तो भी वह करयोग्य माना जाता है, भले ही यह त्याग नियोक्ता के पक्ष में ही क्यों न किया जाय किन्तु यदि कर्मचारी द्वारा जनहित में वेतन के स्वैच्छिक समर्पण (कर से छूट) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत समर्पण किया जाता है तो इसे कर्मचारी की करयोग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
4. कर्मचारी के अवकाश ग्रहण पर प्राप्त एकमुश्त पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि को करयोग्य माना जाता है। सेवा से मुक्त होने के बाद भी यदि कोई भुगतान नियोक्ता से प्राप्त होता है तो वह वेतन शीर्षक में करयोग्य होता है। पेंशन से आय भी वेतन शीर्षक में रखी जाती है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा अथवा उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली परिवारिक पेंशन वेतन शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य नहीं होती है वरन इसे अन्य साधनों की आय शीर्षक में रखा जाता है।
5. मंहगाई भत्ता तथा मंहगाई वेतन एक समान शब्द नहीं होते हैं। मंहगाई वेतन सदैव मूल वेतन का अंग होता है। मंहगाई वेतन मूल वेतन का अंग तभी होता है जबकि यह सेवा शर्तों के अन्तर्गत देय है। यदि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण लाभों तथा भविष्य निधि सम्बन्धी भुगतानों के लिए मंहगाई भत्ते को वेतन में जोड़ा जाता है तो उसे सेवा शर्तों के अन्तर्गत माना जाता है।

4.3 वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की गणना

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए वेतन के चार प्रभागों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है—

- अ. वेतन
- आ. भत्ते
- इ. अनुलाभ
- ई. वेतन के स्थान पर लाभ।

उपरोक्त चारों प्रभागों का योग ही सकल वेतन होता है।

अ. वेतन—

सामान्यतः वेतन प्रभाग में मूल वेतन अथवा मजदूरी को ही जाना जाता है किन्तु वेतन के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है—

1. मूल वेतन अथवा मजदूरी—

वेतन मद में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि का आधार मूल वेतन ही होता है। इसमें किसी प्रकार भत्ते आदि जुड़े नहीं होते हैं। इसके आधार पर ही भत्ते आदि की गणना की जाती है। वेतनमान के अन्तर्गत प्राप्त होने की दशा में प्रारम्भिक वेतन में वार्षिक वृद्धि जोड़कर मूल वेतन की गणना की जाती है।

2. बोनस—

कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा बोनस प्रदान किया जाता है तो इसे वेतन का अंग माना जाता है। बोनस उसी वर्ष में वेतन में सम्मिलित होगा जबकि इसे प्राप्त किया जाता है।

3. कमीशन, फीस, अन्तरिम राहत—

कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला कमीशन, चाहे निश्चित राशि हो अथवा वेतन का प्रतिशत, वेतन में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्तरिम राहत अथवा फीस आदि प्राप्त होने पर उसे भी वेतन का ही अंग माना जाता है।

4. अधिसमय भुगतान (ओवर टाइम)—

कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय से अधिक कार्य किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त भुगतान को अधिसमय अथवा समयोपरि भुगतान कहा जाता है। यह रकम वेतन के साथ करयोग्य होती है।

5. अग्रिम वेतन—

यदि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से आगामी महीनों का वेतन अग्रिम स्वरूप प्राप्त किया है तो उक्त माह अगले कर निर्धारण वर्ष में होने पर भी आय उसी कर निर्धारण वर्ष की मानी जायेगी जिसमें उसे प्राप्त किया गया है।

6. बकाया वेतन—

यदि कर्मचारी को गतवर्ष का अवशिष्ट वेतन वर्तमान वर्ष में प्राप्त होता है तथा उस रकम पर तत्समय कर नहीं चुकाया गया है तो उसे वर्तमान कर निर्धारण वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाता है।

7. प्रमाणित भविष्य निधि खाते में वार्षिक वृद्धि—

यदि नियोक्ता प्रमाणित भविष्य निधि का सदस्य है तथा नियोक्ता द्वारा उसमें वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान किया जाता है तो आधिक्य की राशि को वेतन में जोड़ा जायेगा। इसीप्रकार, यदि उक्त भविष्य निधि में ब्याज 9.5 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होता है तो अतिरिक्त ब्याज की राशि भी वेतन का भाग बनेगी।

8. वार्षिकी (एन्युटी)—

यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वार्षिकी के रूप में धनराशि प्राप्त हो रही है तो वह वेतन में शामिल होगी किन्तु यदि यह वार्षिकी कर्मचारी को अपने पूर्व नियोक्ता से

प्राप्त हुई है तो इसे वेतन शीर्षक के अन्तर्गत ही 'वेतन के स्थान पर लाभ' उपशीर्षक में रखा जाता है।

9. अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी)–

कर्मचारी को उसके सेवाकाल में की गई सेवा के प्रतिफलस्वरूप अनुग्रह राशि का भुगतान उसके अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु की दशा में भुगतान की जाती है। यह राशि जब कर्मचारी स्वयं प्राप्त करता है तो वेतन शीर्षक में सम्मिलित की जाती है (यद्यपि इन्हें पूर्णतः अथवा अंशतः करमुक्त रखा गया है) किन्तु यदि मृत्यु की दशा में इसे कर्मचारी के उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह अन्य साधनों से आय मानी जाती है। इस पर भी कर से छूट विद्यमान है जिसका अध्ययन इसी अध्याय में आगे किया जायेगा।

10. अवकाश नकदीकरण–

कर्मचारी को उन्हें देय अवकाश का उपभोग न करने की दशा में नियोक्ता से धन प्राप्त होने को अवकाश नकदीकरण कहा जाता है। इस धनराशि को वेतन में सम्मिलित किया जाता है। आयकर निर्धारण के लिए इसमें छूट भी प्रदान की जाती है।

11. भविष्य निधि के हस्तांतरित शेष का कर योग्य अंश–

जब कर्मचारी अपने अप्रमाणित भविष्य निधि के शेष को प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तांतरित करा लेता है तो अप्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष हस्तांतरित शेष कहलाता है। हस्तांतरित शेष का करयोग्य भाग वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

12. अनुसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अंशदान–

केन्द्र सरकार द्वारा धारा 80 सीसीडी के अन्तर्गत गतवर्ष में अनुसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के खाते में दिया गया अंशदान वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

13. पेंशन –

कर्मचारी के अवकाश ग्रहण की दशा में उसे प्रतिमाह प्राप्त होने वाली राशि अनुवृत्ति (पेंशन) कहलाती है। यह राशि वेतन में सम्मिलित होती है। कर्मचारी की मृत्यु की दशा में परिवार को प्राप्त होने वाली पेंशन अन्य साधनों की आय शीर्षक में करयोग्य होगी।

14. छंटनी की दशा में कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि–

व्यापार बन्द होने अथवा अन्य दशा में कर्मचारी को छंटनी कर दिये जाने के कारण उसे प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की करयोग्य राशि वेतन मद में प्रदर्शित की जाती है।

15. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर प्राप्त राशि–

कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर उसे प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि को कतिपय शर्त पूरी होने पर कर से छूट प्राप्त है। इसकी करयोग्य राशि को वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

आ. भत्ते—

भत्ते से आशय उस रकम से है जो एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को वेतन के साथ अतिरिक्त रूप से प्रदान करता है। यह भत्ता प्रायः किसी विशेष व्यय के एवज में प्रदान किया जाता है, चाहे वह व्यय व्यक्तिगत हो अथवा किसी सरकारी कार्य को करने के सम्बन्ध में। कुल वेतन की गणना में इसे भी जोड़ा जाता है। कर निर्धारण की दृष्टि से भत्ते तीन प्रकार के हो सकते हैं—

1. पूर्णतः करमुक्त भत्ते—

इस श्रेणी में वे भत्ते आते हैं जिनकी सम्पूर्ण राशि आयकर नियमों के अन्तर्गत करमुक्त होती है। इसमें से प्रमुख हैं—

अ. **विदेश भत्ता**— यह भत्ता उन कार्मिकों को दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं तथा सरकार की सेवा में भारत के बाहर कार्यरत हैं।

आ. **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ता**— उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला विशेष भत्ता करमुक्त होता है।

इ. **संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते**— जो कार्मिक संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से भत्ते प्राप्त होते हैं। ये भत्ते आयकर अधिनियम में करमुक्त होते हैं।

ई. **यात्रा भत्ता**— यह भत्ता नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वरूप प्रदान करते हैं। इसमें स्थानान्तरण यात्रा से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित हैं।

उ. **दैनिक भत्ता**— यह भत्ता नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्य के सम्बन्ध में बाहर जाने पर दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाता है।

ऊ. **स्थानीय यात्रा एवं कार भत्ते**— यह भत्ता कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने जाने अथवा बैठक आदि में भाग लेने आदि के लिए प्रदान किया जाता है।

ए. **नौकर भत्ता**— कार्मिक द्वारा यदि नौकर नियुक्त किया जाता है और नियोक्ता द्वारा इस हेतु भत्ता प्रदान किया जाता है तो प्राप्त भत्ते अथवा वास्तविक भुगतान में से जो भी कम हो, करमुक्त होती है।

ऐ. **अकादमिक भत्ता**— अकादमिक गतिविधियों, शोध आदि के लिए प्रदान किया जाने वाला यह भत्ता वास्तविक व्यय की सीमा तक करमुक्त होता है।

ओ. **वर्दी भत्ता**— नियोक्ता द्वारा अपने कार्मिकों को सेवाकाल में प्रयोग की जाने वाली वर्दी बनाने के व्यय की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाने वाला भत्ता करमुक्त होता है।

2. अंशतः करमुक्त भत्ते—

कुछ भत्तों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय नियम निर्धारित किये गये हैं तथा उन्हीं के आधार पर एक निश्चित सीमा तक उन भत्तों को करमुक्त किया गया है। प्रमुख अंशतः करमुक्त भत्ते निम्नलिखित हैं—

1. **मकान किराया भत्ता**— कर्मचारियों के द्वारा अपने रहने के लिए किराये पर मकान लेने पर होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु यह भत्ता दिया जाता है जो कि निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि के लिए करमुक्त होता है—
 - क. नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ते की रकम
 - ख. वेतन के 10 प्रतिशत पर प्रदत्त किराये की रकम का आधिक्य
 - ग. वेतन का 50 प्रतिशत भाग (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता अथवा चेन्नई में मकान होने की स्थिति में वेतन का 40 प्रतिशत भाग)। यहाँ वेतन में मूल वेतन, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन हो) तथा कमीशन (बिक्री पर निर्धारित प्रतिशत दर) को सम्मिलित किया जाता है।
कर्मचारी को प्राप्त भत्ते में से करमुक्त भाग घटाने के बाद शेष राशि करयोग्य आय मानी जाती है। यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में रह रहा है तथा उसे मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा है तो यह करयोग्य होगा।
2. **मनोरंजन भत्ता**—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ता दिया जा सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य होता है किन्तु सरकारी कर्मचारियों को निम्न में से जो भी कम हो, को करमुक्त किया जाता है—
 1. वास्तविक प्राप्त मनोरंजन भत्ता
 2. कर्मचारी के मूल वेतन का 20 प्रतिशत
 3. अधिकतम राशि रू0 5,000
3. **परिवहन भत्ता**— निवास और कार्यालय के मध्य आने-जाने के लिए कर्मचारी को उसके नियोक्ता से परिवहन भत्ता प्राप्त होता है। यह भत्ता रू0 1600 तक करमुक्त होता है किन्तु दृष्टिबाधित तथा विकलांगों के लिए यह छूट रू0 3200 तक अनुमन्य है।
4. **भूमिगत भत्ता**— खानों के अन्दर कार्य करने वाले कार्मिकों को भूमिगत भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता अधिकतम रू0 800 तक करमुक्त होता है।
5. **शिक्षा भत्ता**— कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जाने वाला यह भत्ता रू0 100 प्रतिमाह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों तक) करमुक्त होता है।
6. **छात्रावास (हॉस्टल) भत्ता**— बच्चों को छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राप्त होने वाला यह भत्ता रू0 300 प्रतिमाह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों तक) करमुक्त होता है।
7. **यातायात कम्पनी के कार्मिकों को विशिष्ट भत्ता**— यातायात संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को यात्राओं के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाला विशिष्ट भत्ता (दैनिक भत्ता प्राप्त न होने की शर्त पर) प्राप्त भत्ते का 70 प्रतिशत अथवा रू0 10,000 प्रतिमाह (दोनों में जो भी कम हो) तक करमुक्त होता है।
8. **जनजातीय क्षेत्र भत्ता**— उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, ओडीसा, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तामिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिमी बंगाल राज्यों में कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला जनजातीय भत्ता रू0 200 प्रतिमाह की दर से करमुक्त होता है तथा शेष राशि करयोग्य होती है।

9. **संयुक्त पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता** – पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उन क्षेत्रों में होने वाले अतिरिक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता मिलता है। यह भत्ता विभिन्न ऊँचाइयों तथा परिस्थितियों के आधार पर करमुक्त होता है। समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले सामान्य क्षेत्रों में करमुक्ति की राशि रू0 300 प्रतिमाह है। 9000 फुट से अधिक ऊँचाई के क्षेत्रों में यह रू0 800 प्रतिमाह तथा जम्मू कश्मीर के सियाचीन क्षेत्र में रू0 7000 प्रतिमाह तक हो सकती है।

10. **सीमान्त भत्ता**— अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता अलग-अलग परिस्थातियों में रू0 200 से रू0 1300 तक करमुक्त हो सकता है।

11. **क्षतिपूरक युद्ध क्षेत्र भत्ता**— अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के विशिष्ट क्षेत्रों में मिलने वाले क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता को रू0 2600 प्रतिमाह तक करमुक्त रखा गया है।

12. **क्षतिपूरक संशोधित युद्ध क्षेत्र भत्ता**— पंजाब, राजस्थान, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिपूरक संशोधित क्षेत्र भत्ता के रूप में रू0 1000 प्रतिमाह की करमुक्ति का प्रावधान किया गया है।

13. **उग्रवाद प्रतिरोध भत्ता** – उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रभावित व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल से दूर 30 दिन से अधिक कार्य करने की स्थिति में रू0 3900 प्रतिमाह की करमुक्ति प्रदान की जाती है।

3. **पूर्णतः करयोग्य भत्ते**— आयकर अधिनियम में उल्लिखित करमुक्त तथा आंशिक करमुक्त भत्तों के अतिरिक्त अन्य सभी भत्ते पूर्णतः करयोग्य होते हैं। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित भत्तों को सम्मिलित किया जाता है—

1) **मंहगाई भत्ता**— निरन्तर बढ़ती हुई मंहगाई का सामना करने के लिए कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य होता है।

2) **नगर प्रतिपूरक भत्ता**— बड़े नगरों में रहने के व्यय अधिक होते हैं अतः वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को कुछ भत्ता प्रदान किया जात है। यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य होता है।

3) **चिकित्सा भत्ता**— कर्मचारी को यदि चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाता है तो वह पूर्णतः करयोग्य होता है। चिकित्सा भत्ते की राशि कर्मचारी द्वारा पूर्णतः व्यय कर दी जाये अथवा पूर्णतः बचा ली जाये किन्तु आयकर की दृष्टि से यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य मानी जायेगी। चिकित्सा हेतु प्रदत्त सुविधाएं चिकित्सा भत्ता नहीं होतीं।

4) **नौकर भत्ता**— कर्मचारी को नौकर की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से निश्चित दर से प्रदान किया जाने वाला भत्ता नौकर भत्ता कहलाता है। यह करयोग्य होता है किन्तु यदि नियोक्ता नौकर को कर्मचारी के नियुक्त करता है तथा उसे भुगतान करता है तो यह भत्ता नहीं है।

- 5) **वार्डन भत्ता**— छात्रावास में प्रबन्धन करने के लिए छात्रावास अधीक्षक को वार्डन भत्ता प्रदान किया जाता है।
- 6) **अभ्यास निषेध भत्ता**— सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होती है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों को नौकरी छोड़कर जाने से रोकने के लिए तथा सरकारी सेवाओं में आकर्षित करने के लिए उन्हें अभ्यास निषेध भत्ते के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। यह पूर्णतः करयोग्य होती है।
- 7) **प्रतिनियुक्ति भत्ता**— जब नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसके कार्य से अलग किसी अन्य कार्य पर उसी संस्था के किसी अन्य विभाग में अथवा अन्य संस्था में कुछ समय के लिए स्थानांतरित करती है तो उन्हें अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा उन्हें कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त भत्ता प्रदान करती है। आयकर में यह पूर्णतः करयोग्य होता है।
- 8) **अन्य भत्ते**— उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी को प्राप्त होने वाला टिफिन भत्ता, प्राक्टर भत्ता, कुत्ता भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, रात्रि भत्ता, परिवार भत्ता, परियोजना भत्ता आदि भी पूर्णतः करयोग्य होते हैं।

इ. अनुलाभ—

नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन व भत्तों के अतिरिक्त कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। ये सुविधाएं अथवा उनके लिये की गई कोई रकम बिना कोई मूल्य प्राप्त किये अथवा रियायती मूल्य प्राप्त करके प्रदान कर दी जाती हैं। आयकर की गणना में इन सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा उक्त मूल्य को कर्मचारी की वेतन की आय शीर्षक में अनुलाभ के रूप में जोड़ दिया जाता है। कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया मूल्य सुविधा के कुल मूल्यांकन से कम कर दिया जाता है। इन सुविधाओं को अनुलाभ माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि यह सेवा काल में नियमपूर्वक तथा निरन्तर प्रदान किया जा रहा है तथा इससे कर्मचारी का व्यक्तिगत लाभ हो रहा हो।

अनुलाभ निम्नप्रकार के होते हैं—

- क. सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ
- ख. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ
- ग. सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ
- घ. अनुषंगी लाभ

क. सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ— निम्नलिखित अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ हैं—

1. **किराया मुक्त मकान**— नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किराया मुक्त का मकान दिये जाने की स्थिति में उक्त सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है—

अ. सरकारी कर्मचारी — केन्द्र अथवा राज्य सरकार कर्मचारी के लिए बिना सजावट के मकान की सुविधा का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क दरों के अनुरूप होता है। यदि सजावटयुक्त मकान उपलब्ध कराया गया है तो उक्त राशि में फर्नीशिंग

लागत का 10 प्रतिशत अथवा फर्नीचर आदि के लिए प्रदत्त वास्तविक किराये की रकम को जोड़ दिया जाता है।

ब. अन्य कर्मचारी— केन्द्र अथवा राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मचारियों के लिए बिना सजावट के मकान का मूल्यांकन निम्नप्रकार से किया जाता है—

भवन का स्वामित्व जनसंख्या (2001 जनगणना)	यदि मकान नियोक्ता के स्वामित्व में है।	यदि मकान को नियोक्ता द्वारा किराये पर लेकर कर्मचारी को दिया गया है।
10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 7.5 प्रतिशत	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत अथवा वास्तव में चुकाया गया किराया (जो भी कम हो)
10 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत अथवा वास्तव में चुकाया गया किराया (जो भी कम हो)
25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत अथवा वास्तव में चुकाया गया किराया (जो भी कम हो)

मकान के मूल्य की गणना में कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन, बोनस, कमीशन, सेवा शर्तों के अधीन प्रदत्त मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई वेतन तथा समस्त करयोग्य भत्ते व भुगतान सम्मिलित किये जाते हैं किन्तु करमुक्त भत्ते, वेतन का बकाया, आन्तरिक राहत, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि खाते का ब्याज, गैस बिजली बिलों के नियोक्ता द्वारा भुगतान आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

सजावटयुक्त मकान होने की दशा में सजावट लागत का 10 प्रतिशत अथवा उक्त हेतु प्रदत्त किराये की रकम को जोड़ दिया जाता है।

2. रियायती किराये पर मकान— यदि नियोक्ता द्वारा रियायती दर पर अपने कर्मचारी को निवास हेतु भवन उपलब्ध कराया गया है तो इस सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम उसी प्रकार मूल्यांकन किया जाता है जैसे कि मकान बिना

किराये के दिया गया है। उक्त प्राप्त मूल्य में से कर्मचारी द्वारा प्रदत्त किराये की रकम को घटा दिया जाता है। इसप्रकार प्राप्त शेष मूल्य ही रियायती किराये के मकान का मूल्यांकन होता है।

3. नियोक्ता द्वारा किये गये भुगतान— यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न भुगतानों का दायित्व स्वयं पर ले लिया गया हो अथवा कर्मचारी के द्वारा भुगतान किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा कर दी गई हो तो इस सुविधा का मूल्य कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाता है। इन बिलों में कर्मचारी के क्लब व होटल के बिल, गैस—बिजली—पानी आदि के बिल, जीवन बीमा की किश्त का भुगतान, चिकित्सा व्ययों (रु० 15,000 से अधिक) का भुगतान, कर्मचारी के बच्चों की स्कूल फीस, कर्मचारी द्वारा देय आयकर का भुगतान सम्मिलित हो सकता है किन्तु यदि नियोक्ता कर्मचारी के टेलीफोन बिल (मोबाइल सहित) का भुगतान करता है तो यह करमुक्त अनुलाभ होता है।

ख. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ— कुछ अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही करयोग्य होते हैं। विशिष्ट कर्मचारी से आशय किसी ऐसे कर्मचारी है जो निम्न में से कम से कम एक शर्त अवश्य पूर्ण करता हो—

1. यदि कर्मचारी नियोक्ता कम्पनी का पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक निदेशक हो,
2. यदि कर्मचारी ने नियोक्ता कम्पनी के 20 प्रतिशत या अधिक अंशों का स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो, अथवा उसका कम्पनी में सारवान हित हो,
3. यदि उसे रु० 50,000 से अधिक की कुल प्राप्ति नियोक्ता से हो रही हो। यहाँ कुल प्राप्ति में मूल वेतन, बोनस, कमीशन, करयोग्य भत्तों को सम्मिलित किया जाता है। आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 16 की कटौतियों को इसमें घटा दिया जाता है।

विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य भत्ते निम्नलिखित हैं—

1. मोटर कार की सुविधा— यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसका मूल्यांकन करके कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ा जाता है। कार की सुविधा का मूल्यांकन करने में निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना होता है—

- अ. कार की क्षमता 1.6 लीटर तक है अथवा इससे अधिक है।
- ब. कार कर्मचारी की है, नियोक्ता की है अथवा नियोक्ता द्वारा किराये पर ली गई है।
- स. कार का प्रयोग कर्मचारी द्वारा पूर्णतः सेवा सम्बन्धी कार्य हेतु किया जा रहा है, पूर्णतः निजी कार्य हेतु किया जा रहा है अथवा आंशिक रूप से निजी एवं कार्यालयी कार्यों के लिए किया जा रहा है।
- द. कार सम्बन्धी व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है अथवा कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है।

मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन निम्नप्रकार से किया जाता है—

यदि कर्मचारी को एक कार प्रदान की गई है जिसका स्वामित्व नियोक्ता के पास है अथवा कार को किराये पर लिया गया है और कार को पूर्णतः सेवा सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जाता है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। यदि उपयोग पूर्णतः व्यक्तिगत होता है तो कार संचालन का वास्तविक व्यय, चालक का वेतन तथा किराया (यदि कार किराये पर है) अथवा कार की लागत का 10 प्रतिशत अनुलाभ का मूल्य होगा। यदि कार को निजी एवं सेवा दोनों कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो—

(अ) यदि संचालन की लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाती है तो छोटी कार के लिए रू0 1800 प्रतिमाह तथा बड़ी कार के लिए रू0 2400 प्रतिमाह सुविधा का मूल्य होगा। यदि चालक भी प्रदान किया जाता है तो रू0 900 प्रतिमाह चालक व्यय जोड़ा जायेगा।

(ब) यदि संचालन लागत कर्मचारी द्वारा वहन की जाती है तो छोटी कार के लिए रू0 600 प्रतिमाह तथा बड़ी कार के लिए रू0 900 प्रतिमाह सुविधा का मूल्य होगा। यदि चालक भी प्रदान किया जाता है तो रू0 900 प्रतिमाह चालक व्यय जोड़ा जायेगा।

यदि कार कर्मचारी की है तथा व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो— कार पूर्णतः सेवार्थ उपयोग होने पर सुविधा का मूल्य शून्य होगा, पूर्णतः निजी उपयोग होने पर वह राशि जो कि नियोक्ता से प्राप्त होती है सुविधा का मूल्य होगा तथा यदि दोनों कार्यों में प्रयुक्त होती है तो छोटी कार की दशा में प्राप्त राशि से रू0 1800 तथा चालक व्यय रू0 900 प्रतिमाह कम करके सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाता है जबकि बड़ी कार की दशा में प्राप्त राशि से रू0 2400 तथा चालक व्यय रू0 900 प्रतिमाह कम करके सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

यदि एक से अधिक कार उपलब्ध कराई गई हैं तो एक कार का मूल्यांकन मिश्रित प्रयोग में उपरोक्त विधि से किया जाता है तथा अन्य कारों को पूर्णतः निजी प्रयोग में माना जाता है।

2. **घरेलू नौकर की सुविधा—** नियोक्ता द्वारा नौकर, माली, स्वच्छक, चौकीदार, रसोइया आदि के रूप में सुविधा अपने कर्मचारी को सुविधा प्रदान कर सकता है। यदि उक्त नौकर की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है तथा उनके वेतन का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा ही किया जाता है तो विशिष्ट कर्मचारी की दशा में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि को वेतन में अनुलाभ के रूप में जोड़ा जायेगा। यदि नौकरों की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है किन्तु उसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है अथवा कर्मचारी द्वारा भुगतान करने के बाद नियोक्ता उसकी प्रतिपूर्ति कर देता है तो भी प्रदत्त राशि कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जायेगी किन्तु यदि मकान नियोक्ता है और नियोक्ता उसके रखरखाव के लिए कुछ व्यय करता है तो माली व सफाई कर्मी के ऐसे व्यय करयोग्य वेतन में सम्मिलित नहीं होंगे।

3. **बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा—** विशिष्ट कर्मचारी के बच्चों को नियोक्ता द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम निम्नवत है— 1. यदि शिक्षा की लागत रू0 1000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा। 2. यदि शिक्षा की लागत रू0 1000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक है तो

अतिरिक्त राशि सुविधा का मूल्य होगी। यदि कर्मचारी से इसके लिए कुछ राशि वसूली गई है तो इस राशि को मूल्यांकन से घटा दिया जाता है। यह सुविधा केवल कर्मचारी के बच्चों के लिए है किसी अन्य को यह सुविधा प्रदान किये जाने पर शिक्षा पर किया गया सम्पूर्ण व्यय करयोग्य होगा।

4. **गैस, बिजली, पानी की सुविधा**— यदि गैस, बिजली, पानी आदि की सुविधा विशिष्ट कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाती है तो— 1. यदि नियोक्ता स्वयं उक्त का उत्पादक है तो कर्मचारी प्रदत्त सुविधा की लागत को सेवा का मूल्य माना जायेगा, 2. यदि नियोक्ता उक्त के लिए भुगतान करता है तो भुगतान की गई राशि सेवा का मूल्य मानते हुए वेतन में अनुलाभ के रूप में जोड़ दी जाती है।

5. **अन्य सुविधाएं**— अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में भी मूल्यांकन के नियम आयकर कानूनों में सुनिश्चित किये गये हैं। जैसे यदि होटल में खाने की सुविधा प्रदान की गई है तो नियोक्ता का होटल होने पर वास्तविक लागत तथा नियोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने पर वास्तविक भुगतान सुविधा का मूल्य होगा। यदि कर्मचारी द्वारा इसके लिए कुछ भुगतान किया गया है तो उक्त राशि को घटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्लब व्यय, निःशुल्क भोजन, उपहार, चल सम्पत्ति के प्रयोग आदि के लिए भी सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए पृथक नियम निर्धारित किये गये हैं।

ई. वेतन के स्थान पर लाभ— वे भुगतान जो कि नियोक्ता द्वारा अपने वर्तमान अथवा पूर्व कर्मचारी को वेतन के स्थान पर प्रदान किये जाते हैं, इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अन्तर्गत सामान्यतः निम्नलिखित राशि को सम्मिलित किया जाता है—

1. सेवा शर्तों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त क्षतिपूर्ति
2. निष्कासन पर सूचना अवधि के लिए वेतन
3. अप्रमाणित भविष्य निधि खाते से प्राप्त रकम
4. नियोक्ता से प्राप्त कोई एकमुश्त राशि
5. की-मैन पालिसी के भुगतान स्वरूप प्राप्त रकम, आदि।

किन्तु पेंशन की एकमुश्त राशि, अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी), क्षतिपूर्ति, वैधानिक भविष्य निधि से भुगतान, प्रमाणित भविष्य निधि से भुगतान आदि की राशि इसमें सम्मिलित नहीं होती है।

4.4 सकल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

सकल वेतन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है—

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से गतवर्ष में प्राप्त की गई मूल वेतन, मंहगाई वेतन, बोनस, कमीशन, वार्षिकी फीस आदि की राशि को जोड़कर वेतन की राशि ज्ञात की जाती है। वैधानिक भविष्य निधि खाते में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के खाते में वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान की राशि होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि तथा उक्त खाते में 9 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज प्रदान किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज की राशि ज्ञात की जाती है।

2. समस्त भत्तों की करयोग्य राशि ज्ञात की जाती है। पूर्णतः करमुक्त भत्तों को छोड़ दिया जाता है। पूर्णतः करयोग्य भत्ते जैसे—मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, मनोरंजन भत्ता, अभ्यास निषेध भत्ता, प्रतिनियुक्त भत्ता आदि को ज्ञात किया जाता है। अंशतः करयोग्य भत्तों की करयोग्य राशि ज्ञात की जाती है तथा उसे भी जोड़ दिया जाता है।
3. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त विभिन्न अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न अनुलाभों की करयोग्य राशि को ज्ञात किया जाता है। कुछ अनुलाभ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य होते हैं। यदि निर्धारिती विशिष्ट कर्मचारी की परिभाषा की परिधि में आता है तो उन अनुलाभों का भी मूल्यांकन किया जाता है।
4. वेतन के स्थान पर लाभ के रूप में प्राप्त अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि, सेवा शर्तों में परिवर्तन पर क्षतिपूर्ति की राशि, की-मैन बीमा पालिसी पर प्राप्त राशि आदि को ज्ञात किया जाता है।
5. इस प्रकार ज्ञात किये गये वेतन, भत्ते, अनुलाभ व वेतन के स्थान पर लाभ की राशि का योग सकल कुल आय कहलाता है।

4.5 सकल वेतन की कटौतियाँ

सकल वेतन की गणना के उपरान्त वेतन शीर्षक की कटौतियों की गणना की जाती है। वेतन शीर्षक की प्रमुख कटौतियाँ निम्नवत हैं—

1. **मानक कटौती**— मानक कटौती से आशय उस कटौती से है जो सभी प्रकार के निर्धारितियों के लिए अनुमन्य होती है तथा इसे सकल वेतन से घटाया जाता है। भारत में यह कटौती पूर्व में प्रदान की जाती थी किन्तु कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से इसे समाप्त कर दिया गया। पुनः वर्ष 2018 के बजट में इसे प्रारम्भ करने की घोषणा के साथ यह कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से चलन में आ गयी है। कर निर्धारण वर्ष से रू0 40,000 प्रतिवर्ष की राशि वेतनभोगी के सकल वेतन से कटौती के रूप में स्वीकृत होगी। यह कटौती सभी प्रकार के वेतनभोगियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अनुमन्य होगी।
2. **मनोरंजन भत्ता कटौती**—नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता प्रदान किया जा सकता है। यह भत्ता प्रायः ग्राहकों के स्वागत आदि में व्यय किया जाता है। इस भत्ते की राशि सर्वप्रथम वेतन शीर्षक में जोड़ी जाती है तत्पश्चात् इसमें अनुच्छेद 16(ii) के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को कटौती प्रदान की जाती है। अन्य कर्मचारियों के लिए यह कटौती कर निर्धारण वर्ष 2002-03 में समाप्त कर दी गई है। केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कटौती निर्धारण के नियम निम्न हैं—
 - क. गतवर्ष में मनोरंजन भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि
 - ख. कर्मचारी के मूल वेतन का 20 प्रतिशत भाग
 - ग. अधिकतम राशि रू0 5000

उपरोक्त तीनों में से न्यूनतम राशि कटौती के रूप में अनुमन्य होती है।

3. **नियोजन कर कटौती**— इसे पेशेवर कर भी कहा जाता है। सरकार इस प्रकार के कर को कर्मचारियों से वसूल कर सकती हैं। यदि किसी कर्मचारी द्वारा इस कर का वास्तव में भुगतान किया जाता है तो उस पर कटौती प्राप्त होगी। केवल देयता के आधार पर कटौती अनुमन्य नहीं होगी। नियोजन कर रू0 2,500 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होता है। यदि निर्धारिती ने रू0 2,500 से अधिक कर का भुगतान एक वर्ष में किया है तो यह माना जाता है कि इसमें गतवर्ष का अवशेष कर भी जुड़ा हुआ है।

नियोजन कर की राशि का भुगतान यदि नियोक्ता द्वारा किया गया है तो इस राशि को पहले वेतन की राशि में जोड़ा जाता है तथा इसके बाद कटौती अनुमन्य की जाती है।

4.6 करयोग्य वेतन की गणना

वेतन शीर्षक की करयोग्य आय की गणना करने के लिए सकल वेतन आय की राशि में से अनुच्छेद 16 की कटौतियों को घटा दिया जाता है। इसप्रकार करयोग्य वेतन की गणना के लिए पहले वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की राशि को अलग-अलग ज्ञात किया जाता है। उनके योग में से अनुमन्य कटौतियों को घटा दिया जाता है। इसप्रकार प्राप्त अवशेष राशि ही वेतन शीर्षक की करयोग्य राशि होगी।

अभ्यास हेतु प्रश्न—

श्री विनीत कुमार देहरादून स्थित एक दवाई निर्माता कम्पनी में कार्यरत हैं। उनकी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक वेतन रू0 3,60,000 (उद्गम स्थान पर रू0 54,000 आयकर कटौती के बाद) तथा मंहगाई भत्ता रू0 2,10,000 (सेवा शर्तों के अधीन) प्राप्त होता है। गत वर्ष में उन्हें चिकित्सा भत्ता रू0 36,000 प्राप्त हुआ जिसमें से रू0 20,000 उनके द्वारा व्यय किये गये हैं। उनके तीन बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा भत्ता के रूप में रू0 18,000 प्राप्त होते हैं। श्री कुमार को देहरादून (आबादी लगभग 6 लाख) में किराया मुक्त मकान प्राप्त है जिसके लिए कम्पनी रू0 8,000 प्रतिमाह भुगतान करती है। उन्हें एक घरेलू नौकर की सेवाएं भी प्राप्त हैं जिसे कम्पनी द्वारा नौकर को रू0 5,000 प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। उनके आवास पर लगे फोन का बिल रू0 2400 का भुगतान कम्पनी ने किया है। श्री कुमार ने गतवर्ष में वृत्ति कर के रूप में रू0 2000 चुकाए हैं तथा कम्पनी ने श्री कुमार के द्वारा पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर रू0 3000 व्यय किये हैं।

कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री विनीत कुमार की वेतन शीर्षक में करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

गणना—

श्री विनीत कुमार की कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए वेतन शीर्षक से करयोग्य आय

विवरण	रकम	योग
वेतन—	वेतन	3,60,000

जोड़ें:	श्रोत	54,000	4,14,000
पर कटौती			2,10,000
मंहगाई भत्ता			36,000
चिकित्सा भत्ता		18,000	
शिक्षा भत्ता	—	2,400	15,600
प्राप्त भत्ता		50670	50,670
	घटाएं:	60000	60,000
अनुमन्य			7,86,270
किराया मुक्त मकान			2,000
नौकर की सुविधा			784270
घटाएं: वृत्ति कर			

नोट: 1. शिक्षा भत्ता अधिकतम दो बच्चों के लिए रू0 100 प्रति माह प्रति बच्चा अनुमन्य है। 2. किराया मुक्त मकान का मूल्य वास्तव में व्यय राशि रू0 96,000 तथा वेतन (414000+210000+36000+15600=675600) का 7.5 प्रतिशत अर्थात् रू0 50670 में जो कम हो अर्थात् रू0 50670 करयोग्य होगा। 3. नौकर की सुविधा पूर्णतः करयोग्य है। 4. वृत्ति कर की छूट अनुमन्य है। 5. पुनश्चर्या कार्यक्रम पर व्यय वेतन में नहीं जोड़े जाते हैं। 6. टेलीफोन बिल का नियोक्ता द्वारा भुगतान करमुक्त अनुलाभ है।

4.7 सेवा निवृत्ति व निष्कासन के उपरान्त प्राप्तिर्यो

किरसी कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने, त्यागपत्र देने अथवा छंटनी कर दिये जाने के कारण जब वह सेवा से च्युत हो जाता है तो उसे अपने नियोक्ता से कुछ विशेष प्रकार के भुगतान प्राप्त होते हैं। ये भुगतान सेवाकाल में प्राप्त नहीं होते हैं तथा केवल एक बार ही प्रदान किये जाते हैं। केवल पेंशन ही एक ऐसा भुगतान है जो कि सेवा निवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होता है।

प्रमुख भुगतान तथा उनके सम्बन्ध में कर के प्रावधान निम्नवत हैं—

1. अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी)—

एक कर्मचारी को सेवा पूर्ण करने पर अनुग्रह राशि के रूप में धन प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में आयकर सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं—

क. सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में—

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी को सेवा निवृत्ति, छंटनी, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदि की दशा में प्राप्त होने वाली अनुग्रह राशि आयकर से पूर्णतः करमुक्त होती है।

ख. गैर सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में—

जे कर्मचारी सरकारी सेवा में नहीं हैं वे निजी क्षेत्र के कर्मचारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। इनपर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 अथवा कोई अन्य नियम

के प्रावधान लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है तथा उस पर कोई अन्य नियम लागू न होता हो तो उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान लागू होते हैं। इस अधिनियम में सभी कुशल, अर्द्ध कुशल अथवा अकुशल श्रमिक तथा प्रबन्धकीय व प्रशासकीय कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हैं। यह अधिनियम उन संस्थाओं में लागू होता है जिसमें गत वर्ष में कभी भी दस या दस से अधिक कर्मचारियों ने कार्य किया हो। एक बार यह अधिनियम लागू हो जाये तो यह लागू ही रहेगा चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाये।

इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को होने वाले भुगतान पर आयकर प्रावधान निम्नलिखित हैं—

- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी— इस सम्बन्ध में निम्न में से सब से कम राशि करमुक्त होगी—
 1. वास्तव में प्राप्त अनुग्रह राशि, अथवा
 2. नौकरी के कुल वर्षों की संख्या के लिए अन्तिम वेतन के 15 दिन (मौसमी रोजगार की दशा में 7 दिन) का वेतन। (वर्षों की संख्या प्रत्येक वर्ष तथा उसके छः माह से अधिक भाग को मिलाकर आने वाली संख्या होगी), अथवा
 3. रू0 10,00,000 (अधिकतम राशि)
यहाँ वेतन का अर्थ है मूल वेतन+ मंहगाई वेतन+ मंहगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन हो)।
- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत नहीं आने वाले कर्मचारी— इस सम्बन्ध में निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी—
 1. वास्तव में प्राप्त अनुग्रह राशि, अथवा
 2. नौकरी के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के औसत वेतन की राशि, अथवा
 3. रू0 10,00,000 (अधिकतम राशि)

वर्षों की संख्या पूर्ण वर्षों के अनुसार होगी तथा अंश को छोड़ दिया जायेगा भले ही वह छह माह से अधिक हो।

ग्रेच्युटी पर आयकर की गणना के लिए वेतन का अर्थ है मूल वेतन + मंहगाई वेतन + मंहगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन हो) + कमीशन (यदि बिक्री के निश्चित दर पर देय हो)।

2. अनुवृत्ति (पेंशन) तथा अनुवृत्ति का एकमुश्त भुगतान—

कर्मचारी को अपनी सेवा पूर्ण करने के पश्चात प्रतिमाह प्राप्त होने वाली अनुवृत्ति या पेंशन की राशि वेतन से आय के रूप में आयकर आगणन में सम्मिलित की जाती है। यदि कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद विदेश में रहने लगता है तो भी उसे पेंशन की राशि को वेतन से आय में जोड़ना होता है क्योंकि आय भारत में उपार्जित हुई है, चाहे कर्मचारी निवासी हो अथवा अनिवासी।

कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को जो पेंशन प्राप्त होती है उसे परिवार अनुवृत्ति या फेमिली पेंशन कहते हैं। परिवार पेंशन की राशि प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक की आय नहीं है। इसे अन्य श्रोतों की आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

कर्मचारी को यह सुविधा प्राप्त होती है कि वह चाहे तो अपने पेंशन की राशि के एक भाग को एकमुश्त प्राप्त कर ले तथा शेष को पेंशन के रूप में मासिक आधार पर प्राप्त करता रहे। केन्द्र व राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी निगमों का सरकारी कर्मचारी होने की दशा में पेंशन की एकमुश्त राशि पूर्णतः करमुक्त होती होती है किन्तु अन्य नियोक्ताओं की दशा में यह एक सीमा तक ही करमुक्त है। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो सामान्य पेंशन के एक तिहाई भाग की एकमुश्त राशि करमुक्त होती है किन्तु यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो सामान्य पेंशन के आधे भाग की एकमुश्त राशि करमुक्त होती है।

यदि कर्मचारी को प्राप्त भुगतान जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अगस्त 1996 से बनाए गये पेंशन फण्ड में से या अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन की एकमुश्त राशि के रूप में किया गया हो, करमुक्त होगा बशर्ते कि कर्मचारी ने इस फण्ड में अपना अंशदान दिया हो।

3. अर्जित अवकाश का नकदीकरण—

कर्मचारी को देय अर्जित /विशेषाधिकार अवकाशों का उपभोग न करने पर अवशेष अवकाश के बदले नकद धनराशि प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त होता है। इसे अर्जित अवकाश नकदीकरण कहा जाता है। अवकाश नकदीकरण की राशि प्राप्त होने पर आयकर की दृष्टि से निम्न प्रावधान उपलब्ध हैं—

अ. यदि अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा में रहते हुए प्राप्त किया जाता है तो इसे वेतन में जोड़ा जाता है तथा कोई करमुक्ति अनुमन्य नहीं होती है।

आ. यदि अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा निवृत्ति अथवा त्यागपत्र दिये जाने के कारण प्राप्त होता है तो केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारी की दशा में नकदीकरण करमुक्त होता है किन्तु अन्य नियोक्ताओं (स्थानीय निकाय व सरकारी उपक्रमों सहित) की दशा में नकदीकरण की राशि निम्न में से न्यूनतम स्तर तक करमुक्त होगी—

- अवकाश ग्रहण करने के पूर्व ठीक दस माह में कर्मचारी द्वारा प्राप्य वेतन के औसत पर अधिकतम 10 माह के वेतन के बराबर राशि। (यहाँ वेतन से आशय मूल वेतन+ सेवा शर्तों के अधीन मंहगाई भत्ता+बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन की राशि से होता है।)

- न लिए गये अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर राशि। (मान्य अवधि से आशय कुल सेवावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश)

- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि रू0 3,00,000।

- वास्तव में प्राप्त राशि।

किसी मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को अर्जित अवकाश के बदले प्राप्त होने वाली नकद राशि करमुक्त होती है।

4. छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति—

नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की छंटनी किये जाने पर उसे कुछ क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त होती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत किसी श्रमिक को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि निम्न से से न्यूनतम राशि के लिए करमुक्त होती है—

- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25एफ.बी के अनुसार निर्धारित की गई राशि अर्थात् निरन्तर सेवा अवधि के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन।

- केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि रू0 5,00,000।

- वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

5. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर क्षतिपूर्ति—

यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था, सहकारी समिति, विश्वविद्यालय, भारतीय औद्योगिक संस्थान, भारतीय प्रबन्धन संस्थान अथवा अन्य किसी मान्य संस्था का कर्मचारी अपनी संस्था से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त करता है तो उसे अपने नियोक्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। क्षतिपूर्ति की यह रकम रू0 5,00,000 तक करमुक्त होती है। यदि क्षतिपूर्ति की यह राशि किशतों में भी प्राप्त होती है तो भी रू0 5,00,000 की सीमा तक करमुक्ति प्राप्त होती है।

6. भविष्य निधि की राशि—

सेवा निवृत्त होने पर कर्मचारी को भविष्यनिधि खाते की राशि प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में करमुक्ति के नियम निम्न प्रकार हैं—

- संवैधानिक भविष्य निधि खाते में कर्मचारी को प्राप्त सम्पूर्ण राशि करमुक्त होती है।

- प्रमाणिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त राशि की सम्पूर्ण रकम निम्न शर्तों की पूर्ति पर करमुक्त होती है—

अ. कर्मचारी ने पाँच वर्ष निरन्तर सेवा की हो।

ब. यदि पाँच वर्ष निरन्तर सेवा न की हो तो सेवा निवृत्ति का कारण बीमारी अथवा नियोक्ता द्वारा व्यवसाय बन्द करना या सीमित करना हो।

- अप्रमाणित भविष्य निधि खाते की दशा में नियोक्ता का अंश तथा उस पर ब्याज करयोग्य होगा।

कर्मचारी के सम्बन्ध में भविष्य निधि खाते चार प्रकार के हो सकते हैं—

1. वैधानिक भविष्य निधि खाता— ये खाता सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, वैधानिक निगमों आदि में प्रयोग किया जाता है।

2. प्रमाणित भविष्य निधि खाता— यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत संचालित होता है तथा बड़े प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है।

3. अप्रमाणित भविष्य निधि खाता— यह उन संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है जहाँ वैधानिक अथवा प्रमाणित भविष्य निधि खाता प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

4. सार्वजनिक भविष्य निधि खाता— यह किसी भी व्यक्ति (कर्मचारी अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति) बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खोल सकता है। इसमें वर्ष में

500 से 150000 तक की राशि जमा की जा सकती है। इसमें 80सी की कटौती अनुमन्य होती है तथा सम्पूर्ण राशि करमुक्त होती है।

4.8 सारांश

वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप उसके नियोक्ता से प्राप्त समस्त भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। सेवा स्थाई हो अथवा अस्थायी, नियमित हो अथवा अनियमित सभी की प्राप्तियों को आयकर की गणना के लिए आय माना जाता है। यहाँ तक कि सेवा निवृत्ति अथवा पदच्युति के बाद प्राप्त होने वाले भुगतानों को भी करगणना में वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। कर के अन्तर्गत वेतन, भत्ते, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ आदि को सम्मिलित किया जाता है। आयकर अधिनियम में वेतन और मजदूरी में भेद नहीं किया गया है। वेतन से आय की गणना के लिए नियोक्ता और कर्मचारी का सम्बन्ध होना आवश्यक है। वेतन के उपार्जित अथवा प्राप्य होते ही यह आय का भाग बन जाती है तथा इस पर आयकर देय होगा, चाहे इसका भुगतान बाद में प्राप्त हो। वेतन के अन्तर्गत मूल वेतन, बोनस, कमीशन, अग्रिम वेतन, अवकाश नकदीकरण, पेंशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। भत्तों का भुगतान किसी विशेष व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह पूर्णतः करयोग्य, पूर्णतः करमुक्त अथवा अंशतः करमुक्त हो सकते हैं। विदेश भत्ता, न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाला सत्कार भत्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता आदि पूर्णतः करमुक्त होता है। मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, अभ्यास निषेध भत्ता, टिफिन भत्ता, वार्डन भत्ता आदि पूर्णतः करयोग्य होते हैं। मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, विशेष पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, सीमा क्षेत्र भत्ता, जनजाति क्षेत्र भत्ता आदि अंशतः करमुक्त होता है। भत्तों की करयोग्य राशि वेतन में सम्मिलित की जाती है। कर्मचारियों को सुविधा के रूप में अनुलाभ प्राप्त होते हैं जैसे— किराया मुक्त मकान, कर्मचारी के व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, कार आदि। अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसे करयोग्य वेतन की राशि में जोड़ा जाता है।

सेवा निवृत्ति के उपरान्त प्राप्त होने वाले लाभों को भी वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाता है। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित वेतन का नकदीकरण, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि खाते की प्राप्त राशि आदि को रखा जाता है। इनमें कतिपय छूट भी प्राप्त होती हैं।

वेतन शीर्षक की करयोग्य आय की गणना करने के लिए सकल वेतन आय की राशि में से अनुच्छेद 16 की कटौतियों को घटा दिया जाता है। इन कटौतियों में मानक कटौती, मनोरंजन भत्ते की कटौती आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार करयोग्य वेतन की गणना के लिए पहले वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की राशि को अलग-अलग ज्ञात किया जाता है। उनके योग में से अनुमन्य कटौतियों को घटा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अवशेष राशि ही वेतन शीर्षक की करयोग्य राशि होगी।

4.9 शब्दावली

वेतन: किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पुरस्कार।

भत्ता: किसी विशिष्ट व्यय की पूर्ति हेतु नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि।

अनुलाभ: नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा का मूल्य।

वेतन के स्थान पर लाभ: वर्तमान अथवा पूर्व कर्मचारी को वेतन के स्थान पर प्रदान की जाने वाली राशि।

सकल वेतन: वेतन, करयोग्य भत्ते, अनुलाभों के मूल्य तथा वेतन के स्थान पर लाभ की समेकित राशि जो कि कर्मचारी को नियोक्ता से गतवर्ष में प्राप्त हुई है।

वेतन शीर्षक की कटौती: अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत प्रदत्त वह कटौती राशि जिसे निर्धारिती के सकल वेतन से घटाया जाता है।

अनुवृत्ति (पेंशन): सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारी को नियोक्ता से नियमित रूप से प्राप्त होनी वाली राशि।

परिवार अनुवृत्ति: कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली पेंशन।

अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी): सेवा निवृत्ति पर कर्मचारी को प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि।

अवकाश नकदीकरण: कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में उपभोग न किये गये अवकाशों के बदले नियोक्ता से प्राप्त होने वाली राशि।

विशिष्ट कर्मचारी: कर्मचारी जिन्हें रू0 50000 से अधिक वेतन अथवा 20 प्रतिशत से अधिक मताधिकार अथवा संचालक का पद प्राप्त है।

सेवा निवृत्ति: निर्धारित आयु अथवा समय सीमा पूर्ण करना अथवा त्यागपत्र के द्वारा सेवाकाल पूर्ण करना।

पदच्युति: नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके पद से हटाया जाना।

भविष्य निधि: कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा बनाया गया कोष।

4.10 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

1. अभ्यास निषेध भत्ता (नान प्रेक्टिस एलाउन्स) सरकारी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक/सनदी लेखाकार को प्रदान किया जाता है।
2. निश्चित चिकित्सा भत्ता पूर्णतः करयोग्य/पूर्णतः करमुक्त होता है।
3. सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य/करमुक्त होता है।

4. यदि कर्मचारी का करयोग्य वेतन रू0 से अधिक हो तो वह विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाता है।
5. सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामान्यतः भविष्य निधि खाता संचालित होता है।

(ब) सत्य/असत्य

1. कर्मचारी की विधवा को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि 'वेतन से आय' शीर्षक में करयोग्य है।
2. प्रमाणित भविष्य निधि खाते में 8 प्रतिशत तक जमा ब्याज करमुक्त होता है।
3. माली की सुविधा का मूल्य विशिष्ट कर्मचारी के लिए करयोग्य होता है।
4. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी (परिवार के सदस्यों सहित) के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करमुक्त होता है।
5. नियोक्ता द्वारा नियुक्त चौकीदार का वेतन एक अविशिष्ट कर्मचारी के लिए करयोग्य होता है।
6. टेलीफोन बिल का नियोक्ता द्वारा भुगतान कर्मचारी के लिए एक करमुक्त अनुलाभ है।
7. नौकरी करते हुए अवकाश नकदीकरण की प्राप्त राशि पूर्णतः करयोग्य है।
8. साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन 'वेतन से आय' शीर्षक में करयोग्य है।
9. स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति के लिए करमुक्ति की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है।
10. सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन एक सरकारी कर्मचारी के लिए सदैव करमुक्त होती है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्न में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करमुक्त भत्ता है?

अ. विदेश भत्ता	ब. नगर क्षतिपूरक भत्ता
स. मनोरंजन भत्ता	द. टिफिन भत्ता
2. खानों में भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु में कार्य करने के लिए प्राप्त होने वाला भूमिगत भत्ता प्रतिमाह कितनी राशि के लिए करमुक्त होता है?

अ. रू0 500	ब. रू0 800
स. रू0 200	द. सम्पूर्ण राशि
3. निम्न में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग्य है?—

अ. मकान किराया भत्ता	ब. यातायात भत्ता
स. मंहगाई भत्ता	द. मनोरंजन भत्ता
4. कौन सा भविष्य निधि खाता गैर कर्मचारी व्यक्ति द्वारा भी खोला जा सकता है?—

अ. वैधानिक भविष्य निधि	ब. प्रमाणित भविष्य निधि
स. अप्रमाणित भविष्य निधि	द. सार्वजनिक भविष्य निधि
5. सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर निम्न मद करमुक्त होती है—

अ. अनुग्रह राशि	ब. पेंशन की एकमुश्त राशि
-----------------	--------------------------

स. अर्जित अवकाश का नकदीकरण द. उपरोक्त सभी

(द) समूहों का मिलान करो।

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. माली की सुविधा (नियोक्ता द्वारा नियुक्त) | (अ) पूर्णतः करयोग्य |
| 2. रहने के लिए मकान की सुविधा | (ब) पूर्णतः करमुक्त |
| 3. कार्य स्थल पर चाय | (स) अंशतः करमुक्त |
| 4. शिक्षा पर व्यय
(नियोक्ता शिक्षण संस्था नहीं) | (द) विशिष्ट कर्मचारी के लिए करयोग्य |

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

- (अ) 1. चिकित्सक, 2. पूर्णतः करयोग्य, 3. करमुक्त, 4. 50,000, 5. वैधानिक
(ब) 1. असत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. सत्य 5. असत्य 6. सत्य 7. सत्य,
8. असत्य, 9. सत्य, 10. असत्य
(स) 1. अ 2. ब 3 स 4. द 5. द
(द) 1. द 2. स 3. ब 4. अ

4.12 स्वपरख प्रश्न

(लघु उत्तरीय)

1. विशिष्ट कर्मचारी किसे कहते हैं? आयकर निर्धारण में भत्तों की कर योग्यता के निर्धारण में अन्य की तुलना में इनके लिए क्या भिन्न प्रावधान हैं?
2. माली अथवा नौकर की सुविधा नियोक्ता द्वारा प्रदान किये जाने पर अनुलाभ का मूल्यांकन करने के नियम बताइए।
3. मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में आयकर सम्बन्धी नियम क्या हैं?
4. कर्मचारी को मकान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर आयकर हेतु अनुलाभ का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी नियम बताइए।
5. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटर कार की सुविधा के सम्बन्ध में करयोग्यता सम्बन्धी नियम बताइए।
6. ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान हैं?
7. श्री प्रकाश चन्द्र को नगरपालिका हल्लहानी से रू0 50000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। उन्हें नियोक्ता से रू0 4000 प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है। श्री प्रकाश चन्द्र किराये के मकान के लिए रू0 4500 प्रतिमाह का किराया भुगतान करते हैं। मकान किराये भत्ते की करमुक्त राशि की गणना कीजिए।
(उत्तर 1. मकान किराया भत्ता अर्थात् रू0 48,000, 2. वेतन के 10 प्रतिशत (रू0 60000) से अधिक प्रदत्त किराया (54,000) अर्थात् शून्य तथा 3. वेतन का 40 प्रतिशत (240000)। उपरोक्त तीनों में न्यूनतम राशि अर्थात् शून्य करमुक्त होगी। अर्थात् सम्पूर्ण मकान किराया भत्ता रू0 48,000 करयोग्य होगा।)
8. एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारी के रहने के लिए मकान रू0 6,000 प्रतिमाह के किराये पर लेकर दिया जिसमे रू0 1,00,000 की लागत का फर्नीचर लगा है। कर्मचारी का वार्षिक वेतन रू0 6,00,000 है तथा कर्मचारी के वेतन से रू0

1,000 प्रतिमाह की कटौती की गई है। मकान की सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर वेतन के 15 प्रतिशत रू0 90,000 तथा वास्तविक किराये रू0 72,000 में से कम अर्थात् रू0 72,000 + फर्नीचर की लागत का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 10,000 = 82,000 – वसूल किया गया किराया अर्थात् रू0 12,000 = रू0 70,000)

9. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक छोटी कार उपलब्ध कराई गयी है जिसे कर्मचारी स्वयं चलाता है। नियोक्ता ने इसके संचालन व रखरखाव में रू0 75,000 व्यय किये हैं तथा वह निर्धारित शर्तें पूरी करता है। कार को सेवा एवं निजी प्रयोग में उपयोग किया जाता है। मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर नियोक्ता द्वारा वहन किये गये व्यय रू0 75,000 – मिश्रित उपयोग पर अनुमन्य रू0 1800 प्रतिमाह की दर से रू0 21,600 = रू0 53,400)

10. एक कर्मचारी को रू0 6,00,000 वार्षिक वेतन तथा रू0 60,000 मंहगाई वेतन प्राप्त होता है। वह प्रमाणित भविष्य निधि का सदस्य है तथा वेतन का 14 प्रतिशत अंशदान देता है। नियोक्ता भी इतना ही अंशदान देता है। भविष्य निधि पर ब्याज 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जाता है जो कि गतवर्ष के लिए रू0 36,000 है। करयोग्य वेतन की गणना कीजिए।

(उत्तर वेतन रू0 600000+ मंहगाई वेतन रू0 60000+ नियोक्ता का 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान रू0 13200+ 9.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज रू0 7500= रू0 680700)

(दीर्घ उत्तरीय)

1. वेतन शीर्षक की आय की गणना करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।
2. नियोक्ता द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न भत्तों के सम्बन्ध में कर्मचारियों की करदेयता का वर्णन कीजिए।
3. अनुलाभ से क्या आशय है? करमुक्त अनुलाभ कौन से हैं? रहने के लिए मकान की सुविधा के मूल्यांकन के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख कीजिए।
4. किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर कौन से भुगतान प्राप्त होते हैं? इनकी करदेयता को समझाइए।
5. सुश्री मोनिका दिल्ली में स्थित एक कम्पनी में कार्यरत है। निम्न सूचना के आधार पर उनकी वेतन शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए—
 1. वेतन रू0 1,00,000 प्रतिवर्ष।
 2. मंहगाई भत्ता (सेवा शर्तों में सम्मिलित नहीं) रू0 12,000 प्रतिवर्ष।
 3. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा अंशदान रू0 13,200।
 4. भविष्य निधि शेष पर 10 प्रतिशत दर से ब्याज रू0 10,000।
 5. चिकित्सा भत्ता रू0 1,200 प्रतिमाह।
 6. रहने के लिए असुसज्जित मकान हल्द्वानी में। मकान का उचित वार्षिक किराया रू0 30,000।
 7. कार्यालय व निजी कार्य में प्रयोग हेतु बड़ी कार। समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा।

वेतन	1,00,000
मंहगाई भत्ता	12,000

भविष्य निधि में नियोक्ता का 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान	1,200
भविष्य निधि में 9.5 प्रतिशत से अधिक दर से ब्याज	500
चिकित्सा भत्ता	14,400
मकान का मूल्यांकन 126400 का 7.5 प्रतिशत	9480

	1,37,580
घटाया— कटौती	शून्य

करयोग्य वेतन	1,37,580

6. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
- वेतन के स्थान पर लाभ
 - मनोरंजन भत्ता
 - कार की सुविधा का मूल्यांकन
 - छंटनी की दशा में क्षतिपूर्ति

4.13 सन्दर्भ पुस्तकें

- आयकर डॉ० एच०सी०मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
- आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ० आर०के०जैन, एस०बी०पी०डी० पब्लिशर्स, आगरा।
- Income Tax VK Singhanian, Taxmann, New Delhi.

इकाई –5 मकान–सम्पत्ति से आय (INCOME FROM HOUSE PROPERTY)

इकाई की रूपरेखा

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 मकान–सम्पत्ति से आय का आशय
- 5.3 मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयें
- 5.4 पूर्णतया कर–मुक्त आयें
- 5.5 सकल कुल आय में से कटौती–योग्य आयें
- 5.6 वार्षिक मूल्य की गणना
 - 5.6.1 किराये पर दिये गये मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य
 - 5.6.2 किराए पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियां
 - 5.6.3 स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य
 - 5.6.4 स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियां
- 5.7 कटौती पाने के पश्चात न वसूल हुए किराये की प्राप्ति होने पर आय कर लगना
- 5.8 मकान–सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के संबंध में प्रावधान
- 5.9 सारांश
- 5.10 शब्दावली
- 5.11 बोध प्रश्न
- 5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 5.13 स्वपरख प्रश्न
- 5.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- मकान–सम्पत्ति से आय के आशय को समझ सकेंगे।
- मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयों को जान सकें।
- वार्षिक मूल्य की गणना की विधि को स्पष्ट कर सकें।
- वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियों को समझ कर उनका विवेचन कर सकें।
- मकान–सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के प्रावधानों की व्याख्या कर सकें।

5.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार कुल आय को पांच शीर्षकों में विभक्त किया गया है। इनमें 'मकान–सम्पत्ति से आय' सकल कुल आय का दूसरा

शीर्षक है। धारा 22 के अनुसार इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों, अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहे हों, अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हों एवं अंशतः किराए पर उठाए हुए हों; परन्तु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है। मकान-सम्पत्ति के कर योग्य होने के लिए करदाता का उस का स्वामी होना आवश्यक है। किन्तु कुछ शर्तों के पूरा होने पर कतिपय व्यक्तियों को भी मकान सम्पत्ति का माना गया (डीम्ड) स्वामी माना जाता है । मकान-सम्पत्ति की कुछ आयें पूर्णतया कर-मुक्त आयें होती हैं, किन्तु कुछ आयें सकल कुल आय में शामिल की जाती हैं और उन धारा 24 के अनुसार पर कटौतिया स्वीकृत की जाती हैं। मकान-सम्पत्ति से आय की गणना के लिए सर्वप्रथम उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है । सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर (एम0वी0) को घटाने पर वार्षिक मूल्य प्राप्त होता है। वार्षिक मूल्य में से धारा 24 के अनुसार कटौतिया स्वीकृत हैं। धारा 24 (a) के अनुसार किराये पर उठाई गई मकान-सम्पत्ति की कर-योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में अधिकतम 30% मानक कटौती दी जाती है। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है। मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए ऋण पर ब्याज की कटौती भी दी जाती है। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रु. तक स्वीकृत होगी, यदि ऋण मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए 31.3.1999 को या उसके पहले लिया गया है। यदि ऋण मकान खरीदने या बनवाने के लिए 31.3.1999 के बाद लिया गया है तो स्वयं के रहने के मकान के संबंध में ब्याज की कटौती अधिकतम 2,00,000 रु. तक स्वीकृत होगी। मकान-सम्पत्ति से अशोधित हानि उसी वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय में से घटायी जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान-सम्पत्ति से आय में से घटाई जा सकती है। इस अध्याय में आय कर अधिनियम , 1961 की धारा 22 से 25 के प्रावधानों को विस्तार से समझाया जायेगा।

5.2 मकान-सम्पत्ति से आय का आशय

‘मकान-सम्पत्ति से आय’ का सकल कुल आय का दूसरा शीर्षक है। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अनुसार मकान-सम्पत्ति से आय शीर्षक में उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आय कर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर-योग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों, अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहे हों, अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हों एवं अंशतः किराए पर उठाए हुए हों; परन्तु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है।

मकान-सम्पत्ति से आय शीर्षक में आय के कर योग्य के लिए धारा 22 के अनुसार निम्न महत्वपूर्ण बातें हैं:

- (1) भवनों अथवा मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों की आय पर कर लगता है। अन्य भूमि जो किसी मकान या भवन के साथ न लगी हो, जैसे संपर्क

मार्ग, पार्किंग, बागीचा , खेल का मैदान आदि की आय को 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। मकान से लगी हुई भूमि में मकान कम्पाउण्ड, सब्जी का बगीचा आदि शामिल है।

- (2) **करदाता का उस मकान-सम्पत्ति का स्वामी होना आवश्यक है।** मकान-सम्पत्ति का स्वामी वह व्यक्ति है जिसके नाम में मकान-सम्पत्ति पंजीकृत है। मकान पर स्वामित्व वैधानिक होना चाहिए किन्तु यह आवश्यक नहीं कि करदाता उस भूमि का भी स्वामी हो जिस पर मकान बना है। मकान बन्धक के रूप में रखने की दशा में बन्धक रखने वाला स्वामी होगा न कि वह जिसके पास मकान बन्धक रखा हुआ है।

मकान सम्पत्ति का माना गया (डीम्ड) स्वामी :

निम्नांकित को मकान सम्पत्ति का माना गया (डीम्ड) स्वामी माना जाता हैं:

- (क) अपने जीवन-साथी को, अथवा विवाहित पुत्री के अतिरिक्त किसी अवयस्क बच्चे को बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपनी मकान-सम्पत्ति हस्तान्तरित करने वाला व्यक्ति ।
- (ख) मकान बनाने वाली सहकारी समिति द्वारा अपने किसी सदस्य को कोई मकान आबंटित करने की दशा वह सदस्य व्यक्ति ।
- (ग) आंशिक अनुबन्ध पूरा करने पर किसी भवन या उसके आंशिक भाग पर अधिकार पाने वाला व्यक्ति ।
- (घ) जमीन पट्टे पर लेकर उस पर अपना मकान बनवाने वाला व्यक्ति ।
- (ङ) विवादास्पद स्वामित्व की दशा में कब्जेदार व्यक्ति ।
- (3) **पट्टे पर मकान को पुनः किराये पर उठाने से प्राप्त आय मकान-सम्पत्ति शीर्षक में कर-योग्य नहीं होती है** : यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे पर है तो उसे पुनः किराये पर उठाने से प्राप्त आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होती है ।
- (4) **व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयुक्त मकान की आय मकान-सम्पत्ति से आय' के शीर्षक में कर-योग्य नहीं होती है** : यदि कोई करदाता अपने ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग किया जाने वाले मकान की आय पर मकान पर 'मकान-सम्पत्ति से आय' के शीर्षक में कोई कर नहीं लगता है । व्यापार एवं पेशे के शीर्षक में भी ऐसे मकान की कोई आय नहीं मानी जाएगी और न ही ऐसे मकान के संबंध में उसे व्यापार में प्रयोग करने का कोई किराया भी व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसे मकान के सम्बन्ध में मरम्मत आदि के व्यय, द्वास आदि स्वीकृत होंगे। यदि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मकान-सम्पत्तियां क्रय कर उन्हें किराये पर देकर आय कमाना है तो ऐसी आय मकान-सम्पत्ति शीर्षक में कर-योग्य नहीं होगी बल्कि व्यवसाय एवं पेशे के शीर्षक में कर-योग्य होगी।

5.3 मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें

मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं-

1. पूर्णतया कर-मुक्त आयें आयें जो न सकल कुल आय में शामिल की जाती हैं और न उन पर कर लगता है।
2. कटौती-योग्य आयें, जो करदाता की सकल कुल आय में तो शामिल होती हैं परन्तु वे कुल आय में शामिल नहीं होतीं। मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें निम्नवत है :

5.4 पूर्णतया कर-मुक्त आयें

- (1) कृषि भूमि पर अथवा उसके पास स्थित मकान से आय।
- (2) भारतीय रियासत के राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य।
- (3) (i) स्थानीय प्राधिकरण, (ii) वैधानिक शोध संघ, (iii) ट्रेड यूनियन, (iv) पुण्यार्थ ट्रस्ट, (v) राजनीतिक पार्टी, (vi) अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान एवं विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, के स्वामित्व वाली मकान-सम्पत्ति से आय।
- (4) करदाता द्वारा अपने ही व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाले मकान से आय।
- (5) स्वयं के रहने के मकान से आय।
- (6) ऐसे मकान से आय जो स्वयं रहने के लिए रखा हुआ है परन्तु अपनी नौकरी, व्यापार अथवा पेशा अन्य किसी स्थान पर होने के कारण वह इस मकान में पूरे गत वर्ष न स्वयं रह सका और न उसने इस मकान से कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है।

5.5 सकल कुल आय में से कटौती-योग्य आयें

- (1) एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं को भण्डार करने के लिए गोदाम किराये पर देने से आय।
- (2) एक सहकारी समिति की मकान-सम्पत्ति से आय बशर्ते कि :
 1. समिति की सकल कुल आय 20,000रु. से अधिक न हो और
 2. वह समिति मकान बनाने वाली या शहरी उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएं निर्मित करने वाली समिति नहीं है।

5.6 वार्षिक मूल्य (ए0वी0) (Annual Value) की गणना

1. मकान-सम्पत्ति से आय की गणना के लिए सर्वप्रथम उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है।

5.6.1 किराये पर दिये गये मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य

- (अ) किराये पर दिये गये मकान के सम्बन्ध में सकल वार्षिक मूल्य (धारा 23)
- (क) सम्भावित किराया अर्थात् वह रकम जितने में वह मकान प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर उठाया जा सकता है, अथवा
- (ख) वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्त किराया (यदि मकान या उसका कोई भाग किराये पर उठा हुआ है)

उपर्युक्त (क) में वर्णित उचित किराये से अधिक हो, तो वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया उसका वार्षिक मूल्य होगा, अथवा

- (ग) यदि मकान या उसका कोई भाग किराये पर उठा हुआ है और वह पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और खाली रहने के कारण वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराया उपर्युक्त (क) में वर्णित उचित किराये से कम है तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य किराया उसका वार्षिक मूल्य होगा।

स्पष्टीकरण— उपर्युक्त (अ) के प्रस्तर (ख) या (ग) में वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराये में वह राशि शामिल नहीं होगी जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता, बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी हों :

- (i) किरायेदारी वास्तविक हो,
- (ii) किरायेदार ने मकान खाली कर दिया हो, अथवा मकान खाली कराने के लिए उसे बाध्य करने की कार्यवाहियां की जा चुकी हों,
- (iii) वह किरायेदार करदाता के किसी अन्य मकान पर कब्जा न किये हुए हो,
- (iv) करदाता न चुकाये गये किराये को वसूल करने के लिए सब प्रकार की उचित कानूनी कार्यवाही कर चुका हो अथवा करदाता कर-निर्धारण अधिकारी को यह सन्तुष्ट कर दे कि कानूनी कार्यवाहियां व्यर्थ होंगी। **(नियम 4)**

सम्भावित किराया :

- (1) ऐसे मकान जो किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं—मकान के नगरपालिका मूल्य और उचित किराये में से जो राशि अधिक होगी वह सम्भावित किराया (Expected Rent) माना जाएगा: नगरपालिका मूल्य (एम0वी0)कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि उचित किराया समान प्रकार के स्थान में समान प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक द्वारा प्राप्त किया जा रहा किराया है।
- (2) ऐसे मकान जो किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं—उपरोक्त (अ) में निर्धारित राशि; या मानक किराये (Standard rent) में से जो राशि कम होगी वह सम्भावित किराया मानी जाएगी। अर्थात् सम्भावित किराया मानक किराये से अधिक नहीं सकता, परन्तु यह मानक किराये से कम हो सकता है।

वास्तविक किराया : **(धारा 23 (1) (b))**

यदि मकान के स्वामी द्वारा मकान को किराये पर देते समय एक करार के अन्तर्गत किरायेदार को कुछ सुविधाएं जैसे— लिफ्ट, पानी चढ़ाने का पम्प, बिजली, वाहन पार्क करने, माली, आदि प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है तो ऐसी दशा में स्वामी द्वारा प्राप्त किराये की राशि में से इन सुविधाओं पर स्वामी द्वारा किया गया व्यय घटाकर जो राशि शेष रहेगी वही उस मकान का वास्तविक किराया माना जाएगा। इसी प्रकार यदि किरायेदार ने मकान के स्वामी के किसी दायित्व को भुगतान करने का करार किया है तो इस प्रकार भुगतान की गयी राशि में जोड़कर जो राशि आएगी वही उस मकान का वास्तविक किराया माना जाएगा।

परन्तु निम्नलिखित के सम्बन्ध में किराये की राशि में किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा:

- (i) किरायेदार द्वारा उस मकान (या भाग) के सम्बन्ध में नगरपालिका कर का भुगतान जिसमें वह रह रहा है ;
- (ii) किरायेदार द्वारा मकान की मरम्मत पर किया गया व्यय ;
- (iii) किरायेदार से जो राशि जमा के रूप में ली गई है उस पर कल्पित (Notional) ब्याज।

2. वार्षिक मूल्य का निर्धारण :

उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर (एम0वी0) को घटाने पर वार्षिक मूल्य प्राप्त होता है।

नगरपालिका कर— मकान पर नगरपालिका द्वारा कोई कर (जिसमें सेवा—कर भी शामिल है) लगाया जाता है। नगरपालिका कर की मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के उपरोक्त प्रकार से निर्धारित सकल वार्षिक मूल्य में से घटाकर अवशेष राशि उसका वार्षिक मूल्य होगी। नगरपालिका कर उस गत वर्ष में घटाए जाएंगे जिसमें उनका वास्तव में भुगतान हुआ हो चाहे वे चालू वर्ष से सम्बन्धित हों चाहे अन्य किसी गत वर्ष से। सेवा कर (Service tax) में जल कर, अग्नि कर, शिक्षा कर, सफाई कर, आदि शामिल होते हैं।

उदाहरण : 1

अ दिल्ली में एक मकान—सम्पत्ति का स्वामी है। इसका नगरपालिका मूल्यांकन 1,50,000 रु., उचित किराया 2,00,000 रु. मानक किराया 1,80,000 रु. है। यह 1,80,000 रु. वार्षिक किराये पर उठाया हुआ है। स्वामी द्वारा देय नगरपालिका कर 20,000 रु. मकान के स्वामी एवं किरायेदार से समझौता के अन्तर्गत किरायेदार के द्वारा नगरपालिका को सीधा चुकाये गए हैं। मकान का स्वामी एक समझौते के अन्तर्गत किरायेदार के लिए सुविधाओं पर निम्न व्यय करता है:

पानी व्यय	रु.2,000
लिफ्ट के रख—रखाव पर व्यय	रु.2,000
जीने की रोशनी पर व्यय	रु. 1,600
माली का वेतन	रु. 2,400

मकान का स्वामी निम्न कटौतियों की मांग करता है:

मरम्मत	रु.75,000
मालगुजारी	रु. 5,000
संग्रह व्यय	रु. 5000
भूमि जिसपर मकान बना है, उसे क़य करने के कानूनी व्यय	रु. 5,000

मकान—सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

प्रश्नोत्तर :

**मकान—सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना
(कर—निर्धारण वर्ष 2019—20 के लिए)**

सकल वार्षिक मूल्य

(1) सम्भावित किराया – नगरपालिका मूल्यांकन 1,50,000 रु.; एवं उचित किराया 2,00,000 रु. किन्तु मानक किराये 1,80,000 रु. से अधिक नहीं ; दोनों में जो अधिक हो रु. 1,80,000

(2) वास्तविक किराया –

प्राप्त किराया		रु.1,80,000
घटाया– जल व्यय		रु.2,000
लिफ्ट के रख-रखाव पर व्यय		रु.2,000
जीने की रोशनी पर व्यय		रु.1,600
माली का वेतन	रु 2,400	रु. 8,000
वास्तविक किराया		रु.1,72,000
सकल वार्षिक मूल्य (1) एवं (2) में जो अधिक है		रु.1,80,000

घटाया– नगरपालिका कर (स्वामी द्वारा वहन नहीं)

शून्य

वार्षिक मूल्य

रु.1,80,000

घटाया– मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30% रु. 54,000

मकान-सम्पत्ति से कर योग्य आय

रु. 1,26,000

नोट : अन्य व्यय कटौती योग्य नहीं हैं।

5.6.2 किराए पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतिया (धारा 24)

किराये पर उठाई गई मकान-सम्पत्ति की कर-योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य (Annual value) में से निम्न कटौतियां (deductions) स्वीकृत हैं:

(1) **मानक कटौती**– वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30% दी जाती है। यह कटौती तब भी दी जाएगी चाहे मकान के लिए कोई खर्चा किया गया हो या नहीं। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है। किन्तु यदि मकान का स्वामी एक से अधिक मकान अपने रहने के लिए काम में लाता है, तो एक मकान को छोड़कर अन्य स्वयं रहने के मकान किराये पर दिए गए माने जाते हैं। ऐसे मकान/मकानों पर भी मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30% स्वीकृत की जाती है।

(धारा 24 (a))

(2) **ऋण पर ब्याज**– मकान-सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, मरम्मत या इसका पुनर्निर्माण कराने के लिए लिये गये ऋण पर देय ब्याज की राशि की कटौती स्वीकृत है, चाहे ब्याज का भुगतान किया गया हो अथवा नहीं । यदि लिये गये ऋण को चुकाने के लिए कोई नया ऋण लिया जाता है तो नए ऋण का ब्याज भी कटौती योग्य है किन्तु ऋण लेने के लिए दी गई दलाली या कमीशन की कटौती स्वीकृत नहीं है। यदि किसी गत वर्ष में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सका है और अगले वर्ष अदत्त ब्याज की राशि पर भी ब्याज दिया गया है तो ऐसा ब्याज कटौती योग्य नहीं है। यदि मकान निर्मित होकर तैयार होने अथवा क्रय करने से पूर्व के गत वर्षों से सम्बन्धित ऋण पर ब्याज देय है और ऐसा ब्याज इस अधिनियम के किसी अन्य

प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है तो ऐसा ब्याज मकान के क्रय अथवा निर्मित होकर तैयार होने वाले गत वर्ष से आरम्भ होकर पांच समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा।

उदाहरणार्थ, 1.4.2016 को 5,00,000 रु. का ऋण 12%की दर से मकान बनवाने के लिए लिया गया। मकान 31.3.2019 को बनकर तैयार हुआ तो गत वर्ष 2018-19 में वर्ष 2018-19 का ब्याज 60,000 रु. तथा गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 वर्षों का ब्याज 1,20,000 रु. का 1/5 भाग 24,000 रु. कटौती योग्य होगा। (धारा 24 (b))

5.6.3 स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य

(ब) स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य (ए0वी0) धारा 23(2))

(1) ऐसा मकान जो पूरे गत वर्ष स्वयं रहने के काम आता है तो उस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा :

यदि मकान सम्पत्ति ऐसा मकान या उसका कोई भाग है जो:

(क) स्वामी(एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार) के स्वयं के रहने के काम आ रहा है या

(ख) वह उसमें पूरे गत वर्ष में इस कारण से न रह सका हो, क्योंकि उसकी नौकरी अथवा व्यापार पेशा किसी अन्य जगह है और उस जगह व जिस मकान में रह रहा है वह उसका स्वयं का नहीं है तो उस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा बशर्ते कि :

1. ऐसा मकान या उसका कोई भाग पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराये पर नहीं उठाया जाना चाहिए।
2. ऐसे मकान में एक से अधिक मंजिलें (floors), फ्लैट्स या इकाइयां (units) हैं तथा एक से अधिक मंजिलें, फ्लैट्स या इकाइयां स्वयं के रहने के काम आती हैं तो इन सभी इकाइयों का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। किन्तु यदि एक से अधिक मंजिलें (floors) फ्लैट्स या इकाइयों (units) वाले ऐसे मकान में एक मंजिल, फ्लैट या इकाई स्वयं रहने के काम आती है तथा अन्य मंजिलें/फ्लैट्स/इकाइयां किराये पर उठा दी गई हैं तो स्वयं के रहने के काम आने वाली मंजिल/फ्लैट/इकाई का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। यदि प्रत्येक मंजिल/फ्लैट/इकाई का नगरपालिका मूल्यांकन या नगरपालिका कर अलग-अलग ज्ञात नहीं है तो इसे किसी उचित आधार पर बांटा जा सकता है।
3. यदि गत वर्ष में किसी भी मकान का निर्माण पूरा होता है और इसके पश्चात् मकान स्वयं के रहने के काम आता है तो यह माना जाता है कि मकान पूरे गत वर्ष स्वयं के रहने के काम आया है।
4. स्वयं रहने के मकान के सम्बन्ध में नगरपालिका को दिये गये कर की कटौती नहीं मिलती।
5. ऐसी दशा में मकान खाली रहने अथवा अप्राप्त किराये को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

5.6.4 स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियां

- (1) **मानक कटौती**— स्वयं के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है।
- (2) **ब्याज की कटौती** — जब स्वयं के रहने के मकान या उसके भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है, तो ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रु. तक स्वीकृत होगी। यदि ऋण मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए 31.3.1999 को या उसके पहले लिया गया है। यदि ऋण मकान पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए 31.3.1999 के बाद लिया गया है तो ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रु. तक स्वीकृत होगी।

यदि स्वयं के रहने का मकान 30.3.1999 के पश्चात् ऋण लेकर खरीदा जाता है अथवा बनवाया जाता है तो ब्याज की कटौती 2,00,000 रु. तक स्वीकृत होगी बशर्ते:

- (क) नया मकान ऋण लेने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष में खरीद लिया गया है या बनवा लिया गया है।
- (ख) ऋणदाता से एक गत वर्ष में देय ब्याज का प्रमाण-पत्र लेकर, उसे आय के रिटर्न के साथ दाखिल कर दिया गया है।

यदि मकान खरीदने या बनवाने के लिए ऋण लिया गया था और इस ऋण का पूर्ण या आंशिक भुगतान नया ऋण लेकर किया गया है तो नये ऋणदाता से ब्याज के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र लेकर दाखिल किया जाना चाहिए।

ब्याज की कटौती के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान वही हैं जो किराये पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में कटौतियों के अन्तर्गत बताए गए हैं।

स्वयं के रहने के मकान से आय की गणना विधि

(i) सकल वार्षिक मूल्य	रु.
(ii) मकान स्वामी द्वारा गत वर्ष में वहन किए गए नगरपालिका कर की राशि	कटौती योग्य नहीं
(iii) वार्षिक मूल्य	शून्य
(iv) मानक कटौती	शून्य
(v) ऋण पर ब्याज की कटौती	रु. 30,000 / 2,00,000 रु. तक
(vi) स्वयं के रहने के मकान से हानि	रु. 30,000 / 2,00,000 रु. तक

इस हानि की पूर्ति किसी अन्य मकान-सम्पत्ति की आय से अथवा आय के किसी अन्य शीर्षक में आय से की जा सकती है।

5.7 कटौती पाने के पश्चात् न वसूल हुए किराये की प्राप्ति होने पर आय कर लगना (धारा 25-ए)

धारा 25-ए के अनुसार , यदि कोई करदाता अपने किसी किराये के मकान के संबंध में न वसूल हुए किराये की कटौती पाने के पश्चात् न वसूल हुए किराये के

संबंध में कोई राशि वसूल करता है तो न वसूल हुए किराये की ऐसी प्राप्ति होने पर इसे वार्षिक मूल्य में सम्मिलित कर आय कर लगेगा। इस संबंध में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:

1. वसूल हुए किराये की समस्त राशि कर योग्य होगी।
2. वसूल हुए किराये की राशि उस गत वर्ष में कर योग्य होगी, जिसमें उसे वसूल किया जाता है।
3. वसूल हुए किराये की राशि प्रत्येक स्थिति में कर योग्य होगी, चाहे करदाता उस मकान-सम्पत्ति का अब स्वामी रहा हो या नहीं।

5.8 मकान-सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के संबंध में प्रावधान

मकान-सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की तुलना में उससे सम्बन्धित व्ययों के अधिक होने पर मकान-सम्पत्ति से हानि होती है। यह हानि किसी दूसरे मकान की आय में से घटायी जा सकती है। यदि मकान-सम्पत्ति से हानि अन्य किसी मकान-सम्पत्ति की आय से सम्पूर्ण रूप से न घटायी जा सके तो शेष अशोधित हानि उसी वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय में से घटायी जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान-सम्पत्ति से आय में से घटाई जा सकती है।

स्वयं के रहने वाले मकान के सम्बन्ध में- यदि स्वयं के रहने वाले मकान के सम्बन्ध में ऋण ब्याज के कारण 30,000 रु./ 2,00,000 रु. तक की हानि हो तो ऐसी हानि को पहले मकान-सम्पत्ति शीर्षक की आय से पूरा किया जाएगा तथा शेष अशोधित हानि किसी भी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान-सम्पत्ति की आय में से घटाई जा सकती है।

उदाहरण : 2

एक्स ने मकान बनवाने के लिए 1.4.2016 को लिये गये 4,00,000 रु. के ऋण पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से गत वर्ष 2018-19 का ब्याज 48,000 रु. चुकाया है। मकान गत वर्ष 2018-2019 में बनकर तैयार हुआ है। इससे पिछले दो वर्षों का ब्याज भी चुकाया गया था परन्तु इसकी कटौती नहीं मांगी गई थी।

- (1) कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए मकान-सम्पत्ति की आय की गणना करने के लिए कटौती-योग्य ब्याज की राशि की गणना कीजिए यदि मकान (i) किराये पर उठाया हुआ है, (ii) मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है।
- (2) यदि उपर्युक्त मकान बनवाने के लिए 1.4.2016 को लिये गये ऋण की राशि 12,00,000 रु. एवं ऋण पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष होती तो इससे कटौती-योग्य ब्याज की राशि की गणना कीजिए यदि मकान (i) किराये पर उठाया हुआ है, (ii) मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है।

प्रश्नोत्तर :

कटौती-योग्य ब्याज की राशि की गणना

- (1) (i) यदि मकान किराये पर उठाया हुआ है :

गत वर्ष 2018-19 का ब्याज	रु.48,000
निर्माण कार्य पूरा होने वाले गत वर्ष से पूर्व के दो वर्षों का ब्याज रु.96,000 जो 5 समान किस्तों में कटौती योग्य है	<u>रु.19,200</u>
कटौती-योग्य ब्याज की राशि	रु.67,200
(ii) यदि मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है :	
कटौती-योग्य ब्याज की राशि	रु.67,200
(मकान के निर्माण कार्य हेतु ऋण 01.04.1999 के बाद लिया गया है।)	
(2) (i))यदि मकान किराये पर उठाया हुआ है :	
गत वर्ष 2018-19 का ब्याज	रु.1,44,000
निर्माण कार्य पूरा होने वाले गत वर्ष से पूर्व के दो वर्षों का ब्याज रु.2,88,000 जो 5 समान किस्तों में कटौती योग्य है	<u>रु. 57,600</u>
कटौती-योग्य ब्याज की राशि	रु.2,01,600
(ii) यदि मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है :	
कटौती-योग्य ब्याज की राशि(अधिकतम रु 2,00,000)	रु 2,00,000
(मकान के निर्माण कार्य हेतु ऋण 01.04.1999 के बाद लिया गया है।)	

उदाहरण : 3

एक्स के पास दो मकान हैं जिनमें से प्रथम मकान में वह स्वयं रहता है। प्रथम मकान का उचित किराया 1,50,000 रु. है जबकि द्वितीय मकान का उचित किराया 20,000 रु. है। उचित किराये का 10% नगरपालिका कर चुकाया गया है। प्रथम मकान के कय के लिए 10.4.2017 को लिये गये ऋण पर गत वर्ष में 2,50,000 रु. ब्याज चुकाया गया है। उसने 1.4.2017 को दूसरा मकान बनाने के लिए 40,000 रु. का ऋण 15% ब्याज पर लिया जो दिसम्बर 2017 में बनकर तैयार हो गया। वह 2017-18 में ब्याज का भुगतान नहीं कर सका, अतः इस वर्ष उसने दो वर्ष के ब्याज (अदत्त ब्याज पर ब्याज सहित) का भुगतान किया 12,600 रु.।

अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया- प्रथम मकान 1,000 रु. तथा द्वितीय मकान 500 रु.। यह मानते हुए कि करदाता प्रथम मकान को धारा 23 (2) की छूट के लिए चुनता है, उसकी कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए मकान-सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

प्रश्नोत्तर :

मकान-सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना (कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए)

1- प्रथम मकान : वार्षिक मूल्य

(वह प्रथम मकान को 23(2) की छूट के लिए चुनता है) शून्य
घटाया-

गत वर्ष 2018-19 का ब्याज

रु.2,00,000

मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)

(-) रु. 2,00,000

4- द्वितीय मकान : (द्वितीय रहने का मकान किराए पर उठाया माना गया है)

सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0) उचित किराया रु. 20,000

घटाया : नगरपालिका कर उचित किराया का 10% रु. 2,000

वार्षिक मूल्य (ए0वी0) रु.18,,000

घटाया-

1.मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30% रु.5,400

2. गत वर्ष 2018-19 का ब्याज रु.6,000 रु.11,400

(पूर्व के गत वर्ष (2017-18) का ब्याज रु.6,000

की कटौती ब्याज के देय होने पर ले ली गयी

मानी गयी है, जबकि अदत्त ब्याज पर ब्याज स्वीकृत नहीं है।

मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0) रु. 6,,600

मकान-सम्पत्ति से आय (रु.(-)2,00,,000+ 6,600) (-) रु.1,93,,400

मकान-सम्पत्ति की उपर्युक्त हानि को करदाता की पहले किसी अन्य शीर्षक की आय, यदि कोई हो , से पूरा किया जाएगा। अन्य शीर्षक की आय भी कम रहने की स्थिति में अशोधित हानि को 8 वर्षों तक मकान-सम्पत्ति की आय से पूरा किया जा सकेगा।

उदाहरण : 4

वाई चार मकानों का स्वामी है, जिनका विवरण निम्नवत है :

1. प्रथम मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 1,00,000 रु ; वह प्रथम मकान में रहता है।

2. द्वितीय मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 80,000 रु ; वह दूसरे मकान में अपना व्यापार चलाता है।

3. तृतीय मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु ; यह मकान उसने 4500 रु. प्रति माह किराये पर उठा दिया है।

4. चतुर्थ मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु ; चौथे मकान के निर्माण के लिए उसने 1 अप्रैल, 2013 को रु.20,000 का ऋण 10 % ब्याज पर प्राप्त किया है। इस मकान का निर्माण 1 अप्रैल , 2013 को आरम्भ हुआ तथा 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त हुआ। यह मकान 1 जनवरी, 2016 को 6000 रु. प्रति माह किराये पर उठा दिया गया।

सभी मकानों का नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का 10%लगाया गया और भुगतान किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उसकी मकान-सम्पत्ति शीर्षक की आय निकालिए।

प्रश्नोत्तर :

**मकान-सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना
(कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए)**

1. प्रथम मकान : वार्षिक मूल्य (वह प्रथम मकान में रहता है) शून्य

2. द्वितीय मकान : वार्षिक मूल्य (वह दूसरे मकान में अपना व्यापार चलाता है) शून्य

3. तृतीय मकान :

सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0)

नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु(सम्भावित किराया) ;

वास्तविक किराया 54,000 रु. दानों में जो भी अधिक है। रु.60,000

घटाया : नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का 10% रु. 6,000

वार्षिक मूल्य (ए0वी0) रु.54,,000

घटाया— मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30% रु.17,200

मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0) रु.36,,800

4— चतुर्थ मकान :

सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0)

नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु(सम्भावित किराया) ;

वास्तविक किराया 72,,000 रु. दोनों में जो भी अधिक है। रु.72,000

घटाया : नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का 10% रु. 6,000

वार्षिक मूल्य (ए0वी0) रु.66,,000

घटाया—

1.मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30% रु.19,800

2. गत वर्ष 2018—19 का ब्याज रु. 2,000

निर्माण कार्य पूरा होने वाले गत वर्ष(2014—15)

से पूर्व के गत वर्ष 2013—14 का ब्याज रु.2,000

जो 5 समान किस्तों में कटौती योग्य है रु. 400 रु. 22,200

मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0) रु. 43,,800

मकान—सम्पत्ति से कर योग्य आय (रु.36,,800+ 43,800) रु. 80,,600

उदाहरण : 5

जेड दो मकानों का स्वामी है। वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए उसने निम्न विवरण दिये हैं:

1. प्रथम मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 80,000 रु. है। यह **जेड** द्वारा स्वयं निवास के लिए प्रयोग किया जाता है। उसने 400 रु. अग्नि बीमा प्रीमियम एवं 8,000 रु. नगरपालिका कर के चुकाये। उसने 15,000 रु. ऋण पर ब्याज का भुगतान भी किया। यह ऋण इस मकान को बनवाने के लिए, लिये गये एक अन्य ऋण को चुकाने के लिए, लिया गया था।

2. द्वितीय मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 36,000 रु. है तथा मानक किराया 40,000 रु. है यह 4,000 रु. प्रति माह के किराये पर उठाया गया है। उसने निम्न भुगतान किये हैं:

नगरपालिका कर	7,000 रु.
मरम्मत	2,000 रु.
भू-राजस्व	500 रु.
मकान को खाली कराने के लिए कानूनी व्यय	5000 रु.
वार्षिक भार	5,000 रु.

यह मकान दो माह खाली रहा। किरायेदार से 10,000 रु. वसूल नहीं किये जा सके। किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है। यह मानते हुए कि नियम 4 की शर्तें पूरी होती हैं, कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उसकी मकान-सम्पत्ति शीर्षक की आय निकालिए।

प्रश्नोत्तर :

**मकान-सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना
(कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए)**

1- प्रथम मकान :

वार्षिक मूल्य (ए0वी0) – स्वयं निवास के लिए प्रयोग	शून्य
घटाया- गत वर्ष 2018-19 का ब्याज	रु. 15,000
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)	(-) रु.15,000

2- द्वितीय मकान :

सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0)	
नगरपालिका मूल्यांकन 36,000 रु(सम्भावित किराया) ;	
वास्तविक किराया (48,000-8,000)=40,000रु.	
दोनों में जो भी अधिक है।	रु.40,000
घटाया : 1. नगरपालिका कर	रु. 7,000
2. वसूल न हुआ किराया	रु.10,000 रु.17,000
वार्षिक मूल्य	रु.23,000
घटाया-	
मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30%	रु. 6,900
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)	रु. 16,100
मकान-सम्पत्ति से कर योग्य आय (रु.(-)15,000+16,100)	रु. 1,100

5.9 सारांश

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार कुल आय के पांच शीर्षकों में 'मकान-सम्पत्ति से आय' सकल कुल आय का दूसरा शीर्षक है। धारा 22

के अनुसार इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों, अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहे हों, अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हों एवं अंशतः किराए पर उठाए हुए हों; परन्तु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है। मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं- 1-पूर्णतया कर-मुक्त आयें आयें जो न सकल कुल आय में शामिल की जाती हैं और न उन पर कर लगता है। 2- कटौती-योग्य आयें, जो करदाता की सकल कुल आय में तो शामिल होती हैं परन्तु वे कुल आय में शामिल नहीं होतीं। मकान-सम्पत्ति से आय की गणना के लिए सर्वप्रथम उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। सम्भावित किराया या उचित किराया एवं वास्तविक किराये में जो अधिक हो, वह वार्षिक मूल्य होगा, किन्तु सम्भावित किराया मानक किराये से अधिक नहीं सकता, परन्तु यह मानक किराये से कम हो सकता है। नगरपालिका कर की मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के उपरोक्त प्रकार से निर्धारित सकल वार्षिक मूल्य में से घटाकर अवशेष राशि उसका वार्षिक मूल्य होगी। किराये पर उठाई गई मकान-सम्पत्ति की कर-योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में से कटौतियां - (1) मानक कटौती एवं (2) ऋण पर ब्याज स्वीकृत होती हैं।

धारा 24 (a) के अनुसार मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30% दी जाती है, चाहे मकान के लिए कोई खर्चा किया गया हो या नहीं। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है। मकान-सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, मरम्मत या इसका पुनर्निर्माण कराने के लिए लिये गये ऋण पर देय ब्याज की राशि की कटौती स्वीकृत है, चाहे ब्याज का भुगतान किया गया हो अथवा नहीं। यदि मकान निर्मित होकर तैयार होने अथवा क्रय करने से पूर्व के गत वर्षों से सम्बन्धित ऋण पर ब्याज देय है और ऐसा ब्याज इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है तो ऐसा ब्याज मकान के क्रय अथवा निर्मित होकर तैयार होने वाले गत वर्ष से आरम्भ होकर पांच समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा। धारा 25-ए के अनुसार कटौती पाने के पश्चात न वसूल हुए किराये की प्राप्ति होने पर आय कर लगेगा। मकान-सम्पत्ति शीर्षक की अशोधित हानि उसी वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय में से घटायी जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान-सम्पत्ति से आय में से घटाई जा सकती है।

5.10 शब्दावली

मकान सम्पत्ति : इसमें उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आय कर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है।

सम्भावित किराया : वह रकम जितने में वह मकान प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर उठाया जा सकता है।

नगरपालिका मूल्य: कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उचित किराया : समान प्रकार के स्थान में समान प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक द्वारा प्राप्त किया जा रहा किराया है।

वार्षिक मूल्य : मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की मालिक द्वारा वहन की गई रकम को घटाकर अवशेष राशि उसका वार्षिक मूल्य होती है।

मकान-सम्पत्ति से हानि : मकान-सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की तुलना में उससे सम्बन्धित व्ययों के अधिक होने पर मकान-सम्पत्ति से हानि होती है। यह हानि किसी दूसरे मकान की आय में से घटायी जा सकती है।

एच0यू0एफ0 : हिन्दू अविभाजित परिवार

एम0वी0 : नगरपालिका मूल्य

जी0ए0वी0 : सकल वार्षिक मूल्य

ए0वी0 : वार्षिक मूल्य

एन0ए0वी0 : शुद्ध वार्षिक मूल्य

5.11 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

- (1) यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे पर है तो उसे पुनः किराये पर उठाने से करदाता को जो आय प्राप्त होती है वहशीर्षक में आती है।
- (2) मानक कटौती वार्षिक मूल्य काहोती हैं।
- (3) कटौती तब भी दी जाएगी चाहे मकान के लिए कोई खर्चा किया गया हो या नहीं।
- (4) स्वयं के रहने के एकमात्र मकान का वार्षिक मूल्य होता है।
- (5) स्वयं के रहने का मकान को 30.3.1999 के पश्चात् ऋण लेकर क्रय अथवा निर्माण किया जाता है तो ब्याज की कटौतीतक स्वीकृत होगी।

(ब) सत्य/असत्य बताइए।

- (1) करदाता द्वारा अपने ही व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाले मकान से आय कर योग्य मानी जाती है।
- (2) स्वयं के रहने के मकान या उसके भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है, तो ब्याज की कटौती स्वीकृत नहीं होती है।
- (3) मकान-सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, मरम्मत या इसका पुर्ननिर्माण कराने हेतु ऋण लेने के लिए दी गई दलाली या कमीशन की कटौती स्वीकृत नहीं है।
- (4) नगरपालिका कर उस गत वर्ष में घटाए जाएंगे जिसमें उनका वास्तव में भुगतान हुआ हो।
- (5) स्वयं के रहने वाले मकान के सम्बन्ध में अशोधित हानि किसी भी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है।

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) (1) अन्य साधनों से आय (2) 30% (3) मानक कटौती (4) शून्य (5) 2,00,000 रु.

(ब) (1) असत्य (2) असत्य (3) सत्य (4) सत्य (5) सत्य

5.13 स्वपरख प्रश्न

1. मकान-सम्पत्ति से क्या तात्पर्य है ? मकान-सम्पत्ति से आय की उन मदों को समझाइए जिन पर कर नहीं लगता है । इनकी गणना कैसे की जाती है?
2. वार्षिक मूल्य के आशय को समझाइए। उन मकान-सम्पत्ति से आय के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियों का वर्णन कीजिये।
3. मकान-सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य को निर्धारित करने के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को उदाहरणों के द्वारा समझाइये।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।
(क) उचित किराया (ख) सम्भावित किराया (ग) वास्तविक किराया (घ) मानक किराया।
5. स्वयं के आवास में प्रयुक्त मकान-सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है ?
6. मकान-सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के संबंध में प्रावधानों को उदाहरण के द्वारा समझाइये।

5.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhanian : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच०सी० एवं जोशी सीवएस० : आय कर- कर निर्धारण वर्ष 2019-20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई : 6 ह्रास

इकाई की रूपरेखा

- 6.1 प्रस्तावना
 - 6.2 ह्रास का अर्थ
 - 6.3 ह्रास के संबंध में महत्वपूर्ण बातें
 - 6.4 प्लाण्ट तथा मशीन पर अतिरिक्त ह्रास
 - 6.5 सम्पत्ति की वास्तविक लागत
 - 6.6 परिस्थितियों जिनमें वास्तविक लागत माना हुआ मूल्य, मूल्य होता है।
 - 6.7 अपलिखित मूल्य
 - 6.7.1 विभिन्न दशाओं में अपलिखित मूल्य
 - 6.8 सम्पत्तियों का समूह एवं ह्रास की दरें
 - 6.9 अशोधित ह्रास
 - 6.10 ह्रास की गणना प्रक्रिया
 - 6.11 ह्रास सम्बन्धी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पूंजी लाभ
 - 6.12 विनियोग भत्ता
 - 6.13 सारांश
 - 6.14 शब्दावली
 - 6.15 बोध प्रश्न
 - 6.16 बोध प्रश्नों के उत्तर
 - 6.17 स्वपरख प्रश्न
 - 6.18 सन्दर्भ पुस्तकें
-

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर अधिनियम में ह्रास के प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर सकें।
 - अतिरिक्त ह्रास के नियम की व्याख्या कर सकें।
 - सम्पत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ जान सकें।
 - अपलिखित मूल्य का अर्थ जान सकें।
 - ह्रास की गणना किस प्रकार की जाती है, की व्याख्या कर सकें।
-

6.1 प्रस्तावना

व्यापार में सम्पत्तियों का प्रयोग होने के कारण, उनका जीवन समाप्त की ओर अग्रसर होता है। निरन्तर प्रयोग के कारण सम्पत्तियाँ बेकार हो जाती हैं। उस समय उनकी पुर्नस्थापना की आवश्यकता पड़ती है। अतः व्यापार और पेशा के लाभों में से एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली कमी की राशि से अलग कर दी जाए। यह अलग की गई राशि जिसे ह्रास के नाम से जाना जाता है, संस्था में विनियोजित रहती है। जब भी सम्पत्ति का पुर्नस्थापन किया जाता है, यही राशि प्रयुक्त हो जाती है। इससे संस्था के स्रोतों पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है।

6.2 ह्रास का अर्थ

व्यवसाय में अनेक प्रकार की सम्पत्तियों के लगातार प्रयोग के कारण इन सम्पत्तियों के आन्तरिक मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी स्थायी सम्पत्ति के पुस्तकीय मूल्य में हुई कमी ह्रास कहलाती है। ऐसी कमी टूट फूट या अप्रचलन के कारण होती है। सम्पत्ति के जीवनकाल में स्थायी सम्पत्ति के लागत मूल्य को ह्रास के द्वारा अपलिखित किया जाता है। लागत मूल्य को ह्रास के द्वारा अपलिखित किया जाता है।

6.3 ह्रास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें

1. ह्रास एक वास्तविक क्षय एवं स्वीकृत कटौती है और आयकर के उद्देश्य के लिए आय की गणना करते समय इसको कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार आयकर केवल उन्हीं लाभों पर दिया जाता है जो ह्रास घटाने के बाद बचते हैं।
2. धारा 32 (1) के अनुसार ह्रास मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की सम्पत्तियों पर मिलता है। मूर्त सम्पत्तियों में भवन, मशीन अथवा प्लाट तथा फर्नीचर पर ह्रास स्वीकृत होता है। भवन से तात्पर्य भूमि पर बने ढांचे से हैं इसमें भूमि शामिल नहीं है। भवन के अर्न्तगत पुल, पुलियाँ, सड़क, कुँआ, नलकूप आदि भी शामिल है। प्लाण्ट में समुद्री जहाज, गाडियाँ, पुस्तके वैज्ञानिक यन्त्र शल्यकर्म आदि शामिल हैं। परन्तु इसमें पशु, चाय के पौधे, भवन, फनीचर फिटिंग शामिल नहीं है।
3. अमूर्त सम्पत्तियों में तकनीकी ज्ञान, पेटेण्ट कापीराईट ट्रेडमार्क लाइसेंस विशेषाधिकार जो 31-3-1998 के पश्चात प्राप्त किए गए हैं, पर कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से ह्रास स्वीकार है।
4. करदाता सम्पत्ति का आंशिक या पूर्णतया स्वामी होना चाहिए। किराये या पट्टे पर सम्पत्ति लेने पर ह्रास के स्थान पर किराये या पट्टे पर कटौती मिलेगी।
5. सम्पत्ति गत वर्ष में करदाता के व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होनी चाहिए तथा सम्पत्ति गत वर्ष के अंतिम दिन भी प्रयोग में होनी आवश्यक है।
6. ह्रास सम्पत्तियों के खण्ड के आधार पर स्वीकृत होता है जो उस खण्ड के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दर से घटाया जाता है। ऐसी मूर्त अथवा अमूर्त सम्पत्तियों, जो एक वर्ग की हो और जिन पर ह्रास की एक समान दर लागू है, सम्पत्तियों का एक खण्ड कहलाता है।
7. लेखांकन में सामान्यतः आयकर अधिनियम में वर्णित ह्रास की दरों को लागू किया जाता है। सामान्यतः सम्पत्तियों के खण्ड के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दरों से ह्रास स्वीकृत होता है। लेकिन यदि औद्योगिक अपक्रम शक्ति के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण में लगा है, तो ऐसी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत पर निर्धारित दरों से ह्रास स्वीकृत होगा।

8. यदि गत वर्ष में प्राप्त की गई सम्पत्ति, व्यापार में 180 दिन से कम प्रयोग की जाए तो उस सम्पत्ति के संबंध में उस गत वर्ष के लिए सामान्य निर्धारित दर का 50 प्रतिशत ह्रास स्वीकृत होता है। यदि करदाता अपनी कुल करयोग्य आय की गणना करते समय ह्रास की कटौती नहीं करता तो भी उस करदाता को ह्रास की कटौती मिलेगी।
9. यदि भारत में व्यवसाय या पेशे के प्रयोग हेतु विदेश में निर्मित मोटर-कार 31-03-2001 के बाद खरीदी गई तो उस पर ह्रास स्वीकृत होगा।
10. यदि कोई करदाता किराये पर भवन लेकर अपना व्यापार चला रहा है तो उसे ह्रास की कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। उसे किराये की कटौती मिलेगी। यदि वह उस भवन में विकास, नवीनीकरण अथवा सुधार के लिए कुछ बनवाता है तो ऐसे पूंजीगत व्यय के लिए ह्रास स्वीकृत होगा।
11. भूमि पर कोई ह्रास स्वीकृत नहीं होगा।
12. यदि कोई सम्पत्ति गत वर्ष में बेच दी जाए तो अपलिखित मूल्य से घटा दी जायेगी।

6.4 प्लाण्ट तथा मशीन पर अतिरिक्त ह्रास

वह करदाता जो किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन कार्य में संलग्न है, और गत वर्ष में एक नया प्लाण्ट या मशीन खरीद कर अपने व्यवसाय में प्रयोग में लाया जाता है तो उसे 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ह्रास स्वीकार किया जाता है। यह नियम पोत या वायुयान पर लागू नहीं होता है। यदि सम्पत्ति 180 दिन से कम प्रयोग की जाए तो तब 10 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत होगा। परन्तु उपरोक्त 10 प्रतिशत (बचा हुआ) उसे अगले वित्त वर्ष में स्वीकृत होगा। अतिरिक्त ह्रास ऐसे औद्योगिक उपक्रम का भी स्वीकार होगा, जो विद्युत के उत्पादन या पारेक्षण या वितरण में लगा हो। यदि कोई करदाता किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए कोई उपक्रम आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, विहार, पश्चिम बंगाल के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में 31-03-2015 के बाद स्थापित करता है एवं 01-04-2020 से पूर्व नई प्लाण्ट या मशीनरी (पोत एवं वायुयान को छोड़कर) लगाता है तो उसे 35 प्रतिशत की दर से "अतिरिक्त ह्रास" स्वीकृत होगा परन्तु ऐसे प्लाण्ट या मशीनरी के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। प्लाण्ट तथा मशीनरी पर अतिरिक्त कटौती निम्न दशाओं में स्वीकृत नहीं होगी।

- यदि प्लाण्ट करदाता द्वारा स्थापित करने से पूर्व भारत या विदेश में काम में लिया गया था।
- ऐसा प्लाण्ट या मशीन कार्यालय या रिहाईश मकान या अतिथिगृह में काम लिया गया।
- प्लाण्ट या मशीन जिसकी सम्पूर्ण वास्तविक लागत को किसी एक पूर्व वर्ष के व्यापार या पेशे के लाभ के रूप में कटौती स्वीकार की गई हों।

6.5 सम्पत्तियों की वास्तविक लागत

आयकर अधिनियम की धारा 43 (1) के अनुसार, वास्तविक लागत का अर्थ करदाता के लिए सम्पत्ति की उस वास्तविक लागत (सभी कर सहित) से है, जिसमें से किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुकाई गयी कोई भी राशि घटा दी गई है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई सम्पत्ति 2,50,000 रुपये की खरीदी और सरकार ने इसमें 25,000 रुपये का अनुदान/ सहायता दी, तब करदाता के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत 2,25,000 रु. होगी। यदि किसी मशीन या उसके भाग के क्रय या प्राप्ति हेतु एक दिन में किया गया कोई एक भुगतान या अनेकों भुगतानों की राशि 10,000 रुपये से अधिक है, तथा वह भुगतान या अनेकों भुगतान खाते में देय चैक या बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से भुगतान करने की किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा नहीं किया गया, तो ऐसे एक भुगतान या अनेकों भुगतानों को उस क्रय की गई मशीन या मशीन के भाग की वास्तविक लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। सम्पत्ति की प्राप्त लागत में निम्नलिखित राशियाँ सम्मिलित की जाती हैं –

1. सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय— ऐसे व्यय जैसे सम्पत्ति का क्रय मूल्य, उस पर देय ब्याज। सम्पत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, बैंक व्यय विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि आदि
2. सम्पत्ति को स्थल तक लाने, उसको स्थापित करने तथा प्रयोग हेतु सक्षम बनाने में किए गए व्यय, जैसे चढ़ाने उतारने के व्यय, आगम भाड़ा, लगाने के व्यय, आधारशिला रखने के आयोजन का व्यय आदि (CIT Vs Nirlon Synthetic Fibres & Chemicals Ltd.)
3. सम्पत्तियों के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए किए गए व्यय जैसे सम्पत्ति को प्रयोग से पूर्व उसे प्रयोग हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उसकी मरम्मत तथा सुधार में किए गए व्यय, स्टाफ के प्रशिक्षण व्यय, आवश्यक निर्माणकार्यो जैसे भवन निर्माण, कूलिंग टॉवर, स्टोरेज रुम आदि के व्यय।
4. सम्पत्ति के प्रयोग से पूर्व उसके बीमा, शक्ति तथा परीक्षण दौड़ आदि के लिए किए गए व्यय –

धारा 43 (1) के स्पष्टीकरण 8 के अनुसार, यदि सम्पत्ति क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज सम्पत्तियों के प्रथम प्रयोग के बाद देय है ऐसा ब्याज सम्पत्ति का वास्तविक लागत में नहीं जोड़ा जायेगा। यह ब्याज व्यापार या पेशे की एक स्वीकृत कटौती है। इस प्रकार सम्पत्ति को प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व उसके सम्बन्ध में किए गए समस्त व्यय सम्पत्ति की लागत में जोड़े जाते हैं।

6.6 परिस्थितियों जिनमें वास्तविक लागत माना हुआ मूल्य, मूल्य होता है

1. भेट स्वरूप प्राप्त सम्पत्ति अथवा पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य—

यदि करदाता ने कोई सम्पत्ति भेट स्वरूप अथवा पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की हो तो करदाता के लिए उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत निम्न होगी –

- पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत में से पूर्व स्वामी को स्वीकार की गयी ह्रास की राशि घटाकर उसका अपलिखित मूल्य इस अपलिखित मूल्य पर उतना ह्रास स्वीकार किया जाएगा जितना पूर्व स्वामी को स्वीकृत होता है। जैसे कि माना संबंधित ब्लॉक में केवल यही एक सम्पत्ति होती ।

- सम्पत्ति की प्राप्ति की दिनांक पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इस दशा में वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

2. पुरानी सम्पत्ति क्रय करना –

यदि कोई करदाता ने किसी अन्य से उसके व्यापार में प्रयोग होती हुई सम्पत्ति खरीदी है और कर निर्धारण अधिकारी की सम्पत्ति में क्रेता ने इस सम्पत्ति पर अधिक ह्रास की छूट की माँग करने के उद्देश्य से सम्पत्ति अधिक मूल्य पर खरीदी तो इस सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह होगी, जो सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर- निर्धारण अधिकारी की सम्पत्ति में उचित हो परन्तु इसके लिए संयुक्त कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

3. सम्पत्ति जिसको पुनः क्रय किया गया हो –

जब एक सम्पत्ति को विक्रय करने के बाद जब करदाता पुनः प्राप्त या क्रय कर लेता है तो ह्रास स्वीकार करने के लिए उसकी वास्तविक लागत निम्न में सबसे कम राशि होगी ।

- प्रथम बार की लागत में से उस सम्पत्ति पर करदाता को पूर्व में स्वीकृत कुल ह्रास घटाने के बाद शेष बची राशि अथवा करदाता द्वारा दुबारा प्राप्त करने के लिए चुकाई गयी वास्तविक लागत की राशि ।

4. सम्पत्ति का विक्रय एवं उसी सम्पत्ति को पुनः पट्टे पर प्राप्त किया हो –

यदि करदाता किसी सम्पत्ति को बेचने के उपरान्त पुनः वही करदाता उस सम्पत्ति को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा अन्यथा प्राप्त कर लेता है तो ह्रास स्वीकार करने के लिए उसकी वास्तविक लागत उसका वह अपलिखित मूल्य माना जाएगा जो उसे हस्तान्तरण करते समय विक्रेता का था ।

5. भवन सम्पत्ति के व्यक्तिगत उपयोग से व्यापार में प्रयोग करने पर –

यदि कोई भवन सम्पत्ति करदाता की सम्पत्ति हो और वह करदाता के व्यक्तिगत उपयोग या किराए पर उठाया गया और बाद में अपने व्यापार के उपयोग में लाए तो जिस गत वर्ष में ऐसी सम्पत्ति का व्यापार में प्रयोग होना शुरु हुआ हो उस पर उस गत वर्ष से ह्रास स्वीकृत होगा। ऐसी सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निम्न होगा –

सम्पत्ति की वास्तविक लागत — गत वर्ष से पूर्व के वर्षों का ह्रास (गत वर्ष की दर से) =

अपलिखित मूल्य

6.7 अपलिखित मूल्य

धारा 43 (6) के अनुसार अपलिखित मूल्य का आशय –

1. गत वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति की दशा में— करदाता की सम्पत्ति की वास्तविक लागत से है ।

2. गत वर्ष से पूर्व प्राप्त की गई सम्पत्ति की दशा में— करदाता के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से गत वर्ष से पूर्व तक वास्तव में स्वीकार की गई, ह्रास की राशि घटाकर जो राशि बचेगी, वही सम्पत्ति का गत वर्ष के प्रारंभ का अपलिखित मूल्य होगा ।
3. सम्पत्ति समूह (खण्ड) का अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा —
 - तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष में सम्पत्ति खण्ड का अपलिखित मूल्य ज्ञात करें अर्थात् तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के 01 अप्रैल को सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य ज्ञात करें तथा सम्पत्ति खण्ड के अपलिखित मूल्य में से उस गत वर्ष का स्वीकृत ह्रास घटा दीजिये ।
 - इस राशि में, गत वर्ष के दौरान खरीदी गई सम्पत्ति की वास्तविक लागत जोड़ दीजिये ।
 - इस योग में से इन सम्पत्तियों को (जो गत वर्ष में खण्ड से बेची गयी) को घटा दीजिये परन्तु ऐसी राशि का योग उपरोक्त में गणित अपलिखित मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार किसी भी स्थिति में सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य शून्य हो सकता है किन्तु शून्य से कम नहीं हो सकता। उक्त प्रक्रिया में गणित राशि, गत वर्ष के ह्रास की गणना के लिए सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य होगा ।
4. एक मुश्त विक्रय की दशा में — अपलिखित मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगी —

एक मुश्त विक्रय की दशा में हस्तान्तरित समूह में आने वाली

किसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत—

0 0 0 0

घटाइये— स्वीकृत ह्रास

— 0 0

अपलिखित मूल्य 0 0 0 0

6.7.1 विभिन्न दशाओं में अपलिखित मूल्य —

विभिन्न दशाओं में सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के निम्न प्रावधान है :—

1. व्यापार एवं पेशों में उत्तराधिकार —

धारा 43 (6) के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को व्यापार या पेशा एकाधिकार में प्राप्त होता है, और कर निर्धारण उत्तराधिकारी पर किया जाता है तो सम्पत्तियों के ब्लॉक का अपलिखित मूल्य वह राशि होगी जो उस समय होती है, जब व्यापार या पेशे का उत्तराधिकार परिवर्तित नहीं हुआ होता। अन्य शब्दों में, उत्तराधिकार परिवर्तन हो जाने पर भी अपलिखित मूल्य सामान्य प्रक्रिया में निर्धारित अपलिखित मूल्य होगा, जैसे कि मान लो व्यापार या पेशे का स्वामित्व बदला ही ना हो ।

2. सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को तथा सहायक सम्पनी को सम्पत्ति ब्लॉक का हस्तांतरण की दशा में —

सम्पत्ति पाने वाली कम्पनी के लिए उस सम्पत्ति ब्लॉक की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो हस्तान्तरणकर्ता कम्पनी के तरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के अपलिखित मूल्य में से उसी वर्ष गत वर्ष का स्वीकृत ह्रास घटाकर आती है। बशर्ते सूत्रधारी कम्पनी के

पास सहायक कम्पनी के सम्पूर्ण अंश है तथा हस्तान्तरण प्राप्तकर्ता एक भारतीय कम्पनी है।

3. एकीकरण के समय सम्पत्ति ब्लॉक का हस्तान्तरण की दशा में-

एक कम्पनी किसी दूसरी भारतीय कम्पनी को एकीकरण की किसी योजना के अर्न्तगत गत वर्ष में कोई सम्पत्ति ब्लॉक का हस्तान्तरण करती है तो एकीकृत भारतीय कम्पनी के लिए एस सम्पत्ति ब्लॉक की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो हस्तान्तरणकर्ता कम्पनी के लिए हस्तान्तरण से तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के अपलिखित मूल्य में से उसी वर्ष गत वर्ष का स्वीकृत ह्रास घटाकर आएगी।

4. विभक्तिकरण पर सम्पत्ति समूह का हस्तान्तरण की दशा में-

यदि किसी गत वर्ष में किसी विभक्त कम्पनी द्वारा किसी सम्पत्ति समूह की किसी सम्पत्ति को परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाता है, तो तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के लिए विभक्त कम्पनी के उस सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य विभक्तिकरण के अर्न्तगत परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य की राशि से कम कर दिया जाएगा।

5. अंशतः कृषि आय एवं अंशतः व्यापारिक आय की दशा में अपलिखित सूचना -

यदि किसी गत वर्ष में करदाता को होने वाले आय अंशतः कृषि आय है तथा अंशतः कर योग्य आय है जो व्यापार एवं पेशे से लाभ या प्राप्तियाँ शीर्षक में कर योग्य है, तो गत वर्ष से पूर्व प्राप्त पूंजी सम्पत्तियों के संबंध में ह्रास की गणना यह मानकर की जाएगी कि जैसे सम्पूर्ण आय व्यापार एवं पेशे से आय या प्राप्तियाँ शीर्षक की ही आय है। इन सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य की गणना सम्पत्तियों की प्राप्त लागत में से इस प्रकार से गणित सम्पूर्ण ह्रास को घटाकर की जायेगी, इस प्रकार, सम्पूर्ण ह्रास की राशि को कटौती के रूप में स्वीकृत की जाएगी।

6.8 सम्पत्तियों का समूह एवं ह्रास की दरें

व्यापार में सम्पत्ति समूह के संबंध में ह्रास स्वीकृत किया जाता है धारा 2 (11) के अनुसार " सम्पत्ति समूह से तात्पर्य उन सम्पत्तियों से है जो किसी एक ही वर्ग की सम्पत्तियों में आती हैं।

1. मूर्त सम्पत्तियाँ- भवन मशीनरी, प्लाण्ट एवं फर्नीचर
2. अमूर्त सम्पत्तियाँ- पेटेन्ट, नो- हाऊ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेन्स, फ्रेन्चाइज आदि

इन सम्पत्तियों को 13 सम्पत्ति समूह में विभक्त किया गया है। भवन के 3 समूह, फर्नीचर का 1 समूह, प्लाण्ट तथा मशीनरी के 8 समूह तथा अमूर्त सम्पत्तियों के 1 समूह।

ह्रास की दरें -

1. यदि कोई औद्योगिक उपक्रम शक्ति के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण में लगा है तो उसकी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत पर निर्धारित दरों से ह्रास लिया जा सकता है।
2. अन्य दशा में सम्पत्तियों के खण्ड के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दरों से ह्रास स्वीकृत होगा।

ह्रास की निर्धारित दरें आयकर नियम 1962 की अपैन्डिक्स - 1 के भाग-1 में दी हुई हैं। वर्तमान में लागू दरें निम्नलिखित हैं -

मूर्त सम्पत्तियाँ

अपलिखित मूल्य पर ह्रास दर

w,e.f. 01-04-2017

A— भवन

1. जो रिहायशी प्रयोग में है (होटल तथा बोर्डिंग हाऊस को छोड़कर) 5 %
2. जो रिहायशी प्रयोग नहीं है (उपरोक्त 1 व 3 को छोड़कर) 10%
3. ऐसे भवन जो 31-08-2002 के बाद पानी प्रदाय योजना या जल उपचार प्रणाली के लिए मशीन एवं प्लाण्ट स्थापित करने 40% के लिए प्राप्त किए जाते हैं।
4. पूर्णतया अस्थायी निर्माण -लकड़ी का खोखा 40%

B—फर्नीचर तथा फिटिंग्स

फर्नीचर तथा फिटिंग्स इलैक्ट्रिकल, फिटिंग्स
10%

C— मशीन तथा प्लाण्ट -

- क—सामान्य दरें 15%
- ख— विशिष्ट दरें
1. हवाई जहाज तथा हवाई इंजन 40%
 2. मोटरकार जो 01 अप्रैल 1990 या उसके बाद क्रय की गई 15%
 3. पेशे के लिए पुस्तकें -
—पुस्तकें जिनका वार्षिक प्रकाशन होता है 40%
—अन्य पुस्तकें 40%
 4. कम्प्यूटर (साफ्टवेयर शामिल है) 40%
 5. वातावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण यंत्र 40%
 6. जीवनरक्षक चिकित्सीय उपकरण 40%
 7. रिन्यूवल एनर्जी, डिवाइस, जैसे सोलर वाटर, हीटर, पम्प विन्ड 40%
सोलर कुकर, विन्ड मिल, एनर्जी वायोगैस प्लाण्ट आदि

D—जहाजरानी

1. समुद्र में चलने वाली जहाज %

20

%

(स्पीड बोट को छोड़कर)

3. आन्तरिक पानी पर चलने वाले स्पीड बोट

20 %

E-अमूर्त सम्पत्तियाँ

1- तकनीकी ज्ञान, पेटेण्ट ट्रेडमार्क लाइसेन्स आदि

25 %

6.9 अशोधित ह्रास

धारा 32 (2) के अनुसार, यदि किसी करदाता के गत वर्ष के व्यापार अथवा पेशे की आय पर कर निर्धारण करते समय कम लाभों अथवा लाभ न होने के कारण उस गत वर्ष के स्वीकृत सामान्य ह्रास की कटौती ना दे सकने पर, तब जितने ह्रास को उस गत वर्ष में कटौती नहीं मिल पाई उसे अशोधित ह्रास कहते हैं। ऐसे अशोधित ह्रास को उसी गत वर्ष में अन्य लाभों से (अन्य व्यापार के) से अपलिखित किया जा सकता है। यदि अशोधित ह्रास की पूरी राशि अभी भी अपलिखित ना हो पाए तो ऐसी बिना अपलिखित राशि को उसी गत वर्ष की किसी अन्य शीर्षक (वेतन शीर्षक को छोड़ कर) अपलिखित किया जा सकता है। शेष बची अशोधित ह्रास की राशि को अगले वर्षों में अपलिखित करने के लिए ले जाया जाता है।

अशोधित ह्रास को अपलिखित करने एवं आगे ले जाने के नियम निम्न प्रकार है।

अशोधित ह्रास को अपलिखित करने एवं आगे ले जाने की विधि –

1. चालू ह्रास उसी वर्ष के व्यापारिक लाभों से घटाना
2. चालू ह्रास उसी वर्ष के अन्य शीर्षकों की आय से घटाना
3. अशोधित ह्रास को आगे के वर्षों के लिए ले जाना
4. अशोधित ह्रास को आगामी वर्ष या वर्षों की किसी भी शीर्षक की कर योग्य आय से घटाना— अगले कर निर्धारण वर्षों में यह अशोधित ह्रास करदाता की किसी भी कर योग्य (वेतन शीर्षक को छोड़कर) में से पूरा किया जा सकता है। अशोधित ह्रास आगामी वर्षों में किसी भी अवधि तक आगे ले जाया जा सकता है। आगे ले जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार अशोधित ह्रास को आगामी वर्षों की किसी भी शीर्षक की कर योग्य आय से पूरा किया जाएगा। और तब तक आगे ले जाया जाएगा, जब तक अशोधित ह्रास पूरा समायोजित ना हो जाए। आगामी वर्षों में अशोधित ह्रास की कटौती के लिए अग्रलिखित क्रम अपनाया जायेगा।

- चालू ह्रास घटाया जाए
- आगे लाई गई व्यापार या पेशे की हानियाँ घटाया जाए
- आगे लाया गया अशोधित ह्रास घटाया जाए

यदि आगामी वर्षों के लिए हानियां आगे नहीं लाई गई है तो, अशोधित ह्रास की राशि को चालू ह्रास के साथ जोड़कर भी कटौती प्रदान की जा सकती है।

5. व्यापार बन्द होने की दशा में— अशोधित द्वास को आगामी वर्षों की आयों से समायोजित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यापार चालू रहे, जिस व्यापार का यह अशोधित द्वास है।
6. केवल उसी करदाता, जिसको द्वास स्वीकृत हुआ था, अशोधित द्वास को समायोजित कर सकता है। निम्न परिस्थितियों इस नियम का अपवाद है।
 - एकीकरण की दशा में
 - डीमरजर की दशा में
 - किसी फर्म का कम्पनी में परिवर्तन होने पर, की दशा में।
7. अशोधित द्वास किसी भी दशा में धारा 115 जे बी के अर्न्तगत कर निर्धारित आय से अधिक नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में, यदि कम्पनी के लाभों पर कर—निर्धारण धारा 115 जे बी के अर्न्तगत होता है, तो अशोधित आय किसी भी दशा में पुस्तकीय लाभों के 18.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

6.10 द्वास की गणना प्रक्रिया

द्वास की गणना करने के लिए विभिन्न चरणों में निम्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं —

1. सम्पत्ति की वास्तविक लागत का निर्धारण
2. सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य का निर्धारण
3. गत वर्ष में बेची गई प्रयोग से बाहर की गई अथवा नष्ट हुई सम्पत्ति के संबंध में देय राशि की गणना करना
4. द्वास की गणना करना
5. द्वास गणना नियम के अपवाद

उपरोक्त एक, दो, तीन का वर्णन पूर्व में हो चुका है। चतुर्थ का विवरण निम्न प्रकार है

द्वास की गणना करना —

- सर्वप्रथम समस्त सम्पत्तियों को सम्पत्ति समूहों में विभाजित करें।
- सम्पत्ति समूह से तात्पर्य उन सभी सम्पत्तियों से है, जिनपर एक ही दर से द्वास लगता है
- प्रत्येक सम्पत्ति समूह का उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार अपलिखित मूल्य अथवा प्रत्येक सम्पत्ति वर्ग की वास्तविक लागत ज्ञात कीजिये।
- प्रत्येक समूह के अपलिखित मूल्य पर उसी समूह पर लागू होने वाली द्वास की दरों से द्वास की गणना कीजिये।
- यदि किसी सम्पत्ति पर अतिरिक्त द्वास भी मिलना है तो उसकी गणना करें।

द्वास की गणना नियम के अपवाद —

सामान्यतः द्वास की गणना किसी सम्पत्ति समूह के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित प्रतिशत से की जाती है। यह नियम निम्न दशाओं में लागू नहीं होता —

- जब कोई सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य शून्य हो जाए तो कोई द्वास स्वीकृत नहीं होगा। चाहे गत वर्ष के अंतिम दिन उस सम्पत्ति समूह में कुछ सम्पत्तियाँ विद्यमान हैं।

- यदि किसी सम्पत्ति समूह की सारी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित या बेच दी गई हो और उसमें भौतिक रूप से सम्पत्तियाँ विद्यमान ना हो तो भी कोई ह्रास स्वीकृत नहीं होगा चाहे उसका अंतिम दिन मूल्य (पुस्तकीय) क्यों ना हों ।
- यदि सम्पत्ति खरीदे गए गत वर्ष में 180 दिन से कम प्रयोग में लाने पर निर्धारित दर से 50 प्रतिशत दर पर ह्रास स्वीकृत होगा ।
- अतिरिक्त ह्रास केवल एक बार प्रथम वर्ष में ही मिलेगा ।

6.11 ह्रास सम्बन्धी सम्पत्तियों के संबंध में पूंजी लाभ

किसी सम्पत्ति समूह का अपलिखित समूह का अपलिखित मूल्य निम्न दशाओं में शून्य हो सकता है –

1. करदाता द्वारा गत वर्ष में हस्तान्तरित या विक्रय की गई सम्पत्तियों का मूल्य (अवशेष मूल्य सहित) यदि गत वर्ष में प्राप्त सम्पत्तियों की वास्तविक लागत जोड़कर आने वाले अपलिखित मूल्य से अधिक हो जाने पर अन्य शब्दों में –

Sale Price + Scrap value is greater than WDV + Actual cost of asset acquired within the block = Nil or Zero WDV

2. यदि सम्पत्ति समूह की समस्त सम्पत्तियाँ गत वर्ष में हस्तान्तरित कर दी गई हों –

धारा 50 (1) के अनुसार, यदि किसी सम्पत्ति समूह की समस्त सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित या समाप्त नहीं होती, परन्तु गत वर्ष में सम्पत्ति समूह से हस्तान्तरित ह्रास योग्य सम्पत्तियों से प्राप्त या अर्जित प्रतिफल निम्न के योग से अधिक हो जाता है

–

- ऐसे हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किए गए व्ययएवं
 - गत वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य तथा,
 - सम्पत्ति समूह में गत वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति की वास्तविक लागत
- तो ऐसी आधिक्य राशि अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा ।

Short term Capital Gain = Sale Price – (Expenses regarding sale + WDV of the block of assets at the beginning of the previous year + Actual cost of assets acquired during the previous year)

धारा 50 (2) के अनुसार, यदि गत वर्ष में किसी सम्पत्ति समूह में कोई भी सम्पत्ति ना हो (क्योंकि सभी सम्पत्तियाँ गत वर्ष में हस्तान्तरित कर दी) तो समूह की सम्पत्तियों की प्राप्ति की लागत निम्न प्रकार होगी ।

- समूह की सम्पत्तियों का गत वर्ष के प्रारम्भ में अपलिखित मूल्य तथा
 - गत वर्ष में समूह के अर्न्तगत प्राप्त सम्पत्तियों की वास्तविक लागत
- ऐसे हस्तान्तरण से प्राप्त या अर्जित लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं ।

6.12 विनियोग भत्ता

धारा 32 ए डी के अनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016–17 से, एक नए प्लाण्ट या मशीन में विनियोग करने के संदर्भ में, सभी प्रकार के करदाताओं को कटौती मिलेगा ।

कटौती करदाता – सभी करदाताओं को कटौती की शर्तें –

यदि किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन के लिए आन्ध्रप्रदेश राज्य या बिहार या तेलंगाना या पश्चिम बंगाल में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में 31-3-2015 के बाद उद्यम स्थापित करता है। और उसमें 01-04-2020 से पूर्व नया प्लांट या मशीनरी लगाता है। सम्पत्ति को जिस वर्ष लगाया जाएगा उस गत वर्ष में कटौती मिलेगी।

कटौती की मात्रा — वास्तविक लागत का 15 %

शर्तें — यदि सम्पत्ति को उसके लगाये जाने के पाँच वर्ष के अन्दर बेच देती है। (समामेलन या अविलयन को छोड़ कर) तब कटौती की राशि उस गत वर्ष में कर योग्य हो जाएगी, जिस गत वर्ष में बेची गई।

कर योग्य शीर्षक — व्यापार एवं पेशा

क्रियात्मक प्रश्न एवं उनके हल

उदाहरण 01 –

01 अप्रैल 2018 को मनोज कुमार की सम्पत्तियाँ निम्न हैं। ह्रास की दर 15 प्रतिशत है। मशीन का अपलिखित मूल्य (01.04.2018) को रु. 5,00,000। 01 जुलाई 2018 को एक नई मशीन (ह्रास दर 15 प्रतिशत) रु. 2,00,000 की खरीदी। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए ह्रास की गणना कीजिये।

हल

ह्रास की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

ब्लॉक 1 (मशीनरी) : ह्रास दर @ 15% :

WDV on 01-04-2018	= Rs. 5,00,000
Add : Purchase on 01-07-2018	= <u>Rs. 2,00,000</u>
	= Rs. 7,00,000
Less : Depreciation 7,00,000 x 15/ 100	= <u>Rs. 1,05,000</u>
31-03-2019 = अपलिखित मूल्य	= <u>Rs. 5,95,000</u>
ह्रास की राशि	= Rs. 1,05,000

उदाहरण 02 –

ह्रास की गणना कीजिये—

31 मार्च 2018 को मशीन की लागत 12 लाख है। इनमें 01 जनवरी 2016 को क्रय की गई मशीन की 50,000 रुपये की लागत तथा 01 जनवरी 2018 को खरीदी गई 1,50,000 रुपये की लागत शामिल है। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 में 3,60,000 रुपये का कुल ह्रास स्वीकृत हुआ था। ह्रास की दर 15 प्रतिशत है।

हल—

ह्रास की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

मशीन की लागत
12,00,000

रु.

घटाओ – ह्रास upto Ay 2018-19 रु. 3,60,000 WDV on 31.03.2018
रु. 8,40,000

ह्रास की राशि (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) रु.
1,26,000 (8,40,000 X 15 / 100)

उदाहरण 03

श्री गगन सिंह एक कारखाने के मालिक है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए ह्रास की गणना कीजिये

	रु.	दर
भवन – कारखाना भवन (अपलिखित मूल्य)	80,000	10 %
ऊपर के भवन में नयी वृद्धि 01.09.2018	40,000	
कार्यालय भवन (अपलिखित मूल्य)	50,000	10 %
मशीन – मशीन का अपलिखित मूल्य	1,00,000	15 %
01–04–2018 को नई मशीन खरीदी		60,000
01.11.2018 को पुरानी मशीन खरीदी		50,000
01–11–2018 को पुरानी मशीन बेची		40,000
फर्नीचर : फर्नीचर का अपलिखित मूल्य	15,000	10 %
01–12–2018 को नया फर्नीचर खरीद		5,000

हल

ह्रास की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2019–20)

ब्लॉक 1 :

भवन – 80,000 + 40,000 + 50,000 = 1,70,000

Depreciation on 1,70,000 = 17,000

ब्लॉक 2–

Machine : 1,00,000 + 60,000 + 50,000 = 2,10,000 -- 40,000 = 1,70,000

15 % depreciation on 1,20,000 = 18,000

7.5% Depreciation on 50,000 = 3,750 = 21,750

Additional Depreciation on New Machine @ 20% = 12,000

ब्लॉक 3 :

Furniture : 15,000 + 5000 = Rs. 20,000

10% Depreciation on 15000 = 1500

5% Depreciation on 5000 = 750 = 1,750

= 52,500

उदाहरण – 04 :

श्री कृष्ण कुमार ने 04 अप्रैल 2015 को अपने निजी प्रयोग के लिए एक कार रु. 3,60,000 की खरीदी । 12 अगस्त 2018 को उसने यह कार अपने पुत्र को उपहार में

दी, जिसने उसे अपने पेशे के लिए प्रयोग किया उपहार के दिन कार का बाजार मूल्य 2, 00,000 रुपये था । कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के ह्रास की गणना करने के लिए कार की लागत की गणना कीजिये ।

हल-

कार की लागत की गणना

पूर्व मालिक की कार की लागत	= रु. 3,60,000
घटाओ : माना गया ह्रास गत वर्ष 2016-17 @ 15%	= रु. 54,000
	= रु. 3,06,000
घटाओ : माना गया ह्रास गत वर्ष 2017-18 @ 15%	= रु. 45,900
कार की लागत 01.04.2018	= रु. 2,60,100

उदाहरण 05 -

श्री संजय कुमार बंसल ने 06 अगस्त 2015 को एक भवन 18 लाख में क्रय किया । उसने यह भवन 30,000 रुपये प्रतिमाह पर किराये पर उठा दिया। 1 अप्रैल 2018 को उसने किरायेदार से अपना भवन वापिस लेकर, अपने व्यवसाय में प्रयोग करने लगा । गत वर्ष 2018-19 के लिए ह्रास की गणना के लिए वास्तविक लागत ज्ञात कीजिये । यदि ह्रास की दर 10 प्रतिशत है।

हल-

भवन की वास्तविक लागत की गणना -

मूल लागत 06.08.2015	= रु. 18,00,000
घटाया : माना गया ह्रास (PY: 2016-17)	= रु. 1,80,000
	= रु. 16,20,000
घटाया : माना गया ह्रास: (PY 2017-18)	= रु. 1,62,000
सम्पत्ति की लागत(01-04-2018)	= रु. 14,58,000

उदाहरण 06

मिस्टर विभोर कुमार ने अपनी सम्पत्ति के विवरण निम्नलिखित है। -

अवमूल्यन मूल्य	डब्लू डी.बी.(01.04.2018)	
मशीन अ	25 प्रतिशत	2,50,000
फर्नीचर	15 "	1,00,000
मशीन ब	25 "	80,000
मशीन स	40 "	1,20,000
कम्प्यूटर	40 "	2,00,000
मशीन ब (25 प्रतिशत अवमूल्यन दर) बेची रु. 60,000 में मई 2018 में ।		

एक मशीन (25 प्रतिशत अवमूल्यन दर) कम्प्यूटर क्रमशः रु. 1,20,000 तथा रु. 40,000 नवम्बर 2018 में खरीदे अवमूल्यन भत्ता गी गत वर्ष 2018-19 के लिए गणना कीजिये ।

हल

अवमूल्यन भत्ता गणना (गत वर्ष 2018-19)

ब्लाक 1 – अवमूल्यन 25 प्रतिशत की दर से

01-04-2018 WDV Machine I (A)	रु. 2,50,000
Machine II (B)	रु. 80,000
नवम्बर 2018 में मशीन खरीद	<u>रु. 1,20,000</u>
	रु. 4,50,000
घटाओ : मशीन बेची	<u>60,000</u>
	रु. 3,90,000
अवमूल्यन $1,20,000 \times 12.5 / 100 = 15,000$ (मशीन 180 दिन से कम प्रयोग)	
अवमूल्यन $2,70,000 \times 25 / 100 = 67,500$ रु.	<u>82,500</u>
WDV on 31.03.2019	रु. <u>3,07,500</u>

ब्लाक 2 – अवमूल्यन 15 प्रतिशत की दर से

01-04-2018 WDVफर्नीचर	रु. 1,00,000
अवमूल्यन $1,00,000 \times 15 / 100$	<u>रु. 15,000</u>
WDV on 31.03.2019	<u>रु. 85,000</u>

ब्लाक 3 – अवमूल्यन 40 प्रतिशत की दर से

01.04.2018 WDV मशीन स	रु. 1,20,000
अवमूल्यन $1,20,000 \times 40 / 100$	<u>रु. 48,000</u>
WDV on 31-03-2019	<u>रु. 72,000</u>

ब्लाक 4 –अवमूल्यन 40 प्रतिशत की दर से

1.4.2018 WDV Computer	रु. 2,00,000
नवम्बर खरीद	<u>रु. 40,000</u>

रु. 2,40,000

अवमूल्यन रु. $40,000 \times 20 / 100 = 8,000$

अवमूल्यन रु. $40,000 \times 40 / 100 = 80,000$ रु.	<u>88,000</u>
	<u>रु.1,52,000</u>

कुल अवमूल्यन भत्ता –

ब्लाक 1	रु. 82,500
ब्लाक 2	रु. 15,000
ब्लाक 3	रु. 48,000
ब्लाक 4	रु. 88,000
	<u>रु.2,33,500</u>

6.13 सारांश

आयकर अधिनियम में दृश्य तथा अदृश्य सम्पत्तियों पर ह्रास मिलता है। व्यापार में प्रयुक्त सम्पत्तियों को प्रयोग करने पर इनमें घिसावट तथा टूट फुट होती है। अतः यह जरूरी है कि व्यापार और पेशों के लाभों में से, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली कमी के लिए अलग कर दी जाए। यह राशि संस्था में विनियोजित होने से, पुर्नस्थापना के समय यही राशि प्रयोग कर ली जाती है। यह एक वास्तविक तथा स्वीकृत कटौती है। करदाता को स्वामी होना तथा व्यापार में प्रयुक्त सम्पत्तियों पर ह्रास मिलता है। ह्रास सम्पत्तियों के समूह पर मिलता है। एक समूह में खरीद को जोड़ा तथा बिक्री को घटाया जाता है। ह्रास प्रत्येक सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य के योग पर स्वीकृत होता है। आयकर में तेरह सम्पत्ति समूह है। भवन के तीन समूह, फर्नीचर का एक समूह, प्लान्ट एवं मशीनरी के आठ समूह एवं अदृश्य सम्पत्तियों का एक समूह।

6.14 शब्दावली

ह्रास	सम्पत्ति के मूल्य में कमी
कटौती	ह्रास राशि से सम्पत्ति के मूल्य में कमी करना
ब्लॉक	समूह सम्पत्तियों का
अदृश्य	दिखाई ना देने वाली सम्पत्ति
दृश्य	दिखाई देने वाली सम्पत्ति

6.15 बोध प्रश्न

निम्न में कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य –

1. भूमि पर ह्रास स्वीकृत है।
2. फर्नीचर पर ह्रास दर 20 प्रतिशत है।
3. न्योन साईन बोर्ड पर ह्रास दर 30 प्रतिशत है।
4. ह्रास सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर मिलता है।
5. विदेश निर्मित कार को टैक्सी प्रयोग करने पर ह्रास दर 30 प्रतिशत है।
6. पशुओं पर ह्रास उपलब्ध है।

रिक्त स्थान भरें :-

1. आयकर में ह्रास ----- मूल्य पर मिलता है।
2. अशोधित ह्रास को अगले---- वर्ष तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

3. समूह सम्पत्तियों पर ह्रास दर ---- है।
4. फर्नीचर पर ह्रास दर----- है।
5. कम्प्युटर पर ह्रास दर ---- है।
6. नए प्लान्ट पर अतिरिक्त ह्रास दर---- है।

6.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

सत्य है अथवा असत्य

- 1-असत्य 2-असत्य 3-असत्य 4-असत्य 5- सत्य 6- असत्य

रिक्त स्थान

- 1- अपलिखित मूल्य 2- अनिश्चित काल 3-20 % 4-10 %
5- 40 % 6-20 %

6.17 स्वपरख प्रश्न

1. सम्पत्तियों का खण्ड क्या होता है ? सम्पत्तियों के किसी खण्ड का अपलिखित मूल्य निकालने की क्या विधि है ?
2. ह्रास के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के अर्न्तगत सम्पत्तियों कितने प्रकार की होती है।
3. अशोधित ह्रास पर टिप्पणी लिखें ।
4. अतिरिक्त ह्रास से क्या तात्पर्य है।
5. क्या पशुओं पर ह्रास लिया जा सकता है।
6. करदाता की वास्तविक लागत को संक्षेप में समझायें ।

6.18 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर- कर निर्धारण वर्ष 2019-20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई 7 : व्यापार एवं पेशे से आय

इकाई की रूपरेखा

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 व्यापार अथवा पेशा अथवा व्यवसाय का अर्थ
- 7.3 व्यापार/व्यवसाय/पेशा के मुख्य सिद्धांत
- 7.4 व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तिर्यो
- 7.5 स्वीकृत कटौतियो
 - 7.5.1 स्वीकृत व्यय एवं हानियो
 - 7.5.2 स्वीकृत भत्तो के सम्बन्ध में कटौती
 - 7.5.3 सामान्य कटौतियो
- 7.6 अस्वीकृत व्यय, क्षतियो या हानियो
- 7.7 वास्तविक भुगतान पर स्वीकृत कटौतियो
- 7.8 माने गए लाभ
- 7.9 अप्रकट आयें अथवा विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय
- 7.10 खाते रखना
- 7.11 बहीखातो का अनिवार्य अंकेक्षण
- 7.12 व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन
- 7.13 कतिपय व्यापार या पेशे की आय का अनुमानित आधार पर निर्धारण
 - 7.13.1 पात्र व्यवसाय के लाभो का निर्धारण
 - 7.13.2 पेशे से लाभो का निर्धारण
 - 7.13.3 माल ढोने के वाहनों को किराया पर अथवा पटटे पर अथवा स्वयं चलाने के व्यापार से लाभो का निर्धारण
 - 7.13.4 भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आदि के एजेन्ट की कमीशन आय
- 7.14 विविध व्यावहारिक प्रश्न
- 7.15 सारांश
- 7.16 शब्दावली
- 7.17 बोध प्रश्न
- 7.18 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 7.19 स्वपरख प्रश्न
- 7.20 सन्दर्भ पुस्तके

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- व्यापार तथा पेशा का अर्थ समझ सकें ।
- व्यापार तथा पेशे के लाभ एवं प्राप्तिर्यो को जान सकें ।
- व्यापार तथा पेशे में स्वीकृत कटौतियो का जान सकें ।
- व्यापार तथा पेशा में लाभो की गणना विधि की व्याख्या कर सकें ।

7.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप आयकर अधिनियम के अनुसार व्यापार एवं पेशा की गणना कर पायेंगे। इसमें आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन से आय की गणना की जाती है। व्यापार तथा पेशा के लाभ एवं प्राप्तियाँ आय का तीसरा शीर्षक है। इससे सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। आयकर अधिनियम की धाराएँ 28 से 43 डी तक इसी शीर्षक से सम्बन्धित हैं।

7.2 व्यापार अथवा पेशा अथवा व्यवसाय का अर्थ

व्यापार—

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (13) के अनुसार “ व्यापार में कोई भी कारोबार या लेनदेन वाणिज्य या निर्माण या कोई साहस अथवा कोई संस्था जो कारोबार, वाणिज्य या निर्माण प्रकृति की हो, सम्मिलित होती है।” व्यापार शब्द व्यापक है जिसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाए। व्यापार में लेनदेन, वाणिज्यिक एवं निर्माण क्रियाओं के साथ-साथ सेवाओं को प्रदान करना शामिल है। व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न होता है। लाभ या प्राप्तियाँ स्वयं से व्यापार करने के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। व्यापार में क्रियाओं की निरन्तरता भी होनी चाहिये। लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में कभी-कभी एक ही क्रिया सम्मिलित हो जाती है। ध्यान देने योग्य यह है कि यदि वाणिज्यिक सम्पत्तियों को यदि किराए पर दिया जाए तो, उसे भी व्यापारिक आय माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक सिनेमाहॉल को किराए पर उठाया जाए, तो उसे व्यापारिक आय माना जाएगा।

व्यापार में लेन-देन (ट्रेड) भी है, जिनमें माल के बदले माल अथवा माल के बदले मुद्रा की क्रियाएँ पुनः हैं, इसमें निर्माण भी शामिल है। निर्माण में कच्चा माल को निर्मित माल बनाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है। कपड़ा को वस्त्र बनाना भी निर्माण में शामिल है।

पेशा —

आयकर अधिनियम की धारा 2 (36) के अनुसार, “ पेशे में व्यवसाय भी शामिल है। सामान्यतः पेशे से तात्पर्य उस कार्य या व्यवसाय से है जो ऐसे मानसिक या शारीरिक श्रम से पूरे किया जाता है। इसके लिए विशिष्ट योग्यता, ज्ञान या कुशलता अपेक्षित है जो कि निरन्तर अध्ययन से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, “ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एडवोकेट, इन्जीनियर्स, आर्किटेक्ट आदि। एक कम्पनी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होने के कारण ना तो मस्तिष्क रखती है तथा ना ही शरीर अतः वह स्वयं पेशे के रूप में नहीं हो सकती है।

व्यवसाय —

इसमें वे कार्य होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी प्राकृतिक योग्यता के कारण किए जाते हैं। व्यवसाय आय कमाने या ना कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपना जीवन चलाने के उद्देश्य से तथा ऐसे कार्य करने पर जिनके लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त है कोई लाभ हो जाता है, तो वह लाभ उस पेशे का

माना जाएगा। जैसे अभिनेता, गायक, कलाकार, पुजारी आदि। व्यवसाय में दलाली, बीमा एजेन्सी, संगीत, नृत्य, चोरी भी शामिल है। एक करदाता चाहे व्यापार या व्यवसाय या पेशे से कमाए उसको इसी शीर्षक में शामिल किया जाएगा।

7.3 व्यापार/व्यवसाय/पेशा के मुख्य सिद्धांत

व्यापार एवं पेशा से सम्बन्धित मुख्य सिद्धांत निम्न हैं –

1. व्यापार एवं पेशा करदाता द्वारा संचालित हो। इसका तात्पर्य करदाता के स्वामित्व से होता है। व्यापार को स्वयं संचालित करने से तात्पर्य, अपने कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों आदि के माध्यम से संचालन से है। यदि कर दाता को न्यायालय द्वारा संचालन अधिकार समाप्त करने पर उसे संचालनकर्ता नहीं माना जाएगा। एक अव्यस्क अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति अथवा दिवालिये के संरक्षण, ट्रस्टी/रिसिवर को इनके व्यापार चलाने का अधिकार प्राप्त है अतः वे आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता है।
2. लाभकारी या वैधानिक स्वामित्व का होना आवश्यक है, जो व्यक्ति वास्तव में लाभ का प्राप्तकर्ता होगा वही उन लाभों पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी है। अतः बेनामीदार द्वारा संचालित व्यापार के लाभों पर वास्तविक स्वामी (लाभकारी स्वामी) ही आयकर देने को उत्तरदायी होगा।
3. व्यापार या पेशा गत वर्ष में संचालित किया गया हो अर्थात् गत वर्ष के आरंभ से अंत के मध्य कभी भी संचालित किए गए हो। अन्य शब्दों में व्यापार या पेशे को सम्पूर्ण वर्ष में चलाना आवश्यक नहीं है।
4. आयकर अधिनियम में वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों प्रकार के व्यापार या पेशा करयोग्य है। अन्य शब्दों में अवैधानिकता से आयकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
5. वास्तविक अनुमानित या काल्पनिक लाभ धारा 28 के अनुसार, केवल वास्तविक लाभों पर ही आयकर दायित्व उत्पन्न करती है। अनुमानित या काल्पनिक लाभों पर आयकर नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से कम पर मूल्यांकन किया जाता है।
6. करदाता के सभी व्यापारों या पेशों के लाभों पर एक साथ कर लगाया जाता है, उसके सभी व्यापारों का अलग-अलग लाभों की गणना कर, व्यापार एवं पेशा लाभ शीर्षक में कर लगता है। करदाता को प्रत्येक व्यापार या पेशा पर अलग-अलग आयकर नहीं देना होता, बल्कि सभी व्यापारों या पेशों के लाभों को एक साथ मिलाकर इनके सम्मिलित लाभों पर आयकर देना पड़ता है।
7. सट्टा व्यापार – धारा 45 (5) के अनुसार, सट्टे के व्यापार से तात्पर्य वस्तुओं स्टॉक या अंशों के क्रय-विक्रय के इस अनुबन्ध से है, जिसमें सौदे का निस्तारण एक निश्चित समयावधि पर अन्ततोगत्वा मूल्यों के अंतर का लाभ या हानि ले देकर किया जाता है। इसमें वास्तविक सुपुदगी ना ली जाती है और ना ही दी जाती है। सट्टा व्यापार के लाभ भी, सामान्य व्यापार की भाँति कर योग्य होंगे।

8. एक निवासी कर दाता के लिए इस बात पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि व्यापार भारत में स्थापित हो या विदेश में । विदेश में स्थापित व्यापार या पेशा भी इसी शीर्षक में कर योग्य होगी ।
9. यदि कोई व्यापार या पेशा बन्द दिया जाता है, और उसकी सम्पत्तियों के विक्रय पर करदाता को लाभ होता है तो ये लाभ व्यापार या पेशों के लाभ ना होकर पूंजीगत लाभ कहलाते हैं। परन्तु स्टॉक की विक्रय राशि को व्यापारिक लाभ कहलाते हैं।
10. व्यापार एवं पेशा के लाभों की गणना वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। पूंजीगत तथा आयकर लाभों को पृथक ढंग से रखना होगा ।
11. यदि प्रतिभूतियों को व्यापारिक स्टॉक की तरह रखते हैं तो इनका ब्याज व्यापारिक लाभ होगा अन्यथा "आय के अन्य साधन " शीर्षक में करयोग्य होगा ।
12. पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त आय पुरस्कार, व्यापार एवं पेशा शीर्षक में करयोग्य होगा। परन्तु गैर पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त पुरस्कार उपहार माना जाने के कारण कर योग्य नहीं होता है। (सरकुलर संख्या 447 दिनांक 22-01-1986)
- 13- यदि कृषि भूमि के टुकड़े करके मकान बनाने के लिए बेचा जाए तो यह व्यापारिक लाभ होगा । (CIT Vs R.Ramaih and Others)
14. अंशों के अभिगोपन पर अभिगोपक को जो कमीशन मिलता है वह व्यापारिक आय होगी ।
परन्तु स्वयं के लिए अंशों के ऊपर जो कमीशन मिलता है उन स्वयं लिए गए अंशों की लागत, कमीशन की राशि से कम हो जाएगी ।
15. यदि बीमा प्राप्ति लाभ की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है तो ऐसी प्राप्ति व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि बीमा प्राप्ति माल की क्षतिपूर्ति के संबंध में प्राप्त होती है, तो प्राप्त क्षतिपूर्ति की वह राशि जो क्षतिग्रस्त माल की लागत से अधिक है व्यापारिक लाभ मानी जाती है।
16. मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया, मकान सम्पत्ति शीर्षक में करयोग्य होता है। यदि करदाता मकान खरीदने या बेचने या निर्माण या किराये पर देने का व्यापार करता है तथा मकान सम्पत्ति उसके पास स्टॉक की तरह रखता है, तो उसकी आय व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य होगी । (Salisbury House Estate Ltd. Vs Fly)
17. यदि कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को सम्पत्तियों को किराए पर देता है और कर्मचारियों को सम्पत्तियों से किराये पर देना व्यापार के लिए आवश्यक समझा गया है तो किराये से प्राप्त आय व्यापार तथा पेशे की आय मानी जाएगी ।
18. लॉटरी दौड़ आदि से प्राप्तियाँ अन्य साधनों से आय शीर्षक में करयोग्य होगी। भले ही ये प्राप्तियाँ नियमित व्यापारिक क्रिया के फलस्वरूप हुई हों ।

19. क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज इस शीर्षक में करयोग्य आय नहीं है। इस ब्याज पर ब्याज प्राप्ति के वर्ष में अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगाया जाता है, भले ही यह नियमित व्यापारिक क्रियाओं का भाग है, किन्तु इस ब्याज में से 50 प्रतिशत की कटौती प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, ऐसे ब्याज की 50 प्रतिशत राशि की अन्य साधनों से आय शीर्षक में करयोग्य होगी।
20. ग्राहकों से लिया गया धर्मादा व्यापार की आय नहीं है। अतः यह कर योग्य नहीं है।
21. यदि करदाता को गत वर्ष में अपने व्यापार से सम्बन्धित कोई ऐसी रकम प्राप्त हो जाए, जो गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में कर योग्य लाभ निकालने के लिए हानि, खर्च अथवा दायित्व के रूप में घटा दी गयी हो, तो उस रकम पर गत वर्ष कर लगाया जाता है।

7.4 व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्ति

निम्नलिखित आयों को व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य होगी। (धारा 28)

1. करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी भी समय किए गए किसी व्यापार अथवा पेशा के आयगत लाभ
2. किसी व्यापार के प्रबन्धकों की सेवायें अथवा एजेन्सी समाप्त करने पर अथवा सेवा की शर्तों या एजेन्सी की शर्तों में संशोधन करने पर क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि।
3. व्यापार से सम्बन्धित किसी अनुबन्ध की शर्तों को भंग करने या उसमें संशोधन के कारण क्षतिपूर्ति की राशि।
4. व्यापारिक एवं पेशा के संघों द्वारा अपने सदस्यों को विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने से आय।
5. आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के अन्तर्गत मिले हुए लाइसेन्स को बेचने से लाभ।
6. भारत सरकार की योजना में निर्यात के लिए प्राप्त नकद सहायता।
7. निर्यात के संबंध में सीमा शुल्क अथवा आबकारी शुल्क की वापिस की गई राशि।
8. आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत शुल्क प्राप्ति पास बुक योजना के अन्तर्गत से प्राप्त लाभ
9. व्यापार तथा पेशा शीर्षक के सम्बन्ध में करदाता को मिलने वाले अनुलाभ का मूल्य।
10. प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय, यदि कर दाता का व्यवसाय प्रतिभूतियों की खरीद / बेच है।
11. फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज, कमीशन वेतन बोनस आदि जो फर्म के करयोग्य लाभों की गणना करने में घटा दिए गए हों, तो व्यापार या पेशा में करयोग्य है।
12. कीमैन इश्योरेन्स से प्राप्त राशि, बोनस सहित।

13. रहतिये (स्टॉक) को पूंजी सम्पत्ति में परिवर्तन करने पर परिवर्तन तिथि को उचित बाजार मूल्य व्यापारिक आय मानी जायेगी ।
14. किसी व्यापारिक कार्य को ना करने के अनुबन्ध को करने पर मिलने वाली गाय ।
15. सट्टा से आय ।

7.5 स्वीकृत कटौतियाँ

एक करदाता की करयोग्य आय की गणना करते समय कटौतियाँ स्वीकृत है। इसके अर्न्तगत व्यय, हानि एवं भत्ते है। कटौतियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

- क- स्वीकृत व्यय एवं हानियाँ ।
- ख- स्वीकृत भत्ते ।
- ग- सामान्य कटौतियाँ

7.5.1 स्वीकृत व्यय एवं हानियाँ

आयकर अधिनियम की धारा 30, 31, 32, 35, 35ए 35 डी एवं 36 के अन्तर्गत निम्न व्यय एवं हानियाँ कटौतियों के रूप में स्पष्टतया स्वीकार किए जाते है।

1. करदाता के व्यापार एवं पेशा में प्रयुक्त भवन का किराया, कर मरम्मत, बीमा की कटौती । यदि भवन किराये पर लिया है तो किराये की दी राशि कटौती योग्य है। यदि अपना स्वयं का है तो चालू मरम्मत, स्थानीय कर, नगरपालिका कर बीमा प्रीमियम की राशि कटौती योग्य है।
2. मशीनरी प्लाण्ट एवं फर्नीचर की मरम्मत एवं बीमा के संबंध में व्यय, जिसमें चालू मरम्मत शामिल है। इसके अतिरिक्त ह्रास की राशि भी अनुमन्य है।
3. ह्रास करदाता द्वारा व्यापार में प्रयुक्त होने वाली तथा कर दाता के पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व की सम्पत्तियों पर समूह के अनुसार, निर्धारित दर से ह्रास स्वीकृत है।
4. नए प्लाण्ट एवं मशीनरी में विनियोग के संबंध में कटौतियाँ धारा 32 ए सी – यदि निम्न शर्तें पूरी करने पर –
 - कम्पनी किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन करें ।
 - नई सम्पत्ति 31 मार्च 2013 के बाद किन्तु 01 अप्रैल 2017 से पूर्व प्राप्त एवं स्थापित की है।
 - करदाता ने 25 करोड़ से अधिक लागत की नयी सम्पत्ति किसी भी गत वर्ष में प्राप्त की है तथा 31 मार्च 2017 तक स्थापित कर दी है। स्वीकृत कटौतियाँ की राशि वास्तविक लागत का 15 प्रतिशत है यह केवल एक बार प्रदान की जाएगी। यह नई सम्पत्ति स्थापना की तिथि से 5 वर्षों के अंदर न तो बेच सकते है या हस्तान्तरित कर सकते है। अन्यथा कटौती की राशि करदाता की उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष विक्रय की गई हैं।

5. निर्दिष्ट राज्यों के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में नयी प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग के संबंध में कटौती धारा 32 ए डी – यह कटौती नए प्लांट एवं मशीन की वास्तविक लागत का 15 प्रतिशत है जो उस गत वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा जिस वर्ष नया प्लांट एवं मशीन स्थापित की गयी है। निम्न शर्तों के पूरे करने पर कटौती स्वीकृत है –

- करदाता कम्पनी या अन्य व्यक्ति है।
- करदाता ने नया उद्यम 01 अप्रैल 2015 को या उसके बाद किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए की है।
- ऐसा नया उद्यम आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है
- ऐसे उद्यम में केवल नयी सम्पत्तियाँ लगाई गई है।

यदि नयी सम्पत्ति स्थापना की तिथि से 5 वर्षों के अंदर ना तो विक्रय या हस्तान्तरण किया जा सकता है अन्यथा कटौती की राशि कर योग्य लाभ में जोड़ा जाएगा। अतः 5 वर्षों में नयी सम्पत्ति केहस्तान्तरण या विक्रय पर निम्न आय उस गत वर्ष में कर योग्य होगी जिस गत वर्ष में नयी सम्पत्ति का विक्रय याहस्तान्तरण हुआ है।

कुल आय = अब तक प्रदान कटौती + विक्रय पर पूंजी लाभ

अब तक प्रदान कटौती व्यापार एवं पेशा शीर्षक में करयोग्य हे तथा विक्रय पर पूंजी लाभपूँजी लाभ शीर्षक में कर योग्य है। परन्तु यदि नयी सम्पत्ति का विक्रय या हस्तान्तरण किसी एकीकरण अथवा

विलय के संदर्भ में 5 वर्षों के अंदर कर दिया जाता हे। तो ऐसे विक्रय या हस्तान्तरण की दशा में प्रदान की गई कटौती वापिस नहीं होगी परन्तु एकीकृत या विलयित कम्पनी उस नयी सम्पत्ति को उसकी स्थापना की तिथि से 5 वर्षों के अन्दर ना तो विक्रय करेगी और ना ही हस्तान्तरण ।

नोट–

धारा 32 ए डी की कटौती धारा 32 ए सी की कटौती के अतिरिक्त है। अतः यदि कर दाताइन दोनों धाराओं की शर्तें पूरी करता है तो उसे धारा 32 ए सी के अनुसार 15 प्रतिशत ह्रास एवं धारा 32 ए डी के अनुसार 15 प्रतिशत विनियोग कटौती मिल सकती है।

6. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (धारा 35 (1))

वैज्ञानिक अनुसंधान के अर्न्तगत प्राकृतिक विज्ञान अथवा व्यावहारिक विज्ञान जिसमें कृषि, पशुपालन एवं मछलीपालन शामिल है, के क्षेत्र में अनुसंधान करने से है। इसमें किया जाने वाला पूंजीगत या आयगत दोनो को वैज्ञानिक अनुसंधान कहाजाता है। कटौती के प्रावधान निम्न है –

❖ **–करदाता द्वारा किया गया आयगत व्यय :-**

यदि करदाता स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में संलग्न है तब सम्पूर्ण आयगत व्यय कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। लेकिन यह अनुसंधान कार्य व्यापार से संबंधित होना चाहिए । कर्मचारियों का वेतन या अनुसंधान की सामग्री के क्रय पर व्यय, वह उस

गत वर्ष में स्वीकृत होगा, जिसमें व्यय किया गया हो किन्तु यदि ऐसे व्यय व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व ठीक 3 वर्षों में तथा उक्त तिथि के बाद ही किए गए हैं तो 3 वर्षों के व्ययों का योग, उस सीमा तक जिस सीमा तक इन्हें प्रदिष्ट अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। उस गत वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकृत होगा, जिसमें व्यापार प्रारम्भ होगा ।

❖ —अनुमोदित अनुसंधान संगठनों को भुगतान —

जब करदाता स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में संलग्न संस्थाओं को दान देता है, तो ऐसे दान की राशि का 15 प्रतिशत कटौती के रूप में स्वीकृत होगा, बशर्ते —

- दान अनुमोदित अनुसंधान संघ को दिया, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, चाहे वे अनुसंधान व्यापार से संबंधित है अथवा नहीं ।
- यदि दान अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए दिया गया है, भले ही वह व्यापार से संबंधित है अथवा नहीं ।

❖ — एक भारतीय कम्पनी को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भुगतान —

यदि करदाता किसी भारतीय के कम्पनी को वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त करने के लिए कोई धनराशि भुगतान की जाती है, तो एक भुगतानित धनराशि के बराबर राशि की 100 प्रतिशत कटौती प्रदान की जाती है। इसमें निम्न शर्तें पूरी करनी आवश्यक है —

- भारत में कम्पनी पंजीकृत हो ।
- कम्पनी का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास है ।
- कम्पनी को निर्धारित अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।
- कम्पनी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है ।

❖ —विश्वविद्यालय कॉलेज या अन्य संस्था को भुगतान —

यदि करदाता किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी अनुसंधान के भुगतान किया जाता है, तो 100 प्रतिशत कटौती मान्य होगा ।

❖ — पूंजीगत व्यय—

यदि करदाता द्वारा पूंजीगत व्यय किया जाता है तब समस्त पूंजीगत व्यय गत वर्ष में मान्य होगा, जिस वर्ष व्यय किया गया हो । यदि व्यापार आरम्भ करने की तिथि से पूर्व तीन वर्षों के अन्दर किए गए हैं तब समस्त व्यय, व्यापार आरम्भ करने वाले वर्ष में मान्य होगा। यदि गत वर्ष के लाभ, पूंजीगत कार्यों को पूरा ना कर पाए, तब अशोधित पूंजीगत व्यय अगले वर्षों के व्यापार एवं पेशा के लाभों में से पूरा किया जा सकता है। पूंजीगत सम्पत्ति पर कोई भी ह्रास मान्य नहीं होगा । भूमि यदि इस उद्देश्य के लिए खरीदी गई तो यह मूल्य, व्यय के रूप में मान्य नहीं होगा ।

❖ —राष्ट्रीय अनुसंधानशाला को भुगतान (धारा 35 (2 एए)—

यदि करदाता किसी राष्ट्रीय अनुसंधानशाला या किसी तकनीकी संस्थान या किसी विश्वविद्यालय को भुगतान करता है तथा यह भी निर्देशित करें कि उसका प्रयोग अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम में प्रयुक्त किया जाए । ऐसी स्थिति में 150 प्रतिशत राशि की कटौती स्वीकृत होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से कटौती 100 प्रतिशत मान्य है ।

❖ – अनुमोदित आन्तरिक – शोध एवं विकास सुविधाओं पर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय (धारा 35 (2 ए बी))

यदि कोई कम्पनी जैव-तकनीकी व्यापार या औषधि फार्मास्युटिकल बिजली उपकरण, कम्प्यूटर, दूर संचार, उपकरण, रसायन, अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वस्तु के निर्माण या उत्पादन में संलग्न है, आन्तरिक शोध एवं विकास सुविधाओं (भूमि तथा भवन की लागत छोड़कर) पर किए गए व्यय की राशि का 150 प्रतिशत कटौती मान्य होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से कटौती की राशि 100 प्रतिशत मान्य होगी।

7. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने पर व्यय (धारा 35 ए बी)

यदि करदाता ने 01 अप्रैल 1998 या उसके बाद तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यय किया है, उसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। उस पर धारा 32 के अनुसार अपलिखित मूल्य पर 25 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत होगा। तकनीकी ज्ञान के अर्न्तगत किसी औद्योगिक सूचना का ज्ञान निर्माण प्रक्रिया की जानकारी माल के प्रसंस्करण से संबंधित तकनीकी ज्ञान अथवा किसी खान तेल का कुँआ या खनिज पदार्थ आदि को खोजने का ज्ञान प्राप्त करना सम्मिलित है।

8. पेटेन्ट राईट, कॉपीराईट प्राप्त करने के व्यय-

धारा 35 ए के अनुसार किसी जानकारी, गुप्त सूत्र रुपरेखा या विशिष्ट विवरण के प्रयोग करने के अधिकार से है। इसके लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है। ऐसी अदृश्य सम्पत्ति पर किया गया पूंजीगत व्यय पर अपलिखित मूल्य का 25 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत है।

9. दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रयोग के अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय – (धारा 35 एबीए) –

दूरभाष सेवाओं को संचालित करने का अधिकार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में कटौती निम्न प्रकार मिलेगी।

- यदि फीस भुगतान दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के व्यवसाय को प्रारम्भ करने वाले वर्ष से लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष तक समान किस्तों में स्वीकृत होगा।
- यदि फीस का भुगतान दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के व्यवसाय को प्रारम्भ करने के बाद किया जाता है तो कटौती उस वर्ष आरम्भ होगी, जिस वर्ष भुगतान किया गया है, और उस वर्ष तक समान किस्तों में स्वीकृत होगी, जिस वर्ष में लाइसेंस अवधि समाप्त होगी।

उदाहरण के लिए, यदि ए लिमिटेड में यदि 01/04-2017 को 10 वर्ष के लिए 28 लाख रुपये दूरसंचार सेवाओं के लिए दिए जिसकी लाइसेंस फीस 14 लाख 10-04-2017 तथा 14 लाख 10-04-2018 को दिए। अतः गत वर्ष 2018-19 में कटौती की गणना निम्न प्रकार की जाएगी-

$$\begin{aligned} 1/10 \text{ का } 14 \text{ लाख} &= 1.400 \text{ लाख} \\ 1/9 \text{ का } 14 \text{ लाख} &= 1.555 \text{ लाख} \\ &= 2.955 \text{ लाख} \end{aligned}$$

उपरोक्त नियम दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए स्पैक्ट्रम का उपयोग का अधिकार पर भी लागू है।

10. विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर व्यय के संबंध में कटौती (धारा 35 एडी)

यदि करदाता गत वर्ष में विनिर्दिष्ट व्यवसायों के संबंध में पूंजीगत व्यय किया है ते उसे इसकी पूंजी कटौती मिलेगी। लेकिन यह व्यय भू, ख्याति, वित्रिय प्रलेख पर लागू नहीं है। ऐसा पूंजीगत व्यय जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिन में किसी बैंक पर आधारित किसी खाते में देय चैक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक माध्यम से भिन्न नकद रूप में 10,000 रुपये से अधिक भुगतान की कोई कटौती नहीं मिलेगी। (कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 से)

यदि व्यय व्यवसाय आरम्भ करने से पूर्व किया गया है, तथा व्यवसाय आरम्भ की तिथि को करदाता की खाता पुस्तकों में ऐसे खर्चों को पूंजीगत किया गया है, तब कटौती उस गत वर्ष में मिलेगी, जिसमें उसने व्यवसाय प्रारम्भ किया है।

विनिर्दिष्ट व्यापार से तात्पर्य नए व्यवसाय की -

- शीत श्रंखला सुविधा की स्थापना एवं प्रचालन
- कृषि उत्पाद के भंडारणगृह की स्थापना एवं प्रचालन
- कास कन्ट्री प्राकृतिक गैस या पैट्रोलियम तेल, वितरण के लिए नेटवर्क पाइपलाइन बिछाना प्रचालन करना।
- कर निर्धारण वर्ष 2011-12 से भारत में दो सितारा या इससे उच्च वर्ग के नए होटल का निर्माण और प्रचालन। भारत में अस्पताल का निर्माण, एवं प्रचालन जिसमें कम से कम सौ बिस्तर हों।

केन्द्रीय या राज्य सरकार की स्लम पुर्नविकास आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण।

- कर निर्धारण वर्ष 2012 -13 से केन्द्रीय या राज्य सरकार की अफोर्डेबल आवास योजना में आवासीय योजना का विकास और निर्माण भारत में उर्वरक उत्पादन संयंत्र लगाना।
- कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से आन्तरिक कन्टेनर डिपो या कन्टेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना एवं प्रचालन। मधुमक्खी पालन, शहद, मधुमक्खी मोम का उत्पादन का व्यवसाय चीनी भंडारण गृह का निर्माण एवं प्रचालन।
- कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से लौट अयस्क परिवहन के लिए प्रचालन। बोर्ड द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार सेमी कंडक्टर वॉटर फ़ैबिकेशन मैनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना एवं प्रचालन
- कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से आधारभूत सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षक। आधारभूत में सड़क, टोल सड़क, पुल, रेल तन्त्र राजमार्ग परियोजना, पानी प्रदाय, परियोजना जल उपचार प्रधाली सिंचाई परियोजना, स्वास्थ्य एवं सीवरेज व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध प्रधाली पत्तन, हवाई अड्डा अन्तर्देशीय जलमार्ग, अन्तर्देशीय पतन आदि है।

कटौती की शर्तें उपरोक्त सभी के लिए निम्न हैं -

- व्यवसाय पूर्णतया नया हो, तथा पुराने व्यवसाय का पुर्नगठन से ना बना हो।

- व्यवसाय में पुरानी मशीनें कुल मशीनों की लागत का 20 प्रतिशत से अधिक ना हो ।
- व्यवसाय 01-04-2009 को या उसके पश्चात अपना कार्य आरम्भ करता हो ।
- इस धारा में कटौती मिलने पर अन्य धाराओं में कटौती नहीं मिलेगी ।
- इस व्यवसाय को धारा 10 एए एवं 80 आई ए से 80 आर आर बी के अर्न्तगत कटौती नहीं मिलेगी
- विनिर्दिष्ट व्यवसाय की हानि केवल, इसी व्यवसाय के लाभों से घटाया जाएगा ।

11-ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने के लिए संघों एवं संस्थाओं को भुगतान (धारा 35 सीसीए)

करदाता को सम्पूर्ण राशि पर कटौती मिलेगी, बशर्ते

- गत वर्ष में संस्थाओं को भुगतान किया जाए
- ऐसे संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाना (अनुमोदित) तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक ग्रामीण विकास कोष को किया गया भुगतान
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय नगरीय गरीबी उन्मूलन कोष में भुगतान यदि किसी व्यय को इस धारा में कटौती मिलेगी तो उस व्यय को धारा 35 सी, धारा 35 सीसी, या 80 जी में कटौती नहीं मिलेगी ।

12. कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय (धारा 35 सी सी सी)

कर दाता द्वारा अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजनाओं में किए गए व्यय की राशि का 150 प्रतिशत कटौती मान्य होगी। यदि इस धारा में कटौती दी जाएगी तो अन्य धाराओं में कटौती स्वीकृत नहीं होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से कटौती केवल 100 प्रतिशत मान्य होगी, वो भी वास्तविक व्यय पर ।

13. निपुणता या दक्षता विकास परियोजना पर व्यय (धारा 35 सी सी डी)

यदि कोई कम्पनी करदाता बोर्ड द्वारा अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर व्यय करता है (सिवाय भूमि या भवन की लागत) तो उस कम्पनी करदाता को ऐसे व्यय की राशि का 150 प्रतिशत के बराबर कटौती मान्य होगी। यदि इस व्यय की कटौती इस धारा में प्रदान कर दी गई है तो अन्य धाराओं में कटौती स्वीकृत नहीं होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से यह कटौती की राशि का 150 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत प्रदान की जाएगी ।

14. प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करना (धारा 35 डी)

प्रारम्भिक व्ययों से तात्पर्य किसी नए उपक्रम या व्यापार की स्थापना से पूर्व किए गए व्यय से है। एक भारतीय कम्पनी या किसी निवासी व्यक्ति द्वारा 01 अप्रैल 1998 से पूर्व किए गए प्रारम्भिक व्ययों को 10 बराबर किशतों में कटौती के रूप में स्वीकार किया जाता है अर्थात् 1/10 प्रत्येक वर्ष । परन्तु 01 अप्रैल 1998 या उसके बाद किए गए प्रारम्भिक व्ययों का 1/5 अर्थात् 5 बराबर किशतों में स्वीकार किया जाता है ।

प्रारम्भिक व्ययों से तात्पर्य, सम्भावना रिपोर्ट तैयार करने के व्यय, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के व्यय, बाजार या अन्य सर्वेक्षण व्यय, प्रसविदे के कानूनी व्यय, पार्श्वद सीमा नियम एवं अन्तर नियम तैयार करने के व्यय, छपवाने पंजीकरण की स्टाम्प फीस व्यय, निर्गमन व्यय, अभिगोपन, कमीशन दलाली, प्रविवरण तैयार, छपवाना, स्टाम्प ड्यूटी आदि से है। प्रारम्भिक व्ययों का योग प्रोजेक्ट लागत के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 31 मार्च 1998 के बाद किए गए प्रारम्भिक व्ययों का कुल योग 5 प्रतिशत अधिक नहीं होने चाहिए।

15. एकीकरण या विभक्तिकरण की दशा में व्ययों का बपलिखित करना (धारा 35 डी डी)

एक भारतीय कम्पनी करदाता 31 मार्च 1999 के बाद पूर्णतया एवं मुख्यतः किसी उपक्रम के एकीकरण या विभक्तिकरण के उद्देश्यों के लिए कोई व्यय $1/5$ भाग के बराबर कटौती प्रदान की जायेगी। यह कटौती लगातार 5 वर्षों तक एकीकरण तथा विभक्तिकरण वाले गत से आरंभ होगी। इस धारा में स्वीकृत कटौती होने पर अन्य धाराओं में कटौती मान्य नहीं होगी।

16. स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना के अर्न्तगत किए गए व्यय (धारा 35 डी डी ए)

यदि कर दाता अपने कर्मचारी को स्वेच्छा से सेवानिवृति के सम्बन्ध में किसी गत वर्ष में कुछ राशि देता है तो ऐसा व्यय पाँच समान वार्षिक किशतों में कटौती के रूप में, व्यय वाले वर्ष से स्वीकृत होगा।

17. खनिज पदार्थों की खोज पर किए गए व्ययों का अपलिखित करना (धारा 35 ई)

एक निवासी करदाता या एक भारतीय कम्पनी द्वारा किसी खनिज पदार्थ की खोज अथवा उसकी खान के विकास के लिए कोई भी व्यय का $1/10$ भाग प्रतिवर्ष लगातार 10 वर्षों तक कटौती के रूप में मान्य होगा। यह कटौती उस गत वर्ष से आरम्भ होगी, जिस गत वर्ष व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ होगा। खनिज पदार्थों में एल्युमिनियम, तॉबा, लोहा, कोयला, चाँदी, टिन जस्ता मैंगनीज आदि से है।

निम्न को इस धारा की कटौती की योग्य राशि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- खान अथवा खान से संबंधित कोई अधिकार प्राप्त करने में व्यय
- खनिज को प्राप्त करने या अधिकार प्राप्त करने में व्यय
- भवन, प्लान्ट मशीनरी, तथा फर्नीचर के संबंध में किए गए व्यय जिन पर ह्रास स्वीकार किया जाता है।
- ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाली किसी सम्पत्ति या अधिकार के संबंध में प्राप्त विक्रय राशि अथवा हर्जाना अथवा बीमा राशि अथवा अन्य कोई वचत की राशि।

18. बीमा प्रीमियम—(धारा 36 (1)(क))

स्टॉक, कच्चा माल निर्मित माल को क्षति या विनाश से बचाने के लिए भुगतान की गई बीमा प्रीमियम की राशि कटौती के रूप में स्वीकृत है।

19. जानवरों के जीवन बीमा प्रीमियम— (धारा 36 (1) (ia))

एक संघीय दुग्ध सहकारी समिति द्वारा पशुओं के जीवन बीमा पर किया गया प्रीमियम पूर्णतया कटौती योग्य है परन्तु निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

- पशुओं के स्वामी ऐसे व्यक्ति है तो किसी प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य है।
- यह सहकारी समिति उक्त संघीय दुग्ध सहकारी समिति के साथ सम्बद्ध है।
- अपने सदस्यों से एकत्र दूध को उक्त संघीय दुग्ध सहकारी समिति को देने के कार्यों में संलग्न है।

20. कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम –(धारा 36 (1) (ib)

किसी योजना के अर्न्तगत अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के नकद के अलावा किसी भी अन्य माध्यम जैसे बैंक, ड्राफ्ट NEFT आदि द्वारा चुकाया गया प्रीमियम पूर्णतः कटौती योग्य है।

- जीवन बीमा निगम की किसी योजना के अर्न्तगत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा
- किसी अन्य बीमा कर्ता की किसी अनुमोदित योजना के अर्न्तगत । बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए ।

21. कर्मचारियों को बोनस या कमीशन (धारा 36 (i) (ii)]

किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले दी गई बोनस या कमीशन की राशि जो उस कर्मचारी को, यदि यह बोनस या कमीशन ना दिया गया होता तो लाभ या लाभांश की तरह नहीं दिया जा सकताथा। बोनस या कमीशन की राशि उचित होनी चाहिए जो –

- कर्मचारी के वेतन एवं नौकरी की शर्तें
- गत वर्ष में व्यापार या पेशा के सामान्य लाभ
- ऐसे व्यापार अथवा पेशा के सामान्य चलन को देखते हुए उचित हों

22. उधार ली गई पूंजी पर व्यय (धारा 36 (i) (iii)]

यदि करदाता व्यापार अथवा पेशा के उद्देश्य के लिए उधार लेता है और उसका ब्याज देता है, तो कटौती के रूप में स्वीकृत होगा । चाहे पूंजीगत और आयगत उद्देश्य के लिए किया गया ऋण हो। ऋण दीर्घकालीन या अल्पकालीन हो सकता है। पूंजीगत सम्पत्ति के लिए, लिया गया ऋण की स्थिति में सम्पत्ति के प्रथम प्रयोग की तिथि तक की अवधि का ब्याज का पूंजीकरण किया जाएगा। स्टाम्प की लागत, पूंजीकरण फीस, वकील की फीस, ऋण निर्गमन की कमीशन, दलाली एवं अन्य निर्गमन के व्यय स्वीकृत कटौतियाँ हैं।

23. जीरो कूपन बाण्डों पर छूट (धारा 36 (i) (iii a)]

जीरो कूपन बाण्डों की छूट को आनुपातिक आधार पर कटौती के रूप में स्वीकार किया जायेगा। आनुपातिक छूट ऐसे बाण्डों के जीवनकाल के लिए प्रदान की जायेगी। आनुपातिक छूट का तात्पर्य है कि ऐसे बाण्डों पर प्राप्त डिस्काउन्ट अर्थात् छूट को उस बाण्ड के सम्पूर्ण जीवनकाल में विभक्त करके कटौती दी जायेगी। यह

अवधि या तो पूर्ण वर्षों में महीनों में या दिनों में से किसी भी एक तरीके से विभक्त करेंगे।

छूट अर्थात् डिसकाउन्ट से तात्पर्य निर्गमन के समय प्राप्त राशि एवं इन बाण्डों के शोधन अथवा परिपक्वता पर निर्गमन कम्पनी द्वारा देय राशि के अंतर को छूट कहते हैं। जीरो कूपन बॉण्ड आधारभूत पूंजी कम्पनी अथवा आधारभूत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गमित किए जा सकते हैं। बॉण्ड के जीवनकाल से तात्पर्य निर्गमन तिथि से शोधन या परिपक्वता तिथि से है।

जीरो कूपन बॉण्ड का आशय धारा 2(48) के अनुसार आधारभूत पूंजी कम्पनी अथवा आधारभूत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा, 01 जून 2005 को अथवा उसके बाद निर्गमित किए गए हैं।

24— प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड एवं अनुमोदित सुपरनुएशन फण्ड में नियोक्ता का अंशदान (धारा 36 (i) (iv)]

यदि करदाता नियोक्ता के रूप में अंशदान करता है तो उस सीमा तक कटौती मान्य होगी, जो सीमा इन फण्डों को अनुमोदन देते समय निर्धारित कर दी गई थी, प्रमाणित प्रोविडेन्ट फण्ड में दिया गया अंशदान कटौती योग्य है।

25. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पेंशन योजना के अर्न्तगत नियोक्ता का अंशदान (धारा 36 (i) (iva)]

आयकर अधिनियम में नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन योजना में दिया गया अंशदान, कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर तक कटौती योग्य होगा। वेतन से तात्पर्य मंहगाई भत्ता यदि वेतन शर्तों में है, तथा मूल वेतन के योग से है। परन्तु उसमें अन्य भत्ते या अनुलाभ सम्मिलित नहीं हैं। यह योजना अधिनियम की धारा 80 सीसीडी में संदर्भित है।

26. अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में नियोक्ता का अंशदान (धारा 36 (i) (v)]

करदाता द्वारा नियोक्ता के रूप में ऐसे अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में अंशदान जो उसने अपने कर्मचारियों के हित के लिए एक अखण्ड (Irrevocable) ट्रस्ट के अर्न्तगत बनाया है। फण्ड में नियोक्ता का अंशदान की कटौती कर्मचारी के वार्षिक वेतन के 8.33 प्रतिशत से अधिक नहीं है। नियोक्ता द्वारा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए समूह ग्रेच्युटी फण्ड में किया गया प्रत्यक्ष भुगतान भी कटौती योग्य है।

27. प्राविडेन्ट फण्ड अथवा कर्मचारियों के कल्याण के अन्य कोषों में कर्मचारी का अंशदान (धारा 36 (i) (va)]

यदि करदाता नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों से कुछ कोषों के लिए अंशदान प्राप्त करता है तो यह अंशदान करदाता नियोक्ता की आय मानी जाती है, परन्तु यदि नियोक्ता इस अंशदान को देयतिथि तक जमा करा देता है तो सम्पूर्ण राशि कटौती के लिए मान्य होगी। देय तिथि में ग्रेस पीरियड भी शामिल है।

28. पशुओं के सम्बन्ध में हानि — (धारा 36 (i) (vi)]

व्यापार अथवा पेशे में प्रयुक्त पशु (जो स्टॉक में नहीं है) की मृत्यु होने पर इनकी लागत को हानि माना जाएगा। यदि मृत पशु की बिक्री से कोई राशि प्राप्त होती है तो कटौती की राशि प्राप्त राशि से कम हो जायेगी।

29. डूबत ऋण (धारा 36 (i) (vii)]

यदि कोई ऋण या उसका कोई भाग करदाता का डूब जाता है तो कटौती के रूप में मान्य है। यदि करदाता “डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन” किया है। तब डूबत ऋण की उतनी ही राशि कटौती के रूप में स्वीकृत होगी जितनी डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन से अधिक होगी। लेकिन यह ऋण करदाता के व्यापार और पेशे से संबंधित होना चाहिए तथा ऋण का अस्तित्व होना चाहिए। यदि डूबत ऋण के संबंध में प्राप्त अंतिम राशि उस अंतर से कम है, तो सम्पूर्ण ऋण एवं स्वीकृत डूबत ऋण की राशि में है तो यह कभी भी उस गत वर्ष के लिए डूबत ऋण की कटौती के रूप में स्वीकार की जायेगी। उदाहरण, यदि ऋण 80000 का है और 25000 डूबत ऋण के रूप में स्वीकार हो चुका है, और अब 47000 की रिकवरी हो गई तब 8000 ही ऋण डूबत माना जायेगा। और यदि भविष्य में प्राप्त हो जाए तो उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में प्राप्त हो जायेगा।

यदि एक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था या एक राज्य वित्तीय निगम अथवा राज्य औद्योगिक विनियोग निगम द्वारा प्रदत्त अग्रिम का भाग है तो ऐसे डूबत ऋण को तब तक कोई कटौती प्रदान नहीं की जायेगी जब तक ऐसे ऋण की राशि को करदाता ने उस गत वर्ष में डूबत ऋण आयोजन खाते के नाम पक्ष में ना डाल दिया हो। यदि कोई व्यापार गत वर्ष के प्रारम्भ में बन्द हो गया है तो उस व्यापार के डूबत ऋण को कोई कटौती प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे डूबत ऋण को किसी अन्य विद्यमान व्यापार के लाभों में से कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

यदि कोई फर्म समाप्त या बन्द हो जाए तो फर्म के देय ऋण साझेदारों में पूंजी की भाँति वितरित कर दिए जाते हैं, और यदि ये ऋण वसूल नहीं हो पाते हैं, तो साझेदारों के लिए पूंजीगत हानि होती है, किन्तु यदि फर्म के समापन के बाद एक साझेदार उस व्यापार को चालू रखता है तो वह फर्म के डूबत ऋण की राशि के लाभों में से घटा सकता है। डूबत ऋण की राशि को उत्तराधिकारी कटौती के रूप में तभी माँग कर सकता है जबकि व्यापार में निरन्तरता रही हो।

30. बैंकों के डूबत ऋण आयोजन की कटौती (धारा 36 (i) (vii a)]

एक सूचीकृत बैंक (विदेशी बैंक अथवा एक सहकारी बैंक को छोड़कर) द्वारा निर्मित डूबत एवं संदिग्ध ऋण प्रावधान के संबंध में निम्न सीमा तक कटौती दी जायेगी। बैंक की कुल आय (इस कटौती एवं धारा 80 की कटौतियाँ घटाने से पूर्व) का 7.5 प्रतिशत + बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये औसत ऋणों का 10 प्रतिशत भारत के बाहर पंजीकृत बैंकों की दशा में बैंक की कुल आय का 5 प्रतिशत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था राज्य वित्तीय निगम अथवा राजकीय औद्योगिक विनियोग निगम की दशा में कुल आय का पाँच प्रतिशत एक गैर वित्तीय कम्पनी की दशा में कुल आय का पाँच प्रतिशत तक की राशि।

31. वित्त निगम के विशेष संचय में हस्तान्तरण के लिए कटौती (धारा 36 (i)

(viii)]

एक विशेष अस्तित्व करदाता द्वारा बनाये गये एवं रखे गए विशेष संचय के संबंध में इनकी वांछनीय व्यापार से उत्पन्न व्यापार और पेशा के लाभों के 20 प्रतिशत तक कटौती स्वीकार की जायेगी। करयोग्य लाभ से तात्पर्य व्यापार एवं पेशा शीर्षक के लाभ। विशिष्ट अस्तित्व करदाता से तात्पर्य कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक वित्तीय निगम, बैंकिंग कम्पनी, सहकारी बैंक आवासीय वित्तीय कम्पनी से है। वाघनीय व्यापार से तात्पर्य अस्तित्व करदाता के लिए कृषि या औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का व्यापार, आधारभूत सुविधाओं के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का व्यापार, आवासीय मकानों के निर्माण अथवा क्रय के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के व्यापार से है। दीर्घकालीन ऋण से तात्पर्य 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के ऋण से है, अर्थात् यदि कोई ऋण 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रदान किया गया है।

यदि विशिष्ट अस्तित्व करदाता द्वारा बनाया गया विशेष संचय इसकी दत्त पूंजी एवं सामान्य संचय की 200 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो ऐसी अधिक राशि के विशेष संचय के संबंध में कोई भी कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

32. परिवार नियोजन पर व्यय (धारा 36 (i) (ix)]

कम्पनी द्वारा अपने कमचारियों को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन पर किया गया व्यय वास्तविक कटौती के लिए मान्य है। यदि कोई पूंजीगत व्यय किया गया तो 1/5 भाग समान रूप से पाँच वर्षों में कटौती के लिए मान्य है।

33. किसी निगम अथवा समायोजित संस्था द्वारा किए गए आयगत व्यय (धारा 36

(xii)]

सरकारी गजट में अधिसूचित द्वारा आयगत व्यय जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं कटौती के लिए मान्य है।

34. बैंकिंग नकद व्यापार कर (धारा 36 (i) (xiii)]

यदि करदाता द्वारा बैंकिंग नकद व्यवहार कर का भुगतान किया गया हो तो यह राशि कटौती के लिए स्वीकृत है।

35. क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट में अंशदान (36 (i) (xiv)]

किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्योगों के लिए स्थापित किसी ऐसे क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट में अंशदान कटौती योग्य है।

36. प्रतिभूति व्यवहार कर (धारा 36 (i) (xv)]

गत वर्ष में व्यापार के दौरान किए गए कर-योग्य प्रतिभूतियों व्यवहार कर का भुगतान करने की कटौती मिलेगी।

37. वस्तु व्यवहार कर (धारा 36 (i) (xvi)]

करदाता द्वारा वस्तु व्यवहार कर की भुगतान की गई राशि कटौती योग्य है।

38. गन्ना क्रय करने हेतु सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय (धारा 36 (i) (xvii)]

एक सहकारी समिति जो चीनी के उत्पादन व्यापार में संलग्न है, द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर गन्ना क्रय करने के लिए किया गया व्यय, कटौती के लिए अनुमन्य हैं ।

39. अधिसूचित व्यय जो व्यापारिक हानि या अन्य अनुमानित हानि का कारण (धारा 36 (i) (xviii)]

यदि ऐसा व्यय 145 (2) में अधिसूचित "आय की गणना तथा प्रकृटीकरण मानक" के अनुसार गणित किए गए हैं तथा यह व्यय व्यापारिक हानि या किसी अन्य अनुमानित हानि का कारण हो सकते हैं तो ऐसे व्यय कटौती के रूप में स्वीकृत होंगे ।

7.5.2 स्वीकृत भत्तों के सम्बन्ध में कटौतियाँ :-

1. चाय,रबर या काफी विकास खाता (धारा 33 ए बी)

ऐसे करदाता जो भारत में चाय, रबर या काफी का उत्पादन एवं निर्माण कर रहे हैं, तो अनुमादित योजना के अर्न्तगत : "कृषि एवं ग्राम्य विकास राष्ट्रीय बैंक' NABARD के विशेष खाते में या केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से चाय बोर्ड, रबर बोर्ड या कॉफी बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी योजना में जमा खाते में जमा राशि पर एवं यह धनराशि गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर अथवा आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि से पूर्व (दोनों में जो पूर्व में पड़े) में जमा करने पर करदाता को निम्न कटौती मिलेगी ।

कटौती की राशि होगी –

1. जमा की गई राशि अथवा

2. ऐसे व्यापार के लाभों का 40 प्रतिशत

दोनों में जो भी कम हो । इस धारा में कटौती तभी मिलेगी जब खातों का अंकेक्षण किया जाए ।

इस धारा के अर्न्तगत विशेष खाते में अथवा जमा खाते में जमा राशि, केवल जमा योजनाओं में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अथवा निम्न परिस्थितियों में आहरित की जा सकती है ।

- व्यापार बन्द होने पर
- करदाता की मृत्यु पर
- हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर
- फर्म के विघटन पर
- कम्पनी के समापन पर

यदि उक्त जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाती है तो इसका प्रयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करना आवश्यक है । यदि राशि का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह करयोग्य हो जायेगी ।

यदि गत वर्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा जमा राशि को जारी करने पर करदाता निम्न क्रम से सम्पत्तियों में विनियोजित करेगा –

- कार्यालय, भवन रहने का भवन, अतिथि भवन में कोई मशीन या यंत्र लगवाने के लिए
- कम्प्यूटर को छोड़कर कोई कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए
- ऐसी मशीन या संयंत्र खरीदने के लिए जिसकी पूरा धनराशि क्रय वाले वर्ष में ही द्वास की कटौती के रूप में स्वीकृत हो जाती है।
- ग्यारहवीं अनुसूची में दी गई किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए नई मशीन या संयंत्र क्रय करने के लिए

नोट – इस योजना में प्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले गत वर्ष के बाद 8 वर्ष के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या हस्तान्तरित कर दिया जाए तो लागत का वह भाग जिसके संबंध में इस धारा की कटौती मिल चुकी है, विक्रय या हस्तान्तरण वाले गत वर्ष की करदाता की कर योग्य आय मान लिया जाएगा किन्तु निम्न विक्रय या हस्तान्तरण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

- ऐसा विक्रय या हस्तान्तरण जो सरकार स्थानीय निकाय, वैधानिक निगम अथवा सरकारी कम्पनी को किया जाए।
- एक फर्म द्वारा उस कम्पनी को किया जाए जिसने उस फर्म की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों का क्रय कर लिया हो।

2. स्थल पुनर्स्थापन कोष (धारा 33 ए बी ए)

- यह कटौती ऐसे करदाता को प्रदान की जाती है जो भारत में केन्द्रीय सरकार के साथ हुए प्रसंविदे के अर्न्तगत पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस अथवा दोनों को निकालने, विकास या उत्पादन के व्यापार को संचालित कर रहा हो।
- कर दाता गत वर्ष समाप्त होने से पूर्व निम्न में जमा करें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के विशेष खाते में राशि या स्थल पुनर्स्थापना खाता में जमा करने पर।
- करदाता को चालू वर्ष के व्यापारिक लाभों में से निम्न की न्यूनतम राशि के बराबर की कटौती मिलेगी। उक्त खाते में जमा राशि अथवा उन लाभों का 20 प्रतिशत।
- कर दाता द्वारा खातों का अंकेषण एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराना होगा।
- जमा धनराशि का प्रयोग किसी कार्यालय भवन या रिहायशी भवन (अतिथि गृह सहित) में स्थापित करने के लिए मशीन या प्लाण्ट का क्रय या ऐसी मशीनरी प्लाण्ट जिसकी सम्पूर्ण लागत 100 प्रतिशत द्वास वाली या ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु के उत्पादन निर्माण के लिए मशीनरी खरीदने के लिए प्रयोग किया जाए।
- यदि विशेष खाते अथवा स्थल पुनर्स्थापना खाते से आहरित अथवा मुक्त की गई राशि को योजना में निर्दिष्ट विशेष व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया तो ऐसी अप्रयुक्त राशि करदाता की उस गत वर्ष की कर योग्य आय मानी जायगी, जिस गत वर्ष में यह राशि आहरित या मुक्त की गई है।

- यदि उक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त कोई सम्पत्ति करदाता द्वारा प्राप्ति के आठ वर्षों के अंदर हस्तान्तरित या विक्रय कर दे तो सम्पत्ति की लागत का वह भाग जिसको कटौती प्रदान की जा चुकी है उस गत वर्ष का कर योग्य लाभ माना जायेगा, जिस गत वर्ष में सम्पत्ति बेची या हस्तान्तरित की गई ।

3. खनिज तेलों के विकास हेतु व्यय (धारा 42)

खनिज तेलों (पेट्रोल या गैस) निकालने, विकास, उत्पादन के कार्य में संलग्न व्यापार के लाभों की गणना करने में निम्न व्ययों की कटौती स्वीकृत होगी ।

- करदाता द्वारा किसी क्षेत्र की खोज पर किया गया निष्फल व्यय ।
- करदाता द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व या बाद में किया गया कोई कार्य पर व्यय जो उसने जमीन में बरपा करने या तेल खोजने या इस संदर्भ में प्रयुक्त सम्पत्तियों को खरीदने पर किया हो ।

यह कटौती तभी मिलेगी जब केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति से साझेदार बन गयी हो ।

7.5.3 सामान्य कटौतियाँ-

धारा 37 (1) के अनुसार, ऐसा व्यय जो धारा 30 से 36 में नहीं आता। इस धारा में कटौती योग्य हैं, इसके साथ ही निम्न शर्तों को पूरा करना होगा ।

- व्यय धारा 30 से 36 तक कटौती मान्य ना हो ।
- पूंजीगत व्यय ना हो
- व्यक्तिगत व्यय ना हो
- व्यय पूर्णतया करदाता के व्यापार या पेशा के लिए गत वर्ष में किया गया हो ।
- किसी भी अधिनियम में प्रतिबन्धित ना हो ।

अतः मनोरंजन व्यय, विज्ञापन व्यय, यात्रा व्ययों अवकाश गृह या अतिथि गृहों के संबंध में किए गए व्ययों को धारा 37 (1) एवं 37 (2 बी) के अर्न्तगत कटौती मिलेगी। अतः करदाता द्वारा किये गये कुछ भुगतान जैसे – संरक्षण राशि, छीनना, जबरदस्ती से लेना, हफता, रिश्वत आदि व्यापारिक व्यय के रूप में कटौती योग्य नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अर्न्तगत कम्पनियों जिनका किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध धन 500 करोड़ या अधिक है अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक है, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत राशि निगमीय सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय करनी होगी। कर-निधारण वर्ष 2015-16 से निगमीय सामाजिक दायित्व के संबंध में व्यय की गयी राशि को धारा 37 (1) के अर्न्तगत कटौती प्रदान नहीं की जाएगी ।

सामान्य कटौतियों के उदाहरण

1. माल के क्रय या निर्माण के व्यय ।
2. वस्तु के विक्रय एवं वितरण के व्यय ।
3. कर्मचारियों को दी गयी पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य भुगतान ।
4. श्रम कल्याण के लिए किए गए व्यय ।

5. कर्मचारी के खाने पीने पर किया गया व्यय (प्रति कर्मचारी प्रतिदिन 50 रुपये अधिकतम)
6. विज्ञापन व्यय
7. कर्मचारी द्वारा किया गया गबन की क्षति ।
8. ऋणी से ऋण के प्रतिफल में प्राप्त सम्पत्ति के विक्रय पर हानि ।
9. माल के दोष के कारण ग्राहक को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करना ।
10. चोरी या डकैती में रोकड़ की क्षति (बैंकिंग कम्पनी को)
11. व्यापार के कार्यशील घन्टों में चोरी अथवा उठाईगिरी के कारण फ़ैक्टरी या दुकान में होने वाली क्षति ।
12. दिन के लेन देन में रोकड़ की कमी ।
13. विक्रय एजेन्सी के समापन पर देय हर्जाना ।
14. बिक्री कर /जी.एस.टी. में अपील व्यय ।
15. व्यापारिक अनुबन्ध के भंग करने पर देय क्षति-पूर्ति ।
16. दुश्मन की बमवारी के कारण स्टॉक की क्षति ।
17. अनिवार्य चन्दे जो व्यापार में आवश्यक है ।
18. सम्पत्ति के अदत्त क्रय मूल्य पर देय ब्याज ।
19. स्वयं का टेलीफोन योजना में किया गया प्रारम्भिक भुगतान ।
20. छंटनी वाले कर्मचारी को नोटिस के बदले दी गयी राशि ।
21. प्रतियोगी व्यापारी को कम मूल्य की निविदा ना देने के लिए दिया गया भुगतान ।
22. व्यापार हित में किसी कर्मचारी को दिया गया हर्जाना ।
23. मुहुर्त, दीपावली, दशहरा पर उपहार, भेंट का उचित व्यय ।
24. व्यवसाय कर का भुगतान
25. कर्मचारी का दुर्घटना बीमा पर देय प्रीमियम ।
26. करदाता द्वारा माल की सुपुर्दगी स्वीकार ना करने पर हानि ।
27. व्यापार चिन्ह को पंजीकृत कराने के व्यय ।
28. चिट्ठे की तिथि को विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाली प्रावधान ।
29. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना के अर्न्तगत किया गया भुगतान ।
30. मशीनरी क्रय पर किए स्थगित भुगतान पर ब्याज ।
31. ए एस-7 के अर्न्तगत प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली हानि के लिए किया गया प्रावधान ।
32. फ़ैक्टरी में बिजली आपूर्ति के लिए राज्य बिजली बोर्ड को ट्रांसफ़ॉर्मर तथा बिजली लाईन बिछाने का व्यय ।
33. यू.पी.एस. या प्रिण्टर का अपग्रेड या बदलने का व्यय ।
34. क्लब की सदस्यता प्राप्त करने के लिए शुल्क ।
35. करदाता द्वारा अपने व्यापार के हित में किया गया व्यय ।

7.6 अस्वीकृत व्यय, क्षतियों या हानियाँ

निम्न हानियाँ एवं क्षतियों को व्यापार या पेशा के लाभों की गणना करते समय नहीं घटाया जाएगा ।

1. पूंजीगत सम्पत्ति के विनाश के कारण होने वाली क्षति या पूंजीगत व्यय ।
2. ऐसा व्यय जो व्यापार से संबंधित नहीं है ।
3. विनियोग के रूप में अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाली हानि ।
4. अधिनियम भंग करने पर चुकाई गई क्षतिपूर्ति हर्जाना ।
5. किसी कर्मचारी को आपराधिक गतिविधि से बचाने के व्यय ।
6. राजनैतिक पार्टी के विज्ञापन पर व्यय ।
7. भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को कोई ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल में फीस, जिस पर आयकर का टी.डी.एस. ना किया हो ।
8. किसी भी साझेदारी फर्म के लिए यदि फर्म द्वारा किए गए भुगतान को उसकी कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा । किसी ऐसे साझेदार को, जो कार्यशील साझेदार नहीं है, दिया गया वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य प्रारिभ्रमिक । किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया पारिभ्रमिक जो साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत नहीं है । साझेदार को दिया गया ब्याज जो साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत ब्याज का वह भुगतान जो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से अधिक है । कार्यशील साझेदार को संलेख द्वारा अधिकृत राशि से अधिक पारिभ्रमिक (निर्धारित सीमा से)

निर्धारित सीमा निम्नलिखित है –

लाभो की सीमाअधिकतम कटौती राशि

- पुस्तकीय लाभों के प्रथम रु. 3,00,000 रु. 1,50,000 अथवा पुस्तकीय लाभों का पर अथवा हानि की दशा में 90 प्रतिशत (दोनों में जो ज्यादा है)

- शेष पुस्तकीय लाभों पर प्रत्येक कार्यशील साझेदार ऐसे लाभों का 60 प्रतिशत

साझेदारों के पारिभ्रमिक के संबंध में कटौती तभी मान्य है, जब संलेख में पारिभ्रमिक की राशि का स्पष्ट उल्लेख (प्रत्येक कार्यशील साझेदार) तथा गणना की विधि स्पष्ट हो ।

नोट— कार्यशील साझेदार से तात्पर्य उस साझेदार से है जो फर्म के व्यवसाय अथवा पेशे के संचालन में मुख्य रूप से संलग्न है ।

- पुस्तकीय लाभों से तात्पर्य लाभ – हानि खाते द्वारा प्रदर्शित ऐसे शुद्ध लाभों से है, जो साझेदारों को देय पारिभ्रमिक का ब्याज घटाने के बाद गणित किए गए हैं ।
- यदि कोई व्यक्ति फर्म में प्रतिनिधि साझेदार हैं और उसे व्यक्तिगत रूप में (प्रतिनिधि साझेदार की हैसियत से नहीं) फर्म से ब्याज प्राप्त होती है, तो ऐसी ब्याज फर्म के लिए स्वीकृत कटौती होगी ।

- यदि प्रतिनिधि साझेदार को साझेदार के रूप में फर्म द्वारा कोई भुगतान दिया जाता है, तो ऐसे ब्याज को धारा 40 (बी) के अर्न्तगत कटौती मान्य है।
- 9. किसी भी व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के समुदाय द्वारा (कम्पनी या सहकारी समिति को छोड़ कर) अपने सदस्य को दिया गया कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक अस्वीकृत है एक सदस्य द्वारा व्यक्तियों के समुदाय या संघ को प्रदत्त ऋण पर ब्याज अस्वीकृत है परन्तु व्यक्तियों के समुदाय द्वारा किसी अन्य संस्था से ब्याज स्वीकृत है। इसमें निम्न अति महत्वपूर्ण है –
- यदि व्यक्तियों का समुदाय अपने किसी सदस्य को ब्याज देता है तथा वह सदस्य भी व्यक्तियों के समुदाय को ब्याज देता है तो ब्याज की अस्वीकृत राशि समुदाय द्वारा दिये गये ब्याज का सदस्य से प्राप्त ब्याज पर आधिक्य के बराबर होगी ।
- यदि कोई व्यक्ति का समुदाय में किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य है तथा उसने व्यक्तिगत हैसियत से संघ को ऋण दिया है तो इस ऋण पर संघ द्वारा देय ब्याज स्वीकृत कटौती होगी ।
- यदि कोई व्यक्ति संघ में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य है तथा अपने प्रतिनिधि सदस्य के रूप में फर्म से ब्याज प्राप्त किया है तथा प्रतिनिधि सदस्य के रूप में संघ को ब्याज दिया है, तो ब्याज की अस्वीकृत राशि संघ या समुदाय द्वारा दिए गए ब्याज का प्रतिनिधि सदस्य से प्राप्त ब्याज पर आधिक्य के बराबर होगी ।

10. रिश्तेदारों को अधिक भुगतान (धारा 40 ए (2) :

यदि कोई कर दाता द्वारा कोई व्यय करे जिसका भुगतान उसके किसी रिश्तेदार या सहयोगी संस्था को किया गया है, एवं कर निर्धारण अधिकारी की निगाह में यह भुगतान अधिक या अनुचित है तब यह अधिक राशि कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होगी । रिश्तेदार से तात्पर्य करदाता के पति, पत्नी, भाई, बहिन, माता, पिता, दादा, दादी पुत्र या पुत्री पौत्री से है। सहयोगी संस्था से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसका करदाता के व्यापार में साखान हित है अथवा जिसमें करदाता के रिश्तेदार का साखान हित है।

11. व्यय का नकद भुगतान (धारा 40 ए (3))

यदि कर दाता द्वारा रु. 10,000 से अधिक धनराशि का भुगतान (एक दिन में) करा जाए और पाने वाले यह राशि नकद दी जाए तो यह अस्वीकृत व्यय है। रोकड़ से तात्पर्य नकद या धारक को देय या सेल्फ या बिना एकाउन्ट पेयी के चैक से है । अन्य शब्दों में यह भुगतान कॅस एकाउन्ट देय चैक, इलैक्ट्रानिक माध्यम से देय अनिवार्य है। लेकिन यदि भुगतान मालवाहक को चलाने किराये या पट्टा पर लेने के लिए दी जाए तब यह राशि रु. 10,000 के स्थान पर रु. 35,000 होगी। नियम 6 डी. डी नियम 6 डी.डी. के अर्न्तगत ऐसी परिस्थितियाँ दी गई है जिनमें रु. 10,000 से अधिक नकद व्यय भुगतान स्वीकृत कटौती है।

12. ग्रेंच्युटी के लिए आयोजन (धारा 40 ए (7))

यदि कोई करदाता अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट या सेवा समाप्ति के लिए देय ग्रेच्युटी का आयोजन करता है तो ऐसा आयोजन कटौती योग्य नहीं है। परन्तु अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में अंशदान करने पर कटौती योग्य है।

13. कर्मचारी हित के लिए कोषों में अंशदान (धारा 40 ए (9))

करदाता द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए गैर अनुमोदित फण्डों में अंशदान कटौती के लिए स्वीकृत नहीं है। परन्तु मान्यता प्राप्त कोषों में निर्धारित तिथि तक जमा करने पर मान्य कटौती है।

14. निम्नलिखित अन्य व्यय अस्वीकृत है –

- मालिक अथवा साझेदार के आहरण
- अधिनियम में अस्वीकृत आयोजन एवं संचय
- दान अथवा भेंट के रूप में रकम
- लाभ हानि खाते में पुरानी हानियाँ
- ऐसा व्यय जो व्यापार से संबंधित ना हो ।
- प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए किया गया व्यय
- करदाता द्वारा सोल सैलिंग एजेंट को भुगतान
- अंशों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में मुकदमे के व्यय
- ठेके की पूर्ति में देर करने के कारण सरकार को दिया गया हर्जाना यदि उचित नहीं है।
- रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान परिवर्तन पर व्यय
- किसी राजनैतिक पार्टी का चन्दा देना

7.7 वास्तविक भुगतान पर स्वीकृत कटौतियाँ (धारा 43 बी)

1. करदाता द्वारा कर्मचारी को देय बोनस, कमीशन,
2. करदाता द्वारा देय कोई कर, ड्यूटी या सेस
3. किसी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा राज्य वित्तीय निगम अथवा राज्य औद्योगिक विनियोग निगम के लिए गए ऋण पर देय ब्याज
4. कर्मचारी के खाते में जमा किसी छुट्टी के बदले में देय राशि
5. करदाता द्वारा भारतीय रेलवे को रेल सम्पत्तियों के प्रयोग के लिए देय राशि।
6. कर्मचारी के खाते में जमा किसी छुट्टी के बदले में देय राशि
7. नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड, ग्रेच्युटी फण्ड या कल्याण कोष अनुमोदित में देय निर्धारित तिथि तक जमा राशि

7.8 माने गए लाभ

निम्नलिखित प्राप्तियाँ व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर-योग्य है।

1. यदि किसी व्यक्ति को किसी गत वर्ष में कुछ हानि, व्यय की कटौती मिल चुकी है और बाद में वह राशि या इनका आंशिक भाग नकद या अन्य तरीके से प्राप्त हो जाता है तो व्यापार और पेशा शीर्षक में करयोग्य है।

2. उपरोक्त एक में यदि उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाए तो उत्तराधिकारी के लिए करयोग्य होगी।
3. धारा 41 (2) के अनुसार, “ यदि करदाता के स्वामित्व वाली कोई व्यापारिक सम्पत्ति अर्थात् कोई भवन, मशीनरी, प्लान्ट या फर्नीचर जिस पर धारा 32 (1)(i) के अर्न्तगत ह्रास लगाया जाता है। उस सम्पत्ति को बेच नष्ट या बाहर कर देने पर, उसका देय राशि एवं अवशेष मूल्य उस सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य से अधिक है, तो आधिक्य का वह भाग जो अब तक उस सम्पत्ति पर स्वीकृत हुए ह्रास के बराबर है, उस गत वर्ष की व्यापार तथा पेशे की आय माना जाएगा।
4. यदि कोई सम्पत्ति जो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में प्रयुक्त होती थी, तथा उसे बेच देने पर विक्रय से प्राप्त राशि + इसके संबंध में स्वीकृत कटौतियों का योग, यदि सम्पत्ति की लागत से अधिक है तो ऐसा आधिक्य अथवा अब तक स्वीकृत कटौतियों दोनों में जो कम हो उस गत वर्ष की व्यापारिक आय मानी जाएगी।

करयोग्य व्यापारिक आय – सम्पत्ति का विक्रय मूल्य + स्वीकृत कटौतियाँ (अब तक) — सम्पत्ति की लागत अथवा सम्पत्ति पर अब तक स्वीकृत की गयी कटौतियाँ (दोनों में जो कम हो)

5. डूबत ऋण की बसूली (धारा 41 (4) –

यदि पूर्व के वर्षों में कटौती के रूप में स्वीकृत डूबत ऋण, बाद के वर्षों में वसूल हो जाए, तो वसूल की गई राशि उस वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष राशि वसूल की गई है।

6. विशेष संचय से आहरण (धारा 41 (4ए)–

के अनुसार, जब धारा 36 (1)(VIII) के अर्न्तगत किसी संचय की कटौती पूर्व में आयकर में प्रदान की जा चुकी है। (जो किसी वित्तीय निगम द्वारा बनाया एवं रखा गया है और बाद में ऐसे विशेष संचय में से राशि आहरित की जाए तब आहरित राशि, आहरण वाले वर्ष में व्यापार एवं पेशा शीर्षक में करयोग्य होगी। चाहे यह व्यापार बन्द कर दिया गया हो, तब भी कर योग्य होगा।

7. व्यापार अथवा पेशा की समाप्ति के बाद बसूली (धारा 176 (3 ए)

यदि कोई व्यापार अथवा पेशा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण अथवा मृत्यु के कारण समाप्त हो जाए और बाद में किसी साझेदार को किसी कटौती की राशि की वसूली हो जाए तो वसूल हुई राशि उस साझेदार के लिए करयोग्य होगी जिसने प्राप्त की है।

7.9 अप्रकट आयें अथवा विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय

निम्नलिखित राशियाँ व्यापार या पेशा शीर्षक की अप्रकट स्रोत की आय मानी जाएगी। ऐसी सम्पूर्ण आय बिना किसी व्यय या कटौती के करयोग्य आय में शामिल किया जाएगा।

1. अस्पष्ट रोकड़ जमा (धारा 68)

यदि करदाता द्वारा अस्पष्ट रोकड़ अपने गतवर्ष के खातों में जमा करता है अर्थात् आयकर अधिकारी को स्पष्ट विवरण नहीं देपाता है तब वह राशि आय में शामिल हो जाएगी। एक कम्पनी करदाता की दशा में, (जिसमें जनता का साखान हित है) में अंश आवेदन राशि अंश प्रीमियम अंश पूंजी नकद जमा होने पर आय नहीं मानी जाएगी।

2. अस्पष्ट विनियोग (धारा 69)

यदि करदाता ने गत वर्ष में निवियोग किए जो लेखा पुस्तकों में दर्ज है, तो स्पष्टीकरण ना देने पर आय मानी जाएगी।

3. अस्पष्ट मुद्रा (धारा 69 ए)

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता किसी ऐसी मुद्रा, धातु, या ज्वैलरी का स्वामी या उसके पास पाई जाए, जो कर दाता की पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं है और उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं है, ऐसी स्थिति में इनका बाजार मूल्य उसकी गत वर्ष की आय माना जाएगा।

4. अपूर्ण अप्रकट विनियोग(धारा 69 बी)

यदि किसी गत वर्ष में करदाता ऐसे विनियोगों, मुद्रा ज्वैलरी धातु या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का स्वामी पाया जाये और पुस्तकों में उनका प्रदर्शित मूल्य बाजार मूल्य से कम हो और कर दाता इस आधिक्य का संतोषजनक उत्तर ना दे पाए तब ऐसी स्थिति में आधिक्य मूल्य उस वित्त की आय मान ली जाएगी।

5. अ-प्रकट व्यय(धारा 69 सी)

यदि किसी गत वर्ष में लेखा पुस्तकों में कोई व्यय लिखा गया हो, जिसका उचित स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी को संतोषजनक उत्तर ना दे तब ऐसा व्यय को कर योग्य आय मानी जाएगी।

6. हुण्डी पर उधार ली गई तथा भुगतान की गई राशि (धारा 69 डी)

यदि कोई करदाता कोई धनराशि हुण्डी पर प्राप्तकर्ता को देय, चैक या ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक माध्यम के अलावा किसी और प्रकार से उधार ले या भुगतान करे तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस राशि को कर योग्य माना जा सकता है।

7.10 खाते रखना (धारा 44 ए ए)

एक करदाता को अपने व्यापार और पेशा के खाता रखने के नियम निम्न प्रकार से वर्णित है। इनको तीन वर्गों में बाँटा गया है।

1. विशिष्ट पेशे
2. गैर-विशिष्ट पेशे अथवा व्यापार
3. धारा 44 AD, 44 ADA & 44 AE के अर्न्तगत व्यापार

1. विशिष्ट पेशे –

विशिष्ट पेशे में वकालत, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, चिकित्सा, शिल्पकार, इंजीनियर, तकनीकी सलाहकार, आन्तरिक साज सज्जा, आर्किटेक्ट फिल्म कला, सूचना एवं प्राद्यौगिकी से है। ऐसे पेशे के अर्न्तगत ऐसे व्यक्ति करदाता की दशा में जिसकी

पिछले तीन गत वर्षों में किसी भी वर्ष में पेशे से सकल प्राप्तियों रु. 1,50,000 से अधिक थी, अथवा नए स्थापित पेशे की दशा में ऐसे पेशे से सकल प्राप्तियों रु. 1,50,000 से अधिक होने की संभावना है, तो निर्धारित खाता पुस्तकें तथा प्रपत्र रखने अनिवार्य होंगे। निर्धारित खाता पुस्तकें एवं प्रपत्र निम्नलिखित हैं –

- रोकड़ पुस्तकें
 - जर्नल (यदि खाता पुस्तकें व्यापारिक पद्धति से रखे जाने पर)
 - लेजर
 - रु. 25 से अधिक के बिल की कार्बन प्रति
 - प्राप्त मूल बिल
 - रु. 50 से अधिक के खर्च की रसीदें ।
- (नोटिफिकेशन संख्या 11319 दिनांक 06-04-2000)

2. गैर-विशिष्ट पेशे अथवा व्यापार-

एक गैर विशिष्ट पेशे अथवा व्यापार में लगे करदाता द्वारा के संदर्भ में प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- पिछले तीन गत वर्षों में किसी भी वर्ष की ऐसे पेशे या व्यापार की आय रु. 1,20,000 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में रु. 2,50,000) से अधिक रही हो अथवा
- कुल बिक्री या आवर्त या सकल प्राप्तियों रु. 10,00,000 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में रु. 25,00,000) से अधिक रही है।

अथवा

- नए स्थापित व्यापार या पेशा की दशा में आय या कुल बिक्री या आवर्त या सकल प्राप्तियों

उपरोक्त राशियों में से अधिक होने की सम्भावना है।

उपरोक्त स्थिति में करदाता के लिए आवश्यक है कि खाता बहियों तथा प्रपत्र रखने अनिवार्य है जिससे कर निर्धारण अधिकारी गणना कर सकें।

3. धारायें 44 AD, 44 ADA & 44 AE के अर्न्तगत करदाता द्वारा निर्दिष्ट पात्र व्यवसाय के लाभ धारा 44 AD अथवा माल ढोने के वाहनों को किराये पर अथवा पट्टे पर उठाने से आय धारा 44 AE या पेशे से आय धारा 44 ADA इन सभी धाराओंके अर्न्तगत माने गए लाभों से गणना की जाएगी। यदि कर दाता यह कहे कि उसकी आय आयकर अधिनियम की उपरोक्त धाराओं में निर्दिष्ट आय से कम है तो उसे व्यापार की पुस्तकों को रखना अनिवार्य है।

7.11 बहीखातों का अनिवार्य अंकेक्षण (धारा 44 एबी)

1. यदि गत वर्ष की उसकी कुल बिक्री अथवा आवर्त अथवा सकल प्राप्तियों एक करोड़ रुपये से अधिक हो, ऐसी स्थिति में आयका रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि से पूर्व अपना हिसाब-किताब चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है।

2. यदि धारा 44 ए डी के अर्न्तगत पात्र व्यवसाय के लाभ अनुमानित आय के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं तथा उसकी गत वर्ष की कुल बिक्री या आवर्त दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो खातों का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है।
3. यदि पेशे से प्राप्त गत वर्ष की कुल प्राप्तियाँ 50 लाख से अधिक होने पर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है।
4. धारा 44 AD, 44 ADA & 44 AE के अर्न्तगत करदाता द्वारा कम आय का दावा करने की दशा में अंकेक्षण अनिवार्य है।

7.12 व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन (धारा 145 ए)

1. व्यापारिक रहतिये का मूल्य लागत या बाजार दोनों में, जो कम हो, पर मूल्यांकन किया जाएगा।

7.13 कतिपय व्यापार या पेशे की आय का अनुमानित आधार पर निर्धारण

7.13.1 पात्र व्यवसाय के लाभों का निर्धारण (धारा 44 ए डी)

1. धारा 44 ए डी के प्रावधान उस पात्र करदाता पर लागू होते हैं जो पात्र व्यवसाय में संलग्न हो ऐसे व्यवसाय से आय की गणना निम्न प्रकार से होगी।
 - कुल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ जो गत वर्ष में अथवा धारा 139(1) में वर्णित किसी बैंक पर आहरित चैक अथवा इलैक्ट्रानिक के माध्यम से करता है, उसका 6 प्रतिशत आय मानी जाएगी। यदि उपरोक्त के अलावा प्राप्त आवर्त या सकल प्राप्तियों का 8 प्रतिशत माना जाएगा।
2. धारा 44 ए डी में अनुमानित आय के कारण इसमें से धारा 30 से 38 में वर्णित कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी। अनुमानित लाभ से ह्रास की राशि नहीं घटाई जाएगी परन्तु सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के लिए ह्रास की गणना करके ह्रास घटाया जाएगा।
3. यदि कर दाता गत वर्ष में अनुमानित आय पर गणना करता है और अगले पाँच कर निर्धारण वर्षों में से किसी भी गत वर्ष अपनी आय की गणना अनुमानित आधार पर नहीं करता तब जिस गत वर्ष वह अपनी गणना अनुमानित आधार पर नहीं करता, उस गत वर्ष से अगले पाँच कर निर्धारण वर्ष में भी वह आय की गणना अनुमानित आधार पर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसे खातों का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल करेगा।
4. इस धारा के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो धारा 44 ए ए में वर्णित पेशा या कमीशन या ब्रोकरेज या ऐजेन्सी का व्यवसाय चलाता हो।
5. ऐसी स्थिति (जब धारा 44 ए डी लागू हो) तो धाराएं 2843 सी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
6. चालू वर्ष की हानियों एवं आगे लाई गई हानियों की पूर्ति अनुमानित आय में से की जा सकती है
7. अनुमानित आय से धारा 80 सी से 80 GGC, 80 TTA, 80TTB & 80 U की कटौती ली जा सकती है।

8. पात्र करदाता से तात्पर्य एक व्यक्ति, हिन्दु अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म (सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को छोड़कर) निवासी से है।
9. पात्र व्यवसाय में मालवाहक वाहनों को किराये पर अथवा पट्टे पर अथवा स्वयं चालाने के व्यवसाय को छोड़कर (धारा 44 एई में वर्णित) कोई भी व्यवसाय जिसकी गत वर्ष में कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

उदाहरण 01 –

एक व्यापारी ने अपनी व्यवसाय की सूचना निम्नलिखित है आय की गणना करें। बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली से प्राप्त राशि रु. 90 लाख तथा अन्य विक्रय राशि रु. 80 लाख ।

हल–

व्यापारिक आय की गणना (धारा 44 ए डी)

Electronic प्रणाली प्राप्त	$90,00,000 \times 6 / 100$	= 5,40,000
अन्य राशि	$80,00,000 \times 8 / 100$	<u>= 6,40,000</u>
	व्यापारिक आय	<u>= 11,80,000</u>

7.13.2 पेशे से लाभों का निर्धारण (धारा 44 ADA)

1. भारत में निवासी व्यक्ति जो 44 AA(I) में वर्णित पेशे में लगा है और जिसकी गत वर्ष की सकल प्राप्तियाँ पचास लाख से अधिक नहीं है।
2. सकल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत आय (अनुमानित) मानी जाएगी करदाता चाहे तो इससे अधिक भी घोषित कर सकता है।
3. धारा 30 से 38 में वर्णित कटौती मान्य नहीं है।
4. ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी परन्तु सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निकालने में ह्रास की गणना की जायेगी ।
5. यदि करदाता अनुमानित आय से कमका दावा करता है तथा उसकी आय करमुक्त सीमा से अधिक है तो उसे अपने पेशे के हिसाब रखना, अंकक्षण अंकक्षण रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक अनिवार्य है।

7.13.3 मालढोने के वाहनों को किराया पर अथवा पट्टे पर अथवा स्वयं चलाने के व्यापार से लाभों का निर्धारण (धारा 44 ए ई)

1. ऐसा करदाता जो मालवाहक वाहनों को किराये या पट्टे या स्वयं चलाने के व्यापार में लगा है और गत वर्ष में किसी भी समय 10 वाहनों से अधिक का मालिक नहीं है। यदि वाहन किराया क्रय पद्धति पर या किश्तों पर है तब भी इसी श्रेणी में माना जायेगा ।
2. आय की गणना में भारी मालवाहक के लिए, खाली वाहक वाहन के सकल वजन का रु. 1000 प्रतिटन, प्रतिमाह अथवा माह का अंश पर माना जाता है। भारी वाहन से तात्पर्य सकल भार 12 टन से अधिक हो ।

3. अनुमानित लाभ में से धारा 30 से 38 तक वर्णित कटौती मान्य नहीं है। परन्तु फर्म करदाता की दशा में साझेदारों को दिया गया वेतन (पारिश्रमिक) तथा ब्याज (धारा 40 (बी) के अनुसार) घटा दिया जायगा।
4. ह्रास की कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी परन्तु सम्पत्ति की अपलिखित मूल्य की गणना में ह्रास की गणना की जायेगी।
5. उक्त व्यापार के लिए धारा 44 ए ए के अर्न्तगत हिसाब-किताब नहीं रखना है और अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं है।
6. यदि करदाता अनुमानित आय से कम का दावा करता है तो उसे हिसाब किताब रखना, अंकेक्षण तथा इलेक्ट्रानिक अपलोड करना अनिवार्य है।

उदाहरण 02 –

एक ट्रक आपरेटर करदाता के पास गत वर्ष में 5 भारी वाहन (सकल भार प्रत्येक 15 टन) 9 माह 16 दिन तथा 3 हल्के वाहन 8 माह 24 दिन प्रयोग में रहे। उसने भाड़े का हिसाब नहीं रखा। धारा 44 ए ई के अर्न्तगत व्यापार की आय गणना कीजिये।

हल—

भारी माल वाहक :

$$5 \times 000 \times 15 \times 10 \quad \text{Rs. } 7,50,000$$

हल्के माल वाहक

$$3 \times 7500 \times 9 \quad \text{Rs. } 2,02,500$$

धारा 44 ए ई में आय Rs. 9,52,500

उदाहरण 03—

एक साझेदारी फर्म 9 हल्के मालवाहक वाहनों की स्वामी है। एक माल वाहक 20-02-2019 को किराया क्रय से खरीदा गया। साझेदारी संविदा के अनुसार आकाश एवं भारत प्रत्येक को 14,000 प्रतिमाह वेतन एवं प्रत्येक की 4 लाख पूँजी पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मान्य है।

हल

फर्म की धारा 44 ए ई में व्यापार आय की गणना

कर निर्धारण वर्ष 2019-20

$$\text{हल्का वाहन} \quad 7500 \times 8 \times 12 \quad = 7,20,000$$

$$7500 \times 1 \times 2 \quad = \underline{15,000}$$

$$= 7,35,000$$

घटा साझेदारों को ब्याज

$$\text{आकाश} \quad 48,000$$

$$\text{भारत} \quad \underline{48,000} \quad = 96,000$$

$$\text{पुस्तकीय लाभ} \quad = 6,39,000$$

घटा साझेदारों को पारिश्रमिक

$$\text{प्रथम } 3,00,000 \text{ का } 90\% \quad = 2,70,000$$

अगले 3,39,000 का 60% = 2,03,400 = 4,73,400

अथवा $14,000 \times 2 \times 12 = 3,36,000 = \underline{3,36,000}$

दोनों में जो कम है घटाया जायेगा 3,03,000

7.13.4 – भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आदि के एजेन्ट की

कमीशन आय –

1. यदि कमीशन रु. 60,000 तक है जिसमें प्रथम वर्ष का कमीशन, नवीकरण कमीशन एवं बोनस कमीशन शामिल है। तब निम्न प्रकार नियमों से अनुमानित आय की गणना की जाएगी।

अ. एल आई सी के एजेन्ट –

- प्रथम वर्ष के कमीशन का कटौती 50 प्रतिशत
- बाद के वर्षों के कमीशन का कटौती 15 प्रतिशत कुल कटौती अधिकतम रु. 20000
- पृथक धनराशि उपलब्ध ना होने पर सकल कुल कमीशन का 33.33 प्रतिशत
- बोनस कमीशन के लिए कोई कटौती मान्य नहीं

ब. यूनिट ट्रस्ट डाकखाना, सरकारी प्रतिभूतियों, अधिसूचित म्युचल फण्ड के एजेन्ट के लिए कमीशन का 50 प्रतिशत कटौती योग्य है।

2. यदि कमीशन रु. 60,000 से अधिक है तब कोई भी कटौती स्वीकृत नहीं है उसे आयकर अधिनियम की धाराओं 30 से 43 बी की कटौती मान्य है।

3—यदि बीमा व्यवसाय के कमीशन की राशि का योग 15,000 रुपये से अधिक है तो कमीशन की राशि का 10 प्रतिशत (एक व्यक्ति की दशा में 5 प्रतिशत) उदगम स्थान पर काटा जायेगा।

7.14 विविध व्यावहारिक प्रश्न

उदाहरण 01 :

एक करदाता द्वारा निम्नलिखित के संदर्भ में कटौतियों की माँग करता है कारण सहित उत्तर दीजिये

1. ग्राहकों एवं वितरकों को एक-एक ब्रीफकेस उपहार में दिया जिसकी कीमत प्रत्येक रु. 750 है।
2. स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जिसका भुगतान रु. 25,000 नकद में किया।
3. एक कर्मचारी ने रु. 2000 का गबन किया।
4. एक कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा को मानवता के आधार पर रु. 2500 पेंशन का प्रतिमाह भुगतान किया।
5. व्यापार के लिए एक हैण्डपम्प का कार्य आरम्भ किया जिसपर रु. 2300 व्यय किया, परन्तु हैण्ड पम्प में पानी नहीं मिला।
6. पेटेन्ट अधिकार प्राप्त करने के लिए रु. 50,000 व्यय किया।

हल—

1. स्वीकृत व्यय— धारा 37 (1) में

2. अस्वीकृत व्यय— नकद देने के कारण रु. 10,000 से अधिक
3. स्वीकृत व्यय— व्यापार में किया गबन
4. अस्वीकृत व्यय— मानवता के आधार पर हैं
5. स्वीकृत व्यय— भले ही कुछ पानी नहीं निकला
6. अस्वीकृत व्यय— पूंजीगत व्यय का 50,000 का 25 प्रतिशत रु. 12,500 का व्यय ही प्रतिवर्ष ह्रास के रूप में स्वीकृत है।

उदाहरण 02 :

कारण सहित बताइये कि निम्न व्ययों/हानियों को व्यापार या पेशे के लाभ ज्ञात करते समय कटौती के रूप में स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं –

1. सामान्य बोनस के अलावा कर्मचारियों को दीपावली के त्यौहार पर विशेष बोनस दिया गया।
2. नीलामी विक्रय में बोली न लगाने के लिए किया गया भुगतान।
3. व्यापार के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, दलाली तथा अन्य निर्गमन व्यय।
4. कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु रु. 2,00,000 के पूंजीगत व्यय किये।
5. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई एक मुश्त राशि रु. 1,20,000।
6. कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु एक 'मनोरंजन गृह' का निर्माण कराया, जिसमें रु. 2,50,000 का व्यय हुआ।
7. एक संचालक ने व्यापार के लिए मशीन खरीदने के संबंध में विदेश यात्रा की जिस पर रु. 25,000 व्यय हुआ। मशीन अगले वर्ष लगाई गयी।
8. नया टेलीफोन लगवाने में रु. 2100 व्यय किया गया।
9. उधार माल क्रय करने पर अउत्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज चुकाया।
10. बैंक से लाभश वितरित करने के लिए अल्प अवधि का अधि-विकर्ष लिया जिस पर रु. 20,000 का ब्याज चुकाया।
11. न्योन साइन बोर्ड लगाने का व्यय रु. 20,000 जो कार्यालय भवन पर अपने माल का विज्ञापन करता है।
12. कुछ माह पूर्व लगाये गये न्योन साइन बोर्ड के ट्यूब बदलवाने पर रु. 5000 व्यय किये।

हल—

1. त्यौहार पर किया गया बोनस धारा 36 (1)(ii) के अर्न्तगत स्वीकृत है।
2. यह आयगत व्यय है, अतः स्वीकृत कटौती है।
3. व्यापार के लिए ऋण लेने पर किये गये व्यय जैसे – कमीशन, दलाली आदि स्वीकृत कटौती है।
4. परिवार नियोजन के प्रोत्साहन पर किये गये पूंजीगत व्यय 5 समान किशतों में कटौती के रूप में स्वीकृत होते हैं, अतः रु. 40,000 प्रति वर्ष (2,00,000/5) स्वीकृत कटौती है।

5. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई एक मुश्त राशि अस्वीकृत व्यय है। तकनीकी ज्ञान एक अदृश्य पूँजीगत सम्पत्ति है। इसको प्राप्त करने हेतु 31 मार्च 1998 के बाद व्यय की गई राशि पूँजीगत व्यय है, अतः कटौती योग्य नहीं है। हाँ, इस पर 25 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत किया जाता है।
6. मनोरंजन गृह का निर्माण एक पूँगीत व्यय है, अतः अस्वीकृत होगा।
7. मशीन के क्रय के लिए की गई विदेश यात्रा व्यय भी पूँजीगत प्रकृति का है, अतः अस्वीकृत है।
8. नया टेलीफोन लगवाने के व्यय विभागीय निर्देशानुसार स्वीकृत कटौती है।
9. क्रय मूल्य की अदत्त राशि पर देय ब्याज व्यापारिक व्यय है, अतः स्वीकृत है।
10. लाभांश भुगतान हेतु उधार ली गई पूँजी पर ब्याज स्वीकृत कटौती है।
11. विज्ञापन के पूँजीगत व्ययों के संबंध में कटौती प्रदान नहीं की जायेगी। अतः न्योन साइन बोर्ड लगाने के व्यय धारा 37 (1) के अर्न्तगत अस्वीकृत कटौती है। पूँजीगत व्ययों के संबंध में ह्रास स्वीकार किया जायेगा।
12. न्योन साइन बोर्ड के ट्यूबों को बदलवाने के संबंध में किया गया रु. 5000 का व्यय आयगत व्यय है, अतः कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।

उदाहरण 03—

श्री प्रदीप कुमार का लाभ हानि खाता का गत वर्ष 2018-19 का विवरण निम्न प्रकार है —

लाभ हानि खाता

प्रारम्भिक रहतिया	10,000	विक्रय	90,000
क्रय	50,000	अंतिम रहतिया	24,000
मजदूरी	20,000	कार की बिक्री	17,000
किराया	4,000	डूबत ऋणो से वसूली (पूर्व कर निर्धारण वर्षों में स्वीकृत)	4,000
कार की मरम्मत	3,000		
धन कर चुकाया	2,000	लाभांश	3000
पूँजी पर ब्याज	5,000	आयकर वापसी	2000
सामान्य व्यय	6,000		
कार का ह्रास	4,000		
अग्रिम आयकर चुकाया	2,000		
दान	3,000		
वर्ष का शुद्ध लाभ	31,000		
	1,40,000		1,40,000

निम्न अतिरिक्त सूचनायें दी गयी हैं —

1. मि. प्रदीप अपना व्यापार किराये के भवन में चला रहे है। जिसका आधा भाग उनके रहने में प्रयुक्त हो रहा है।
2. मि. प्रदीप ने गत वर्ष में रु. 20,000 की कार क्रय की। उन्होंने कार के मूल्य पर 20 प्रतिशत ह्रास लगाया। गत वर्ष में कार रु. 17,000 की बेची गयी। कार का प्रयोग $3/4$ व्यापार के लिए तथा $1/4$ व्यक्तिगत कार्य के लिए हुआ।
3. मजदूरी में मि. प्रदीप के ड्राइवर का रु. 250 प्रति माह से 10 माह का वेतन शामिल है।

हल—

श्री प्रदीप की व्यापारिक आय की गणना

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ	31,000	
जमा— अमान्य व्यय		
1/4 ड्राइवर मजदूरी व्यक्तिगत	625	
1/2 मकान स्वयं के रहने का	2,000	
1/4 रिपेयर कार व्यक्तिगत	750	
धनकर	2,000	
पूंजी पर ब्याज	5,000	
कार का ह्रास (गत वर्ष में बेचा)	4,000	
अग्रिम आयकर	2,000	
दान	3000	19,375
		50,375

घटा — गैर व्यापारिक आय

कार का विक्रय		17,000
लाभांश		3,000
आयकर रिफण्ड	2,000	22,000
व्यापारिक आय		<u>28,375</u>

नोट— मोटर कार उसी वर्ष क्रय की तथा उसी वर्ष बेच दी, अतः ह्रास स्वीकृत नहीं है। कार एक

पूँजीगत सम्पत्ति है। अतः यह व्यापारिक आय नहीं है।

उदाहरण — 04

श्री अनुपम खेर ने अपनी हार्डवेयर दुकान का लेखा निम्न लिखित हैं—

लाभ हानि खाता

(31 मार्च 2019 को समाप्त गत वर्ष)

वेतन एवं मजदूरी	43,000	सकल लाभ	3,54,725
किराया	1,600	रिश्तेदारों से उपहार	275

गृह व्यय	92,000		
आयकर	900		
विज्ञापन	800		
डाक व्यय	600		
रिश्तेदार को उपहार	900		
अग्नि बीमा प्रीमियम	400		
जीवन बीमा प्रीमियम	2,100		
अशोध्य ऋण संचिति	800		
अंकेक्षण शुल्क	400		
पूंजी खाते में अन्तरण शुद्ध लाभ	2,11,500		
	3,55,000		3,55,000

व्यापार से आय की गणना कीजिये ।

हल—

व्यापार से आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ		2,11,500
जमा : अस्वीकृत व्यय :		
गृह व्यय	92,000	
आयकर	900	
रिश्तेदार को उपहार	900	
जीवन बीमा प्रीमियम	2,100	
अशोध्य ऋण संचिति	800	96,700
		3,08,200
घटा— रिश्तेदारों से उपहार		275
व्यापार से आय		3,07,925

उदाहरण-05—

श्री आनन्द स्वरूप के व्यापारिक लाभ-हानि खाते का विवरण निम्नलिखित है ।

लाभ-हानि खाता
31 मार्च 2019 को समाप्त गत वर्ष

वेतन	1,00,000	सकल लाभ	6,96,260-00
विज्ञापन	45,500	मकान सम्पत्ति किराया	48,000-00
कार्यालय व्यय	92,500		3000-00
माल बीमा व्यय	86,000	अशोध्य ऋण वसूली	7,800-00

मकान का अग्नि बीमा	34,000	आयकर रिफण्ड	
जीवन बीमा प्रीमियम	30,000		
मोटर ह्रास	13,000		
आयकर प्रावधान	1,000		
मनोरंजन व्यय	18,500		
पैटेन्ट लागत	21,000		
मोटर व्यय	12,000		
अशोध्द्य ऋण	2,500		
सामान्य व्यय	3,000		
शुद्ध लाभ	4,04,060		
	7,55,060		7,55,060-00

अन्य सूचनायें –

- विज्ञापन में निम्न शामिल है –
 - ग्राहकों को भेट (30 वस्तुयें प्रति वस्तु 800 रुपये)
 - ग्राहकों को दो टी.वी. पुरस्कार बतौर प्रति सेट 4500 रु.
 - डायरी रु. 3000
 - शेष राशि विज्ञापन समाचार पत्र में
- अशोध्द्य ऋण वसूली में 6000रु. शामिल है। जिसको 2016-17 में आयकर अधिकारी ने कटौती अस्वीकार कर दी थी।
- मोटर की लागत 2,00,000 रुपये है जिस पर 15 प्रतिशत की दर से ह्रास मान्य है।

हल—

व्यापारिक आय की गणना
कर निर्धारण वर्ष 2019-20

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ		4,04,060
जमा: जीवन बीमा प्रीमियम	30,000	
मकान का अग्नि बीमा	3,400	
आयकर प्रावधान	1,000	
पैटेन्ट लागत	21,000	55,400
		4,59,460
घटा –मकान सम्पत्ति किराया	48,000	
आयकर रिफण्ड	3,000	
अशोध्द्य ऋण वसूली (पूर्व में मान्य नहीं)	6000	57,000
		4,02,460

घटा – पेटेन्ट ह्रास (21,000 x 25 / 100)	5250	
कार ह्रास (30,000 — 13,000)	17000	22,250
व्यापार से आय		<u>3,80,210</u>

उदाहरण 06 –

श्री मनोज कुमार एक सिविल ठेकेदार हैं गत वर्ष 2018–19 में उन्होंने निम्न ठेकों पर कार्य किया।

1. सड़क ठेका मूल्य 10 लाख सम्पूर्ण
 2. अस्पताल भवन ठेका मूल्य 30 लाख कार्यपूर्ण 8 लाख
 3. पुल— ठेका 30 लाख कार्य पूर्ण 50 लाख
 4. स्कूल भवन ठेका 30 लाख कार्य पूर्ण 15 लाख 50 हजार
- करदाता द्वारा निमाण के लिए 25 लाख लागत का प्लाण्ट प्रयुक्त किया गया। मिस्टर मनोज ने एक व्यापारिक ऋण बैंक से 18 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर 20 लाख का लिया। आयकर अधिनियम धारा 44 ए डी में गणना करें।

हल—

श्री मनोज की करयोग्य आय की गणना कर निर्धारण 2019–20

कार्यपूर्ण कार्य मूल्य

सड़क	40,00,000
अस्पताल	25,00,000
पुल	50,00,000
स्कूल	<u>20,00,000</u>
	<u>1,35,00,000</u>

कर योग्य आय – 1,35,00,000 X 8/100 = 10,80,000

नोट— श्री मनोज कुमार का ठेका मूल्य 2 करोड़ से अधिक है, परन्तु पूर्ण कार्यों का मूल्य 2 करोड़ से कम है अतः 44 ए डी मान्य है।

उदाहरण 07 –

श्री वरुण व्यापारिक माल वाहकों के स्वामी हैं।

1. पाँच भारी वाहक दो— 11 माह, दो 10 माह, 14 दिन एवं एक चार दिन के लिए प्रयुक्त
2. 4 हल्के माल वाहक – दो 12 माह 10 दिन, एक एक माह 15 दिन, एक 2 माह 10 दिन के लिए प्रयुक्त कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए व्यापारिक आय की गणना करें।

हल

व्यापारिक आय की गणना (धारा 44 AE)

$$1- (7500 \times 2 \times 11) + (7500 \times 2 \times 11) + (7500 \times 1 \times 1) = 3,37,500$$

$$2- (7500 \times 2 \times 13) + (7500 \times 2 \times 1) + (7500 \times 1 \times 3) = 2,32,500$$

5,79,000

नोट – करदाता 10 से कम वाहनों का मालिक है। एक दिन या अधिक को एक माह माना जाएगा। हल्के या भारी वाहनों दोनों के लिए 7500 प्रतिमाह आय मानी जाएगी।

उदाहरण 08 –

डा0 संजय कुमार बंसल एक पंजीकृत चिकित्सक है। वह अपने हिसाब रोकड़ी आधार पर रखता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसका रोकड़ खाता संक्षेप में निम्न प्रकार से है।

शेष लाये गये	1,22,000	दवाओं की लागत	10,000
बैंक से ऋण निजी कार्य के लिए	3,000	शल्यकर्म यंत्र	8,000
दवाओं का विक्रय परामर्श देने का शुल्क	25,250	मोटरकार	1,20,000
घर जाने का शुल्क	1,55,000	कार व्यय	6,000
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	24,000	वेतन	4,600
सम्पत्ति से किराया (स्थानीय कर नहीं लगेगा)	4,500	औषधालय का किराया	1,600
	3,600	सामान्य व्यय	300
		व्यक्तिगत व्यय	1,11,800
		जीवन बीमा प्रीमियम	3,000
		बैंक ऋण पर ब्याज	300
		सम्पत्ति का बीमा	200
		शेष ले गये	71,550
	3,37,350		3,37,350

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पेशे तथा मकान सम्पत्ति से आय की गणना कीजिये

अ. मोटर –कार के खर्चों का एक तिहाई भाग उसके व्यक्तिगत प्रयोग के संबंध में है।

आ. मोटर कार तथा शल्य कर्म यंत्रों पर ह्रास 15 प्रतिशत की दर से स्वीकृत है।

हल—

डा0संजय बंसल की मकान सम्पत्ति एवं व्यापार एवं पेशा की आय गणना

करनिर्धारण वर्ष 2019–20

पेशा आय :	रु.	रु.
दवाई की बिक्री	25,250	
परामर्श	1,55,000	
घर जाने का शुल्क	24,000	2,04,250
घटा – व्यय मान्य –		

दवाई की लागत	10,000	
2/3 कार व्यय	4,000	
वेतन	4,600	
डिस्पेन्सरी किराया	1,600	
सामान्य व्यय	300	
सर्जिकल यन्त्र 15 प्रतिशत	1,200	
कार ह्रास 15 प्रतिशत की दर		
से		
1,20,000 X $\frac{15 \times 2}{100}$	12,000	33,700
3		1,70,550
पेशा की आय		
मकान सम्पत्ति आय :	3,600	
वार्षिक मूल्य	1,080	2,520
घटा 30 प्रतिशत		

7.15 सारांश

व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य आय की गणना करने में व्यापार एवं पेशा का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यापार से तात्पर्य किसी वस्तु को लाभ के उद्देश्य से क्रय-विक्रय करना अथवा वस्तुओं का निर्माण से है। पेशे से आशय ऐसे कार्य करना जिसमें सेवाओं को प्रदान किया जाता है, जिसके लिए मस्तिष्क या शारिरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। व्यापार में आयगत लाभ, क्षतिपूर्ति लाभांश एवं ब्याज की प्राप्ति से है। इसमें विभिन्न स्वीकृत कटौतियों तथा विशिष्ट कटौतियों प्रदान की जाती है।

लाभ की गणना में आयकर के प्रावधानों का पालन करते हुए कटौतियों स्वीकृत करके व्यापार एवं पेशा की गणना की जाती है। इनका विस्तृत विवरण पिछले पृष्ठों पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यय वास्तविक भुगतान करने पर ही स्वीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए, कर, ड्यूटी, सेस, कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारियों को बोनस तथा कमीशन वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज, कर्मचारियों को छूट्टी के बदले देय राशि आदि। विशिष्ट पेशा एवं व्यापार में खातों को रखना, तथा अंकक्षण अनिवार्य है। गैर विशिष्ट पेशा एवं व्यापार को खाते रखना आवश्यक है।

7.16 शब्दावली

व्यापार— किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य के क्रय- विक्रय या निर्माण करना

पेशा— पेशा का आशय उन कार्यों या सेवाओं से है जिसमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारिरिक योग्यता की आवश्यकता है।

व्यवसाय— ऐसे कार्य जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं।

क्षतिपूर्ति— व्यापार के प्रबन्धकों की सेवायें अथवा ऐजेन्सी समाप्त करने या सेवा शर्तों में संशोधन पर प्राप्त राशि ।

सट्टा— वस्तुओं या अंशों का क्रय— विक्रय जिनका निपटारा वस्तुओं अथवा प्रलेखों की बिना सुपुर्दगी दिए अथवा बिना हस्तान्तरण किए हुए होता है ।

7.17 बोध प्रश्न

अ— निम्न कथन सत्य है या असत्य —

1. धारा 44 ए बी के अर्न्तगत निर्दिष्ट तिथी से आशय 30 जून से है ।
2. धारा 44 ए बी के अर्न्तगत हिसाब—किताब का अंकक्षण अनिवार्य है । यदि कुल बिक्री 40 लाख से अधिक है ।
3. एक फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज 12 प्रतिशत दर से स्वीकृत है ।
4. मनोरंजन व्यय व्यापार में स्वीकृत व्यय कटौती है ।
5. ग्राहकों से प्राप्त धर्मादा व्यवसाय की आय नहीं होती हे ।
6. अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान पर अनुसंधान हेतु दी राशि की 200 प्रतिशत कटौती मिलेगी ।
7. मालवाहक भाड़े का रु. 60,000 भुगतान नकद में किया गया ।

ब— रिक्त स्थान भरें —

1. प्रारम्भिक व्यय की कटौती ----- है ।
2. ----- करदाता को कुछ दशाओं में आतरिक शोध के लिए भारित कटौती का 150 प्रतिशत स्वीकृत होता है ।
3. एक डाक्टर का कार्य ---- है ।
4. एक चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का कार्य ---- है ।
5. गायकी का कार्य ---- है ।
6. मालवाहक भाड़ा का विशिष्ट प्रतिमाह / प्रतिवाहन आय ---- है ।
7. परिवार नियोजन का पूर्जीगत व्यय रु. 1,00,000 है । गत वर्ष में कटौती की मात्रा ---- है ।

7.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

कथन सत्य है या असत्य

- उत्तर—** 1— असत्य 2— असत्य 3— सत्य 4— सत्य
5— सत्य 6— असत्य 7— असत्य

रिक्त स्थान

- उत्तर —** 1— 1/5 2— कम्पनी 3— पेशा 4— पेशा 5—
वोकेशन (व्यवसाय) 6— 7500 7— 20,000

7.19 स्वपरख प्रश्न

1. एक व्यापारी करदाता को लाभों की गणना में क्या-क्या कटौतियाँ स्वीकृत है ?
2. प्रारम्भिक व्ययों की कटौती समझाइये ।

3. पेशे से प्राप्तियों की दो प्राप्तियों लिखो ।
4. सटटे के व्यापार को परिभाषित करें ।
5. आयकर अधिनियम की धारा 36 की कटौतियों का वर्णन करें।
6. फर्म में पुस्तकीय लाभ को समझाइये।

7.20 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhanian : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर- कर निर्धारण वर्ष 2019-20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई—8 पूँजी लाभ से आय

इकाई की रूपरेखा

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 पूँजी सम्पत्ति का आशय
- 8.3 पूँजी सम्पत्ति के प्रकार
- 8.4 पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का आशय
- 8.5 हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहार
- 8.6 पूँजी लाभों की गणना
 - 8.6.1 सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य
 - 8.6.2 सम्पत्ति प्राप्ति की लागत
 - 8.6.3 सम्पत्ति में सुधार की लागत
 - 8.6.4 सम्पत्ति प्राप्ति की सूचकांक लागत
 - 8.6.5 विशेष स्थितियों में पूँजी लाभों की गणना
- 8.7 कर मुक्त पूँजी लाभ
- 8.8 पूँजी हानि की पूर्ति
- 8.9 सारांश
- 8.10 शब्दावली
- 8.11 बोध प्रश्न
- 8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 8.13 स्वपरख प्रश्न
- 8.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- पूँजी सम्पत्ति, पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं पूँजी लाभ का आशय को समझ सकें।
- पूँजी लाभों की गणना की विधि को स्पष्ट कर सकें।
- कर मुक्त पूँजी लाभों को समझ कर उनका विवेचन कर सकें।

8.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार कुल आय को पांच शीर्षकों में विभक्त किया गया है। इनमें चतुर्थ शीर्षक पूँजी लाभ है। इस शीर्षक में पूँजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से उत्पन्न अथवा हानि की गणना उन्हें कुल आय में सम्मिलित करने हेतु की जाती है। पूँजी सम्पत्ति में चल एवं अचल, मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवन, प्लांट एवं मशीन, फर्नीचर, प्रतिभूतियां, ख्याति, पट्टा, लाइसेन्स अधिकार आदि सम्मिलित होती हैं। किन्तु व्यापारिक स्टाक एवं व्यक्तिगत उपयोग की चल सम्पत्तियां जैसे पहनने के कपड़े, फर्नीचर, मोटर कार, कम्प्यूटर,

टी0वी0 आदि पूँजी सम्पत्तियों में सम्मिलित नहीं होते हैं। इस अध्याय में आय कर अधिनियम , 1961 की धारा 45 से 54 जी को विस्तार से समझाया जायेगा।

8.2 पूँजी सम्पत्ति का आशय

आय कर अधिनियम , 1961 की धारा 2(14) पूँजी सम्पत्ति का आशय किसी भी सम्पत्ति से है, चाहे वह करदाता के व्यापार से सम्बन्धित हो अथवा नहीं । इस प्रकार पूँजी सम्पत्ति में चल एवं अचल , मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवन, प्लाण्ट एवं मशीन, फर्नीचर, प्रतिभूतियां, ख्याति, पट्टा, लाइसेन्स अधिकार आदि सम्मिलित होती हैं।

पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित न होने वाली सम्पत्तियां :

निम्नलिखित सम्पत्तियां पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं होती हैं:

(1) **व्यापारिक स्टॉक** : व्यापार अथवा पेशे में उपयोग के लिये रखा हुआ रहतिया, कच्चा माल अथवा उपभोग्य सामान ।

(2) **व्यक्तिगत सम्पत्तियां** : निजी उपयोग के लिए करदाता अथवा उसके आश्रित द्वारा रखी हुयी चल सम्पत्तियां जैसे वस्त्र, फर्नीचर , विद्युत उपकरण एवं अन्य घरेलू सामान पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किये जाएंगे, किन्तु आभूषण, मूर्तियां, कलाकृतियां, आदि सम्मिलित होंगे।

(3) **कृषि भूमि** : 10000 अथवा कम जनसंख्या वाले स्थान में अवस्थित कृषि भूमि सामान पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं की जाएगी, किन्तु 10000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थान में अवस्थित कृषि भूमि को पूँजी सम्पत्ति माना जाएगा। स्थानीय सीमा से दूरी के आधार पर निम्न कृषि भूमि पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित की जाती हैं :

स्थानीय सीमा से दूरी	जनसंख्या
2 कि०मी० के क्षेत्र में	10,000—1,00,000
6 कि०मी० के क्षेत्र में	1,00,000—10,00,000
8 कि०मी० के क्षेत्र में	10,00,000 से अधिक

(4) **स्वर्ण बॉण्ड्स** : केन्द्र सरकार द्वारा निर्गमित 6.5 % स्वर्ण बॉण्ड्स '1977 या, 7 % स्वर्ण बॉण्ड्स 1980, अथवा नेशनल डिफेन्स बॉण्ड्स, 1980 जो अब प्रचलन में नहीं हैं, पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं ।

(5) **स्पेशल बियरर बॉण्ड्स** , 1991 जो अब प्रचलन में नहीं हैं, पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं ।

(6) **स्वर्ण निक्षेप बॉण्ड्स** 1999 एवं स्वर्ण की मुद्रीकरण योजना, 2015 में निर्गत निक्षेप सर्टीफिकेट्स ।

स्वयं उपार्जित सम्पत्तियां :

निम्नलिखित सम्पत्तियां स्वयं उपार्जित सम्पत्तियां हैं। यह पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित होती हैं:

1. व्यापार की ख्याति (पेशे को छोड़कर)
2. किरायेदारी या पट्टे के अधिकार या लाइसेन्स

3. किसी वस्तु के उत्पादन या व्यवसाय अथवा पेशे के संचालन का अधिकार
4. फर्म में साझेदार का भाग
5. वाहन संचालन का परमिट आदि ।

8.3 पूँजी सम्पत्ति के प्रकार

पूँजी सम्पत्ति को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है :

1. **अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति**—अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक से नहीं होती है। कम्पनी के अंशों के किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि में सूचीबद्ध न होने पर यह अवधि 24 माह होगी, जबकि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, यू0टी0आई0 के यूनिटों, शून्य कूपन बॉण्डों एवं सामान्य निधि के यूनिटों की दशा में अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति कि लिये यह अवधि 12 माह होगी ।
2. **दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति**—दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक अवधि से होती है। कम्पनी के अंशों के किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि में सूचीबद्ध न होने पर 24 माह से अधिक एवं सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, यू0टी0आई0 के यूनिटों, शून्य कूपन बॉण्डों एवं सामान्य निधि के यूनिटों की दशा में यह अवधि 12 माह से अधिक होने पर दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति मानी जायेगी।

8.4 पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का आशय

पूँजी लाभों की उत्पत्ति पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप होती है। धारा 2(47) के अनुसार पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है :

1. सम्पत्ति का विक्रय, विनिमय अथवा सम्पत्ति को छोड़ देना।
2. सम्पत्ति से संबंधित कतिपय अधिकारों का समाप्त हो जाना।
3. सम्पत्ति का अनिवार्य विधिक अधिग्रहण।
4. सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्पत्ति का स्टॉक में परिवर्तन या उसे स्टॉक मान लेना।
5. कोई ऐसा व्यवहार जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 53ए के अर्न्तगत संविदा के आंशिक निष्पादन पर सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाय या उस पर अधिकार बना रहे।
6. कोई ऐसा व्यवहार जिसके परिणामस्वरूप किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो जाय या उसके प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो जाय।
7. किसी नवीन कम्पनी द्वारा विद्यमान फर्म का क्रय या व्यापार का सीमित दायिप्य वाली कम्पनी में परिवर्तन।

8.5 हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहार (धारा 47)

धारा 47 के अनुसार निम्नांकित व्यवहारहस्तान्तरण न माने जाने के कारण पूँजी लाभ नहीं मो जायेंगे :

1. हिन्दू अविभाजित परिवार (एच0यू0एफ0) के विभाजन पर पूंजी सम्पत्तियों का वितरण,
2. भेंट एवं वसीयत, अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत पूंजी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या ई0एस0ओ0पी0 के अन्तर्गत कर्मचारियों को अंशों का निःशुल्क या रियायती आबण्टन को छोड़कर) ।
3. भारतीय सूत्रधारी एवं उसकी सहायक कम्पनियों के मध्य पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरण बशर्ते कि सूत्रधारी कम्पनी उसकी सहायक कम्पनियों के समस्त अंशों की स्वामी है ।
4. एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी द्वारा एकीकरण करने वाली कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बशर्ते कि एकीकरण करने वाली कम्पनी भारतीय कम्पनी है ।
5. किसी बैंकिंग कम्पनी की केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई एवं लागू की गई योजना के अधीन किसी अन्य बैंकिंग संस्था के साथ समामेलन की दशा में पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।
6. दो विदेशी कम्पनियों के बीच एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक विदेशी कम्पनी द्वारा दूसरी विदेशी कम्पनी को भारतीय कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण यदि :
 - (अ) एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के कम-से-कम 25%अंशधारी विदेशी एकीकरण करने वाली कम्पनी के अंशधारी बने रहते हैं; तथा
 - (ब) उस देश में जिसमें एकीकरण की जाने वाली कम्पनी समामेलित है, ऐसे हस्तान्तरण से होने वाले पूंजी लाभ पर कोई कर नहीं लगता है ।
- 7-एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के किसी अंशधारी द्वारा इस कम्पनी के अपने अंशों का हस्तान्तरण, बशर्ते कि :
 - (क) हस्तान्तरण एकीकृत कम्पनी के अंशों के प्रतिफल में हुआ हो तथा (ख) एकीकृत कम्पनी भारतीय कम्पनी है ।
8. किसी ऐसी पूंजी सम्पत्ति जो कला, पुरातत्व, वैज्ञानिक अथवाकला के संग्रह का काम हो, अथवा पुस्तक, हस्तलिपि, ड्राइंग, पेण्टिंग, फोटोग्राफ अथवा प्रिण्ट हो, को सरकार अथवा विश्वविद्यालय, अथवा राष्ट्रीय म्यूजियम, राष्ट्रीय आर्ट गैलरी, राष्ट्रीय आरचिब्स अथवा ऐसे सार्वजनिक म्यूजियम अथवा संस्था को हस्तान्तरण जिन्हें सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का अथवा राज्य भर में प्रसिद्ध घोषित कर दिया है ।
9. किसी कम्पनी के बॉण्ड्स अथवा ऋणपत्रों अथवा जमा प्रमाण-पत्रों को उसी कम्पनी के अंशों अथवा ऋणपत्रों में परिवर्तन करने से होने वाला हस्तान्तरण ।
10. एक अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में कय किये भारतीय कम्पनी के बॉण्ड्स अथवा वैश्विक जमा रसीदों का अनिवासी को हस्तान्तरण ।
11. भारत में 1 मार्च, 1970 से पूर्व किया गया कृषि भूमि का हस्तान्तरण ।

12. कारीगरों की सहकारी संस्था द्वारा प्रबन्धित एक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी द्वारा रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत रूग्ण अवधि में किया गया अपनी भूमि का हस्तान्तरण।
13. एक कम्पनी द्वारा किसी फर्म के व्यवसाय को लेने की दशा में फर्म की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
14. भारत में मान्य किसी स्टॉक एक्सचेंज का विपारस्पीकरणया निगमीकरण के अन्तर्गत व्यक्तियों के संघ या समूह द्वारा अपनी स्टॉक एक्सचेंज की सम्पत्तियों का कम्पनी को हस्तान्तरण बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
15. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड—“सेबी” (SEBI) द्वारा अनुमोदित विपारस्पीकरण या निगमीकरण की योजना के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की अपनी सदस्यता के अधिकार का हस्तान्तरण।
16. किसी एकल व्यवसाय को एक कम्पनी द्वारा ले लेने पर, उस व्यवसाय की सम्पत्तियों का कम्पनी को हस्तान्तरण बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
17. “सेबी”या भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ठहराव के अधीन प्रतिभूतियों उधार देना।
18. अविलयित कम्पनी द्वारा परिणामी भारतीयकम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण या परिणामी विदेशी कम्पनी को भारतीय कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
19. किसी सहकारी बैंक या उसके अंशधारी द्वारा द्वारा व्यवसाय का पुनर्गठन होने पर पूंजी सम्पत्ति या अपने अंशों (पूंजी सम्पत्ति) का दूसरे सहकारी बैंक को हस्तान्तरण।
20. विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बंधपत्रों का किसी कम्पनी के अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तन के रूप में हस्तान्तरण।
21. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ती बंधक के रूप में किसी पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण।
22. किसी निजी कम्पनी या असूचीबद्ध लोक कम्पनी द्वारा या उसके अंशधारियों द्वारा पूंजी सम्पत्ति या अमूर्त सम्पत्ति या अंशों का सीमित दायित्व भागीदारी (एल0एल0पी0)को हस्तान्तरण, बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।
23. किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को ऐसी सरकारी प्रतिभूति जिस पर ब्याज का सावधिक भुगतान किया जाता है, भारत के बाहर हस्तान्तरण।
24. किसी न्यास को विशेष प्रयोजन वाहक के अंश का कारोबार न्यास के यूनियों के प्रतिफल में हस्तान्तरण।
25. किसी व्यक्ति द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी, संप्रभुत्वकारी स्वर्ण बन्धपत्र का विमोचन।
26. यदि किसी यूनित धारक के द्वारा पारस्परिक निधि के यूनियों को पारस्परिक निधि समेकन योजना के अन्तर्गत यूनियों के बदले समेकित योजना के यूनियों का आवटन।

27. किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी भारतीय कम्पनी के भारत से बाहर निर्गमित किए गए रुपए में अंकित बाण्डों का हस्तान्तरण ।
28. किसी कम्पनी के पूर्वाधिकार अंशों को उस कम्पनी के साधारण अंशों में परिवर्तित करना ।

8.6 पूंजी लाभ की गणना (Computation of Capital Gains)

‘पूंजी लाभ’ के शीर्षक में पूंजी लाभ की गणना अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों के संबंध में निम्न प्रकार की जाती है :

1. अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना—

प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के सम्पूर्ण मूल्य

घटाया :

- (i) पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत
- (ii) सुधार की लागत
- (iii) पूर्णतया हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये व्यय
- (दलाली या कमीशन, स्टाम्प व्यय,
विज्ञापन, यात्रा व्यय आदि)
- अल्पकालीन पूंजी लाभ / हानि

किन्तु प्रतिभूति संव्यवहार कर की राशि नहीं घटाई जाती है।

2. दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना—

प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य

घटाया :

- (i) पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत
- (ii) सुधार की लागत/सूचकांक लागत
- (iii) पूर्णतया हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये व्यय
- (दलाली या कमीशन, स्टाम्प व्यय,
विज्ञापन, यात्रा व्यय आदि)
- अल्पकालीन पूंजी लाभ / हानि

किन्तु प्रतिभूति संव्यवहार कर की राशि नहीं घटाई जाती है ।

उदाहरण : 1

निम्नलिखित लेन देनों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूंजी लाभ की गणना कीजिए।

1. एक्स को एक कम्पनी से 200 बोनस अंश वर्ष 2012–13 में प्राप्त हुए जिन्हें उसने वर्ष 2018–19 में 50 रु० प्रति अंश की दर से विक्रय कर दिया।

2. वार्ड को एक कम्पनी से 10 रु प्रति अंश की दर से 200 अधिकार अंश वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुए जिन्हें उसने वर्ष 2018-19 में 40 रु प्रति अंश की दर से विक्रय कर दिया।
3. जेड ने एक मकान को जिसे उसने 1 अप्रैल 1997 को 1,00,000 रु में क्रय किया था, 1 अगस्त, 2018 को रु 18,00,000 में विक्रय कर दिया। विक्रय पर रु 30,000 दलाली के व्यय हुए। 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य रु 1,50,000 माना गया। वर्ष 2018-19 लागत सूचकांक 280 है।

प्रश्नोत्तर :

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूंजी लाभ की गणना

1.	200 बोनस अंशों के विक्रय से प्राप्त राशि (200 X 50)	रु 10,000
	घटाया- 200 बोनस अंशों की प्राप्ति लागत	<u>शून्य</u>
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ	<u>रु 10,000</u>
2.	200 अधिकार अंशों के विक्रय से प्राप्त राशि (200 X 40)	रु 8,000
	घटाया- 200 बोनस अंशों की प्राप्ति लागत(200 X 10)	<u>रु 2,000</u>
	अल्पकालीन पूंजी लाभ	<u>रु 6,000</u>
3.	मकान के विक्रय से प्राप्त राशि	रु 18,00,000
	घटाया- विक्रय व्यय-दलाली	<u>रु 30,000</u>
	शुद्ध विक्रय प्रतिफल	<u>रु 17,70,000</u>
	घटाया- प्राप्ति की सूचकांक लागत	
	(1,50,000 X 280 / 100)	<u>रु 4,20,000</u>
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ	<u>रु 13,50,000</u>

अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करने में सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, सम्पत्ति प्राप्ति की लागत, सम्पत्ति प्राप्ति की सूचकांक लागत, सम्पत्ति में सुधार की लागत तथा सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

8.6.1 सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य

सम्पत्ति के प्रतिफल से आशय उस मूल्य से है जिसे सम्पत्ति का हस्तान्तरक सम्पत्ति के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं—

1. सम्पत्ति के पूर्ण प्रतिफल का अर्थ प्रसंविदा में तय विक्रय मूल्य से है।
2. कर्मचारी स्टाक ऑप्शन प्लान (ईओएसओपीओ) के अर्न्तगत अंश, ऋण पत्र, अधिपत्र आदि का भेंट या अखण्डनीय ट्रस्ट को हस्तान्तरण की स्थिति में हस्तान्तरण की तिथि को बाजार मूल्य पूर्ण प्रतिफल होगा।

3. भूमि, भवन या दोनों के हस्तान्तरण से प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम होने पर स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य **पूर्ण** प्रतिफल होगा।
4. मान्यताप्राप्त स्टाक विपणि पर गैर सूचीबद्ध अंशों का निर्धारित उचित मूल्य **पूर्ण** प्रतिफल माना जाएगा।
5. पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त प्रतिफल ज्ञात न हो सकने की स्थिति में हस्तान्तरण की तिथि को उचित बाजार मूल्य **पूर्ण** प्रतिफल माना जाएगा।

8.6.2 सम्पत्ति प्राप्ति की लागत।

सम्पत्ति प्राप्ति की लागत वह राशि होती है, जितने में उसे प्राप्त या क़य या निर्मित किया गया है। इसमें स्थापना व्यय, पंजीकरण शुल्क, यात्रा व्यय आदि भी सम्मिलित होते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

1. पूंजी सम्पत्ति को उसके पूर्व स्वामी ने जितने में प्राप्त किया था उसमें सुधार के व्ययों को जोड़कर आयी राशि प्राप्ति की लागत मानी जाएगी।(धारा 49 (2))
2. करदाता द्वारा कोई अंश या प्रतिभूति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त करने पर उसकी वास्तविक लागत या 1 अप्रैल 2001 को उसका उचित बाजार मूल्य, दानों में जो करदाता के लिए लाभदायक हो, प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। अंश या प्रतिभूति 1 अप्रैल 2001 के बाद प्राप्त करने पर उसकी वास्तविक लागत प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। बोनस अंश 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त करने पर 1 अप्रैल 2001 को उसका उचित बाजार मूल्य एवं अन्य दशा में शून्य राशि प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। अधिकार अंश का प्राप्ति की लागत इनके लिए वास्तव में भुगतान की गयी राशि मानी जाएगी।(धारा 55 (2))
3. ख्याति एवं अन्य अमूर्त पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत (1) पूर्व स्वामी से क़य करने पर क़य मूल्य (2) अन्य किसी दशा में शून्य एवं (3) धारा 49(1) में वर्णित दशाओं में पूर्व स्वामी की लागत मानी जाएगी।(धारा 55 (2))
4. एकीकृत कम्पनी के अंशों की प्राप्ति की लागत वही होगी जो एकीकरण होने वाली की थी। परिणामी कम्पनी में अंशों की प्राप्ति की लागत अविलयित कम्पनी के अंशों की प्राप्ति की लागत का वह अनुपात होगी जिसमें अविलयित कम्पनी ने अपनी नैट वर्थ में से सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया है। अविलयित कम्पनी के अंशों की लागत उसके मूल अंशों की लागत में से इस लागत को घटाकर आयी राशि होगी। उदाहरणार्थ यदि एक्स अंशधारी जिसके पास एक अविलयित कम्पनी के 5000 अंश हैं, और परिणामी कम्पनी को अविलयित कम्पनी ने अपनी 10,00,000 की नैट वर्थ में से 5,00,000 की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया है, तो उसके अंशों की प्राप्ति की लागत $\text{रु}0\ 5,000 \times 1/2 = 2,500$ होगी। अविलयित कम्पनी के अंशों की लागत $\text{रु}0\ 5000 - 2,500 = 2,500$ होगी। (धारा 49 (2))

5. स्कन्ध विपणि के विपारस्पीकरण या निगमीकरण की दशा में सदस्यता के स्थान पर अंशों के निर्गमन की प्राप्ति की लागत वही होगी जो सदस्यता प्राप्ति के समय थी।(धारा 55 (2))
6. कर्मचारी स्टाक आप्सन प्लान (ई0एस0ओ0पी0) के अर्न्तगत निर्गमित समता अंशों की लागत वेतन शीर्षक में अनुलाभ के अर्न्तगत मानी गयी लागत के समान होगी।(धारा 49 (2))
7. निजी कम्पनी को सीमित दायित्व वाली साझेदारी में परिवर्तित कर देने पर साझेदारी के हिस्से की लागत वही होगी जो ऐसी कम्पनी में अंशों की लागत थी।(धारा 49 (2))
8. पूर्वाधिकार अंश के बदले साधारण अंश की लागत पूर्वाधिकार अंश की लागत होगी। (धारा 49 (2))
9. किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि के हरण या जब्त करने पर ऐसी राशि पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति लागत में से घटाकर शेष राशि प्राप्ति की लागत होगी। (धारा 51)
10. बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल के हस्तान्तरण की गयी अचल पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति लागत स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य मानी जाएगी।
11. आय घोषणा योजना , 2016 के अर्न्तगत सम्पत्ति की प्राप्ति लागत वही होगी जो उस में योजना में मानी गयी है।(धारा 49 (5))
12. रहतिए को पूंजी सम्पत्ति में परिवर्तित करने पर ऐसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण की दशा में प्राप्ति लागत वही होगी जो रहतिए की मानी गयी है।(धारा 49 (9))

8.6.3 सम्पत्ति में सुधार की लागत

पूंजी सम्पत्ति प्राप्ति के पश्चात उसमें विस्तार, नवीनीकरण आदि सुधार की लागत कही जाती है, किन्तु मरम्मत के व्यय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

1. ख्याति या किसी वस्तु के निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया, पेशे या व्यवसाय करने के अधिकारों की दशा में सुधार की लागत शून्यमानी जाती है।
2. अन्य पूंजी सम्पत्ति की दशा में, 1 अप्रैल 2001 से पूर्व किये गए पूंजीगत व्यय के संबंध में सुधार की लागत शून्य मानी जाती है, जबकि उसे 1 अप्रैल 2001 के बाद किये गए पूंजीगत व्यय को सुधार की लागत माना जाता है।

8.6.4 सम्पत्ति प्राप्ति की सूचकांक लागत

दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति एवं उन्हें हस्तान्तरण करने के समय में प्रायः लम्बा अन्तराल होता है। करदाता के हित में यह आवश्यक है कि सम्पत्ति प्राप्ति एवं सम्पत्ति में सुधार करने की लागत को स्फीति सूचकांक से समायोजित कर दिया जाय, ताकि रूपये के समय मूल्य में कमी के अनुसार मूल लागत बढ़ जाय एवं कर योग्य पूंजी लाभ तदनुसार कम हो जाय। दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति सूचकांक लागत की गणना निम्न प्रकार की जायेगी:

प्राप्ति की लागत x विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक

सम्पत्ति प्राप्ति के वर्ष अथवा 1.4.2001 का लागत स्फीति सूचकांक, जो बाद

में हो

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001-02 पर आधारित निम्न लागत स्फीति सूचकांक

घोषित किये गए हैं:

वित्तीय वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
लागत स्फीति सूचकांक	100	105	109	113	117
वित्तीय वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
लागत स्फीति सूचकांक	122	129	137	148	167
वित्तीय वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लागत स्फीति सूचकांक	184	200	220	240	254
वित्तीय वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19		
लागत स्फीति सूचकांक	264	272	280		

सम्पत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत की गणना निम्न प्रकार की जाती है:

सुधार की लागत x विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक

सुधार करने वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक

यदि 1.4.2001 से पूर्व सम्पत्ति के सुधार पर व्यय की दशा में इसकी कटौती नहीं मिलती है।

सरकार द्वारा निर्गमित सूचकांक बॉण्ड्स , संप्रभुत्वकारी स्वर्ण बन्धपत्र के विक्रय पर लाभ की गणना के लिए प्राप्ति की लागत की सूचकांक लागत ज्ञात की जाएगी। किन्तु बॉण्ड्स अथवा ऋणपत्रों के हस्तान्तरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ तथा एक कम्पनी के साधारण अंश या शेयरोन्मुखी निधि के यूनिट या व्यवसायिक ट्रस्ट के यूनिटों पर सूचकांक प्राप्त करने की लागत तथा सूचकांक सुधार करने की लागत के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उदाहरण : 2

एक्स ने वर्ष 2000 में एक मकान 1,50,000 में क्रय किया तथा उसी वर्ष मकान में रू0 1,00,000 में एक और मंजिल निर्मित कर दी। अप्रैल, 2003 में मकान में रू0 50,000 में एक और कमरा निर्मित कर दिया। यह मकान एक्स ने 1 जनवरी को रू0 35,00,000

में विक्रय कर दिया। एक्स ने इस संबंध में विज्ञापन पर ₹0 20,000 और पंजीकरण शुल्क एवं विक्रय व्यय के 4,50,000 ₹0 व्यय किए। उसने पहले किरायेदार को मकान खाली कराने के लिये 3,00,000₹0 भुगतान किए। यह मानते हुए कि 1.4.2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 3,50,000 ₹0 था, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2001-02, 2003-04, और 2018-19 में क्रमशः 100, 109 एवं 280 है।

प्रश्नोत्तर :

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूँजी लाभ की गणना

3.	मकान के विक्रय से प्राप्त राशि	₹0 35,00,000
	घटाया— स्वीकृत व्यय—	
	विज्ञापन	₹0 20,000
	पंजीकरण शुल्क एवं विक्रय व्यय	₹0 4,50,000
	मकान खाली कराने के लिये भुगतान	<u>₹0 3,00,000</u> <u>₹0 7,70,000</u>
	शुद्ध विक्रय प्रतिफल	₹0 27,30,000
	घटाया— (1)प्राप्ति की सूचकांक लागत	
	(3,50,000 X 280 / 100)	₹0 9,80,000
	(2)सुधार की सूचकांक लागत	
	(1,09,000 X 280 / 109)	<u>₹0 2,80,000</u> <u>₹0 12,60,000</u>
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	<u>₹0 14,70,000</u>

नोट -1.04.2001 से पूर्व मकान में किए गए सुधार के व्यय के संबंध में कटौती स्वीकृत नहीं है।

8.6.5 विशेष स्थितियों में पूँजी लाभों की गणना

1. पूँजी सम्पत्ति को बाढ़, तूफान, चक्रवात, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक कारणों; या बलवा या सिविल उपद्रव; या आकस्मिक आग या विस्फोट; या किसी शत्रु के विरुद्ध की गयी कार्यवाही आदि से हुए नुकसान या उसके विना होने पर बीमाकर्ता से कोई धन या सम्पत्ति प्राप्त होती है, तो पूँजीगत लाभ उस गत वर्ष का लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में धन या सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा प्राप्त की तिथि को धन का मूल्य या सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य माना जायेगा।। { धारा 45 (1A) }
2. पूँजी सम्पत्ति को अपने व्यापार के रहतिये के रूप में परिवर्तित करने उत्पन्न लाभ होता है विक्रय या हस्तान्तरण के वर्ष में कर-योग्य होगा तथा उसके रहतिये के रूप में परिवर्तित होने के दिन का उचित बाजार मूल्य, प्राप्त अथवा प्राप्य पूर्ण प्रतिफल माना जायेगा। ऐसे माल के रहतिये का वास्तविक शुद्ध विक्रय मूल्य जितना उस दिन के उचित बाजार मूल्य से अधिक होगा

(जिस दिन पूंजी सम्पत्ति को रहतिये में परिवर्तित किया था) व्यापारिक लाभ माना जाएगा। { धारा 45 (2) }

3. प्रतिभूतियों को जमादाता के पास जमा करा देने पर ऐसी प्रतिभूतियों के जमादाता अथवा स्वामी द्वारा हस्तान्तरित कर देने पर उत्पन्न होने वाला लाभ स्वामी का उस गत वर्ष का लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में इनका हस्तान्तरण किया गया है। { धारा 45 (2A) }
4. सम्पत्ति का फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरण होने पर, ऐसा पूंजीगत लाभ उस गत वर्ष में कर-योग्य होगा जिस गत वर्ष में पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरित की गई है। फर्म या समुदाय की पुस्तकों में सम्पत्ति जिस मूल्य पर लिखी गई है वही मूल्य ऐसी सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। संस्था या व्यक्तियों के समुदाय के विघटन के समय या किसी अन्य प्रकार से पूंजी सम्पत्तियों साझेदार/समुदाय के सदस्य को वितरित करने पर हस्तान्तरण की तिथि को ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। { धारा 45 (4) }
5. किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से ले ली गई पूंजी सम्पत्ति उस गत वर्ष में कर-योग्य होगी, जिस वर्ष सम्पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। यदि प्रतिफल या क्षतिपूर्ति राशि को न्यायालय द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा बढ़ा देने पर अतिरिक्त प्रतिफल की राशि प्राप्त होने वाले गत वर्ष में कर-योग्य होगी। प्रतिफल को कम कर दिये जाने पर उस वर्ष के पूंजी लाभ की गणना कम किए गए प्रतिफल को ध्यान में रखकर पुनः की जाएगी।
जिस वर्ष अतिरिक्त प्रतिफल की राशि प्राप्त होगी उस वर्ष सम्पत्ति के अधिग्रहण की लागत एवं सुधार की लागत शून्य मानी जाएगी। अतिरिक्त प्रतिफल की राशि प्राप्त होने से पूर्व ही करदाता की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के पश्चात् अथवा किसी अन्य कारण से प्रतिफल के प्राप्तकर्ता को प्राप्त राशि पूंजीगत लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी। { धारा 45 (5) }
6. विशिष्ट ठहराव के अन्तर्गत भूमि या भवन का हस्तान्तरण : ऐसी दशा में पूर्ण प्रतिफल में से विशिष्ट ठहराव के अन्तर्गत अन्तरित सम्पत्ति की लागत घटाकर शेष राशि पूंजी लाभ होगा। उसे गत वर्ष की आय माना जाएगा जिस गत वर्ष में संबंधित सक्षम प्राधिकारी सम्पूर्ण परियोजना या उसके भाग के लिए समापन प्रमाण-पत्र जारी करता है। { धारा 45 (5A) }
7. पारस्परिक कोष या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की इक्विटी लिंकड बचत योजना के यूनिट पुनः क्रय करने पर उत्पन्न पूंजीगत लाभ इनके हस्तान्तरणकर्ता के हाथों में कर-योग्य होगा। जिस गत वर्ष में यूनिट पुनः खरीदे जाते हैं उस वर्ष पुनः क्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अन्तर पूंजी लाभ माना जाएगा। { धारा 45 (6) }

8. मंदी विक्रय का आशय एक या अधिक उपक्रमों को एकमुश्त प्रतिफल के बदले में हस्तान्तरित करने से है। किसी उपक्रम या उसके किसी प्रभाग के मंदी विक्रय के अन्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने पर सूचकांक लागत की गणना नहीं की जायेगी बल्कि प्राप्त की लागत तथा सुधार की लागत उस उपक्रम या प्रभाग का 'शुद्ध मूल्य' या नैट वर्थ मानी जायेगी।

शुद्ध मूल्य (Net Worth) = (ह्रास योग्य सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य + अन्य सम्पत्तियों का पुस्तक मूल्य) – दायित्व ।

8.7 कर मुक्त पूँजी लाभ

कर मुक्त पूँजी लाभ वह हैं जो न तो करदाता की कुल आय में जोड़े जाते हैं और न उन पर कर लगता है। निम्नलिखित पूँजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त हैं : (धारा-54)

1. शून्य प्राप्ति लागत वाली पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ।
2. ऐसे पूँजी लाभ जो हस्तान्तरण न माने जाने व्यवहारों के अन्तर्गत आने के कारण पूँजी लाभ नहीं माने जाते हैं जैसे उत्तराधिकार, भेंट आदि से प्राप्त पूँजी सम्पत्ति।
3. निवास के लिए प्रयुक्त मकान सम्पत्ति के विक्रय पर पूँजी लाभ निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर पूर्णतया कर मुक्त हैं : (धारा-54)
 - (1) मकान सम्पत्ति या उससे लगी भूमि व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के द्वारा हस्तान्तरित है तथा यह दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है,
 - (2) मकान सम्पत्ति रहने के उद्देश्य के लिये है चाहे उसमें मकान मालिक या किरायेदार स्वयं रहता हो तथा मकान सम्पत्ति या उससे लगी भूमि की आय मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य है।
 - (3) करदाता ने हस्तांतरण से पूर्व 01 वर्ष में या हस्तांतरण के पश्चात 02 वर्ष में एक नया स्वयं के रहने का मकान क्रय कर लिया हो या हस्तांतरण के पश्चात 03 वर्ष में एक नया स्वयं के रहने का मकान भारत में निर्मित कर लिया हो। ऐसा करने पर करदाता इस मकान का हस्तांतरण 03 वर्ष से पूर्व नहीं कर सकता है अन्यथा यह छूट रद्द होकर अल्पकालीन पूँजी लाभ मानकर उस वर्ष में करयोग्य होगी जिसमें ऐसा किया गया है।
 - (4) यदि करदाता उपरोक्त 3-(3) के अनुसार विक्रय राशि या पूँजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पूँजी लाभ खाता योजना के अन्तर्गत बैंक में खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है।
4. एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के द्वारा हस्तान्तरित शहरी क्षेत्र में अवस्थित अपनी कृषि भूमि जो 2 वर्ष पूर्व से कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही थी, पर छूट प्राप्त होगी यदि :
 - (1) हस्तांतरण के पश्चात 02 वर्ष में एक नयी कृषि भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त होने के लिए क्रय कर ली है, जिसका हस्तांतरण वह क्रय के 03 वर्ष तक नहीं

कर सकेगा । ऐसा करने पर इसे उस वर्ष का अल्पकालीन पूँजी लाभ मानकर कर लगेगा ।

(2) यदि करदाता उपरोक्त उत्पन्न पूँजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पूँजी लाभ खाता योजना के अर्न्तगत बैंक में खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है।(धारा-54 बी0)

5. एक औद्योगिक उद्यम की भूमि या भवन, जो 2 वर्ष पूर्व से उद्योग में प्रयुक्त हो रही थी, के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजी लाभ पर छूट प्राप्त होगी यदि (धारा-54 डी0)

(1) हस्तांतरण के पश्चात 02 वर्ष में एक नयी कृषि भूमि उस कार्य में प्रयुक्त होने के लिए क्रय कर ली है, या भवन निर्मित कर लिया गया है । (इसका हस्तान्तरण वह क्रय के 03 वर्ष तक नहीं कर सकेगा ।ऐसा करने पर इसे उस वर्ष का अल्पकालीन पूँजी लाभ मानकर कर लगेगा ।

(2) यदि करदाता उपरोक्त उत्पन्न पूँजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पूँजी लाभ खाता योजना के अर्न्तगत बैंक में खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है ।

6. दीर्घकालीन पूँजी लाभ निर्दिष्ट दीर्घकालीन बॉण्ड्स में विनियोग करने पर पूर्णतया कर मुक्त हैं बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हों : (धारा-54 ई0सी0)

(1) लाभ की राशि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के छः माह के अन्दर निर्दिष्ट दीर्घकालीन बॉण्ड्स में विनियोजित कर दी गयी है ।

(2) विनियोग की गई राशि के पूँजी लाभ से कम होने पर निर्दिष्ट सम्पत्ति की लागत तक पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा ।

(3) हस्तान्तरण के वित्तीय वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचास लाख रुपए तक ही विनियोग किया जा सकेगा ।

(4) निर्दिष्ट बॉण्ड्स की लागत (जिस पर धारा 54 ई0सी0की छूट मिल चुकी है) धारा 80सी0 में कटौती के योग्य नहीं है ।

निर्दिष्ट बॉण्ड्स को प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष में हस्तांतरित करने या मुद्रा में परिवर्तित करने पर , ऐसा करने के वर्ष में कर लगाया जाएगा ।

7. दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त हैं यदि दीर्घकालीन पूँजी लाभ का विनियोग, विनियोग से सम्बन्धित सम्पत्ति-यूनिट या यूनिटों, जो 1.4.2019 से पूर्व ऐसी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि द्वारा जारी की जाएं, में कर दिया जाता है। (धारा 54ईई) ।

8. एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का रिहायशी मकान छोड़कर कोई भी अन्य दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ की प्रतिफल की राशि रिहायशी मकान में विनियोग करने पर पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हों : (धारा-54 एफ)

- (1) हस्तान्तरण की तिथि को करदाता के पास एक से अधिक रिहायशी मकान नहीं हो,
- (2) करदाता हस्तान्तरण की तिथि से एक वर्ष पूर्व या दो वर्ष बाद के अन्दर एक रिहायशी मकान भारत में क़य कर लेता है अथवा 3 वर्ष के अन्दर एक रिहायशी मकान भारत में निर्मित कर लेता है, और करदाता को नये रिहायशी मकान से प्राप्त आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर-योग्य होगी।
- (3) यदि नये मकान की लागत, पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से अधिक हो तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर-मुक्त होगा। यदि कम हो तो आनुपातिक पूंजी लाभ कर-मुक्त होगा।
अर्थात् कर-मुक्त राशि पूंजी लाभ x नए मकान की लागत / शुद्ध विक्रय प्रतिफल
- (4) यदि करदाता उपरोक्त उत्पन्न पूंजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पूंजी लाभ खाता योजना के अर्न्तगत बैंक में खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है।

किन्तु यदि करदाता हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्ष के अन्दर एक अन्य रिहायशी मकान क़य कर लेता है अथवा 3 वर्ष के अन्दर एक अन्य रिहायशी मकान बनवा लेता है या नए क़य किए गए अथवा बनवाए गए रिहायशी मकान का 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरण कर देता है तो छूट रद्द कर दी जाएगी और इसे दीर्घकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जाएगा।

9. शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाकर गैर-शहरी क्षेत्र में ले जाने के सम्बन्ध में पर दीर्घकालीन अथवा अल्पकाली पूंजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर पूंजी लाभ निम्न शर्तें पूरी होने पर कर-मुक्त होता है (धारा 54 G)

- (1) हस्तान्तरण से एक वर्ष पूर्व अथवा 3 वर्ष बाद के अन्दर पूंजी लाभ की राशि नयी मशीन अथवा प्लाण्ट क़य करने के लिए तथा नयी भूमि अथवा भवन प्राप्त करने अथवा बनवाने, सम्पत्तियों को उस क्षेत्र में ले जाने अथवा संस्था को ले जाने पर हुए व्यय के लिए प्रयोग कर ली जानी चाहिए,
- (2) प्राप्त नये मशीन अथवा प्लाण्ट अथवा भूमि अथवा भवन का कम-से-कम तीन वर्ष तक हस्तांतरण नहीं होगा।
- (3) पूंजी लाभ उस राशि तक ही कर-मुक्त होगा जहां तक यह राशि उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर ली गयी हो। शेष पूंजी लाभ कर-योग्य होगा।
- (4) यदि पूंजी लाभ की सम्पूर्ण राशि उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु प्रयोग नहीं की जा पाती है तो आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक इस प्रकार न प्रयोग हुई राशि पूंजी लाभ खाता योजना में जमा कर दी जाए तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर-मुक्त हो जाएगा।

8.8 पूंजी हानि की पूर्ति

अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति किसी अन्य अल्पकालीन पूंजी लाभ या दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही की जा सकती है।

दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति— दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति किसी अन्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही की जा सकती है।

8.9 सारांश

पूँजी सम्पत्तियों के कर योग्य लाभ पूँजी सम्पत्ति के उन हस्तान्तरणों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें धारा 45 के अनुसार हस्तान्तरण माना जाता है। किन्तु धारा 47 के अनुसार कुछ व्यवहार जैसे भेंट एवं वसीयत, अखण्डनीय ट्रस्ट के अर्न्तगत हस्तान्तरण, हिन्दू अविभाजित परिवार (एच०यू०एफ०) के विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण, भारतीय सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनियों के मध्य पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि हस्तान्तरण नहीं माने जाते हैं। धारा 48 के अनुसार पूँजी लाभों एवं हानियों की गणना के लिए उन्हें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों एवं हानियों में विभक्त किया गया है। सम्पत्ति हस्तान्तरण के कुल प्रतिफल में से सम्पत्ति को प्राप्त करने एवं उसमें सुधार की लागत, हस्तान्तरण के व्ययों को घटा दिया जाता है। धारा 54 के अनुसार कुछ शर्तों के पूरा करने पर कतिपय पूँजी लाभों को पूर्णतया कर मुक्त किया गया है।

8.10 शब्दावली

पूँजी सम्पत्ति : पूँजी सम्पत्ति में चल एवं अचल, मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवन, प्लाण्ट एवं मशीन, फर्नीचर, प्रतिभूतियां, ख्याति, पट्टा, लाइसेन्स अधिकार आदि सम्मिलित होती हैं, चाहे वह करदाता के व्यापार से सम्बन्धित हो अथवा नहीं।

अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति: अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक से नहीं होती है।

दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति : दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक अवधि से होती है।

डी०सी०एफ०(एच०यू०एफ०) : हिन्दू अविभाजित परिवार

एल०टी०सी०जी० : दीर्घकालीन पूँजी लाभ

एस०टी०सी०जी०: अल्पकालीन पूँजी लाभ

ई०एस०ओ०पी० : कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

सी०जी०ए०एस० : लाभ खाता योजना

डब्ल्यू०डी०वी० : ह्रासित अपलिखित मूल्य

8.11 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

- (1) यदि सम्पत्ति का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कम है तो यह कमी होती है।
- (2) मूर्तियां, कलाकृतियां एवं आभूषण..... सम्पत्तियां नहीं मानी जाती है, अतः इनके हस्तान्तरण से पूँजी लाभ हैं।
- (3) से पूर्व किये गये पूँजीगत व्यय को सुधार नहीं माना जाता है।
- (4) रहने के मकान के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ की छूट..... को प्राप्त होती है।
- (5) कृषि भूमि के हस्तान्तरण से पूँजी लाभकी छूटमें स्थित भूमि को मिलेगी।

(ब) सत्य/असत्य बताइए।

- (1) पूँजी सम्पत्ति को स्टॉक में परिवर्तित करके ऐसे स्टॉक के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ कर योग्य पूँजी लाभ नहीं माना जाता है।
- (2) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक से नहीं होती है।
- (3) दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति किसी अन्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही की जा सकती है।
- (4) पूँजी सम्पत्ति की मरम्मत आदि का व्यय सुधार की लागत नहीं है।
- (5) पूँजी सम्पत्ति की क्षति अथवा उसके नष्ट होने पर बीमाकर्ता से प्राप्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य पूर्ण प्रतिफल माना जाता है।

8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ)

- (1) पूँजी हानि (2) व्यक्तिगत, कर योग्य (3) 1अप्रैल , 2001 (4) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार (5) शहरी क्षेत्र में ।

(ब)

- (1) असत्य (2) सत्य (3) सत्य (4) सत्य (5) सत्य

8.13 स्वपरख प्रश्न

1. पूँजी लाभों एवं हानियों को समझाइए । इनकी गणना कैसे की जाती है?
2. पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का आशय को उदाहरणों की सहायता से समझाइए। उन व्यवहारों को बताइये जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता है।
3. पूँजी लाभों के प्रकार बताइये। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों में अन्तर भी कीजिये।
4. पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत कैसे निर्धारित की जाती है ? लागत वृद्धि सूचकांक की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा समझाइये।
5. पूर्णतया कर मुक्त पूँजी लाभों को समझाइये।

8.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhanian V.K. : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर— कर निर्धारण वर्ष 2019—20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019)।

इकाई 9 अन्य साधनों से आय

इकाई की रूपरेखा

- 9.1 प्रस्तावना
 - 9.2 कर योग्यता
 - 9.2.1 उपर्युक्त आयों के अतिरिक्त निम्न आयें भी 'अन्य साधनों से आय' में कर-योग्य होंगी
 - 9.2.2 कर-योग्य अन्य लाभ
 - 9.3 कुछ प्रमुख आयों का विवेचन
 - 9.4 न काटी जाने वाली राशियां
 - 9.5 कटौतियां
 - 9.6 सारांश
 - 9.7 शब्दावली
 - 9.8 बोध प्रश्न
 - 9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
 - 9.10 स्वपरख प्रश्न
 - 9.11 सन्दर्भ पुस्तकें
-

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अन्य साधनों से आय किसे कहते हैं ?
 - अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना करने की विधि;
 - अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना के विभिन्न वैधानिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे।
-

9.1 प्रस्तावना

आय के पाँच शीर्षकों में पाँचवाँ शीर्षक अर्थात् अन्तिम शीर्षक 'अन्य साधनों की आय' है। आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 56 से 59 में परिभाषित किया गया है।

धारा 56(1)के अनुसार, सभी प्रकार की आय, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय में शामिल की जानी है, परन्तु धारा 14 में उल्लिखित आय के प्रथम चार शीर्षक में कर-योग्य नहीं है, 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होगी।

निम्न दो शर्तें पूर्ण होने पर ही कोई आय इस शीर्षक में कर-योग्य मानी जायेगी:—

- (1) आय, आय-कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर-योग्य हो और
 - (2) जो 'वेतन', 'मकान-सम्पत्ति से आय', 'व्यापार अथवा पेशों के लाभ एवं प्राप्तियाँ' अथवा 'पूँजी लाभ', के शीर्षक में सम्मिलित नहीं होती है।
-

9.2 कर योग्यता

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा प्रमाणकों का पालन करना करदाता के लिए अनिवार्य होगा। यदि करदाता रोकड़ के आधार पर खाता तैयार करता है तो

आय की गणना 'प्राप्ति के आधार' पर तथा यदि करदाता व्यापारिक आधार पर खाते तैयार करता है तो 'देय आधार' पर किया जायेगा।

धारा 56(2) के अनुसार इस शीर्षक में व्यक्तिगत आय कर-योग्य मानी जाती है। निम्न आयें 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर-योग्य होंगी :-

- (1) **लाभांश**
- (2) **आकस्मिक आय** जैसे - घुड़-दौड़ से आय, लॉटरी से आय, ताश, जुआ से आय, वर्ग पहेलियों से आय;
- (3) कर्मचारियों से प्राप्त सुपरऐनुएशन फण्ड, प्रॉवीडेण्ड फण्ड , कल्याण हेतु स्थापित अन्य फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित किसी फंड में अंशदान।
- (4) 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज कर-योग्य होगा।
- (5) फर्नीचर, प्लान्ट , मशीनरी , भवन आदि किराये पर उठाने से आय।
- (6) मुख्य व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त राशि बोनस सहित 'अन्य साधनों से आय' में कर-योग्य होगा।
- (7) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को दी गई पेंशन 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत कर-योग्य होगा।
- (8) प्रतिफल रहित राशियाँ या सम्पत्तियाँ - किसी गत वर्ष में एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा 1 अक्टूबर 2009 अथवा इसके बाद, बिना प्रतिफल के कोई धनराशि अथवा चल या अचल सम्पत्तियाँ पायी जाती है तो गत वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक होती है तो कर लगाया जायेगा।

परन्तु उपर्युक्त वर्णित प्रावधान में यदि ऐसी धनराशि अथवा सम्पत्ति निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो वह धनराशि या सम्पत्ति 50,000 रुपये से अधिक हो कर-योग्य नहीं होगी -

- (क) करदाता के किसी रिश्तेदार से प्राप्त
- (ख) स्थानीय सत्ता से प्राप्त राशि
- (ग) वसीयत या उत्तराधिकारी के अन्तर्गत प्राप्त राशि
- (घ) विवाह के अवसर पर प्राप्त राशि
- (ङ) धारा 12 A या 12 AA के अन्तर्गत ऐसे ट्रस्ट या संस्था से मिले जो पंजीकृत हो।
- (च) धारा 10(23) में वर्णित अस्पताल, चिकित्सा संस्थान या अन्य शिक्षण संस्थान से

प्राप्त।

नोट:-(A) सम्पत्ति से आशय -

1. आभूषण
2. चित्र
3. मूर्तियां

4. कलाकृतिया
5. रंगचित्र
6. अंश एवं प्रतिभूतियाँ
7. अचल सम्पत्ति

(B) रिश्तेदार से आशय –

1. एक व्यक्ति का जीवन साथी
 2. जीवन साथी का भाई अथवा बहन
 3. माता-पिता में से किसी का भाई-बहन
 4. जीवन-साथी का कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी
 5. व्यक्ति के भाई-बहन
 6. एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में कोई भी सदस्य
- (9) किसान विकास पत्र से प्राप्त होने वाला ब्याज
- (10) राष्ट्रीय बचत पत्र के भाग 8 पर मिलने वाला ब्याज
- (11) यदि क्षतिपूर्ति पर ब्याज , जिस वर्ष प्राप्त की गयी है उसके गत वर्ष की 'अन्य साधनों से आय' में कर-योग्य मानी जायेगी।
- (12) नौकरी से निकाले जाने पर अथवा सेवा में परिवर्तन के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि 'अन्य साधनों से आय' में शामिल किया जायेगा।

9.2.1 उपर्युक्त आयों के अतिरिक्त निम्न आयें भी 'अन्य साधनों से आय' में कर-योग्य होंगी –

- (1) संसद सदस्यों का वेतन
- (2) मछली बाजार से आय
- (3) बंजर भूमि से आय
- (4) व्यापारिक सम्पत्तियों का प्रयोग से प्राप्त
- (5) रॉयल्टीसे आय
- (6) संचालक शुल्क
- (7) भूमि से आय
- (8) अस्पष्ट साधनों से आय
- (9) अदृश्य स्रोतों से आय
- (10) व्यापार चिन्हों को किराये पर देने से आय
- (11) धारा 80-CCA में जमा राशि, जो निकाली गई राशि
- (12) भारत के बाहर कृषि भूमि से आय
- (13) पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति से आय
- (14) भारत के लिए खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों की आय
- (15) बीमा कमीशन जो व्यापार अथवा पेशे के लाभों में कर-योग्य न हो
- (16) अन्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कुल आय में जोड़ी जाती है।
- (17) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज

- (18) संचालक से प्राप्त ग्रेच्युइटी , जो कम्पनी के कर्मचारी नहीं है
 (19) होटल के वेटर अथवा टैक्सी चालक को प्राप्त बक्षीश जो नियोक्ता से न मिली हो।
 (20) सरकारी प्रतिष्ठानों की सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज

9.2.2 कर-योग्य अन्य लाभ

पूर्व के वर्षों की यदि कोई हानि , व्यय या व्यापारिक दायित्व जो इस शीर्षक में कटौती के रूप में माना गया हो और गत् के वर्ष में कुछ प्राप्त हो जाए तो उस वर्ष की 'अन्य साधनों से आय' में शामिल किया जाएगा।

उदाहरण

आय के अन्य शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य राशि की गणना

चल सम्पत्ति	उचित बाजार मूल्य	क्रय मूल्य	अन्तर
(क) हीरे की अंगूठी का उपहार	30,000	—	30,000
कलाकृति का उपहार	20,000	—	20,000
कुल	50,000	—	50,000
(ख) हीरे की अंगूठी का उपहार	1,60,000	1,22,000	38,000
कलाकृति का उपहार	40,000	29,000	11,000
कुल	2,00,000	1,51,000	49,000

(क) के अन्तर्गत गत् वर्ष में प्राप्त उपहारों का उचित बाजार मूल्य ₹ 50,000 तक है इसलिए कर-योग्य नहीं होगा।

(ख) के अन्तर्गत कुल उचित बाजार मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है परन्तु कुल अन्तर की राशि ₹ 49,000 है जो कि ₹ 50,000 से कम है अतः अन्य साधनों से आय के अन्तर्गत राशि कर-योग्य नहीं है।

9.3 कुछ प्रमुख आयों का विवेचन

लाभांश—

लाभांश आयकर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। लाभांश का अर्थ कम्पनी के अंशधारी को कम्पनी के लाभों से प्राप्त राशि है जो कम्पनी द्वारा अंशधारियों को बाँटी गयी हो।

लाभांश का कर निर्धारण

लाभांश तीन प्रकार के हो सकते हैं:—

- (1) घरेलू कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश
- (2) विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश
- (3) निगम या संस्था द्वारा घोषित लाभांश

सामान्य, अन्तिम अथवा वार्षिक लाभांश— धारा 8(a) के अन्तर्गत , सामान्य लाभांशकी आय उस गत् वर्ष की कर-योग्य में शामिल किया जाता है जिस गत् वर्ष में यह

घोषित किया गया हो। इस लाभांशकी घोषणा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में की जाती है इसे वार्षिक लाभांश भी कहा जाता है।

अन्तरिम लाभांश—धारा 8(b) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा वार्षिक साधारण सभा से पूर्व घोषित किया गया लाभांश को अन्तरिम लाभांश के नाम से जाना जाता है। अन्तरिम लाभांश उस गत् वर्ष की आय माना जायेगा जिस वर्ष में कम्पनी में भुगतान किया गया हो।

प्रतिभूतियों पर ब्याज —

प्रतिभूति को आय—कर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रतिभूति का अर्थ सुरक्षा से है। प्रतिभूति का आशय ऋण की वापसी की गारण्टी के लिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत कीमती वस्तु, सम्पत्ति या व्यक्ति के साख से होता है।

परन्तु आय की दृष्टि के अनुसार प्रतिभूति किसी ऋण का कागजी सबूत है जो ऋणी द्वारा ऋणदाता के नाम से जारी किया जाता है तथा जिसमें ऋण की राशि, ब्याज की दर तथा ऋण की वापसी की शर्त एवं समय स्पष्ट रूप से दिया होता है और ऋणी द्वारा, उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होता है।

अंश प्रतिभूति नहीं हैं, क्योंकि—

- अंश की धनराशि कम्पनी के जीवनकाल में नहीं लौटती
- अंशों पर आय अनिश्चित होती है।
- अंश ऋण का प्रमाण नहीं बल्कि स्वामित्व का प्रमाण है।


प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्यता

(क) करदाता प्रतिभूतियों का क्रय—विक्रय करता है अथवा प्रतिभूतियों को व्यापारिक रहतिये के रूप में रखता है तो प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ के अन्तर्गत कर—योग्य होगी।

(ख) प्रतिभूतियां विनियोग की तरह है तो ब्याज को अन्य साधनों से आय में कर—योग्य होगी।

प्रतिभूतियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नियम

- (1) यदि करदाता द्वारा लेखा पद्धति नियमित रूप से न रखी गयी हो तो प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय गत् वर्ष की आय मान ली जायेगी जिस गत् वर्ष में ब्याज देय होता है। क्यों न वो बाद में ही प्राप्त हो।
- (2) प्रतिभूतियों के क्रय—विक्रय पर कमीशन अथवा अन्य व्यय प्रतिभूतियों से ब्याज की आय में से कटौती—योग्य नहीं है। ऐसा व्यय यदि क्रेता द्वारा किया जाय तो उसकी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की लागत में जोड़ दिया जायेगा और यदि विक्रेता द्वारा किया गया हो तो उसके विक्रय मूल्य से घटा दिया जायेगा।
- (3) प्रतिभूतियों का क्रय—विक्रय होने पर दो ब्याज की तिथियों के बीच अगली ब्याज की तिथि पर मिलने वाले ब्याज पर कर वही देगा जो उस तिथि पर प्रतिभूतियों का मालिक हो।



सरकारी प्रतिभूतियाँ—केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित समस्त प्रकार की प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती है। इस पर देय ब्याज भारत से ही अर्जित माना जाता है, क्यों न इसका भुगतान भारत के बाहर हुआ हो।

(अ) कर मुक्त—इन प्रतिभूतियों पर ब्याज कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है और न ही इस पर कर लगाया जाता है। अर्थात् ब्याज अधिनियम की धारा 10(15) के अन्तर्गत पूर्णतया कर मुक्त है। करदाता इस ब्याज को कुल आय में प्रदर्शित नहीं करता है।

निम्न प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स, जमा पर ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त है —

(क) सभी करदाता के लिए :-

- (1) विशेष वाहक बाड्स , 1991 ।
- (2) ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट 10 वर्षीय ।
- (3) राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाण पत्र 12 वर्षीय ।
- (4) नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10 वर्षीय ।
- (5) राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स 1980 ।
- (6) डाकखाना राष्ट्रीय बचत-पत्र ।
- (7) डाकखाना कैश सर्टिफिकेट ।
- (8) डाकखाना संचयी सावधि जमा खाता ।
- (9) विशेष जमा खाता , 1981 ।
- (10) स्थायी जमा योजना ।

(11) डाकखाने का पब्लिक खाता ₹ 5000 तक ।

(ख) अनिवासी भारतीयों के लिए अधिसूचित बॉण्ड्स पर।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के ऋणपत्रों पर ब्याज तथा अधिसूचित बॉण्ड्स ।

(ब) कर-योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँ —वे समस्त प्रतिभूतियाँ, जो सरकार द्वारा निर्गमित की गयी है तथा जो ब्याज 10(15) के अन्तर्गत कर-मुक्त नहीं है कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँ कही जाती है। इन प्रतिभूतियों का ब्याज करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभांशही सकल लाभांश है।

धारा 193(IV) के अनुसार—केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान करते समय स्रोत पर आय-कर की कटौती नहीं की जायेगी । अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों की दशा में प्राप्त ब्याज ही सकल ब्याज होगा ।

अपवाद—8% बचत (कर-योग्य) बॉण्ड्स, 2003 के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी बशर्ते वित्त वर्षों में ब्याज की राशि 10000 से अधिक है।

सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल बनाने के सूत्र

- (i) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की कर-युक्त प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज सकल नहीं किया जाता है।
- (ii) 8% बचत (कर-योग्य) बॉण्ड्स 2003
यदि ब्याज की राशि 10000 से अधिक हो
प्राप्त ब्याज $\times 100 \div 90$
- (iii) सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कभी सकल नहीं किया जाता है।

गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ

इसे व्यापारिक प्रतिभूतियाँ भी कहा जाता है। वे प्रतिभूतियाँ जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी कम्पनी, निगम, संस्था, ट्रस्ट, स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम द्वारा निर्गमित की जाती है, गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती है।

गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ सूचीकृत तथा असूचीकृत हो सकती है।

ऐसी प्रतिभूतियाँ जो क्रय-विक्रय हेतु किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत अथवा सूचीकृत है, उन्हें सूचीकृत प्रतिभूतियाँ कहते है।

जो प्रतिभूतियाँ किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत अर्थात् पंजीकृत नहीं है उसे असूचीकृत प्रतिभूतियाँ कहा जाता है।

कर मुक्त —इस ब्याज पर देय कर प्रतिभूति निर्गमित करने वाली निगम या संस्था अपने पास से देती है। इसलिए वास्तव में इनका ब्याज कर-मुक्त नहीं होता। इसको कर-मुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्याज की रकम करदाता को प्राप्त हो जाती है और उसे इस पर अपने पास से कर नहीं देना पड़ता है।

कर-मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल करने के तरीके —

- (1) कम्पनी के कर-मुक्त ऋण-पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में असूचीकृत है।

ब्याज की राशि $\times 100 \div 90$

- (2) कम्पनी के कर-मुक्त ऋण-पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत है।

ब्याज की राशि $\times 100 \div 90$

- (3) स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम के कर-मुक्त बॉण्ड्स अथवा ऋण-पत्र

ब्याज की राशि $\times 100 \div 90$

उदाहरण:—

एक कम्पनी ने ₹ 100 वाले 10,00,000 का 10% कर-मुक्त ऋण-पत्र निर्गमित किये।

श्री कृष्ण ने 54000 ऋण-पत्र क्रय किये। ये ऋण-पत्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में क्रय-विक्रय हेतु सूचीकृत है। बताइये कि कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 में श्री कृष्ण की कर-योग्य आय में इनके ब्याज की कितनी राशि जोड़ी जायेगी।

इन ऋण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज को सकल करने के तरीके —

$$\frac{540000 \times 100}{90} = 600000$$

कर-योग्य

वे गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ जो कर-मुक्त नहीं हैं वे कर-योग्य हैं। जिन पर ब्याज का जो प्रतिशत दिया रहता है उसके हिसाब से निकाली हुई ब्याज की रकम में से आय कर काटकर शेष रकम प्रतिभूतिधारियों को दी जाती है।

यदि ब्याज की दर प्रतिशत में हो तो इसे सकल नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि वह स्वयं सकल होती है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज को सकल बनाने के तरीके –

- (i) स्थानिय सत्ता, वैधानिक निगम के कर-योग्य बॉण्ड्स या ऋणपत्र का शुद्ध ब्याज

$$\text{शुद्ध ब्याज} \times 100 \div 90$$

- (ii) कम्पनी के कर-योग्य ऋण-पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत है

$$\text{शुद्ध ब्याज} \times 100 \div 90$$

- (iii) कम्पनी के कर-योग्य ऋण-पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में असूचीकृत है

$$\text{शुद्ध ब्याज} \times 100 \div 90$$

आपसी कोष या निर्दिष्ट कम्पनी के यूनिटो से आय

(अ) आय वितरण करने वाले व्यक्ति को निर्धारित दर से कर देना होगा।

(ब) यूनिटो से प्राप्त आय जो विनियोगकर्ताओं के हाथों में दिया जाता है वह आय कर-मुक्त है।

ताश का खेल, जुआ, लॉटरी, क्रासवर्ड पजिल्स, घुड़-दौड़ आदि

धारा 56(2)(ib) के अनुसार –ताश का खेल, जुआ, लॉटरी, क्रासवर्ड पजिल्स, दौड़ (घुड़-दौड़ सहित) या किसी रूप में शर्त की जीत अन्य साधनों से आय में कर-योग्य होता है। ये आकस्मिक आयें हैं।

उपर्युक्त जीतो की आय से, जीत की राशि 10000 रुपये से अधिक नहीं है तो उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी और प्राप्त राशि को आय में शामिल किया जायेगा। यदि लॉटरी अथवा घुड़दौड़ से आय ₹ 10000 से अधिक है अर्थात् उपर्युक्त सीमा से अधिक है तो उद्गम स्थान पर 30% की दर से कटौती करके राशि का भुगतान किया जाता है।

$$\text{लॉटरी} = \text{प्राप्त राशि} \times 100 \div 70$$

उदाहरण –विकास को लॉटरी से जीत के ₹ 21000 प्राप्त हुए तो सकल जीत की राशि निम्न होगी

$$\text{सकल राशि} = 21000 \times 100 \div 70$$

$$= 30000$$

दिखावटी लेन-देन – धारा 94

यह कर बचाने का एक तरीका है। ये लेन-देन वास्तविक नहीं होते हैं। कर को बचाने के लिए ब्याज की देय तिथि के आस-पास उच्च आय वाले द्वारा निम्न आय वालों को प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण कर दिया जाता है। प्रतिभूतियों पर ब्याज की तारीखे निश्चित होती हैं तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज छमाही अथवा वार्षिक दिया जाता है। कुछ लोग ब्याज के देय तिथि के आस-पास अपने किसी नजदीकी मिलने वाले व्यक्ति को बेच देते हैं तथा ब्याज की देय तिथि बीत जाने पर पुनः खरीद लेते हैं ऐसे में देय तिथि पर प्रतिभूतियों के स्वामी नहीं रहते हैं और उन्हें ब्याज पर कर का भुगतान नहीं करना होता है।

इससे आयकर विभाग को हानि होती है। इसे रोकने के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। यदि इस तरह का लेन-देन किया जायेगा तो कर-निर्धारण अधिकारी उसी व्यक्ति की कुल आय में ब्याज को जोड़ा जायेगा जिसने इस प्रकार से कर बचाने की कोशिश की थी।

अपवाद—

निम्न दशाओं में नियम लागू नहीं हो—

- (i) कर निर्धारण अधिकारी को यदि करदाता संतुष्ट कर दे कि कर की कोई चोरी नहीं हुई है।
- (ii) यह व्यवहार कभी अकस्मात हो गयी। यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी को इस बात पर विश्वास दिला सके और संतुष्ट कर सके। तथा पिछले तीन साल में इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया गया हो।

ब्याज के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रावधान —

बैंक में जमा पर ब्याज — सहकारी बैंक या बैंक से प्राप्त ब्याज राशि 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत कर-योग्य है। यदि राशि सावधि खाते में जमा है और उस राशि पर गत वर्ष में 10000 रु से अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो उद्गम स्थान पर बैंक 10% की दर से कर की कटौती करके शेष राशि ग्राहको को भुगतान करेगा।

सहकारी समिति से ब्याज —इस ब्याज पर उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती है। तथा यह ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य है।

राष्ट्रीय बचत-पत्र viii निर्गमन एव ix निर्गमन पर ब्याज —राष्ट्रीय बचत पर ब्याज इस शीर्षक में करयोग्य है।

अन्य जमाओ पर ब्याज — किसी अन्य जमाओ से प्राप्त ब्याज 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत कर-योग्य होगा।

विधानसभा सदस्यों एवं संसद सदस्यों का वेतन तथा भत्ते

- (i) वेतन इसी शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है।
- (ii) विधानसभा सदस्य को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता एवं दैनिक भत्ता कर-मुक्त होते हैं।
- (iii) संसद सदस्य को प्राप्त भत्ता कर-मुक्त होता है।

9.4 न काटी जाने वाली राशियां

धारा 58 –

कर-योग्य आय निकालने के लिए 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में निम्न राशियाँ नही काटी जायेगी।

1. धन कर की चुकायी गयी राशि।
2. भारत के बाहर दिया हुआ कोई ब्याज, जिस पर कर न काटा गया हो।
3. करदाता के व्यक्तिगत व्यय।
4. आकस्मिक आय से सम्बन्धित कोई व्यय अथवा हानियाँ।
5. यदि किसी व्यय का भुगतान ₹ 10000/35000 से अधिक का हो।

उदाहरण –

मोहन की आय के निम्न विवरण से 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर-योग्य आय की गणना किजिए :-

(क) वर्मा में उसकी एक कृषि भूमि है जिससे वर्ष में 250000 की आय हुई, मथुरा में एक भूमि है जिसे गैर-कृषि समान रखने के लिए ₹ 10000 प्रतिमास किराया उठाया हुआ है। इस तरह बराबर में एक और जमीन है जिस पर गाँव का बाजार लगता है इस जमीन से वर्ष में 25000 की हुई।

(ख) उसकी उदयपुर में एक पत्थर की खान है उसने उसे अमन को निकाले गये पत्थर पर 25 पैसे प्रति टन की अधिकार शुल्क पर किराये पर दे दिया है। गत् वर्ष में कुल 100000 टन पत्थर निकाला गया था। उसने अधिकार शुल्क की आय कमाने के सम्बन्ध में ₹ 4000 व्यय किया जो कर निर्धारण अधिकारी ने स्वीकृत कर दिया है।

(ग) गत् वर्ष में उसने उद्यमियों को प्रबन्ध सम्बन्धी सलाहकार सेवाएं प्रदान की। इससे उसे ₹ 750000 की आय हुई।

(घ) पूंजी सम्पत्ति के अन्तर्ण के सम्बन्ध में अग्रिम राशि प्राप्त हुई परन्तु अनुबन्ध असफल होने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली गई ₹ 500000।

अन्य स्रोतों से कर-योग्य आय की गणना

1. गैर-कृषि भूमि से आय		120000
2. वर्मा में कृषि से आय		250000
3. बाजार के लिए प्रयोग जमीन से आय		25000
4. प्रबन्ध सम्बन्धी सलाह		750000
5. अधिकार शुल्क से आय		25000
(-) खर्च	4000	21000
6. जब्त की गई राशि		500000
	कर-योग्य आय	16,66,000

9.5 कटौतियां

धारा -57

कर योग्य आय निकालने के लिए 'अन्य साधनो से आय' शीर्षक में निम्न कटौतियाँ दी जाती है –

- (1) यदि प्राविडेण्ट फण्ड , आदि में कर्मचारियो का अंशदान करदाता की आय माना गया हो तो यदि नियोक्ता द्वारा यह राशि कर्मचारियों के खाते में सम्बन्धित फण्ड में देय तिथि तक जमा कर दी जाय तो वह कटौती-योग्य होगी।
- (2) शिकमी किरायेदार से प्राप्त किराये में से मकान के स्वामी को चुकाया गया मरम्मत व्यय एवं किराया कटौती योग्य है।
- (3) लांभाश संग्रह करने के लिए किसी बैंक या अन्य व्यक्तियों को दिये कमीशन अथवा प्रतिभूतियों का ब्याज अथवा परिश्रमिक की उचित राशि।
- (4) ऐसा कोई भी व्यय जो पूर्ण रूप से आय कमाने के लिए किया गया हो।
- (5) अंशो या प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज भी कटौती योग्य है।
- (6) क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज का 50% कटौती योग्य है।
- (7) मृतक कर्मचारी की विधवा अथवा उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त परिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में आय के $33\frac{1}{3}\%$ अथवा 15000₹ जो दोनों में कम हो, वैधानिक कटौती दी जायेगी।

प्रश्न—कृष्ण जो भारत में निवासी है को वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न आयें हुई :-

संचालक शुल्क	20000
कृषिभूमि से आय (पाकिस्तान स्थित)	50000
पंजाब में स्थित भूमि से किराया	100000
डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज	1000
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में जमा पर ब्याज	5000
विदेशी कम्पनी से लांभाश	7000
शिकमी किरायेदारी पर दिये गये मकान का कृष्णा द्वारा देय किराया	12000
शिकमी किरायेदार से मिला किराया	262500
शिकमी किराये पर दिये मकान पर किये गये अन्य व्यय	10000
प्रतिभूतियों से ब्याज	40000
घुड़-दौड़ जीत राशि	123000

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 हेतु 'अन्य साधनो से आय' शीर्षक में कृष्ण की आय की गणना कीजिए।

कर-योग्य आय की गणना

निदेशक शुल्क	20000
पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि से आय	50000
पंजाब में स्थित भूमि से किराया	100000

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पर जमा ब्याज	5000		
विदेशी कम्पनी से लांभाश			7000
शिकमी किरायेदार से मिला किराया	262500		
(-) देय किराया	12000		
अन्य व्यय	10000	22000	240500
घुड़-दौड़ जीत राशि			123000
प्रतिभूतियों से ब्याज			40000
कर योग्य आय			585500

नोट:—डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज कर—मुक्त है।

प्रश्न —प्रशान्त के विनियोग 31 मार्च 2019 को निम्न थे :-

(i) 7% सरकारी प्रतिभूतियाँ	250000
(ii) 9% मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड	200000
(iii) 8% इलाहाबाद म्युनिसिपल बॉण्ड	150000
(IV) 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियाँ	150000
(v) 7% सरकारी बॉण्ड	180000
(vi) सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज जमा	30000

उसने प्रतिभूतियों पर कर योग्य ब्याज को संग्रहित करने के लिए 60 ₹ कमीशन का भुगतान किया। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड को क्रय करने के लिए लिये गये ऋण पर उसने 1200 ₹ ब्याज चुकाए।

कर—योग्य आय की गणना कीजिए।

कर—योग्य आय की गणना

(i) 7% सरकारी प्रतिभूतियाँ		17500
(ii) 8% इलाहाबाद म्युनिसिपल बॉण्ड		12000
(iii) 9% मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड		18000
(IV) 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियाँ		9000
(v) 7% सरकारी बॉण्ड		12600
		<u>69100</u>
(-) संग्रह व्यय	60	
ऋण पर ब्याज	1200	<u>1260</u>
कर—योग्य आय		<u>67840</u>

9.6 सारांश

इस इकाई में हमने 'अन्य साधनों से आय' के विषय में जाना जो कि यह आय का पाँचवाँ शीर्षक है। यह आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 56 से 59 में परिभाषित किया गया है। इसमें हमने 'अन्य साधनों से आय' के सम्बन्ध में समस्त विधियों और नियमों के वैधानिक पहलुओं को भी पढ़ा।

9.7 शब्दावली

लाभांश —कम्पनी के अंशधारी को कम्पनी के लाभो से प्राप्त राशि है जो कम्पनी द्वारा अंशधारियों को बाँटी गयी हो।

प्रतिभूति: प्रतिभूति का आशय ऋण की वापसी की गारण्टी के लिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत कीमती वस्तु, सम्पत्ति या व्यक्ति के साख से होता है।

आकस्मिक आय: घुड़-दौड़ से आय, लॉटरी से आय, ताश, जुआ से आय, वर्ग पहेलियों से प्राप्त आय आकस्मिक आय कहलाती है

सरकारी प्रतिभूतियाँ: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित समस्त प्रकार की प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती है।

9.8 बोध प्रश्न

(अ) बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य :

- (i) करदाता के किसी रिश्तेदार से प्राप्त आय 'अन्य साधनों से आय' में शामिल नहीं है।
- (ii) राष्ट्रीय बचत पत्र के भाग 8 पर मिलने वाला ब्याज कर-योग्य है।
- (iii) अंश प्रतिभूति नहीं है।
- (IV) सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज सकल किया जाता है।

(ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

- (i) लाभांश आयकर अधिनियम में.....नहीं किया गया है।
 - (ii) प्रतिभूति का अर्थ.....से है।
 - (iii) सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कुल.....में शामिल नहीं किया जाता है।
 - (IV) डाकघर के बचत खाते पर ब्याज.....तक कर-मुक्त है।
-

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) [उत्तर (i)असत्य (ii)सत्य (iii)सत्य (IV)असत्य]

(ब) [उत्तर—(i)परिभाषित (ii)सुरक्षा (iii)आय (IV)3500₹]

9.10 स्वपरख प्रश्न

(अ) कर-युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ

(ब) कर-मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ

2) 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में आय गणना करने की विधि का वर्णन कीजिए।

- (3) विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ बताइए।
- (4) लाभांश के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधान समझाइये।
- (5) लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, घुड़-दौड़ एवं निम्न आकस्मिक प्राप्तियों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधान समझाइए।
- (6) टिप्पणी लिखिए –
- (क) दिखावटी लेन-देन
- (ख) ब्याज को सकल बनाना
- (ग) लॉटरी से आय।
- (घ) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ अथवा हानि।
-

9.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर विधान एवं लेखे, डॉ. एच. सी. मेहरोत्रा एवं डॉ. एस. पी. गोयल
2. आयकर विधान एवं लेखे, डॉ. बी. के. अग्रवाल एवं डॉ. राजीव अग्रवाल
3. आयकर विधान एवं लेखे, डॉ. आर. के. जैन।

इकाई 10 सकल कुल आय से कटौतियां

इकाई की रूपरेखा

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 आय में से धारा 80 की कटौतियों के सामान्य सिद्धान्त
- 10.3 भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाने कटौतियां
 - 10.3.1 जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान (धारा 80 c)
 - 10.3.2 पेंशन फण्ड में अंशदान (धारा 80 CCC)
 - 10.3.3 केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम (धारा 80 CCD)
 - 10.3.4 धारा C, 80 CCC, 80CCD (1) (धारा 80 CCE)
 - 10.3.5 सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग (धारा 80 CCG)
 - 10.3.6 चिकित्सा बीमा प्रीमियम (धारा 80 D)
 - 10.3.7 निः शक्त आश्रित की चिकित्सा व्यय अथवा किए गए जमा (धारा 80DD)
 - 10.3.8 विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा व्यय (धारा 80 DDB)
 - 10.3.9 उच्च शिक्षा के ऋण पर ब्याज (धारा 80 E)
 - 10.3.10 आवासीय गृह सम्पत्ति के लिए ऋण पर ब्याज (धारा 80 EE)
 - 10.3.11 विशिष्ट कोषों या पुण्यार्थ संस्थाओं को दिए दान (धारा 80 G)
 - 10.3.12 किराए के भुगतान के सम्बन्ध (धारा 80 GG)
 - 10.3.13 वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्राम विकास के लिए दान (धारा 80 GGA)
 - 10.3.14 भारतीय कम्पनी द्वारा किसी राजनीतिक दल को अंशदान (धारा 80 GGB)
 - 10.3.15 एक व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान (धारा 80 GGC)
- 10.4 कतिपय आय/आयों के सम्बन्ध में कटौतियां
 - 10.4.1 अवसंरचना विकास उपक्रम (धारा 80 IA)
 - 10.4.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास (धारा 80 I AB)
 - 10.4.3 निर्दिष्ट कारोबार के लाभ (धारा 80 IAC)
 - 10.4.4 अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न उपक्रमों के लाभ (धारा 80 IB)
 - 10.4.5 आवासीय परियोजना के लाभ (धारा 80 IBA)
 - 10.4.6 विशेष राज्यों में स्थापित उपक्रम विशेष (धारा 80 IC)
 - 10.4.7 पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रम (धारा 80 IE)
 - 10.4.8 जैव- श्रेणीकरणीय अवशिष्ट संग्रहण एवं प्रसंस्करण व्यापार (धारा 80 JJA)
 - 10.4.9 किसी व्यावसायिक उपक्रम में नए कर्मचारियों की नियुक्ति (धारा 80 JJAA)
 - 10.4.10 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र या बैंक की अपतट ईकाई (धारा 80 LA)
 - 10.4.11 सहकारी समितियों की आय (धारा 80 P)

- 10.4.12 पुस्तकों के लेखक की आय (धारा 80QQB)
10.4.13 पेटेंट पर रायल्टी की आय (धारा 80RRB)
10.4.14 बचत खातों पर अर्जित/प्राप्त ब्याज (धारा 80TTA)
10.4.15 वरिष्ठ नागरिक को जमा पर ब्याज (धारा 80TTB)
10.4.16 निःशक्त व्यक्ति को कटौती (धारा 80 U)
- 10.5 सारांश
10.6 शब्दावली
10.7 बोध प्रश्न
10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
10.9 स्वपरख प्रश्न
10.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- सकल कुल आय से कौन-कौन सी कटौतियां उपलब्ध हैं, की व्याख्या कर सकें।
- कटौतियां किस किस करदाता के प्रकार को मिलेंगी, को जान सकें।
- कटौतियां प्राप्त करने के प्रावधान हैं, की व्याख्या कर सकें।
- कटौतियों की मात्रा क्या है, की व्याख्या कर सकें।
- सम्बन्धित धाराओं का विस्तृत शर्तें एवं प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर सकें।

10.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप यह अध्ययन करेंगे कि सकल कुल आय से कौन-कौन सी कटौतियां, एक करदाता को मिलती हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ भुगतानों तथा आयों के सम्बन्ध में कटौतियां दी जाती हैं। जिन्हें सकल कुल आय से दी जाने वाली कटौतियां कहते हैं। ऐसी कटौतियां धारा 80C से 80U तक, विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाती हैं। यह प्रत्येक करदाता की व्यक्तिगत भुगतानों एवं आयों के सम्बन्ध में होती हैं। इस ईकाई के माध्यम से इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी।

कुल आय की गणना करने के लिए, किसी भी करदाता को विभिन्न पांच शीर्षकों के अन्तर्गत कर योग्य आयों के योग में से हानियों की पूर्ति के बाद की सकल कुल आय में से कटौतियां दी जाती हैं। ऐसी कटौतियां धारा 80C से 80U के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं। विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए विभिन्न कटौतियों के प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित हैं।

10.2 आय में से धारा 80 की कटौतियों के सामान्य सिद्धान्त

1. सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अन्तर्गत कटौतियों स्वीकृत की जाती हैं।
2. कटौतियों की राशि सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती।

आयकर अधिनियम की धारा 71 के अनुसार, यदि आय के किसी एक शीर्षक में हानि है, एवं अन्य शीर्षक में लाभ है तो ऐसी हानि को अन्य शीर्षक के लाभों से समायोजित किया जा सकता है।

1. मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की हानि किसी भी अन्य शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है।
2. धारा 71 (3 ए) के अनुसार, अधिकतम 2,00,000 रुपये तक की मकान सम्पत्ति हानि को अन्य शीर्षक से पूर्ति की जा सकती है।
3. सट्टा व्यापार की हानि किसी भी अन्य आय से पूर्ति नहीं कर सकते हैं ऐसी हानि को केवल सट्टा व्यापार के अन्य लाभों से पूरा कर सकते हैं।
4. पूंजी लाभ शीर्षक की हानि, आय के किसी भी शीर्षक से पूर्ति नहीं कर सकते हैं।
5. व्यापार एवं पेशे शीर्षक में हानि को अन्य किसी भी शीर्षक (सिवाय वेतन शीर्षक) से पूरी किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, यदि करदाता को वेतन शीर्षक में आय एवं व्यापार एवं पेशे शीर्षक में हानि है, तो उसे आपस में समायोजित नहीं कर सकते।
6. घुड़दौड़ के घोंड़ों के रखरखाव के व्यापार से हानि किसी अन्य आय से पूरी नहीं कर सकते हैं।
7. जुआ प्रकृति जैसे ताश, लाटरी, पजल्स, शर्त आदि की आय से किसी भी हानि को पूरा नहीं किया जा सकता।
8. करमुक्त आय वाले स्रोत की हानि की पूर्ति किसी भी अन्य करयोग्य आय के स्रोत से पूरी नहीं कर सकते।
9. जिस शीर्षक की करयोग्य आय होती है, उसी शीर्षक की हानि को पूरा किया जा सकता है।
10. धारा 35 एडी में दिए गए विशिष्ट व्यापार की हानि को, किसी भी अन्य व्यापार के लाभ से पूरा नहीं किया जा सकता है।

11.3.3 गैर सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति –

1. गैर सट्टा व्यापार अथवा पेशे की हानि की पूर्ति व्यापार एवं पेशा शीर्षक के सभी स्रोतों से पूरी की जा सकती है। सट्टा व्यापार की आय से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वेतन शीर्षक को छोड़कर, किसी भी अन्य शीर्षक से इस व्यापार (गैर सट्टा) एवं पेशे की हानि को पूरा किया जा सकता है।
2. निर्दिष्ट व्यापार एवं पेशा की हानि की पूर्ति, केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यापार एवं पेशा की आय से पूरा किया जा सकता है।
3. गैर सट्टा व्यापार एवं पेशा की हानि को, सट्टा व्यापार एवं पेशा से कर सकते हैं परन्तु सट्टा व्यापार की हानि को गैर सट्टा से पूरा नहीं कर सकते।

- (ख) खाते तथा प्रपत्र प्रस्तुत करने में चूक करना।
(ग) आय का झूठा विवरण आदि दाखिल करने हेतु प्रोत्साहित करना,
(घ) आय की मिथ्या रिपोर्ट करना
- (4) कर न काटने अथवा काटकर भुगतान न करने तथा जान बूझकर कर आदि बचाने तथा कर, आदि का भुगतान न करने के संबंध में आयकर अधिनियम में अभियोजन के लिये क्या प्रावधान हैं अथवा क्या सजा दी जा सकती है।
- (5) कम्पनी तथा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा जुर्म करने पर आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कौन जिम्मेदार हो तथा किसे सजा दी जायेगी?
- (6) अर्थदण्ड लगाने के सामान्य सिद्धान्त बताइए ।

17.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhanian : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच०सी० एवं जोशी सीवएस० : आय कर— कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इसे चालू आय या वर्तमान आय कहते हैं । परन्तु एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है यदि उसकी आय व्यापार आय का पेशे के अन्तर्गत नहीं आती है या उसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है तो उसे अग्रिम कर नहीं चुकाना होगा । अर्थात् इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा देय कर की राशि 10000 रुपये या उससे अधिक हो तो उस वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर चुकाना होगा। आयकर जमा करने के कई तरीकों में से एक है अग्रिम कर का भुगतान इस तरीके से करका भुगतान करने के लिये व्यक्ति को वित्तीय वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। बल्कि हर तिमाही की समाप्ति से पहले ही कर जमा करना होता है। चूंकि आय कर कमाई करने के साथ-साथ ही भरना पड़ता है इसलिये इसे जैसा कमाओं वैसा चुकाओं योजना अर्थात् कमाते जाओ भरते जाओ योजना के नाम से जाना जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वेतन नहीं मिलता है तो उसका स्रोत पर कर भी नहीं कटता है और ऐसे व्यक्ति की वार्षिक कर की देनदारी दस हजार रूप से अधिक है तो उसे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति की आमदनी पर 10 हजार रुपये वार्षिक से अधिक आय कर की देनदारी बनती है तो उसे हर तीसरे माह में अग्रिम कर के रूप में भुगतान करना होगा।

अग्रिम कर इन तीन स्थितियों में भरना पड़ता है:—

- आय वैतनिक है लेकिन ब्याज, पूंजी लाभ और शिपे की ऊंची आमदनी आती है।
- अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं और आय पर 10 हजार रुपये से ज्यादा कर बनता हो,
- आय व्यक्ति व्यवसायी है और उसकी आय पर 0 हजार रुपये से अधिक कर बनता है।

निम्नलिखित व्यक्तियों को अग्रिम कर भुगतान से छूट प्राप्त है अर्थात् निम्नलिखित लोगों को अग्रिम कर का भुगतान भी करना पड़ता है।

- अगर व्यक्ति संवैतनिक है और उस व्यक्ति की आमदनी को कोई और अतिरिक्त स्रोत नहीं है तो उसे अग्रिम कर जमा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्रोत या उद्गम पर जोकर की कटौती होती है वह एक प्रकार से अग्रिम कर ही होता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले नियोजक द्वारा स्रोत पर की कटौती के माध्यम से आय कर प्रतिमाह काटा जाता है और फार्म 16 में इसका पूरा ब्यौरे बार उल्लेख रहता है।
- ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसकी आमदनी का स्रोत कोई व्यवसाय नहीं है, उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2012 से अग्रिम कर जमा करने में छूट मिली होती है।

18.2 अग्रिम कर की गणना

अग्रिम कर गणना करने हेतु अपने सभी स्त्रोतों से होने वाली अनुमानित वार्षिक आमदनी को जोड़ना होगा। इसी आय में वेतन से होने वाली आमदनी, ब्याज से होने वाली आमदनी पूंजी लाभ, घर या संपत्ति के किराये से होने वाली आदि को भी सम्मिलित किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसायी है तो उसे अपने सभी पक्षकारों से होने वाली अनुमानित आमदनी को जोड़ना होकगा। इस प्रकार की आमदनी के दौरान होने वाले अनुमानित खर्चों को आमदनी में से घटाना होगा। इसमें काम करने की जगह का किराया, इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल, कम्प्यूटरों या अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि पर होने वाला खर्च, यात्रा के दौरान हुये खर्चों आदि के बिल पूर्ण आमदनी में से घटाये जायेंगे। इस प्रकार आमदनी की गणना व्यक्ति के अपने पक्षकारों में मिले भुगतान की रसीदों के आधार पर मानी जायेगी।

खर्चों के बाद बात की जायेगी व्यक्ति द्वारा किये गये इन्वेस्टमेन्ट या खर्चों की भी गणना की जो किसी सरकारी योजना या आयकर अधिनियम के तहत कर की कटौती की श्रेणी में आती हो। धारा 80(सी) 80 सी.सी.सी. तथा 80 सी.सी.डी. के तहत कई निवेशों और खर्चों पर व्यक्ति को एक निश्चित रीश पर कर न देने की छूट मिलती है। इन कटौतियों को व्यक्ति की आय में से घटाने पर व्यक्ति की जो आय बनती है उसे कर की गणना में सम्मिलित किया जाता है। कर की गणना का अगला कदम हो, यह देखना कि व्यक्ति की कर योग्य आमदनी पर सरचार्ज, शैक्षिक सैस, रिबेट आदि की स्थिति तो नहीं बन रही है। यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उन्हें भी यथा नियंत्रण में लाना होगा। इन सारी स्थितियों के अनुसार अग्रिम कर की रकम तय करनी होगी जिसे कि व्यक्ति को जमा करना है।

अग्रिम कर जमा करनी तारीखें निश्चित हैं। जैसे कुल अग्रिम कर का 15 प्रतिशत तक जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून निश्चित है, कुल अग्रिम कर का 75 प्रतिशत तक जमा करने की तारीख 15 सितंबर तक, कुल अग्रिम कर का 100 प्रतिशत तक कर का भुगतान 15 मार्च तक करना होगा। यह व्यवस्था कंपनियों और व्यक्तियों दोनों ही प्रकार के करदाताओं के लिये सुनिश्चित है।

2016 के बजट के पहले कंपनियों, व्यक्तियों और परिवारों के लिये अग्रिम कर की किशतों का प्रतिशत अलग-अलग होता था, इसके बाद दोनों को समान कर दिया गया है। चूंकि अग्रिम कर की किशतों का प्रतिशत अलग-अलग होता था, इसके बाद दोनों को समान कर दिया गया है। चूंकि अग्रिम कर सभी स्त्रोतों से हुई कुल आय के हिसाब से किया जाता है, इसमें पूंजी-लाभ भी सम्मिलित होता है। पूंजी लाभ की गणना में जो समस्या आती है वह यह है कि पूंजी लाभ से, होने वाले लाभ या हानि को पहले से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो व्यवस्था यह कि गयी है कि

जिस किश्त के बाद लाभ होता है बाकी वाली किश्तों में उस पर बना कर जमा कर दिया जायच । यदि इस तरीके से पूंजी लाभ पर बने कर का भुगतान कर दिया जाता है तो उस पर कोई भी विलंब शुल्क नहीं लगेगा ।

18.2.1 करदाता द्वारा कर की गणना :-

आय कर अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत देय अग्रिम कर की रकम की गणना दो प्रकार से की जाती है उनमें से एक है करदाता द्वारा कर की गणना करना । यदि करदाता की आय कृषि आय नहीं है तो करदाता द्वारा दये अग्रिम कर की गणना इस प्रकार की जायेगी:-

- करदाता की संभावित कुल आय ज्ञात की जायेगी।
- इस आयकर चालू वित्त वर्ष के लिये अग्रिम कर के लिये निर्धारित दरों से कर की गणना की जायेगी। इस राशि में अधिकार भी जोड़ा जाएगा। एवं निर्धारित अधिभार के योग पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर एवं उच्च शिक्षा उपकर जोड़ा जायेगा।

अभी ऊपर हमने करदाता द्वारा आय कर की गणना का विस्तार से अध्ययन किया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना किस प्रकार की जा सकती है।

18.2.2 कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना :-

जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ऐसी स्थिति तब ही बनती है जब करदाता द्वारा अग्रिम कर का भुगतान किया गया हो। यदि किसी करदाता पर नियमित कर निर्धारण पहले हुआ है और उसके द्वारा अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया है तो कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा उसे अग्रिम कर चुकाने का आदेश दिया जा सकेगा । ऐसा आदेश संबंधित गत वर्ष में 1 मार्च से पूर्व ही दिया जा सकता है।

सबसे आखिरी में हुये नियमित कर निर्धारण में निर्धारित कुल आय या यदि बाद के किसी वर्ष का करदाता ने आय का विवरण दाखिल कर दिया है, तो उनमें दिखायी गयी कुल आय, इनमें से जो भी अधिक हो उस पर कर की गणना करके अग्रिम कर चुकाने का आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया जावेगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं:- यदि एक व्यक्ति की कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिये 6,50,000/- रूपये आय निर्धारण की गयी उसके कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये, जो विवरण दाखिल किया उसमें कुल आय 7,00,000/- रूपये दर्शायी गयी है जिसका अभी कर-निर्धारण होना शेष है। कर निर्धारण अधिकारी 28.02.2020 तक 2019-20 की आय के आधार पर अग्रिम कर चुकान का आदेश दे सकता है। कर चुकान के आदेश के साथ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किश्तों का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक है। जैसे कि यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने के बाद, परन्तु 1 मार्च से पूर्व करदाता उसे गत वर्ष के बाद के गत वर्ष का अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करता है अथवा उस गत वर्ष के बाद के गत वर्ष की कुल आय के आधार

पर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिया था तो कर निर्धारण अधिकारी अपना संशोधित आदेश दे सकता है। जिसमें अग्रिम कर की शेष किशतों की राशि में संशोधन कर दिया जायेगा।

18.3 पूंजीगत लाभ एवं आकस्मिक आय पर अग्रिम कर का भुगतान

यहाँ इस शीर्षक में आकस्मिक आय से तात्पर्य है लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, ताश का खेल, जुआ, शर्त आदि से होने वाली आय से है। कभी-कभी करदाता के लिये पूंजीगत लाभ अथवा आकस्मिक आय या व्यापार या पेशे से होने वाली पहली आय या लाभांश के अन्तर्गत आने वाली कर योग्य आय का सही सही आकलन करना दुरूह कार्य हो जाता है। अतः इन परिस्थितियों में यदि आय किसी देय किशत की तिथि के पश्चात् होती है तो ऐसी आय पर देय कर शेष किशतों में चुकाया जायेगा। यदि गत वर्ष में आय 15 मार्च के पश्चात् होती है। तो इसका भुगतान गत वर्ष में 31 मार्च तक किया जास कता है। धारा 234(सी) कहती है कि यदि उपर्युक्त आय पर प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर चुका दिया जाता है तो इस राशि पर ब्याज नहीं लगाया जायेगा।

18.4 अग्रिम कर की विभिन्न दरें

धारा 211 यह अभिनिर्धारित करती है कि प्रत्येक करदाता जो अग्रिम कर चुकान के दायित्वाधीन है, है, अपनी चालू आय पर अग्रिम कर 2016-17 से निम्न प्रकार चुकाया जायेगा :-

यदि किशतों की देय तिथि 15 जून, अथवा उससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 15 प्रतिशत, यदि 15 सितम्बर अथवा उससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 45 प्रतिशत इसमें पहली किशत में चुकायी गयी राशि 15 प्रतिशत घटाकर अर्थात् 30 प्रतिशत यदि किशतों की देय तिथि 15 दिसंबर अथवा उससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 75 प्रतिशत इसमें पूर्व किशतों में चुकायी गयी 15 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत घटाकर अर्थात् 30 प्रतिशत, और यदि किशत की देय तिथि 15 मार्च अथवा इससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 100 प्रतिशत अर्थात् पूर्व किशतों में चुकायी गयी राशि 15 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत घटाकर मात्र 25 प्रतिशत चुकाना होगा।

व्यवसाय से होने वाली आय पर अग्रिम कर संबंधित गत वर्ष की 15 मार्च तक चुकाना होगा। 31 मार्च तक चुकायी गयी अग्रिम कर राशि को भी इसी वित्तीय वर्ष में चुकाया गया अग्रिम कर की श्रेणी में रखा जाएगा।

अग्रिम भुगतान किये गये कर को नियमित कर निर्धारण पर देयकर की राशि का भुगतान माना जाता है।

18.4.1 वरिष्ठ नारिकों का अग्रिम कर की दरें

वरिष्ठ नारिकों हेतु कर- निर्धारण वर्ष 2019-20 से संबंधित गत वर्ष 2018-19 में अग्रिम कर की दरें निम्नानुसार होंगी।

– भारत में निवास करने वाले ऐसे वरिष्ठ नगरिक जिनकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परन्तु 80 वर्ष से कम है, उनकी प्रथम 3 लाख रुपये पर शून्य, अगले 2 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत, अगले 5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत तथा शेष आय पर 30 प्रतिशत की दर से अग्रिम कर लगाया जायेगा।

– ऐसे अतिवरिष्ठ नागरिक जो भारत के निवासी हैं तथा जिनकी आयु गत वर्ष 80 वर्ष या उससे अधिक थी उन्हें अग्रिम कर, कर के रूप में निम्नानुसार भुगतान करना होगा। प्रथम पांच लाख रुपये पर कुछ भी नहीं, अगले पांच लाख रुपये पर 20 प्रतिशत तथा शेष आय पर 30 प्रतिशत।

– इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों एवं हिन्दू अविभाजित परिवार पर अग्रिम कर की दरें इस प्रकार होंगी—

प्रथम 2,50,000/— रुपये पर शून्य

अगले 2,50,000/— रुपये पर 5 प्रतिशत

अगले 5,00,000/— रुपये पर 20 प्रतिशत

शेष आय पर 30 प्रतिशत

अतः अभी हमने अग्रिम कर की दरों का विस्तृत अध्ययन किया। इस संदर्भ में एक नियम यह भी है कि यदि भारत में निवासी एक व्यक्ति की कुल आय 3,50,000/— रुपये से अधिक नहीं है, तो देय कर में से 2,500/— रुपये तक की कटौती मिलेगी।

इसी प्रकार यदि कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक है, परन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा। यदि कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो 15 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा। आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोड़ा जायेगा।

18.4.2 सहकारी समितियों हेतु अग्रिम कर की दरें :—

सही सहकारी समितियों हेतु अग्रिम कर की दरें को निम्न तालिका द्वारा सुस्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है:—

– यदि कुछ आय 10,000/— रुपये में से अधिक न हो – कुल आय का 10 प्रतिशत

– यदि कुल आय 10000/— से अधिक हो, परन्तु 20000 रुपये से अधिक न हो – 1000 रुपये तथा 10000 रुपये से अधिक आय पर 20 प्रतिशत

– यदि कुल आय 20000 रुपये से अधिक हो – 3000 रुपये तथा 20000 से अधिक आय पर 30 प्रतिशत।

– यदि कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है – 12 प्रतिशत

– स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर – 4 प्रतिशत

उक्त तालिका से यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सहकारी समिति जिसकी आय 10 हजार से अधिक है तो कुल आय का 10 प्रतिशत, यदि कुल आय दल हजार रुपये से अधिक हो परन्तु 20000 से कम हो तो 1000 रुपये तथा अन्य पर 20 प्रतिशत, इसी प्रकार यदि कुल आय 20000 रुपये अधिक हो तो 3000/- रुपये अग्रिम कर के रूप में भुगतान करना होगा। यदि कुल आय एक करोड़ से अधिक है तो अधिभार 12 प्रतिशत एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में 4 प्रतिशत वसूला जायेगा।

18.4.3 फर्म हेतु अग्रिम कर की दरें :-

यदि कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है तो 12 प्रतिशत एवं आयकर का 30 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत का भुगतान अग्रिम कर के रूप में होगा।

18.4.4 स्थानीय सत्ता पर अग्रिम कर की दरें :-

यदि कोई स्थानीय सत्ता जो 30 प्रतिशत तक आयकर का भुगतान कर रही है और उसकी आय एक करोड़ रुपये से अधिक है तो 12 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के रूप में 4 प्रतिशत का अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

18.4.5 घरेलू कम्पनी पर अग्रिम कर भुगतान की दरें:-

यदि किसी घरेलू कम्पनी की गत कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में कुल बिक्री या सम्पूर्ण प्रातिप्यां 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो 25 प्रतिशत तथा ऐसी कम्पनी जो धारा 115बीए. के अन्तर्गत कर का भुगतान करती है- 25 प्रतिशत, इसी प्रकार यदि किसी कम्पनी का कारोबार एक करोड़ से अधिक है परन्तु दस करोड़ से अधिक नहीं है तो 7 प्रतिशत की दर से अग्रिम कर तथा यदि कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है तो 12 प्रतिशत की दर से अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। सीमान्त राहत के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है परन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ रुपये से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर से ही लगाया जा सकेगा। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भलीभांति समझा जा सकता है:-

श्री श्रीवास्तव जी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न आय प्राप्त होने का अनुमान है-

मकान से प्राप्त होने वाली आय (कर योग्य)	-	75000/-
पेशे से प्राप्त होने वाली कर योग्य आय	-	707500/-
अन्य माध्यम से होने वाला लाभांश	-	10000/-
मकान से आय	-	75000
पेशे से आय		7,07,500
अन्य माध्यम से लाभांश की छूट		

प्राप्त	7,82,500	
कटौती	कुछ नहीं	
कुल आय	—	7,82,500/—
अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अग्रिम कर इस प्रकार होगा —		
7,82,500 पर देय कर		
प्रथम 2,50,000 रुपये पर	—	कुछ नहीं
अगले 2,50,000 रुपये पर अधिभार 5 प्रतिशत	—	13500/—
अगले शेष 2,82,500 पर अधिभार 20 प्रतिशत	—	56500
	योग	69000
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत		2760/—
		71760
उदगम पर कर की कटौती		शून्य
अग्रिम कर योग्य राशि		71,760/—
प्रत्येक किश्त पर देय राशि —		
15.06.2018 तक	71760 रुपये का 15 प्रतिशत	— 10764
15.09.2018 तक	71760 रुपये का 30 प्रतिशत	— 21528
15.12.2018 तक	71760 रुपये का 30 प्रतिशत	— 21528
15.03.2019 तक	71760 रुपये का 25 प्रतिशत	— 17940
		71760

18.5 ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान

अधिनियम की धारा 234(ए) में करदाता द्वारा देय ब्याज से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार एक करदाता को निम्न परिस्थितियों में ब्याज का भुगतान करना होता है:-

किसी करदाता द्वारा निर्धारित तिथि के बाद आय का विवरण दाखिल करने पर स्वयं कर निर्धारण करके कर, ब्याज तथा फीस की राशि भी जमा करनी होती है। यदि करदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो फीस की राशि होगी। 1000 रुपये तथा किसी अन्य दशा में यह राशि 5000 रुपये तथा 10000 रुपये होगी। यदि विवरणी संबंधित कर, निर्धारण में 31.12 या इससे पूर्व दाखिल कर दी जाती है तो फीस की राशि 5000/— होगी एवं यदि विवरणी 31.12 के पश्चात् दाखिल की जाती है तो फीस की राशि 10000 रुपये होगी। इसी प्रकार अग्रिम कर चुकाने में चूक करने पर ब्याज इस प्रकार होगा — जब कोई करदाता अग्रिम कर चुकाने हेतु दायित्वाधीन है और वह अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करता है अर्थात् वह अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है अथवा चुकाया गया अग्रिम कर निर्धारित करके 90 प्रतिशत से कम है तब उस पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगेगा। यह ब्याज अगलजे वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से संक्षिप्त कर निर्धारण अथवा नियमित कर निर्धारण होने की तिथि तक की अवधि के लिये लगेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ब्याज किस राशि पर लगाया

जायेगा। तो यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि यह ब्याज कर-निर्धारण पर निर्धारित कर की राशि में से अग्रिम चुकाये ये कर की राशि घटाकर शेष राशि पर अधिमाम्य होगा या लगेगा।

एक अगली समस्या तब उत्पन्न होती है जब अग्रिम कर का भुगतान तो देय तिथि पर कर दिया गया है किन्तु यह भुगतान निर्धारित प्रतिशत से कम किया गया है। यदि करदाता अग्रिम कर भुगतान हेतु दायित्वाधीन है तो उस नियत तिथियों तक ही किशतों में भुगतान करना होगा। यदि वह देय तिथियों तक तालिका में दिखायी गयी आय पर देय अग्रिम कर का निर्धारित प्रतिशत से कर चुकाता है तो उसे निम्नानुसार ब्याज चुकाना होगा :-

क्र.	देय तिथि तथा कश्चित	ब्याज की दर तथा अवधि	राशि जिस पर ब्याज की गणना की जायेगी
1	वित्त वर्ष में 15 जून तक यदि 12 प्रतिशत से कम है	1 प्रतिशत मासिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 15 प्रतिशत तथा जमा की गयी राशि का अन्तर
2	वित्त वर्ष में 15 सितंबर तक यदि 36 प्रतिशत से कम है	1 प्रतिशत मासिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 45 प्रतिशत तथा जमा की गयी राशि का अन्तर
3	वित्त वर्ष में 15 दिसंबर तक यदि 75 प्रतिशत से कम है	1 मासिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 75 प्रतिशत तथा जमा की गयी राशि का अंतर
4	वित्त वर्ष में 15 मार्च तक यदि 100 प्रतिशत से कम	1 प्रतिशत दर से एक माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 100 प्रतिशत तथा जमा की गयी राशि का अन्तर

परंतु इस उपरोक्त तालिका में दिये गये नियम का एक अपवाद यह है कि यदि पूंजी-लाभ या लॉटरी, क्रासवर्ड पहले दौड़, घुड़दौड़, ताश का खेल, जुआ, शर्त आदि की आय का कम अनुमान लगाने या कोई अनुमान न लगाने के कारण यदि अग्रिम कर की राशि निर्धारित प्रतिशत से कम जमा की गयी है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जायेगा। इसी प्रकार किसी व्यवसाय या पेशे से पहली बार उपार्जित आय हो या लाभांश जो कि कर योग्य हो और अग्रिम कर निर्धारित प्रतिशत से कम जमा किया गया हो तो किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जायेगा।

18.6 अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर की कटौती में अंतर

यदि व्यक्ति सालाना 10 हजार रूपये से अधिक कर अदा करने वाला है तो उसे अपना आय कर स्वयं ही अग्रिम कर के रूप में जमा करना होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसे वेतन प्राप्त होता है अर्थात् वेतन पर आश्रित है तो नियोजक स्वयं ही वेतन में से स्रोत पर कर की कटौती के माध्यम से कर काट लेता है। चूंकि कर की यह रकम व्यक्ति की आमदनी के स्रोत से सीधे काटी जाती है इसलिये इसे स्रोत पर कर की कटौती कहा जाता है। व्यक्ति के वेतन में से नियोजक द्वारा कर की कटौती का वर्णन फार्म 16 में वर्णित रहता है।

अग्रिम कर या स्रोत पर कर की कटौती के माध्यम से साल भर टुकड़ों में रकम सरकार के पास जमा होती रहती है वह इस प्रकार फायदेमंद रहती है—

- (1) सरकार के पास वर्ष पूंजी (रकम) का प्रवाह बना रहता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर अंत तक विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये रकम की अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।
- (2) आयकर विभाग द्वारा समस्त हिसाब-किताब एक ही साथ करने के बताय, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है जो विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये भी सुविधाजनक रहता है।
- (3) करदाताओं को भी वित्तीय वर्ष के अंत में एक साथ कर की राशि जमा करने के तनाव में छूट मिल जाती है वह भी अपनी आमदनी के अनुसार सुविधाजनक ढंग से थोड़ा-थोड़ा अपना कर जमा कराता है।

18.7 सारांश

इस इकाई की व्याख्या करने के पश्चात् हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अग्रिम कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में चुकाया जाता है यदि देय कर कम से कम 10000 रूपये होता है। परन्तु भारत के निवासी वरिष्ठ नागरिक जिनका व्यापार या पेशे से कोई आय नहीं है तो उसे अग्रिम कर नहीं देना होगा। जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि अग्रिम कर की गणना करदाता द्वारा एवं कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनों में से किसी भी प्रकार से की जा सकती है। अग्रिम कर की पहली किश्त 15 जून, दूसरी किश्त 15 सितंबर, तीसरी किश्त 15 दिसंबर को तथा चौथी किश्त 15 मार्च को देय होगी। पहली किश्त में अग्रिम कर का 15 प्रतिशत, द्वितीय किश्त में अग्रिम कर का 45 प्रतिशत (इसमें पहली किश्त पर भुगतान की गयी राशि घटा दी जायेगी अर्थात् $45-15 = 30$ प्रतिशत) तीसरी किश्त पर अग्रिम कर का 75 प्रतिशत इसमें पूर्व किश्तों में चुकायी गयी राशि घटा दी जायेगी

तथा चौथी किश्त पर अग्रिम कर का 100 प्रतिशत (पूर्व किश्तों में चुकायी गयी राशि घटा दी जायेगी) देय होगा।

किसी भी करदाता द्वारा किश्त में भुगतान की गयी राशि यदि निर्धारित प्रतिशत से कम होती है तो कमी पर 1 प्रतिशत की दर से 3 माह का ब्याज लेगा। यदि पहली किश्त पर कम से कम 12 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाता है तथा दूसरी किश्त पर कम से कम 36 प्रतिशत का भुगतान हो जाता है तो किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा।

18.8 शब्दावली

कृषि आय: ऐसी आय से है जो भारत में स्थापित किसी भूमि से राजस्व या किराये के रूप में प्राप्त होती है। किसी भी करदाता द्वारा अर्जित आय की आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।

अग्रिम कर अग्रिम कर से तात्पर्य है जैसी कमाओ, चुकाओ अर्थात् (pay as you earn) इसे ऐसा इसलिये कहा जाता है क्योंकि करदाता जैसे-जैसे आय कमाता है वैसे वैसे उस पर कर देता जाता है। यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में दया जाता है :-

सहकारी समिति यह उन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो कि अधिकतर श्रमिक और छोटे उत्पादक होते हैं तथा अपनी घरेलू तथा व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिये लोकतांत्रिक तरीके पर संयुक्त प्रबंध के अन्तर्गत संगठित होते हैं व सभी मिलकर पूंजी इकट्ठी करते हैं।

फर्म व्यापारियों या व्यवसायियों का वह समूह या दल या संस्था जो एक साथ मिलकर कोई व्यवसाय या व्यापार करता हो, फर्म कहलाती है। साधारण शब्दों में एक व्यावसायिक इकाई को फर्म कहा जाता है इसका स्वरूप एकल, साझेदारी या कंपनी कुछ भी हो सकता है। इस इकाई में फर्म से तात्पर्य कोई व्यापारिक बड़ी संस्था से भी है।

अधिभार Surcharge या अधिभार का प्रयोग किया गया है। कर भुगतान के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पचास लाख रुपये से अधिक है तो उसकी कमाई पर लगने वाले आयकर के अलावा भी कुछ रकम उसे कर के साथ चुकानी होती है, यह रकम उसके कर के दस प्रतिशत के बराबर होती है। यदि व्यक्ति की आय एक करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक है तो उसे आयकर का 15 प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ता है। और इस

अतिरिक्त देय भुगतान को ही आयकर की भाषा में अधिभार या सरचार्ज कहा जाता है।

शिक्षा या स्वास्थ्य उपकर:- सेस या उपकर, एक कर है, और आम तौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये लगाया जाता है। एक बार इसका उद्देश्य हल हो जाता है तो इसे हटा दिया जाता है। उपकर से मिलने वाली राशि को भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों के साथ सांझा नहीं करती है और इससे प्राप्त समस्त कर राशि अपने पास रख लेती है।

निर्धारित कर निर्धारित कर से आशय संक्षिप्त कर-निर्धारण अथवा नियमित कर निर्धारण पर कुल आय पर देय कर में से उद्गम स्थान पर कटे हुये कर की राशि एवं उद्गम स्थान पर एकत्रित किये गये कर की राशि घटाकर शेष राशि है।

18.9 बोध प्रश्न

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

निम्न में से एक सही विकल्प चुनिए :-

- (1) राजीव को 20 मार्च को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ हुआ उसे इस राशि पर अग्रिम कर चुकाना होगा:-
(क) 15 सितंबर तक (ख) 15 दिसंबर तक
(ग) 15 मार्च तक (घ) 31 मार्च तक
 - (2) अग्रिम कर की दूसरी किश्त की देय तिथि है:-
(क) 15 सितंबर (ख) 15 दिसंबर
(ग) 15 मार्च (घ) 15 जून
 - (3) अग्रिम कर दायित्व उत्पन्न होता है जब देय कर की राशि है:-
(क) 5000 रु (ख) 10000 रुपये या अधिक
(ग) 15000 रु. या अधिक (घ) 20000 रुपये या अधिक
 - (4) अग्रिम कर भुगतान स्थगित करने पर किस धारा के अन्तर्गत ब्याज लगेगा:-
(क) धारा 234ए (ख) धारा 234 बी
(ग) धारा 234 सी (घ) धारा 234 डी
 - (5) वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यक्ति करदाता को अग्रिम कर किश्तों में जमा कराना पड़ता है-
(क) 2(ख) 4 (ग) 3 (घ) एकमुश्त
2. बताइए की नीचे दिये गये कथन सही है या गलत :-
- (1) उद्गम स्थान पर कर की कटौती घटाने के बाद यदि देय कर की राशि 10000 रुपये या अधिक है तो अग्रिम कर चुकाना होता है।
 - (2) कम्पनी की दशा में अग्रिम कर की दूसरी किश्त की देय तिथि 15 दिसंबर है।

18.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.

उत्तर :- (1) (घ), (2) (क), (3) (ख), (4) (ग), (5) (ख)

2.

उत्तर (1) – सही, (2) गलत

18.11 स्वपरख प्रश्न

- (1) आय कर का अग्रिम भुगतान पर टिप्पणी लिखिए ।
- (2) "जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ" योजना से क्या तात्पर्य है ? इस संबंध में आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या कीजिए ।
- (3) संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए –
(क) अग्रिम कर चुकाने हेतु दायित्व
(ख) अग्रिम कर की गणना
- (4) अग्रिम कर भुगतान की विभिन्न देय तिथियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए । उक्त तिथियों पर देय राशि की भी व्याख्या कीजिए ।
- (5) अग्रिम कर देने का दायित्व कब उत्पन्न होता है? ऐसा कर का भुगतान कब किया जाता है, इसकी संगणना कैसे की जाती है तथा यह कैसे चुकाया जाता है, स्पष्ट कीजिए ।
- (6) अग्रिम कर के किश्त में भुगतान की कमी पर लगने वाले ब्याज से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए ।
- (7) पूंजीगत लाभ एवं आकस्मिक आय से क्या तात्पर्य है ?
- (8) मिस ईना श्रीवास्तव की वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये चालू आय का अनुमान निम्नांकित है:-
 - (1) व्यवसाय में कर योग्य आय— 11,05,000 रु.
 - (2) अन्य साधनों से आय — 65,000 रु.उसने अपने जीवन पर एक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जिसका वार्षिक प्रीमियम 76,000 रुपये है। यह धारा 80डी के अन्तर्गत 4000 रुपये कटौती की पात्र है।
अग्रिम कर की गणना कीजिए एवं विभिन्न देय तिथियों पर जमा की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यदि मिस ईना श्रीवास्तव की एक आय में उद्गम स्थान पर कर 3080 रुपये काटा गया है।
- (9) श्री रवि को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 60,000 रुपये अग्रिम कर के रूप में जमा कराने थे। उसने निम्न राशि जमा कराई:-

15.06.2017	—	9000 रुपये
15.09.2017	—	19000 रुपये
15.12.2017	—	12000 रुपये
15.03.2018	—	20000 रुपये

क्या श्री रवि को धारा 234(सी) के अन्तर्गत कोई ब्याज देना होगा।
यदि हाँ तो ब्याज की राशि बताइये।

18.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhanian : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच०सी० एवं जोशी सीवएस० : आय कर— कर निर्धारण वर्ष 2019—20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019)।